SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार
प्रतिवेदन संख्या-5, वर्ष 2025
(निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार

प्रतिवेदन संख्या-**5**, वर्ष **2025**

(निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल)

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
प्राक्कथन	-	vii
विहंगावलोकन	-	ix
अध्याय-I **प्रस्तावना**		
प्रस्तावना	1.1	1
लेखापरीक्षा आच्छादन	1.2	1
लेखापरीक्षा प्रक्रिया और लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया	1.3	1
पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी अनुवर्ती कार्यवाही	1.4	4
अध्याय-II **निष्पादन लेखापरीक्षा**		
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग		
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् और मण्डी समितियों की कार्यप्रणाली	2.1	7
खेल विभाग		
खेल विभाग की गतिविधियाँ	2.2	44
व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग		
उत्तर प्रदेश में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का कार्यान्वयन	2.3	85
अध्याय-III **अनुपालन लेखापरीक्षा**		
कृषि शिक्षा और अनुसंधान विभाग		
प्रौद्योगिकी महाविद्यालय भवन के अधूरे निर्माण पर निष्फल व्यय	3.1	145
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग		

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
₹42.02 करोड़ रुपये का अलाभकारी व्यय	3.2	150
चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग		
गृह कर के बकाया पर ब्याज का परिहार्य भुगतान	3.3	153
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
डॉ. राम मनोहर लोहिया पुरुष अस्पताल, फर्रुखाबाद में प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट का संचालन न होने के कारण अलाभकारी व्यय	3.4	156
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें विभाग		
सौर ऊर्जा आधारित पावर बैकअप प्रणाली पर अलाभकारी व्यय	3.5	160
प्राविधिक शिक्षा विभाग		
महिला छात्रावास भवनों के निर्माण पर अलाभकारी व्यय	3.6	163
हरकोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन भवन पर अलाभकारी व्यय	3.7	167
शहरी विकास विभाग		
अपूर्ण व्यावसायिक दुकानों पर अलाभकारी व्यय	3.8	170
अपूर्ण पशु आश्रय गृहों पर अलाभकारी व्यय	3.9	173
निजी विश्वविद्यालय में पंडाल के निर्माण पर अलाभकारी व्यय	3.10	179
अपूर्ण शूटिंग रेंज पर अलाभकारी व्यय	3.11	181
व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग		
₹ 10.76 करोड़ का अलाभकारी व्यय	3.12	186

परिशिष्ट		
संख्या	**विवरण**	**पृष्ठ**
1.1	विभागों और संबंधित संस्थाओं का विवरण	195
2.1.1	उत्तर प्रदेश राज्य कृषि मंडी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय और चयनित मंडी समितियां	197
2.1.2	2017-18 से 2021-22 तक की अवधि के लिये आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति	199
2.1.3	मंडी समितिवार अनाद्रित चेको की स्थिति	200
2.1.4	दिसम्बर 2023 तक व्यापारियों को आवंटित दुकानों की प्रीमियम धनराशि की वसूली न होना	202
2.1.5	दिसम्बर 2023 तक वसूल न किये गए किराये की स्थिति	203
2.1.6	मार्च 2022 में मानव शक्ति की पदवार उपलब्धता का विवरण	204
2.1.7	अनिर्मित मंडी यार्ड का विवरण	207
2.1.8	तोलक, मापक और पल्लेदार की संख्या	208
2.1.9	अक्रियाशील एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब का विवरण	211
2.1.10	दिसम्बर 2023 तक मंडी क्षेत्र में अनावंटित दुकाने	212
2.2.1	मार्च 2022 तक खेल के अवस्थापनाओं की उपलब्धता	213
2.2.2	वर्ष 2016-22 की अवधि में खेल विभाग की बजट मांग, आवंटन और व्यय का विवरण	216
2.2.3	वर्ष 2016-22 की अवधि में निष्पादित कार्यों का विवरण	217
2.2.4	अनुचित रखरखाव/अप्रयुक्त खेल सुविधायें	227
2.2.5	वर्ष 2016-22 की अवधि में अप्रयुक्त डोरमेट्री की स्थिति	230
2.2.6	वर्ष 2016-22 की अवधि में अंशकालिक प्रशिक्षकों की खेल-वार और वर्षवार स्वीकृत संख्या और कार्यरत का विवरण	231

परिशिष्ट		
संख्या	**विवरण**	**पृष्ठ**
2.2.7	नमूना जांच किए गए जनपदों में प्रशिक्षकों की अनुपलब्धता	233
2.2.8	स्पोर्ट्स कॉलेज में अस्पताल/डिस्पेंसरी अवस्थापना का विवरण	234
2.2.9	वर्ष 2021-22 की अवधि में स्वीकृत संख्या की तुलना में तैनाती	235
2.2.10	महिला खिलाड़ी की भागीदारी	238
2.2.11	महिला खेल छात्रावासों में रिक्तियों का विवरण	238
2.2.12	2016-22 की अवधि में उपलब्ध महिला प्रशिक्षकों का विवरण	239
2.2.13	वर्ष 2016-22 की अवधि में महिला खिलाड़ियों के अधिक प्रतिभाग वाले प्रशिक्षण शिविरों का विवरण	240
2.2.14	खेल संघों/महसंघों को वित्तीय सहायता	244
2.2.15	उन शिविरों में पंजीकृत खिलाड़ियों का विवरण जिनके खेल संघों पर विवाद था	244
2.3.1	प्रतिदर्श परियोजनाओं की सूची	245
2.3.2	वार्षिक योजना की परियोजनाओं का अनियमित समय विस्तार	247
2.3.3	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को अतिरिक्त भुगतान	250
2.3.4 अ	समझौता ज्ञापन के निष्पादन और प्रथम किस्त अवमुक्त करने मे विलंब का विवरण	252
2.3.4 ब	प्रथम बैच का प्रशिक्षण प्रारंभ होने में विलंब का विवरण	254
2.3.5	निष्पादन बैंक प्रत्याभूति का नवीनीकरण न किया जाना	255
2.3.6	प्रतिदर्श परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा खोले गये बैंक खातों का विवरण (वार्षिक योजना 2016-19)	258

परिशिष्ट

संख्या	विवरण	पृष्ठ
2.3.7	शिक्षक/परामर्शदाता/प्रयोगशाला सहायक के रूप में नियोजित प्रशिक्षुओं का विवरण	260
2.3.8	नियोजन के दस्तावेजों का बैंकों से सत्यापन	263
2.3.9	नमूना जाँच किए गए नियोजनों का मोबाइल फोन कॉल के माध्यम से सत्यापन	267
2.3.10	तकनीकी सहायता एजेंसी और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा 2016-17 से 2021-22 के दौरान किये गये निरीक्षण में कमी	288
3.1	सरकारी पॉलिटेक्निक में महिला छात्रावास का निर्माण	290
3.2	मई और जून 2023 के दौरान संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान सरकारी पॉलिटेक्निक में महिला हॉस्टल की स्थिति	293
3.3	शूटिंग रेंज की प्रगति	300

प्राक्कथन

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

इस प्रतिवेदन में कृषि शिक्षा और अनुसंधान, कृषि विपणन और कृषि विदेशी व्यापार, आवास और शहरी योजना, चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ, जेल प्रशासन और सुधार सेवाएं, ग्राम्य विकास, क्रीड़ा, तकनीकी शिक्षा, शहरी विकास और व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभागों सहित प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समूहों के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों के निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण वे हैं, जो 2021-22 की अवधि के लिए नमूना-लेखापरीक्षा के समय अथवा पूर्व के वर्षों में सज्ञान में आए थे परंतु विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे; जहां भी आवश्यक हो वर्ष 2021-22 के बाद की अवधि से संबंधित प्रकरणों को भी प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2022 को समाप्त हुये वर्ष के लिये इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित अध्याय सम्मिलित हैंः

अध्याय-I : प्रस्तावना

अध्याय-II: निम्नलिखित निष्पादन लेखापरीक्षायें:

(i) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् और मण्डी समितियों की कार्यप्रणाली

(ii) खेल विभाग की गतिविधियाँ

(iii) उत्तर प्रदेश में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का कार्यान्वयन

अध्याय-III: विभिन्न विभागों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर

अध्याय-I: प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश सरकार के 55 विभागों के साथ 384 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और 776 अन्य संस्थाओं (स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों आदि) की लेखापरीक्षा, जिसमें शहरी स्थानीय निकाय/पंचायतीराज संस्थान शामिल हैं, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), उत्तर प्रदेश के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। वर्ष 2021-22 के मध्य, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के 55 विभागों के अंतर्गत 6,537 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों के सापेक्ष 249 इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी। इस प्रतिवेदन में 'राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद और मण्डी समितियों की कार्यप्रणाली', 'खेल विभाग की गतिविधियाँ' और 'उत्तर प्रदेश में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का कार्यान्वयन' की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 12 विभागों से संबंधित 12 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों के परिणाम शामिल हैं।

अध्याय-II: निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद और मण्डी समितियों की कार्यप्रणाली

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (अधिनियम) के अन्तर्गत, राज्य सरकार कृषि उत्पाद के क्रय एवं विक्रय के विनियमन के लिये किसी भी क्षेत्र को मण्डी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करती है। राज्य में 251 विनियमित मण्डी क्षेत्र (विनियामित मण्डी) हैं। प्रत्येक मण्डी क्षेत्र के लिये एक समिति होती है जिसे उस मण्डी क्षेत्र की मण्डी समिति कहा जाता है| इन मण्डी समितियों के कामकाज और संबंधित मामलों की देखरेख और प्रबंधन के लिये, राज्य सरकार ने राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद (परिषद) का गठन किया।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में 2017-18 से 2021-22 की अवधि में राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद और मण्डी समितियों के कामकाज का आकलन किया गया। राज्य सरकार के उत्तर (सितम्बर 2023) और अगस्त 2024 तक परिषद से प्राप्त अतिरिक्त सूचनाओ को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित कर लिया गया है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विवरण नीचे दिया गया है:

अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न हितधारकों में से नामित सदस्यों के माध्यम से मण्डी समितियों के कामकाज का प्रावधान है तथा मण्डी समिति में उत्पादकों के प्रतिनिधियों में से मनोनीत सदस्यों द्वारा सभापित/ उपसभापति का चुनाव किया जाता है। तथापि, परिषद अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा मण्डी समितियों का संचालन जारी रहा।

2017-18 से 2021-22 कि अवधि में कुल प्राप्तियों (₹7,654.78 करोड़) में से परिषद ने ₹4,173.17 करोड़ का व्यय किया और 251 मण्डी समितियों ने ₹3,124.19 करोड़ का व्यय किया। 2019-20 के बाद परिषद और मण्डी समितियों की प्राप्तियों में गिरावट की प्रवृति रही जिसके परिणामस्वरूप 2020-22 के मध्य उनका व्यय प्राप्तियों से अधिक हो गया। परिषद ने 2016-2021 की अवधि में उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि और केंद्रीय

मण्डी निधि से प्राप्त अर्जित ब्याज के ₹392.28 करोड़ को परिषद निधि में स्थानांतरित कर दिया, जो उस अधिनियम का उल्लंघन था जिसके अन्तर्गत इन निधियों की स्थापना विशिष्ट गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिये की गई थी। इसके अतिरिक्त, दुकानों के आवंटन पर ₹81.96 करोड़ का प्रीमियम, ₹11.78 करोड़ का किराया और ₹1.33 करोड़ का उपयोगकर्ता शुल्क मार्च 2022 तक राज्य में मण्डी समितियों द्वारा आवंटित दुकानों/गोदामों पर बकाया था। पांच वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, सीमेंट और मैक्सफाल्ट की आपूर्ति के लिये विभिन्न संस्थाओ को दिये गये ₹5.61 करोड़ रुपये के अग्रिम भुगतान को मार्च 2022 तक परिषद के छह उप निदेशक (निर्माण) कार्यालयों (डीडीसी) द्वारा समायोजित किया जाना शेष था। मण्डी परिषद को तीन केन्द्र प्रायोजित योजनाओं अर्थात इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) और बुंदेलखंड पैकेज (बी.के.पी) के क्रियान्यवन के लिये 2017-18 से 2021-22 की अवधि में भारत सरकार से ₹138.94 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। तथापि, 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि में ई-नाम और आरकेवीवाई योजनाओं के लिये कुल उपलब्ध धनराशि का उपयोग क्रमशः केवल 49.14 प्रतिशत और 9.62 प्रतिशत था। ई-नाम प्लेटफॉर्म पर अंतर-राज्यीय और अंतर्राज्यीय व्यापार दोनों में न्यूनतम गतिविधि थी, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में इसके क्रियान्यवन के छह साल बाद भी ई-नाम के इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

राज्य में 12 प्रतिशत मण्डी समितियों में प्रमुख मण्डी स्थल निर्मित नहीं थे। बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थानीय किसानों को स्थानीय स्तर पर उत्पाद बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिये निर्मित 133 ग्रामीण अवसंरचना केन्द्रों (रिन) में से अगस्त 2023 तक केवल 20 प्रतिशत ही क्रियाशील थे। इसके अतिरिक्त, किसानों को अपनी कृषि उत्पाद बेचने के लिये स्थानीय बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2011-12 से 2014-15 के मध्य निर्मित 1,643 कृषि विपणन केन्द्रों (एएमएच) में से जनवरी 2024 तक 29 प्रतिशत एएमएच अक्रियाशील रहे। इसके अतिरिक्त, नमूना जांच की गई 21 मण्डी समितियों के मण्डी स्थलों में 309 दुकानें दिसंबर 2023 तक रिक्त थीं,

जिनमें से 223 दुकानें संबंधित मण्डी समितियों को हंस्तान्तरित किये जाने के बाद से कभी आवंटित नहीं की गईं। परिषद ने समुचित संभाव्यता का अध्ययन किए बिना परियोजनाएं प्रारम्भ कीं जिसके परिणामस्वरूप आधारभूत संरचना निष्क्रिय रही, जैसे कि नोएडा में पुष्प मण्डी पर ₹39.60 करोड़ रुपये व्यय किए गए, जो इसके पूर्ण होने के 15 वर्ष बाद भी क्रियाशील नहीं हुई तथा कन्नौज के ठठिया मण्डी स्थल में आलू प्रसंस्करण इकाई को ₹11.71 करोड़ रुपये व्यय करने के बाद बीच में ही बंद कर दिया गया (मार्च 2017)।

अनुशंसायें:

- *राज्य सरकार को उत्पादकों, व्यापारियों, आढ़तिया, पल्लेदारों में से मण्डी समितियों में सदस्यों को मनोनीत करना चाहिये तथा सदस्यों द्वारा उनके सभापति एवं उपसभापति के चुनाव हेतु कार्यवाही करनी चाहिये।*

- *निधियों के बेहतर उपयोग के लिये प्रभावी तंत्र तैयार किया जाना चाहिये तथा उस पर ध्यानपूर्वक निगरानी रखी जानी चाहिये।*

- *मण्डी समितियों और परिषद के समुचित संचालन को सुनिश्चित करने के लिये सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की समय पर और उचित भर्ती की जानी चाहिये।*

- *मण्डी स्थलो के आन्तारिक परिसर में लाये गये प्रत्येक माल का वजन सुनिश्चित किया जाना चाहिये तथा मण्डी शुल्क की देय और भुगतान की गई राशि का मिलान किया जाना चाहिये। मण्डी स्थलो के संचालन में प्रणालीगत सुधारों के माध्यम से प्राप्तियों की वसूली सुनिश्चित किया जाना चाहिये।*

- *मण्डी स्थल/मण्डी क्षेत्र में नए आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिये दीर्घकालिक नीति बनाई जानी चाहिये। उपयोगकर्ता मण्डी समिति के द्वारा उर्ध्वगामी दृष्टिकोण के आधार पर नये आधारभूत संरचना को आवश्यकतानुसार बनाया जाना चाहिये।*

- *सुविधाओं के बेहतर उपयोग के लिये, कृषि उत्पाद के क्रय एवं विक्रय हेतु बनाई गई अप्रयुक्त आधारभूत संरचनाओं का रख-रखाव किया जाना चाहिये और प्राथमिकता के आधार पर उन्हें उपयोग में लाया जाना चाहिये।*

2.2 *खेल विभाग की गतिविधियाँ*

खेल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, राज्य में खेलों को बढ़ावा देने हेतु उत्तरदायी है 'खेल विभाग की गतिविधियाँ' पर निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2016-22 की अवधि को आच्छादित करते हुये सम्पादित की गयी। शासन एवं खेल निदेशालय के उत्तर (जुलाई 2023 और जुलाई 2024) तथा अगस्त 2024 तक खेल निदेशालय से प्राप्त अतिरिक्त सूचना को प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष का विवरण निम्नवत वर्णित हैं:

शासन द्वारा मार्च 2023 में एक खेल नीति को अनुमोदन दिया गया। वर्ष 2016-22 की अवधि में राज्य विशेष खेल नीति के अभाव में, राज्य में खेलों के बढ़ावा देने और विकास हेतु उठाए गए कदम अधिकांशत: तक तदर्थ थे। विभाग ने राष्ट्रीय नीति के अनुसार चिन्हित खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिये विकास हेतु खेल विधाओं को प्राथमिकता दिए बिना विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण प्रदान किया। खेल अवस्थापनायें जनपदवार आवश्यकताओं का आंकलन किए बिना निर्मित की गयी। बजटीय संसाधन तर्कसंगत रूप से आवंटित नहीं किए गए, जिससे अत्यधिक बचत हुयी जबकि सुविधाएं धनाभाव के कारण प्रभावित हुयीं।

खेल विभाग ने वर्ष 2016-22 की अवधि में खेल अवस्थापनाओं के संवर्धन हेतु 56 कार्यों को क्रियान्वित किया। शासनादेश (सितंबर 2013) का उल्लंघन करते हुए, दरों की प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने हेतु कम से कम तीन कार्यदायी संस्थाओं से प्राक्कलन प्राप्त किए बिना, इन कार्यों को नामांकन के आधार पर कार्यदायी संस्थाओं को प्रदान किया। कार्यदायी संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित नहीं किए गए, जिसके कारण खेल विभाग के पास निर्माण में विलम्ब के कारण परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाने का अधिकार नहीं था। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं को व्यवहार्यता प्रतिवेदन के अभाव में स्वीकृति दी गयी। नमूना जाँच किये गये जनपदों में अत्यधिक निवेश के पश्चात् निर्मित कई खेल अवस्थापनायें अप्रयुक्त पड़ी थीं, जिनमें

से कई को मरम्मत और अनुरक्षण की आवश्यकता थी। खेल विभाग ने खेल अवस्थापनाओं की मरम्मत और अनुरक्षण के बारे में कोई नीति नहीं बनायी।

राज्य में तीन स्पोर्ट्स कॉलेज हैं जो पूरी तरह से खेल विभाग द्वारा वित्तपोषित हैं और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत कक्षा छह से कक्षा 12 (मानविकी स्ट्रीम) तक शिक्षा प्रदान करते हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2016-22 की अवधि में इन कॉलेजों द्वारा स्वीकृत क्षमता से 26 से 46 प्रतिशत के कम उपयोग किया गया। इन कॉलेजों में शैक्षणिक विषयों के पढ़ाने हेतु शिक्षक स्वीकृत क्षमता के अनुसार उपलब्ध नहीं थे। खेल विभाग ने स्पोर्ट्स कॉलेजों में अपर्याप्त शैक्षिक संकाय को शिक्षा विभाग की ओर से प्रतिनियुक्ति आधार पर शिक्षकों की उपलब्धता में विफलता हेतु उत्तरदायी माना। इसके अतिरिक्त दो स्पोर्ट्स कॉलेजों में चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त था।

खेल विभाग विभागीय प्रशिक्षकों और अंशकालिक प्रशिक्षकों की सेवाओं का उपयोग करके खेल छात्रावासों, स्पोर्ट्स कॉलेज और प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से उदीयमान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। यद्यपि विभाग प्रशिक्षकों की कमी को प्रभावी ढंग से दूर नहीं कर सका। वर्ष 2016-22 की अवधि में स्थायी और अंशकालिक प्रशिक्षकों में रिक्तियां क्रमशः 33 से 38 प्रतिशत और 13 से 60 प्रतिशत थीं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा प्रशिक्षित किए जा रहे खिलाड़ियों के बारे में संकलित डेटाबेस का रखरखाव नहीं किया जा रहा था, जिससे संसाधनों का आवश्यकता-आधारित आवंटन नहीं हो पा रहा था।

खेल विभाग ने खिलाड़ियों की पोषण स्तर का मूल्यांकन करने हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं किया। शासन ने (अक्टूबर 2020) कैलोरी की खेल विशेष आवश्यकताओं पर विचार किए बिना आहार सूची को लागू किया। इसके अतिरिक्त, खेल विभाग ने प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों के बीच डोपिंग के संबंध में जागरूकता हेतु कोई कदम नहीं उठाया।

राष्ट्रीय खेल नीति 2001 के अनुसार खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने हेतु प्रयास किये जाने थे। यद्यपि प्रशिक्षण शिविर में महिला खिलाड़ियों की भागीदारी कम थी, साथ ही महिला प्रशिक्षकों की भी कमी थी।

खेल विभाग और खेल संघों के बीच समन्वय की कमी थी। चार राज्य खेल संघों (उत्तर प्रदेश पावर लिफ्टिंग महासंघ लखनऊ/कानपुर, उत्तर प्रदेश नेटबॉल महासंघ गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो महासंघ लखनऊ, उत्तर प्रदेश

शूटिंग बॉल महासंघ मेरठ) में विवाद थे। उनके विवाद के कारण, प्रतियोगिताएं आयोजित नहीं की जा रही थी एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में कोई टीमें नहीं भेज रहे थे।

अनुशंसायें:

- शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खेल अवस्थापनाओं का निर्माण विस्तृत सर्वेक्षण और आवश्यकता के आकलन के उपरांत किया जाय। ऐसे प्रकरणों में उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाना चाहिए जहाँ उपरोक्त का अनुपालन न किये जाने के कारण अवस्थापनाओं के निर्माण पर अलाभकारी व्यय हुआ।
- खेल सुविधाओं और उपकरणों के अनुरक्षण और मरम्मत का कार्य ससमय किया जाना चाहिए और उचित मूल्यांकन के उपरांत वर्ष के प्रारंभ में ही बजट उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन संबंधितों एवं संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए जहां ये सुविधाएं क्षतिग्रस्त और उपेक्षित हैं।
- शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्माण एजेंसियों के साथ समझौते में अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाए, साथ ही उल्लंघन हेतु दंड का प्रावधान भी हो तथा कार्य पारदर्शी, उत्तरदायी और समयबद्ध रूप से निष्पादित किए जाएं।
- प्रशिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए। साथ ही शासन द्वारा उचित संख्या में फिजियोथेरेपिस्ट की सेवाएं लिया जाना चाहिए।
- शासन को समस्त खेल प्रशिक्षुओं की प्रगति पर पर्याप्त निगरानी रखने हेतु डाटाबेस अनुरक्षित करवाना चाहिए।
- खिलाड़ियों की शिकायतों से निपटने हेतु सभी जनपदों में एक उत्तरदायी शिकायत निवारण तंत्र लागू किया जाना चाहिए।
- खिलाड़ियों/खेल प्रशिक्षुओं के मध्य निष्पक्ष खेल और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने हेतु डोपिंग के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने हेतु ठोस उपाय किए जाने चाहिए।
- राज्य में प्रतिस्पर्धात्मक खेलों को बढ़ावा देने हेतु खेल विभाग और खेल संघों के बीच अच्छा समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2.3 उत्तर प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का कार्यान्वयन

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे 15 से 35 वर्ष की आयु के ग्रामीण युवाओं के लिए नियोजन से जुड़े कौशल विकास कार्यक्रम के रूप में 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। यह जानने के लिए कि क्या डीडीयू-जीकेवाई को प्रभावी ढंग से एवं दिशानिर्देशों के अनुरूप लागू किया गया था, 'उत्तर प्रदेश में डीडीयू-जीकेवाई के कार्यान्वयन' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा, अप्रैल 2016 से मार्च 2022 तक की अवधि को अच्छादित करते हुए आयोजित की गई। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (यूपीएसडीएम) को राज्य में योजना के कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया था। राज्य सरकार के उत्तर (जुलाई 2023) और यूपीएसडीएम से जनवरी 2024 तक प्राप्त अतिरिक्त जानकारी को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा में आच्छादित छह वर्ष की अवधि के दौरान, प्रभावी आयोजना के लिए कौशल अंतर आंकलन (स्किल गैप असेसमेंट) एवं श्रमिक बाजार का अध्ययन, राज्य परिप्रेक्ष्य कार्यान्वयन योजना को तैयार करना तथा युवा स्तर डाटाबेस के सृजन जैसी गतिविधियाँ नहीं की गयीं थीं। इस पूरी अवधि के दौरान, राज्य एवं जनपद स्तर पर डीडीयू-जीकेवाई के कार्यान्वयन के लिए समर्पित कार्मिकों की नियुक्ति के बिना योजना को लागू किया गया था, जबकि योजना के अंतर्गत इसकी परिकल्पना की गई थी एवं भारत सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए राज्य को प्रशासनिक लागत में धनराशि भी उपलब्ध (मार्च 2016) कराई गई थी। लेखापरीक्षा में आच्छादित छह वर्षों की अवधि में प्रशिक्षण एवं नियोजन के लक्ष्यों की प्राप्ति में 15 प्रतिशत से 76 प्रतिशत तक की कमी थी।

लेखापरीक्षा में ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) आमंत्रित करने की अधिसूचनाओं में विलम्ब एवं परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) के निष्पादन में विलम्ब पाया गया। इसके

अतिरिक्त, संबंधित परियोजनाओं में शून्य नियोजन के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के विरुद्ध समय पर कार्यवाही न करके उनको अनुचित लाभ पहुंचाया गया था। संदिग्ध/संदेहास्पद नियोजन एवं नियोजन के अनुसमर्थन में संदिग्ध बैंक खाता विवरणों का उपयोग, योजना के अंतर्गत परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए नियोजन के दावों पर चिंता का कारण थे।

यूपीएसडीएम द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़ों के अनुसार, नमूना जांच की गयी 28 परियोजनाओं में से 19 परियोजनाओं के द्विमासिक निरीक्षण में यूपीएसडीएम द्वारा 57 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक तथा तकनीकी सहायता एजेंसी द्वारा निरीक्षण में 22 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की कमी पाई गयी।

अनुशंसायें:

• कौशल अंतर आंकलन एवं श्रम बाजार के अध्ययन के आधार पर राज्य परिप्रेक्ष्य कार्यान्वयन योजना को बनाया जाना सुनिश्चित करे। अग्रेतर, योजना के कार्यान्वयन एवं उसकी व्यापक आयोजना के लिए राज्य स्तरीय युवा डाटाबेस तैयार किया जाना चाहिए।

• समय पर धनराशि निर्गत/उपयोग करने तथा ब्याज की देयता के सृजन से बचने के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन एवं ग्राम्य विकास विभाग के मध्य आपसी समन्वय सुनिश्चित करे।

• परियोजनाओं की स्वीकृति से पूर्व, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रदर्शन का आंकलन करे एवं पिछली परियोजनाओं में प्रशिक्षण एवं नियोजन के दावे को सत्यापित करे।

• दोषी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रकरण में दंडात्मक ब्याज के साथ अवमुक्त की गई धनराशि की शीघ्र वसूली के लिए तत्काल कार्यवाही करे।

• नियोजन एवं प्रशिक्षण के संबंध में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के दावों की वास्तविकता को आश्वस्त करने तथा असत्य दावों के उत्तरदायित्व

निर्धारित करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत बैंक खाता विवरण सहित नियोजन के अभिलेखों की समीक्षा करे।

• कौशल विकास योजना के सुचारू कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए राज्य, जनपद तथा उप-जनपद स्तर पर समर्पित कौशल टीम की तैनाती सुनिश्चित करे।

अध्याय-III: अनुपालन लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा प्रस्तर

कृषि शिक्षा और अनुसंधान विभाग

कार्यक्षेत्र की व्यापकता के निर्धारण में शिथिलता, विभागीय स्तर पर धनराशि निर्गत करने में विलम्ब तथा निर्माण कार्य प्रारंभ होने से पहले कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप कृषि अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के अधूरे निर्माण पर ₹ 54.80 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, परिणामस्वरुप परियोजना का वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका।

(प्रस्तर 3.1)

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

मांग सर्वेक्षण के बिना स्व-वित्तपोषित योजना के अन्तर्गत 680 फ्लैटों के निर्माण करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण, 488 फ्लैटों का निर्माण स्टिल्ट स्तर पर अधूरा छोड़ देने के परिणामस्वरूप परित्यक्त अपूर्ण संरचना पर ₹ 42.02 करोड़ का किया गया व्यय अलाभकारी हो गया।

(प्रस्तर 3.2)

चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग

बाबा राघव दास चिकित्सा महाविद्यालय, गोरखपुर द्वारा गृह कर के बकाया पर ब्याज के कारण ₹ 81.30 लाख रुपये का परिहार्य भुगतान किया गया।

(प्रस्तर 3.3)

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

राज्य सरकार दिसंबर 2016 में भवन निर्माण के बावजूद डॉ. राम मनोहर लोहिया पुरुष अस्पताल, फर्रुखाबाद में प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट के

संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध नहीं करा सकी, जिसके परिणामस्वरूप भवन के निर्माण और उपकरणों/साज-सज्जा की खरीद पर ₹ 1.96 करोड़ रुपये का अलाभकारी व्यय हुआ।

(प्रस्तर 3.4)

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें विभाग

विभागीय शिथिलता एवं कार्यदायी संस्था की निष्क्रियता के कारण, केंद्रीय कारागार, बरेली में स्थापित मोबाइल फोन जैमरों को पावर बैकअप प्रदान करने हेतु स्थापित सौर ऊर्जा आधारित पावर बैकअप प्रणाली के पांच वर्षों के बाद भी अक्रियाशील रहने के कारण प्रणाली को पावर बैकअप प्रदान करने का उद्देश्य विफल रहा। अतः पावर बैकअप प्रणाली की स्थापना पर किया गया ₹ 1.95 करोड़ का व्यय अलाभकारी हो गया।

(प्रस्तर 3.5)

प्राविधिक शिक्षा विभाग

शासकीय पॉलिटेक्निक में सात महिला छात्रावासों को उनके हस्तांतरण के दो से चार वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी क्रियाशील नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, इनकी स्वीकृति के सात साल से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी, तीन पूर्ण हो चुके छात्रावास अभी भी हस्तांतरित नहीं किये जा सके और एक छात्रावास का निर्माण अभी भी अपूर्ण है, जिसके कारण इनके निर्माण पर किया गया ₹ 21.22 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

(प्रस्तर 3.6)

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग के लिए भवन निर्माण कार्य पर किए गए ₹ 8.37 करोड़ का व्यय पर्याप्त निधि निर्गत करने में विलंब के कारण अलाभकारी रहा, जिसके परिणामस्वरूप दिसंबर 2021 से कार्य रोक दिया गया।

(प्रस्तर 3.7)

शहरी विकास विभाग

नगर पंचायत, उस्का बाजार, सिद्धार्थनगर ने नगर पंचायत की पूर्ण रूप से स्वामित्व न रखने वाली भूमि पर व्यावसायिक दुकानों का निर्माण प्रारम्भ किया, जिसके कारण जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर के साथ विवाद उत्पन्न हुआ और सात वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी निर्माण

पूरा नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप अपूर्ण व्यावसायिक दुकानों पर ₹1.36 करोड़ का अलाभकारी व्यय हुआ।

(प्रस्तर 3.8)

वित्तीय नियमों और कान्हा पशु आश्रय योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, नगर पालिका परिषद, सिसवा बाजार, महाराजगंज और नगर पंचायत, उस्का बाजार, सिद्धार्थनगर ने निर्विवाद भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना पशु आश्रय गृहों का निर्माण प्रारम्भ कर दिया, जिसके कारण ₹ 96.63 लाख व्यय होने के बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप छह वर्ष से अधिक समय तक इन निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय अलाभकारी रहा |

(प्रस्तर 3.9)

मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में छह वर्ष से अधिक समय से परित्यक्त पड़े हुए भव्य पंडाल के अधूरे निर्माण पर किया गया ₹ 4.91 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

(प्रस्तर 3.10)

नगर निगम लखनऊ वर्ष 2008 में प्रारम्भ हुए शूटिंग रेंज के निर्माण कार्य को पूरा करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप अपूर्ण शूटिंग रेंज पर ₹ 18.61 करोड़ का अलाभकारी व्यय हुआ।

(प्रस्तर 3.11)

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग

बलरामपुर जिले में कटरा शंकर नगर, तुलसीपुर और श्रीदत्तगंज में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) का निर्माण कार्य भूमि प्रदान करने में देरी और निर्माण के लिए आवश्यक अनुमानित निधि की मंजूरी सुनिश्चित किए बिना काम शुरू करने के कारण इसकी स्वीकृति के ग्यारह वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं किया जा सका। इस प्रकार, अपूर्ण आईटीआई भवनों पर किए गए ₹ 10.76 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

(प्रस्तर 3.12)

अध्याय - I

प्रस्तावना

अध्याय-I

1.1 प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश सरकार के 55 विभागों के साथ 384 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और 776 अन्य संस्थाओं (स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों आदि) की लेखापरीक्षा, जिसमें शहरी स्थानीय निकाय/पंचायतीराज संस्थान शामिल हैं, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), उत्तर प्रदेश के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। विभागों एवं सम्बन्धित इकाईयों का विवरण ***परिशिष्ट-1.1*** में दिया गया है।

1.2 लेखापरीक्षा आच्छादन

वर्ष 2021-22 के मध्य, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के 55 विभागों के अंतर्गत 6,537 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों के सापेक्ष लेखापरीक्षा के लिए नियोजित कुल 870 इकाइयों में से 249 इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी। इस प्रतिवेदन में 'राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् और मण्डी समितियों की कार्यप्रणाली', 'खेल विभाग की गतिविधियों' और 'दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के कार्यान्वयन' की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 12 विभागों[1] एवं उनके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्राधिकरणों से संबंधित 12 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों के परिणाम शामिल हैं।

1.3 लेखापरीक्षा प्रक्रिया और लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों/विभागों को लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर उनके विचार व्यक्त करने के लिए चार चरणों में अवसर प्रदान करती है, यथा,

लेखापरीक्षा ज्ञापन: स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को लेखापरीक्षा के दौरान ही उत्तर देने हेतु निर्गत किया जाता है।

---

[1] कृषि शिक्षा और अनुसंधान, कृषि विपणन और कृषि विदेशी व्यापार, आवास और शहरी योजना, चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ, जेल प्रशासन और सुधार सेवाएं, ग्रामीण विकास, खेल, तकनीकी शिक्षा, शहरी विकास और व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास।

निरीक्षण प्रतिवेदन: लेखापरीक्षा सम्पादित होने के एक महीने के भीतर लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को चार सप्ताह के भीतर उत्तर देने हेतु निर्गत किया जाता है।

आलेख्य निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/आलेख्य प्रस्तर: भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने से पूर्व उन विभागों के प्रमुखों को, जिनके अधीन लेखापरीक्षित इकाइयां कार्य करती हैं, छह सप्ताह की अवधि के भीतर विभागीय मत प्रस्तुत करने के लिए निर्गत किया जाता है।

समापन बैठक: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने से पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा/विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर शासन/विभागीय मतों को जानने के लिए विभागों के प्रमुखों एवं शासन को अवसर दिया जाता है।

इन सभी चरणों में, लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित इकाइयों/विभागों के प्रमुखों/शासन को खंडन एवं स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का पूरा अवसर प्रदान करने का प्रयास करती है और केवल जब विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं या संतोषजनक नहीं होते हैं, तब ही लेखापरीक्षा टिप्पणियों को निरीक्षण प्रतिवेदन या भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जैसा भी मामला हो, में शामिल करने हेतु कार्रवाई की जाती है। तथापि, अधिकतर प्रकरणों में जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, लेखापरीक्षित इकाइयाँ सामयिक एवं संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं करती हैं।

- **निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तरों की स्थिति**

55 विभागों/सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों से संबंधित 3,572 आहरण और संवितरण अधिकारियों को मार्च 2022 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा से पता चला कि 11,926 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 53,024 प्रस्तर 31 मार्च 2023 तक संतोषजनक उत्तर के अभाव में अनिस्तारित थे। इनमें से, आहरण और संवितरण अधिकारियों द्वारा 4,141 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 16,207 प्रस्तरों के सापेक्ष प्रारंभिक उत्तर प्रस्तुत किया गया जबकि 7,785 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 36,817 प्रस्तरों के संबंध में, आहरण और संवितरण अधिकारियों द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति **तालिका 1.1** में दी गई है।

तालिका 1.1: 31 मार्च 2023 तक अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन और प्रस्तर (31 मार्च 2022 तक निर्गत)

क्र.सं.	अवधि	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या (प्रतिशत)	अनिस्तारित प्रस्तरों की संख्या (प्रतिशत)
1	एक वर्ष तक	240 *(2)*	2478 *(5)*
2	1 वर्ष से अधिक से 3 वर्ष तक	1690 *(14)*	10073 *(19)*
3	3 वर्ष से अधिक से 5 वर्ष तक	2103 *(18)*	10626 *(20)*
4	5 वर्ष से अधिक	7893 *(66)*	29847 *(56)*
योग		**11926**	**53024**

(स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित की गई सूचना)

2021-22 की अवधि के दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा की दो बैठकें (लेखापरीक्षा समिति की बैठकें) आयोजित की गईं, जिनमें 106 प्रस्तरों का निष्तारण किया गया।

- **वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों के उत्तरों की स्थिति**

लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2020 (विनियम, 2020) के नियम 138 में प्रावधान है कि शासन के संबंधित विभाग के सचिव निर्दिष्ट समय के भीतर आलेख्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/आलेख्य प्रस्तर पर शासन की टिप्पणियों, मतों और स्पष्टीकरण को सूचित करेंगे।

वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2022 के लिए, 'राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् और मण्डी समितियों की कार्यप्रणाली', 'खेल विभाग की गतिविधियों' और 'दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के कार्यान्वयन' की निष्पादन लेखापरीक्षा और 12 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों को संबंधित प्रशासनिक विभागों के अपर मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर उनके मतों को जानने के लिए अग्रेषित किया गया था।

तीनों निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 11 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों के संबंध में शासन के उत्तर/प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुयी हैं। अवशेष एक लेखापरीक्षा प्रस्तर के संबंध में शासन का उत्तर अभी (दिसंबर 2024) भी अनुस्मारकों के पश्चात भी प्रतीक्षित था। लेखापरीक्षा को उत्तर प्रस्तुत न करने के कारण

शासन के उत्तरदायित्व निर्धारण एवं पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इसलिए यह चिंता का कारण है।

1.4 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी अनुवर्ती कार्यवाही

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया की परिणति का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए, यह आवश्यक है कि यह कार्यपालिका से उचित और सामयिक प्रतिक्रिया प्राप्त करे। वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल प्रस्तरों/ निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियां, राज्य विधानमंडल में उनकी प्रस्तुति के दो से तीन महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश निर्गत (जून 1987) किया। लंबित उत्तरों/व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति **तालिका 1.2** में दी गई है।

तालिका 1.2: अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (31 दिसंबर 2023 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. और वर्ष	राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षा प्रस्तर और अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर		निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुईं।	
			निष्पादन लेखापरीक्षा प्रस्तर	अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर	निष्पादन लेखापरीक्षा प्रस्तर	अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर
2012-13	सं. 05 वर्ष 2014	17.11.2014	5	28	0	2
2012-13	सं. 03 वर्ष 2014	01.07.2014	1.	0	0	0
2013-14	सं. 03 वर्ष 2015	26.03.2015	6	33	2	2
2014-15	सं. 01 वर्ष 2016	08.03.2016	9	30	4	2
2014-15	सं. 03 वर्ष 2016	23.08.2016	1.	0	1.	0
2015-16	सं. 02 वर्ष 2017	18.05.2017	2	29	0	11
2015-16	सं. 03 वर्ष 2017	21.07.2017	1.	0	0	0
2015-16	सं. 04 वर्ष 2017	27.07.2017	1.	0	0	0
2016-17	सं. 03 वर्ष 2018	07.02.2019	0	10	0	4
2017-18	सं. 02 वर्ष 2019	17.12.2019	1.	0	1.	0
2018-19	सं. 02 वर्ष 2021	19.08.2021	1.	22	1.	16
2019-20	सं. 06 वर्ष 2022	22.02.2023	1.	0	1.	0
2020-21	सं. 01 वर्ष 2023	28.02.2023	0	17	0	16
2020-21	सं. 02 वर्ष 2023	08.08.2023	1.	0	1.	0
		कुल योग	**30**	**166**	**11**	**53**

(स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना)

- **लोक लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा**

वर्ष 2012-13 से 2020-21 के मध्य, इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विभागों से संबंधित 30 निष्पादन लेखापरीक्षा और 166 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों को प्रतिवेदित किया गया था। इनमें से, लोक लेखा समिति ने चर्चा के लिए 91 प्रस्तर (निष्पादन लेखापरीक्षा प्रस्तर/अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर) उठाये। 31 दिसंबर 2023 तक लोक लेखा समिति की चर्चा की स्थिति **तालिका 1.3** में प्रदर्शित है।

तालिका 1.3: लो.ले.स. विधान सभा, उत्तर प्रदेश चर्चा की स्थिति (31 दिसंबर 2023 तक)

स्थिति	वर्ष 2012-13 से 2020-21 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रस्तर/अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर)
कुल लेखापरीक्षा प्रस्तरों की संख्या	196 (30 निष्पादन लेखापरीक्षा प्रस्तर + 166 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर)
लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा के लिए लिया गया	91 (15 निष्पादन लेखापरीक्षा प्रस्तर + 86 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर)
लोक लेखा समिति द्वारा की गई अनुशंसा	अभी तक अप्राप्त
प्राप्त एटीएन	शून्य

(स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित की गई सूचना)

अध्याय - II

निष्पादन लेखापरीक्षा

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग

2.1 राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् और मण्डी समितियों की कार्यप्रणाली

2.1.1. परिचय

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (अधिनियम) उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन[1] के क्रय एवं विक्रय का विनियमन और मण्डी समितियों के स्थापना, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का प्रावधान करता है।

अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत, राज्य सरकार, कृषि उत्पादन के सन्दर्भ में किसी क्षेत्र को मण्डी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करती है और वह अधिसूचना में वर्णित तिथि से प्रभावी होती है। राज्य में 251 विनियमित मण्डी क्षेत्र (विनियमित मण्डी) है। प्रत्येक मण्डी क्षेत्र के लिये एक समिति होती है जिसे उस मण्डी क्षेत्र की मण्डी समिति[2] कहते है, यह मण्डी समिति कृषि उत्पादन मण्डी समिति के नाम से भी जानी जाती है।

अधिनियम की धारा 26-क में राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् (परिषद्) की स्थापना का प्रावधान है। परिषद्, मण्डी समितियों के कार्य और उनके अन्य मामलों जिनमे मण्डी समितियों द्वारा नये मण्डी स्थलों के निर्माण एवं मौजूदा मण्डी और मण्डी क्षेत्रों के विकास हेतु कार्यक्रम भी शामिल है, पर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के लिये जिम्मेदार है। मण्डी समितियां और परिषद निगमित निकाय हैं और उन्हें स्थानीय प्राधिकरण माना जाता है।

2.1.2 संगठनात्मक व्यवस्था

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, शासन स्तर पर उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् (परिषद्) का प्रशासनिक विभाग हैं। अन्य सदस्यों[3] के अतिरिक्त, परिषद् में एक अध्यक्ष और तीन उपाध्यक्ष होते है जो राज्य सरकार

---

[1] अधिनियम की धारा 2 के अनुसार कृषि उत्पाद का अर्थ कृषि, बागवानी, द्राक्षा-कृषि, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, मछली पालन, पशुपालन या वन उत्पादन की ऐसी वस्तुओं से है जो अनुसूची में निर्दिष्ट हैं और इसमें दो या दो से अधिक ऐसी वस्तुओं का मिश्रण शामिल है तथा इसमें प्रसंस्कृत की गयी वस्तु भी सम्मिलित है।

[2] अधिनियम की धारा 12 में मंडी समिति की स्थापना का प्रावधान है।

[3] कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश (या सचिव की श्रेणी से अन्यून उसका नाम निर्देशित); प्रमुख सचिव/सचिव (वित्त विभाग); प्रमुख सचिव/सचिव (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग); प्रमुख सचिव/सचिव (कृषि विभाग); निबंधक; सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश; कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश; भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार; निदेशक, उद्यानिकी एवं फलोपयोग, उत्तर प्रदेश; निदेशक, कृषि विपणन, उत्तर प्रदेश; उत्तर प्रदेश *कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम* 1958 के अंतर्गत स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति; राज्य सरकार ऐसे छः उत्पादको को जो मंडी समितियों के सदस्य के रूप नामित हो नियुक्त करेगी; दो व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यापारियों/आढ़तियो में से जो मंडी समितियों के सदस्य के रूप नामित हो नियुक्त करेगी और मंडी निदेशक।

द्वारा नियुक्त गैर-आधिकारिक सदस्य होते है। मण्डियो का निदेशक (निदेशक) परिषद् का पदेन सचिव होता है | परिषद् के पर्यवेक्षण के साथ-साथ परिषद् के सभी अधिकारियो पर सामान्य नियंत्रण एवं निर्देशन, निदेशक में निहित है |

परिषद् के पास 16 क्षेत्रीय कार्यालय है जिनका प्रमुख उप निदेशक (प्रशासन /विपणन) होता है | निर्माण कार्यो के सम्पादन हेतु परिषद् के पास चार[4] जोन के अन्तर्गत 19 क्षेत्रीय कार्यालय है एवं पांच विद्युत् एवं यांत्रिकी (वि०/या०) खण्ड है। सिविल और विद्युत् एवं यांत्रिकी दोनों खण्डो का नेतृत्व परिषद् कार्यालय में तैनात मुख्य अभियंता करता है। परिषद् की संगठनात्मक संरचना को नीचे **चार्ट 1** में दर्शाया गया है :

चार्ट 1: उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् की संगठनात्मक संरचना

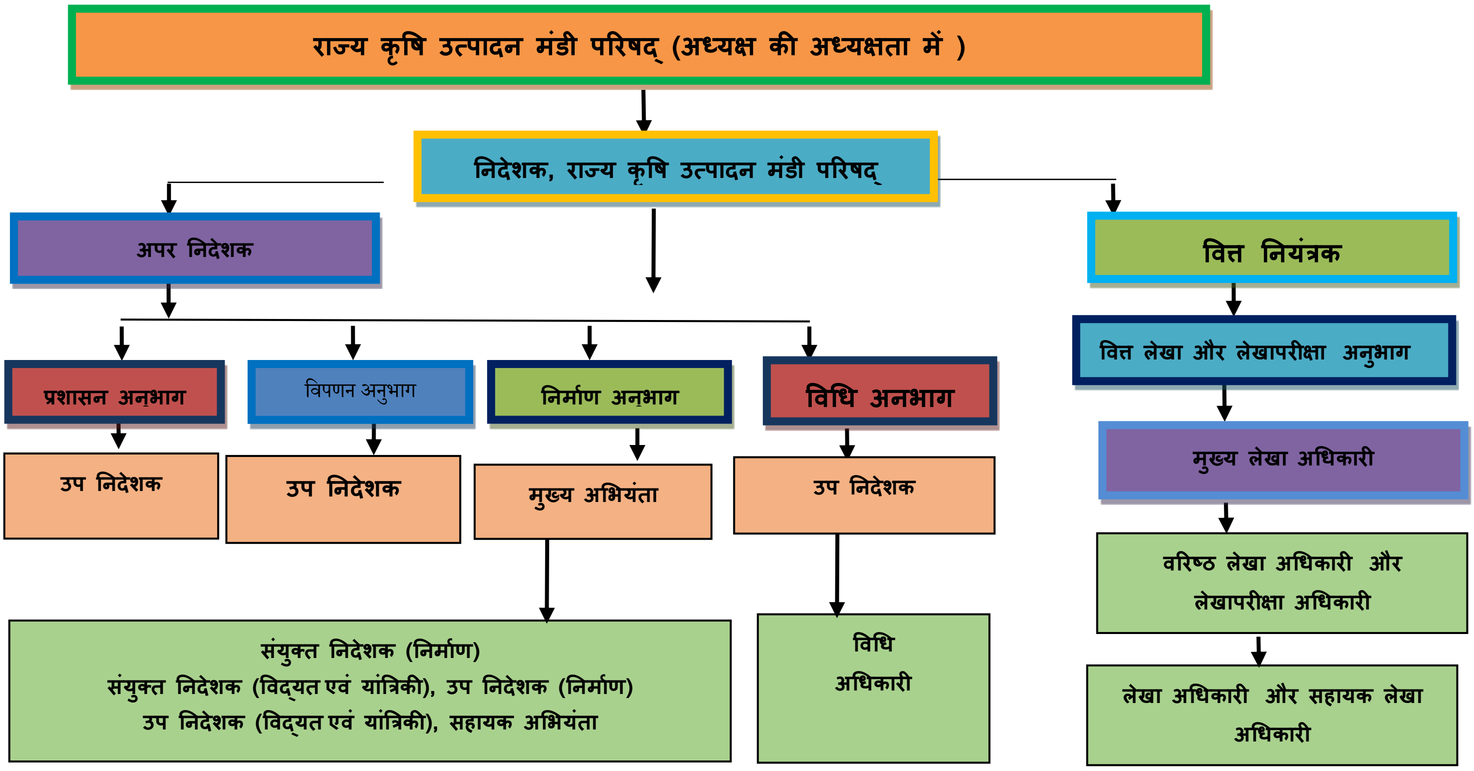

(स्रोत: उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्)

अधिनियम के धारा-13 के अन्तर्गत मण्डी समितियों में 15 नामित सदस्य और एक सदस्य सचिव होता है। इन्ही 15 नामित सदस्यों में से एक सभापति एवं एक उप सभापति चुना जायेगा। यद्यपि वर्तमान में, मण्डी समितियो एवं सभापति की समस्त शक्तियां एवं उत्तरदायित्व सम्बंधित जिलाधिकारी में निहित है। सचिव, मण्डी समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। मण्डी समितियों की संगठनात्मक संरचना **चार्ट-2** में दी गयी है :

4 लखनऊ, बरेली, आगरा एवं गोरखपुर

चार्ट-2: मण्डी समितियों का संगठनात्मक चार्ट

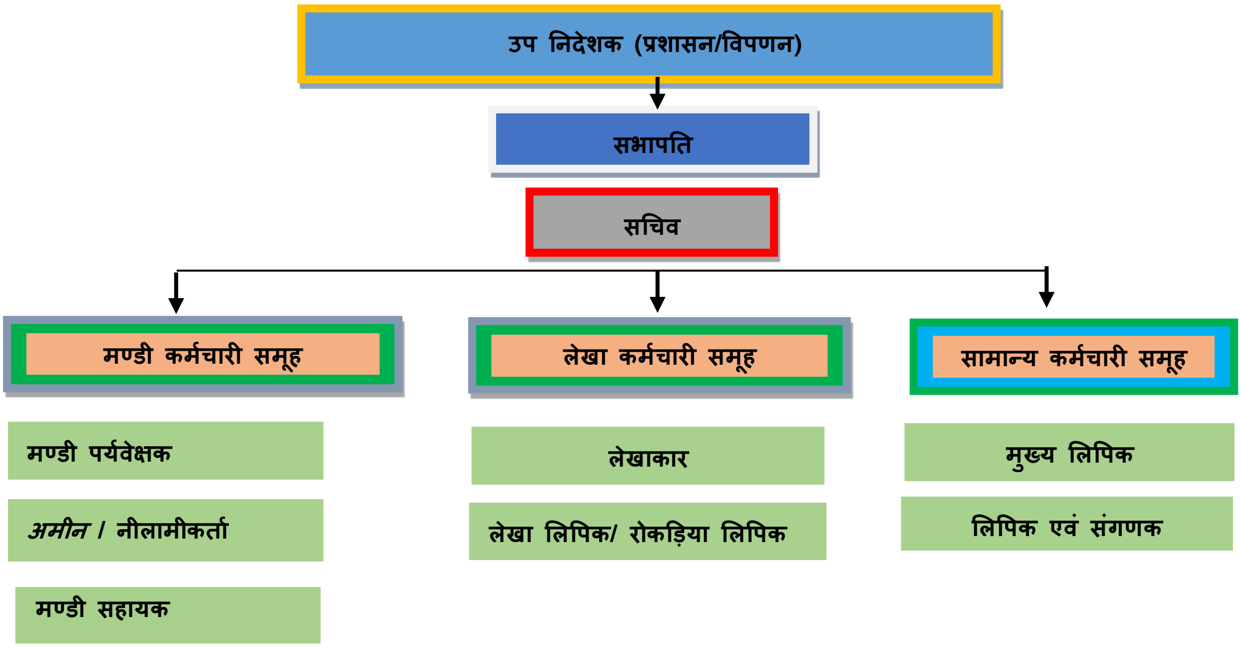

(स्रोत: उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्)

2.1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या:

1. परिषद के पास प्रभावी और कुशल अनुश्रवण संरचना एवं आंतरिक नियंत्रण तंत्र था;
2. वित्तीय और मानवशक्ति प्रबन्धन सक्षम थे;
3. मण्डी समितियों ने मण्डी क्षेत्र में प्रभावी ढंग से सुविधाएं प्रदान की और किसानों/व्यापारियों द्वारा उनका उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया गया; और
4. विकास कार्य पारदर्शी, मितव्ययी एवं प्रभावी ढंग से संचालित किये गये थे।

2.1.4. लेखापरीक्षा मानदंड

मण्डी परिषद् और मण्डी समितियों के निष्पादन का विश्लेषण करने के लिये मानदंडों के स्रोत निम्नलिखित थे:

1. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964;
2. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965;
3. उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के आदेश और परिपत्र;
4. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972;
5. राज्य सरकार की क्रय नियमावली और सम्बन्धित आदेश;

6. कार्यों के निष्पादन से संबंधित उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के आदेश और परिपत्र;
7. उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची; और
8. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 (सा.वि.नि.)

2.1.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा में बिना प्रतिस्थापन के आनुपातिक मात्रा की सम्भाव्यता पद्धति का उपयोग करके उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ एवं इसके चयनित[5] 15 क्षेत्रीय कार्यालयों और 38 मण्डी समितियों ***(परिशिष्ट 2.1.1)*** का वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जुलाई से दिसंबर 2022 की अवधि में की गयी।

लेखापरीक्षा पद्धति में चयनित कार्यालयों के संरक्षित अभिलेखों की जाँच में, चयनित कार्यालयों से सूचना/आंकड़ों का संग्रहण, लेखापरीक्षा पूछताछ के साथ-साथ निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन करना शामिल था।

अपर मुख्य सचिव, कृषि विपणन और कृषि विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के साथ प्रारंभिक बैठक (08 जून 2022) करने के साथ ही निष्पादन लेखा परीक्षा प्रारम्भ की गयी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर राज्य सरकार और परिषद के विचार लेने के लिये समापन बैठक दिनांक 29 सितम्बर 2023 को आयोजित की गयी थी। समापन बैठक कि अवधि में लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर राज्य सरकार के उत्तर, व्यक्त किये गये विचार एवं अग्रेतर मण्डी परिषद् से अगस्त 2024 तक प्राप्त अतिरिक्त सूचनाओ को इस प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित कर लिया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.6 अधिनियम द्वारा प्रावधानित ढांचे के अन्तर्गत परिषद की कार्यप्रणाली

2.1.6.1 नामित और निर्वाचित सदस्यों के बिना मण्डी समितियों का संचालन किया जाना

समय-समय पर संशोधित अधिनियम,1964 की धारा 26'छ' और 26'ठ' के अन्तर्गत परिषद् को मण्डी समितियों के कार्यकलाप एवं उसके अन्य मामलों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखना आज्ञापित है।

[5] चयनित 15 क्षेत्रीय कार्यालयों में उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) के 16 संभागीय कार्यालयों में से **तीन**, 19 निर्माण प्रभागों में से **10** और परिषद् के पांच विद्युत एवं यांत्रिक प्रभागों में से **दो** शामिल हैं। इसके अलावा, राज्य के सभी चार क्षेत्रों (बुंदेलखंड, मध्य, पूर्वी और पश्चिमी) की 251 में से 38 मंडी समितियों का चयन किया गया।

अधिनियम[6] की धारा 13 में राज्य सरकार द्वारा हितधारकों (अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस रखने वाले उत्पादकों, व्यापारियों, आढ़तियो, पल्लेदारों और मापकों) के बीच से मण्डी समितियो में 15 सदस्यों एवं एक सदस्य सचिव के नामांकन का प्रावधान है | ये मनोनीत सदस्य मण्डी समिति में उत्पादको के प्रतिनिधियो में से मण्डी समिति के सभापति एवं उप सभापित का चुनाव करने के लिये जिम्मेदार होते है | मण्डी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है, जब तक राज्य सरकार द्वारा इसे पहले ही समाप्त न कर दिया जाये और सभापति, उप सभापति तथा सदस्यों का कार्यकाल मण्डी समिति के कार्यकाल का सहविस्तारी होता है।

पूर्व में, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 के धारा-2 के अन्तर्गत मण्डी समिति एवं उसके सभापति, उप सभापति की शक्तियां, कार्य एवं कर्तव्य जिलाधिकारी में निहित थे। यद्यपि इस प्रावधान को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 2004 द्वारा इस निर्देश के साथ निरस्त कर दिया गया था कि मण्डी समिति का कार्य जिलाधिकारी द्वारा तब तक किया जायेगा जब तक कि अधिनियम के धारा-13 के अन्तर्गत मण्डी समिति का गठन नहीं हो जाता।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 में मण्डी समिति के गठन हेतु एक समय-सीमा जारी की गयी जिसमे अगस्त 2019 में मण्डी समितियो में चुनाव प्रक्रिया शुरू करने हेतु आदेश जारी किया जाना आवश्यक था एवं इसके बाद मण्डी परिषद् के निदेशक को अक्टूबर 2019 तक राज्य सरकार को, सदस्यों के नामांकन के लिये नाम प्रेषित किया जाना था| यद्यपि चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हो पायी। फलस्वरूप मण्डी समिति का गठन न होने के कारण मण्डी समिति की शक्तियां, कार्य एवं कर्तव्य जिलाधिकारी के अधीन ही रहा। इस प्रकार जिन मण्डी समितियों का संचालन नामित सदस्यों और निर्वाचित सभापति द्वारा किया जाना था वो सरकारी अधिकारियो द्वारा ही शासित थीं।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर में बताया (सितम्बर 2023) कि जब मण्डी समिति स्तर पर सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया लागू की गयी तो हितधारको के अभिलेखों जैसे मतदान सूची, खतौनी, भूमि अभिलेख, व्यापारियों के अभिलेख आदि के मिलान में कठिनाई थी। राज्य सरकार ने अपने उत्तर में यह भी बताया कि वर्ष 2020 के प्रारम्भ में राज्य में कोविड-19 महामारी में अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न हुई। राज्य सरकार ने पुनः अपने उत्तर में बताया कि जून 2020 में भारत सरकार द्वारा कृषि सुधार हेतु तीन कृषि कानून बिल राज्य में लागू किया गया जिसके परिणामस्वरूप मण्डी क्षेत्र केवल मण्डी स्थल तक सीमित हो गया जबकि अन्य हितधारक मण्डी स्थल के बाहर व्यापार करने के लिये स्वतंत्र थे। इस परिस्थिति में केवल मण्डी स्थल के हितधारकों हेतु निर्वाचन प्रक्रिया लागू करना उचित नहीं

[6] उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अंतर्गत संशोधित

पाया गया | दिसंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा कृषि कानून निरस्त किये जाने के बाद मण्डी क्षेत्र की पहले की व्यवस्था को बहाल कर दिया गया। यद्यपि राज्य में विधान सभा के चुनाव होने के कारण निर्वाचन प्रक्रिया लागू नही की जा सकी। राज्य सरकार ने पुनः अपने उत्तर में बताया कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति की मार्च 2023 में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अधिनियम की धारा-13 में व्याहारिक सुधार एवं संशोधन की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में सक्षम स्तर पर उचित विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया जायेगा।

तथ्य यह है कि परिषद्, मण्डी समितियों में सदस्यों के नामांकन के लिये अधिनियम के प्रावधान को लागू नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम में परिकल्पित नामित सदस्यों के स्थान पर राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा मण्डी समिति का शासन जारी रहा। परिणामस्वरूप, मण्डी समितियों की शक्तियां जिलाधिकारी को सौंपने की अल्पकालिक प्रशासनिक व्यवस्था, जो वर्ष 1972 में लागू की गई थी, एक स्थायी व्यवस्था बन गई। इसके अतिरिक्त, परिषद् द्वारा अग्रेतर दी गई सूचना (अगस्त 2024) के अनुसार, मण्डी समितियों के चुनाव से संबंधित मामला अभी भी प्रक्रियाधीन है।

2.1.6.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ आश्वासन और परामर्श गतिविधि है जिसे मूल्य संबर्धन और संगठनात्मक संचालन में सुधार करने के लिये बनाया गया है। इसे आंतरिक लेखापरीक्षा की वार्षिक लेखापरीक्षा योजना में नियोजित सभी इकाइयों के लिये मानवशक्ति की उपलब्धता के अनुसार पेशेवर तरीके से संचालित किया जाना चाहिये।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017-22 की अवधि में परिषद् के विभिन्न इकाइयों (यथा क्षेत्रीय कार्यालय, उप निदेशक (निर्माण), उप निदेशक (विद्युत और यांत्रिक) और परिषद् कार्यालय के विभिन्न अनुभाग) और मण्डी समितियों के आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार नहीं की गई थी। परिषद् के वित्त नियंत्रक की स्वीकृति से तदर्थ आधार पर लेखापरीक्षा निर्धारित किये गये थे।

2017-22 की अवधि में मण्डी समितियों के सम्पादित आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति तालिका-1 में दी गई है।

तालिका 1: 2017-22 की अवधि में मण्डी समितियों के आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष	कुल इकाईया	लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तावित इकाईया	प्रस्तावित इकाईयो के सापेक्ष लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	कुल इकाइयों के सापेक्ष लेखापरीक्षित इकाइयों का प्रतिशत
2017-18	251	65	65	26
2018-19	251	65	0	0
2019-20	251	8	8	3
2020-21	251	43	43	17
2021-22	251	15	15	6
योग			131	

(स्रोत: उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद)

जैसा कि तालिका-1 से स्पष्ट है, 2017-22 की अवधि में 131 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी और इनमें से 27 इकाइयो की पुनरावृत्ति थी। इस प्रकार, 2017-22 की अवधि में 251 में से 147[7] मण्डी समितियों (58 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त, मण्डी समितियों के लिये आंतरिक लेखापरीक्षा का प्रतिशत अधिकतम 26 प्रतिशत (2017-18) से लेकर न्यूनतम शून्य प्रतिशत (2018-19) तक रहा। नमूना जांच की गई 38 मण्डी समितियों में से 19 मण्डी समितियों (50 प्रतिशत) में 2017-22 की अवधि में आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी ***(परिशिष्ट 2.1.2)***।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर में बताया (सितम्बर 2023) कि आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ में मानवशक्ति की कमी के कारण, प्रतिनियुक्ति पर तैनात लेखापरीक्षकों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा की गई। राज्य सरकार ने आगे कहा कि सितंबर 2018 से नवंबर 2019 के बीच दो वर्षों तक लेखापरीक्षकों की अनुपलब्धता के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा बाधित रही, यद्यपि विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्ति पर लेखापरीक्षक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण भी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभावित हुई और इन कारणों से वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार नहीं की जा सकी। यद्यपि, उपलब्ध मानवशक्ति के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा की गयी। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि भविष्य में परिषद् और मण्डी समितियों के आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु वार्षिक योजना तैयार करने के लिये विशेष प्रयास किये जायेंगे।

[7] 251 कुल इकाई -104(131 लेखापरीक्षित इकाई - 27 पुनरावृत्ति इकाई)= 147 इकाई जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गयी |

2.1.7 वित्तीय प्रबंधन

परिषद् और इसके अधीन मण्डी समितियों के संचालन हेतु मण्डी शुल्क और विकास सेस वित्त के मुख्य स्रोत हैं। अधिनियम की धारा 17 (iii-बी) के अन्तर्गत, मण्डी क्षेत्र में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन की बिक्री के लेनदेन पर निर्धारित दरों पर मण्डी शुल्क देय है। जैसा भी प्रकरण हो, आढ़तिया/व्यापारी, मण्डी समिति को मण्डी शुल्क और विकास सेस का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी हैं।

अधिनियम की धारा 19 (1) के अनुसार, प्रत्येक मण्डी समिति के लिये 'मण्डी समिति निधि' की स्थापना की जानी थी, जिसमें उसके द्वारा प्राप्त सभी धनराशि, उसके द्वारा लिये गये सभी ऋण और उसे दिए गये अग्रिम और अनुदान शामिल होगें, जमा किया जायेगा। अधिनियम की धारा 19 (5) के अन्तर्गत, प्रत्येक मण्डी समिति को एक वर्ष में अपनी कुल प्राप्तियों[8] का 50 प्रतिशत परिषद् को अंशदान के रूप में देना था और प्राप्तियो का केवल 50 प्रतिशत ही अपने पास रखना था, जो अधिकतम ₹10 करोड़ तक हो सकता था।

अग्रेतर, अधिनियम[9] की धारा 26 के अन्तर्गत परिषद स्तर पर तीन निधियाँ यथा परिषद निधि, उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि और केन्द्रीय मण्डी निधि स्थापित थी। इन निधियों में जमा की जाने वाली धनराशि और इसके उद्देश्य नीचे दिये गये है :

(i) परिषद् निधि

परिषद् द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धनराशि, उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि और केन्द्रीय मण्डी निधि के अन्तर्गत जमा की जाने वाले धनराशि को छोड़कर, परिषद् निधि में जमा की जाती है। इस निधि का उपयोग वेतन, पेंशन, परिषद् की स्थापना से सम्बंधित अन्य व्ययों के भुगतान और सामान्यतया अधिनियम के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिये किया जाता है। जुलाई 2019 में, राज्य सरकार ने परिषद् को निर्देश दिया था कि वह मण्डी समितियों से प्राप्त अंशदान का 35 प्रतिशत परिषद् निधि में जमा करे।

(ii) उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि

अधिनियम की धारा 19(5) के अन्तर्गत मण्डी समितियों से प्राप्त समस्त अंशदान उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि में जमा किये जाते हैं, सिवाय ऐसे प्रतिशत के जिसे राज्य सरकार परिषद् निधि में जमा करने का निर्देश दे। जुलाई 2019[10] में, राज्य सरकार ने परिषद् को मण्डी समितियों से प्राप्त

---

[8] लिए गए ऋण, विकास सेस से प्राप्त धनराशि एवं केंद्र या राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान को छोड़कर

[9] धारा 26 त, 26 तत, 26 ततत

[10] 2019 के पहले, परिषद को मंडी समितियों से प्राप्त अंशदान का 80 प्रतिशत उत्तर प्रदेश राज्य मंडी विकास निधि में प्राप्त होता था |

अंशदान का 65 प्रतिशत उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि में जमा करने का निर्देश दिया था। इस निधि का उद्देश्य मण्डी क्षेत्र में आधारभूत संरचना, सुविधाओं का विकास करना, बाजार सर्वेक्षण और अनुसंधान करना, क्रय-विक्रय की सामान्य स्थितियों में सुधार करना और अन्य उद्देश्यों के लिये मण्डी समितियों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है।

(iii) केन्द्रीय मण्डी निधि

मण्डी समिति को विकास सेस के रूप में प्राप्त समस्त धनराशि को प्रत्येक माह में परिषद् को भुगतान करना होता है, जिसे बाद में केंन्द्रीय मण्डी निधि में जमा किया जाता है। इस निधि का उपयोग वित्तीय रूप से कमजोर और अविकसित मण्डी समितियो को ऋण और अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करने के लिये किया जाता है। इसका उपयोग मण्डी स्थलों, सम्पर्क मार्गो और अन्य विकास कार्यों के निर्माण, रखरखाव और मरम्मत के लिये भी किया जाता है।

ऊपर उल्लिखित तीन निधियों में मण्डी शुल्क और विकास सेस का निधि प्रवाह **चार्ट 3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3: मण्डी शुल्क और विकास सेस का निधि प्रवाह

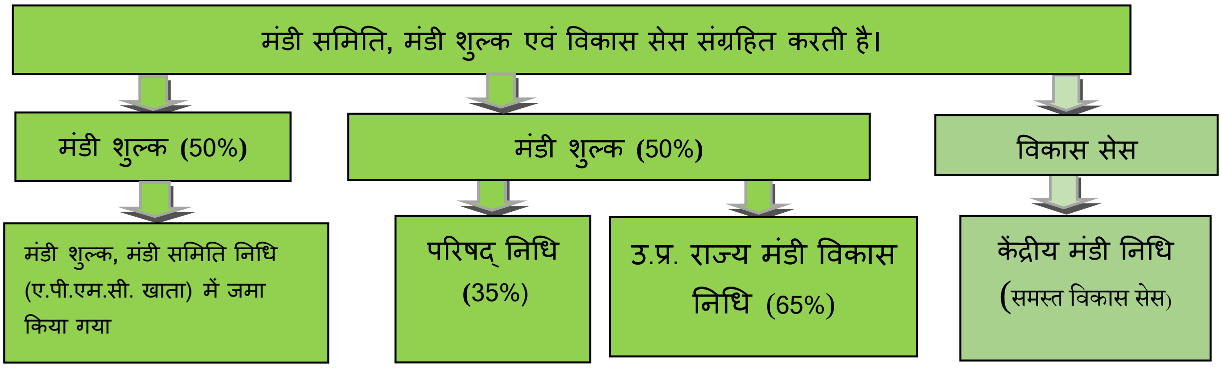

(स्रोत: उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्)

2.1.7.1 मण्डी शुल्क और विकास सेस की प्राप्तियां और व्यय

वर्ष 2017-22 की अवधि में मण्डी शुल्क और विकास सेस की प्राप्तियां और व्यय **तालिका-2** में दिये गये हैं।

तालिका 2: वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि में प्राप्तियां और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राप्तियां						व्यय				
	मण्डी शुल्क[11]			विकास सेस (परिषद् स्तर)	केन्द्र एवं राज्य सरकार से अनुदान	योग	मण्डी समिति या	परिषद			योग
	(मण्डी समिति स्तर पर)	(परिषद् स्तर)									
		परिषद् निधि	विकास निधि					परिषद् निधि	विकास निधि	सेस निधि	
2017-18	208.7	311.18	856.84	266.84	53.14	1696.70	434.02	267.01	698.82	77.59	1477.44
2018-19	262.84	396.34	976.13	309.85	55.2	2000.36	614.92	315.82	825.42	124.49	1880.65
2019-20	912.04[12]	378.97	520.3	335.66	5.57	2152.54	655.38	214.48	350.81	143.05	1363.72
2020-21	416.83	250.75	242.56	173.04	12.21	1095.39	617.58	225.23	278.29	139.49	1260.59
2021-22	270.44	167.29	148.43	115.27	8.36	709.79	802.29	129.45	260.73	122.49	1314.96
योग	**2070.85**	**1504.53**	**2744.26**	**1200.66**	**134.48**	**7654.78**	**3124.19**	**1151.99**	**2414.07**	**607.11**	**7297.36**

(स्रोत: उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्)

जैसा कि तालिका 2 से स्पष्ट है, कुल प्राप्तियों **(**₹ 7,654.78 करोड़) में से**,** परिषद् ने ₹ 4,173.17 करोड़ का व्यय किया, जबकि 251 मण्डी समितियों ने ₹ 3,124.19 करोड़ का व्यय किया। 2017-18 से 2021-22 की अवधि में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति **ग्राफ-1** में दर्शायी गयी है |

ग्राफ 1: **मण्डी समितियों और परिषद् की प्राप्तियां और व्यय**

(₹ करोड़ में)

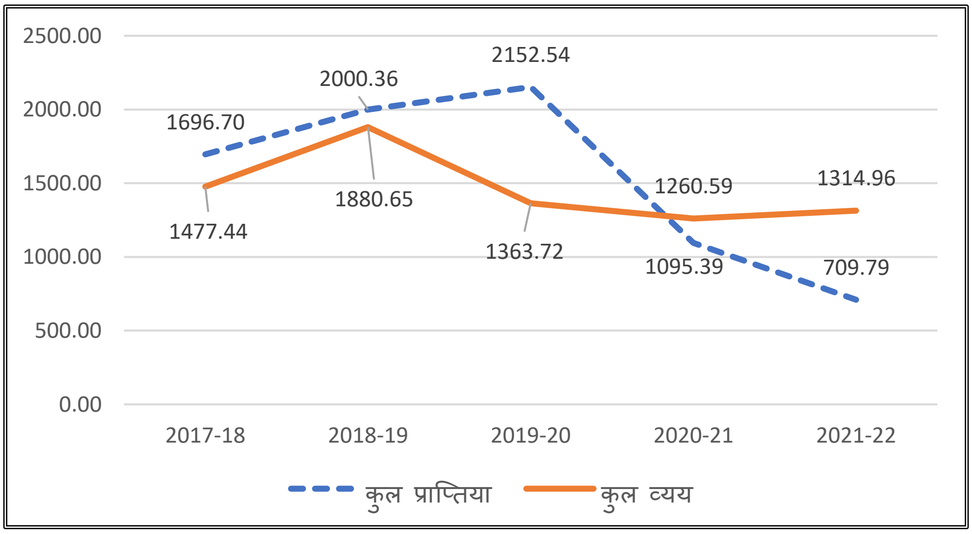

[11] इसमें व्याज से प्राप्त आय, लाइसेंस शुल्क, प्रीमियम एवं दुकानों का किराया आदि अन्य आय में सम्मिलित है।

[12] वर्ष 2019-20 में, दिनांक 29.07.2019 की अधिसूचना के माध्यम से मंडी समितियों को अंशदान की निर्धारित सीमा ₹ 25 लाख (2018-19 तक) से बढ़ाकर ₹ 10 करोड़ करने के कारण मंडी समितियों की प्राप्तियां पिछले वर्ष की प्राप्तियों की तुलना में अधिक है।

परिषद् एवं मण्डी समितियों की प्राप्तियों को दर्शाने वाले ग्राफ में 2020-21 और 2021-22 में गिरावट की प्रवृति दिखी, जो 2021-22 में अपने निम्नतम बिंदु (₹709.79 करोड़) पर पहुंच गयी। परिणामस्वरूप, परिषद् एवं मण्डी समितियों की प्राप्तियों की तुलना में व्यय में असंतुलन रहा और वर्ष 2020-21 और 2021-22 की अवधि में व्यय उनकी प्राप्तियों से अधिक रहा।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर में बताया (सितम्बर 2023) कि जून 2020 में किसान अधिनियम के लागू होने के कारण परिषद् एवं मण्डी समिति की आय पर 2020-21 और 2021-22 की अवधि में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसलिये, पिछले वर्ष की देनदारियों, वेतन भुगतान और आवश्यक स्थापना व्यय में भुगतान किये जाने के कारण प्राप्तियो और व्ययो में संतुलन नहीं था। अग्रेतर, राज्य सरकार ने कहा कि वर्तमान में किसान कानून निरस्त होने के बाद प्राप्तियों और व्यय में यह असंतुलन नहीं होगा।

2.1.7.2 केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिये उपलब्ध निधियों का उपयोग

परिषद् को 2017-18 से 2021-22 की अवधि में तीन केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (के.प्रा.यो.) अर्थात इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और बुंदेलखंड पैकेज (बीकेपी) के क्रियान्वयन के लिये केन्द्र सरकार से निधियां प्राप्त हुई। योजनाओं के अन्तर्गत परिषद् को प्राप्त निधियों और उनके उपयोग का विवरण **तालिका-3** में वर्णित है।

तालिका 3: केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिये उपलब्ध निधियों का उपयोग

(रु. करोड़ में)

सीएसएस के नाम	प्रारंभिक अवशेष (2017-18)	प्राप्त निधि (2017-18 से 2021-22)	कुल उपलब्ध धनराशि	कुल व्यय (2017-18 से 2021-22)	अवशेष धनराशि (2021-22)
ई-नाम	7.59	65.30	72.89	35.82	37.07
आरकेवीवाई	2.65	42.77	45.42	4.37	41.05
बीकेपी	14.49	30.87[13]	45.36	40.38	4.98
योग	**24.73**	**138.94**	**163.67**	**80.57**	**83.1**

(स्रोत: उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्)

जैसा कि तालिका-3 में प्रदर्शित है, कुल उपलब्ध निधियों में से एक बडी राशि (50.77 प्रतिशत) अव्ययित रही । 2017-18 से 2021-22 तक ई-नाम और आरकेवीवाई योजनाओं के लिये उपलब्ध कुल निधियों का उपयोग क्रमशः केवल 49.14 प्रतिशत और 9.62 प्रतिशत था।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि ई-नाम और आरकेवीवाई योजनाओं की धनराशि परिषद् निधि के बैंक खाते में रखी गई थी, जिसके कारण इन योजनाओं के

[13] इसमें ₹ 4.50 करोड़ की ब्याज राशि शामिल है। अन्य दो योजनाओं, आरकेवीवाई और ई-नाम के संबंध में, परिषद् ने अर्जित ब्याज का आंकड़ा प्रदान नहीं किया क्योंकि योजना निधि को परिषद् निधि के बैंक खाते में रखा गया था।

अन्तर्गत अव्ययित धनराशि पर अर्जित ब्याज का अलग से हिसाब नहीं रखा गया था जो जीएफआर के नियम 230(8)[14] के प्रावधानों के प्रतिकूल था।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर में बताया (सितम्बर 2023) कि के.प्रा.यो. के अन्तर्गत व्यय न की गई धनराशि का उपयोग करने के प्रयास किये जा रहे हैं। आरकेवीवाई की समस्त अवशेष धनराशि ₹ 41.05 करोड़ का उपयोग कर लिया गया है और उपभोग प्रमाण-पत्र भी जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने आगे बताया कि ई-नाम योजना की अव्ययित धनराशि का उपयोग करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

2.1.7.3 परिषद् निधि में ब्याज का अनियमित हस्तांतरण

परिषद स्तर पर प्राप्तियों को परिषद निधि, उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि और केन्द्रीय मण्डी निधि के अन्तर्गत अलग-अलग रखा जाता है। विशिष्ट व्ययों को पूरा करने हेतु इन निधियो का रख-रखाव किया गया है। इसलिये, इन निधियों के बैंक खातों से अर्जित ब्याज को सम्बंधित निधियों के बैंक खातों में रखा जाना चाहिये।

(क) परिषद द्वारा ब्याज का हस्तांतरण

लेखापरीक्षा में पाया गया कि परिषद ने 2016-21 की अवधि में उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि (₹ 244.90 करोड़) और केन्द्रीय मण्डी निधि (₹ 147.44 करोड़) में अर्जित ब्याज के ₹ 392.28 करोड़ को परिषद् निधि में स्थानांतरित किया । इस तरह के ब्याज का हस्तांतरण उस अधिनियम का उल्लंघन था जिसके अन्तर्गत इन निधियों की स्थापना विशिष्ट गतिविधियों को पूर्ण करने के लिये की गई थी।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर में बताया (सितम्बर 2023) कि उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि और केन्द्रीय मण्डी निधि में 2016-21 कि अवधि में अर्जित ब्याज निदेशक के अनुमोदन के अनुसार परिषद् निधि में स्थानांतरित किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह राशि परिषद् द्वारा कमजोर मण्डी समितियों को उनके स्थापना व्यय को पूर्ण करने के लिये स्थानांतरित की गई थी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि परिषद निधि, उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि और केन्द्रीय मण्डी निधि, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 में उल्लिखित विशिष्ट उद्देश्यों के लिये स्थापित किये गये हैं। इसलिये, उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि और केन्द्रीय मण्डी निधि से अर्जित ब्याज को परिषद् निधि में स्थानांतरित करना अधिनियम का उल्लंघन था। इसके अतिरिक्त, उ.प्र. कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 के नियम 128 सी के अनुसार यह आवश्यक है कि केन्द्रीय मण्डी निधि की आधी निधि का उपयोग राज्य सरकार की अनुमोदन

[14] जीएफआर नियम 230(8) में प्रावधान है कि किसी भी अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान को जारी अनुदान पर अर्जित सभी ब्याज या अन्य आय को खातों के अन्तिमीकरण के तुरंत बाद अनिवार्य रूप से भारत की संचित निधि में जमा कर दिया जाना चाहिए।

से किया जायेगा। यद्यपि, परिषद् ने राज्य सरकार की आवश्यक स्वीकृति लिये बिना केन्द्रीय मण्डी निधि से कुल ब्याज ₹ 147.44 करोड़ में से ₹ 83.27 करोड़ (अर्जित ब्याज पर राज्य सरकार का हिस्सा) अनाधिकृत रूप से परिषद् निधि में स्थानांतरित किया था।

(ख) उप निदेशक (निर्माण) कार्यालयों द्वारा ब्याज का हस्तांतरण

प्रत्येक उप निदेशक (निर्माण) (डीडीसी) कार्यालयों में तीन अलग-अलग बैंक खातों में धनराशि रखी जाती है, अर्थात स्थापना खाता (स्थापना व्यय के लिये), निर्माण खाता (निर्माण कार्य के व्यय के लिये) और जमानत खाता (ठेकेदारों से जमानत के रूप में प्राप्त राशि के लिये)। 2017-18 से 2021-22 कि अवधि में, डीडीसी स्तर पर रखे गये तीनों प्रकार के खातों पर अर्जित ₹ 15.29 करोड़ के ब्याज को डीडीसी द्वारा मुख्यालय में अनुरक्षित परिषद् के स्थापना खाते में स्थानांतरित कर दिया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि, केन्द्रीय मण्डी निधि और परिषद् निधि से डीडीसी को निर्माण कार्य के लिये धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। यद्यपि, निर्माण कार्यों के बाद डीडीसी के पास अवशेष धनराशि पर अर्जित ब्याज को डीडीसी स्तर पर निर्माण बैंक खातों में अवशेष राशियों के मिश्रित होने के कारण सम्बंधित निधियों, अर्थात यूपी राज्य मण्डी विकास निधि, केन्द्रीय मण्डी निधि और परिषद् निधि में स्थानांतरित नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर में बताया (सितम्बर 2023) कि सभी उप निदेशकों (निर्माण/वि.एवं यां.) को उनके कार्यों के अनुमान के आधार पर अनुबन्धवार और निधिवार राशि हस्तांतरित की गई थी। चूंकि उप निदेशक (निर्माण/वि.एवं यां.) निर्माण गतिविधियों के लिये एकल बैंक खाता संचालित कर रहे थे, इसलिये ब्याज को इस बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया और इस प्रकार ब्याज का निधिवार विभाजन सम्भव नहीं था।

तथ्य यह है कि अव्ययित अवशेष राशि पर अर्जित ब्याज को सम्बंधित निधियों (उ.प्र.राज्य मण्डी विकास निधि, केन्द्रीय मण्डी निधि और बोर्ड की निधि) में स्थानांतरित नहीं किया गया था, बल्कि इसे परिषद् निधि से संबंधित बैंक खाते में स्थानांतरित किया गया था।

2.1.7.4 अनाद्रित चेकों के सापेक्ष वसूली न होना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 12 दिसंबर 2022 तक व्यापारियों द्वारा जमा किये गये 5,925 चेकों के सापेक्ष कुल ₹ 69.92 करोड़ के अनाद्रित चेकों में से ₹ 36.19 करोड़ की धनराशि राज्य के 16 क्षेत्रों की मण्डी समितियों द्वारा वसूली नहीं की गयी थी । इसमें नमूना जाँच की गई 38 मण्डी समितियों में से 19 मण्डी समितियों के 387 अनाद्रित चेको ***(परिशिष्ट 2.1.3)*** की धनराशि ₹ 7.26 करोड़ जो 200 व्यापारियों द्वारा जमा किया गया था, सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त

387 अनाद्रित चेकों में से 71 के विरुद्ध ₹ 88.68 लाख (12 प्रतिशत) की राशि के वसूली प्रमाण पत्र (आरसी) जारी किये गये थे।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2023) कि मण्डी समितियों को सभी बकाया (मण्डी शुल्क, विकास सेस आदि) केवल नकद या डिजिटल भुगतान के रूप में वसूलने के निर्देश दिए गये हैं तथा विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीयकृत बैंकों के बैंक ड्राफ्ट स्वीकार किये जा सकते हैं। राज्य सरकार ने आगे बताया कि मण्डी समितियों ने किराये के बकाया से सम्बंधित चेक अनाद्रित होने के प्रकरणों में दुकानों का आवंटन रद्द कर दिया है तथा कई फर्म/व्यापारियों के विरुद्ध आर.सी. भी जारी की गई है। राज्य सरकार ने यह भी बताया कि बकाया की वसूली तथा अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करके जांच का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिये डी.डी.ए. तथा लेखा अधिकारियों की एक टीम गठित कर दी गई है।

2.1.7.5 व्यापारियों को आवंटित दुकानों के प्रीमियम राशि की वसूली न होना

मण्डी स्थलों में दुकानें नीलामी के माध्यम से आवंटित की जाती हैं। नीलामी में सफल प्रतिभागी को दुकान के लिये निर्धारित प्रीमियम का 50 प्रतिशत आवंटन की तिथि से 15 दिन के भीतर तथा शेष 50 प्रतिशत आवंटन के तीन माह के भीतर जमा करना था। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि राज्य में परिषद् के सभी 16 सम्भागो में मार्च 2022 तक ₹ 81.96 करोड़ रुपये का प्रीमियम बकाया था। अग्रेतर नमूना जांच की गई 38 में से 20 मण्डी समितियों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि दिसंबर 2023 तक 227 आवंटियों के विरुद्ध ₹13.77 करोड़ रुपये का प्रीमियम, व्यापारियों द्वारा भुगतान नहीं किया गया था। यह भी पाया गया कि इन 227 प्रकरणों में से 89 दुकानें विगत दो वर्षों में आवंटित की गई थीं, 115 दुकानें विगत दो से पांच वर्षों के मध्य आवंटित की गई थीं और 23 दुकानें पांच वर्ष पूर्व आवंटित की गई थीं ***(परिशिष्ट 2.1.4)***।

राज्य सरकार ने बताया (सितम्बर 2023) कि परिषद् ने संबंधित डीडीए को व्यापारियों को आवंटित दुकानों के बकाया प्रीमियम की शीघ्र वसूली के निर्देश दिये है।

2.1.7.6 व्यापारियों से दुकानों के किराये की वसूली न होना

अभिलेखों की जांच से पता चला कि राज्य में मण्डी समितियों द्वारा आवंटित दुकानों/गोदामों से मार्च 2022 तक क्रमशः ₹ 11.78 करोड़ और ₹ 1.33 करोड़ का किराया और उपयोगकर्ता शुल्क बकाया था।

नमूना जांच की गई मण्डी समितियों में, दिसंबर 2023 तक 1,048 दुकानों की धनराशि रु. 2.15 करोड़ का किराया लम्बित था ***(परिशिष्ट 2.1.5)***। 527 दुकानों के प्रकरणों में किराये की वसूली (₹ 0.39 करोड़) की लम्बित अवधि एक वर्ष तक की थी और 521 दुकानों के प्रकरणों में (₹ 1.76 करोड़) लम्बित अवधि एक वर्ष से अधिक की थी।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर में बताया (सितम्बर 2023) कि मण्डी परिषद ने व्यापारियों को आवंटित दुकानों के किराये की शीघ्र वसूली के लिये संबंधित उप निदेशक प्रशासन को आवश्यक आदेश जारी कर दिए गये है।

2.1.7.7 सीमेंट और मैक्सफाल्ट हेतु असमायोजित अग्रिम

जुलाई 2016 से पूर्व, मण्डी परिषद् के निर्माण कार्यों में उपयोग किये जाने वाले सीमेंट और मैक्सफाल्ट को परिषद् द्वारा क्रय करके ठेकेदारों को उपलब्ध कराया जाता था। जुलाई 2016 में परिषद् द्वारा इस प्रणाली की समीक्षा कर इसे बंद कर दिया गया।

छह डीडीसी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्माण कार्यों के लिये सीमेंट और मैक्सफाल्ट क्रय करने के लिये विभिन्न एजेंसियों[15] को 2016 तक दिये गये अग्रिमों को मार्च 2022 तक समायोजित नहीं किया गया था जैसा कि **तालिका-4** में दर्शाया गया है।

तालिका 4: असमायोजित अग्रिम राशि

(₹ लाख में)

डीडीसी कार्यालय का नाम	असमायोजित अग्रिम (सीमेंट)	असमायोजित अग्रिम (मैक्सफाल्ट)	कुल असमायोजित अग्रिम (मार्च 2022)
आगरा	0.00	04.63	04.63
कानपुर	102.41	26.55	128.96
लखनऊ	39.10	18.52	57.62
मुरादाबाद	7.58	3.59	11.17
प्रयागराज	305.64	18.35	323.99
वाराणसी	15.07	19.99	35.06
योग	**469.8**	**91.63**	**561.43**

(स्रोतः नमूना चयनित डीडीसी कार्यालय)

जैसा कि तालिका-4 में वर्णित है, पांच वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, सीमेंट और मैक्सफाल्ट की आपूर्ति के लिये विभिन्न एजेंसियों को किये गये ₹ 5.61 करोड़ रुपये के अग्रिम भुगतान को मार्च 2022 तक संबंधित डीडीसी द्वारा अभी भी समायोजित किया जाना शेष है। शासन ने बताया (सितम्बर 2023) कि मैक्सफाल्ट और सीमेंट के अग्रिम के समायोजन के लिये आवश्यक निर्देश जारी किये गये है ।

2.1.7.8 वेतन एवं सेवानिवृति लाभों की सुरक्षा हेतु समग्र निधि का सृजन

अभिलेखों की जांच से पता चला कि भारत सरकार द्वारा कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश, 2020 के घोषणा (5 जून 2020) के

[15] एसोसियेटेड सीमेंट निगम, उ.प्र. राज्य सीमेंट निगम, भारतीय तेल निगम आदि

पश्चात परिषद् ने वर्ष 2020-21 एवं उसके पश्चात् मण्डी समितियों की प्रत्याशित कम आय के दृष्टिगत परिषद् एवं मण्डी समितियों के कर्मचारियों के वेतन एवं सेवानिवृत्ति लाभों की सुरक्षा हेतु क्रमशः दो समग्र निधियां (13 जून 2020) बनायी। परिषद् के कर्मचारियों के समग्र निधि हेतु धनराशि (₹ 300 करोड़) परिषद् निधि से ली गई तथा मण्डी समितियों के कर्मचारियों के समग्र निधि हेतु धनराशि (₹ 500 करोड़) उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि से ली गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दोनों समग्र निधियां, किसान अधिनियम 30 नवंबर 2021 को निरस्त होने के बावजूद भी जारी रखी गयी (सितम्बर 2023)। शासन ने अपने उत्तर में बताया कि समग्र निधि मण्डी समितियों के कर्मचारियों के वेतन और सम्बन्धित व्यय के लिये मण्डी विकास निधि से बनायी गयी थी। समग्र निधि के सृजन में योगदान उन मण्डी समितियों से लिया गया था जिनकी वित्तीय स्थिति मजबूत थी। यह निधि संचालक मंडल की अनुमोदन से बनायी गयी थी। अग्रेतर यह भी कहा गया कि सेवा/सेवानिवृत्ति लाभों पर होने वाले सभी व्यय राज्य सरकार से कोई सहायता लिये बिना ही परिषद् के पास उपलब्ध संसाधनों से पूर्ण किया जाता है।

तथ्य यह है कि किसान अधिनियम के निरस्त होने के बाद भी समग्र निधि को भंग करने का निर्णय नहीं लिया गया।

2.1.8 मानवशक्ति प्रबंधन

अधिनियम की धारा 23 में प्रावधानित है कि मण्डी समितियों के सभापति या सचिव, समिति द्वारा पारित उप-नियमों या प्रस्तावों के अन्तर्गत सशक्त सीमा तक, ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकते हैं, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूर्ण करने के लिये आवश्यक हों। अधिनियम की धारा 26-X के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् (अधिकारी और कर्मचारी स्थापना) विनियम, 1984 और उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केंन्द्रीकृत) सेवा नियम, 1984 बनाया गया था।

परिषद् में मानवशक्ति की कमी

2018 से 2022 कि अवधि में परिषद् के लिये स्वीकृत पद के सापेक्ष कार्यरत पदों की स्थिति **तालिका-5** में दी गई है।

तालिका-5: अप्रैल 2018 और अप्रैल 2022 तक परिषद् में स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पद

(आंकड़े संख्या में)

कार्मिको का समूह	**स्वीकृत पद**		**कार्यरत पद**		**रिक्त पद (प्रतिशत)**	
	1अप्रैल 2018	**1 अप्रैल 2022**	**1 अप्रैल 2018**	**1 अप्रैल 2022**	**1 अप्रैल 2018**	**1 अप्रैल 2022**
समूह क	82	64	50	32	32 (39)	32 (50)
समूह ख	191	118	61	70	130 (68)	48 (41)
समूह ग	1000	712	498	327	502 (50)	385 (54)
समूह घ	214[16]	193	214	193	0	0
योग	**1487**	**1087**	**823**	**622**	**664 (45)**	**465 (43)**

(स्रोत: उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्)

तालिका-5 से स्पष्ट है कि अप्रैल 2018 में 823 से अप्रैल 2022 में 622 तक 201 कर्मियों (24 प्रतिशत) की कमी आई है। विभिन्न संवर्गों में मार्च 2022 तक कर्मियों की उपलब्धता की स्थिति ***(परिशिष्ट 2.1.6)*** में वर्णित है।

मण्डी समितियों में मानवशक्ति की कमी

राज्य में मण्डी समितियों में मानव संसाधन के समग्र रिक्तियो की स्थिति **तालिका-6** में दी गई है।

तालिका 6: 2017-18 से 2021-22 कि अवधि में राज्य में मण्डी समितियों में स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों की संख्या

(आंकड़े संख्या में)

पद[17]	**स्वीकृत पद**		**कार्यरत पद**		**रिक्त पद (प्रतिशत)**	
	1 अप्रैल 2018	**1 अप्रैल 2022**	**1 अप्रैल 2018**	**1 अप्रैल 2018**	**1 अप्रैल 2022**	**1 अप्रैल 2018**
सचिव	325	325	115	72	210 (64.62)	253 (77.85)
मण्डी कर्मचारी (निरीक्षक तथा अमीन/नीलामकर्ता)	1107	1107	504	404	603 (54.47)	703 (63.50)
लेखा एवं सामान्य कर्मचारी	571	571	237	152	334 (58.49)	419 (73.38)
चालक	25	25	21	13	4 (16.00)	12 (48.00)
समूह घ कर्मचारी	3408	3408	2061	1506	1347 (39.52)	1902 (55.81)
योग	**5436**	**5436**	**2938**	**2147**	**2498 (46)**	**3289 (61)**

(स्रोत: उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्)

---

16 परिषद् में समूह घ संवर्ग को मृत संवर्ग घोषित किया गया है। ये पद संबंधित स्थानापन्न कर्मियों की सेवानिवृत्ति के साथ समाप्त हो जायेगा।

17 सचिव (समूह क, ख एवं ग के पद) और मंडी कर्मचारी (निरीक्षक और अमीन/नीलामीकर्ता), लेखा और सामान्य कर्मचारी, चालक समूह ग के पद हैं।

तालिका-6 से स्पष्ट है कि 2017-22 कि अवधि में, मण्डी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में 791(27 प्रतिशत) की कमी आई जो अप्रैल 2018 में 2,938 पदों से घटकर अप्रैल 2022 में 2,147 पद रह गई। इसके अतिरिक्त, कुल रिक्त पदों का समग्र प्रतिशत अप्रैल 2018 में 46 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल 2022 में 61 प्रतिशत हो गया। सचिव पद की रिक्तियां अप्रैल 2018 में 65 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल 2022 में 78 प्रतिशत हो गईं, जो सभी श्रेणियों के कर्मचारियों में सबसे अधिक थीं। नमूना जांच की गई 38 में से 19 मण्डी समितियों में सचिव का पद रिक्त था।

समूह 'ख' के पदों के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने बताया कि परिषद् ने मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों में समूह 'ख' के 64[18] रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अधियाचन (जनवरी 2018, मार्च 2018 एवं अक्टूबर 2019) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) को भेजा था, जिसे जुलाई 2020 में संशोधित कर 46 पद कर दिया गया। इसके सापेक्ष 17 पदों पर नियुक्ति की गई। तत्पश्चात, किसान अधिनियम के निरस्त होने के पश्चात, भर्ती हेतु 37[19] पदों का अधियाचन भी यूपीपीएससी को भेजा गया (मई 2023 एवं अगस्त 2023) जिसके सापेक्ष भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।

समूह 'ग' के पदों के संबंध में राज्य सरकार ने बताया कि 898 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचन (जनवरी 2018, मार्च 2018 एवं अक्टूबर 2019) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) को भेजा गया था। जुलाई 2020 एवं फरवरी 2021 में अधियाचन को संशोधित कर 442 पद कर दिया गया। इसके अतिरिक्त सचिव के 134 पदों का अधियाचन भी अगस्त 2023 में यूपीएसएसएससी को भेजा गया। समूह 'ग' के इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। राज्य सरकार ने बताया कि यूपीएसएसएससी के अनुसार भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती मामलों की जांच के कारण भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई थी तथा अब चयन प्रक्रिया चल रही है। राज्य सरकार ने यह भी बताया कि 2017-18 से अब तक मण्डी परिषद सेवा में 200 पद तथा मण्डी समिति में 442 पद पदोन्नति के माध्यम से भरे गये हैं।

2.1.9 शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण तथा कृषको को सहायता का प्रावधान

मण्डी समितियों को मण्डी क्षेत्र में मण्डी अधिनियम और मण्डी नियमावली, 1965 के अधीन बनाये गये उप-विधियों के प्रावधानों को निष्पादित एवं लागू करना था। उन्हें निर्दिष्ट कृषि उत्पाद के क्रय एवं विक्रय के लिये सुविधाएं प्रदान करना, उत्पादको और क्रय एवं विक्रय में लगे हुए व्यक्तियों के बीच निष्पक्ष व्यवहार

[18] सहायक अभियंता (27 पद), लेखा एवं लेखापरीक्षा अधिकारी (16 पद), विपणन अधिकारी-(2 पद) प्रोग्रामर-(1 पद), सहायक प्रोग्रामर-(3 पद), विधि अधिकारी-(1 पद), सचिव श्रेणी-2 (14 पद)।

[19] 15 पद (सहायक अभियंता, लेखा एवं लेखा परीक्षा अधिकारी और प्रोग्रामर) और सचिव श्रेणी-2 के 22 पद

सुनिश्चित करना, विक्रेताओं को शीघ्र भुगतान करना और निर्दिष्ट कृषि उत्पाद के वर्गीकरण और मानकीकरण आदि के लिये सुविधाएं प्रदान करना था।
मण्डी समितियों के पास अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस जारी करने, नवीनीकृत करने, निलंबित करने या रद्द करने और मण्डी शुल्क एवं लाइसेंस शुल्क सहित अन्य प्रभार लगाने और वसूलने की शक्ति है।

2.1.9.1 आवकों की तौल

मण्डी नियमावली 1965, के नियम 77 के अधीन मण्डी समितियों को एक ऐसे अभिलेख का संरक्षण करना था जिसमें प्रमुख मण्डी स्थल या उप मण्डी स्थल में विक्रय के लिये लाये गये निर्दिष्ट कृषि उत्पाद के प्रत्येक पारेषण का नियमित एवं उचित लेखा जोखा अंकित हो । परिषद ने (अक्टूबर 2012) निर्णय लिया कि मण्डी में आवक की धर्मकांटा तौल पर्ची ही मण्डी के लिये प्रवेश पर्ची होगी। सचिव, मण्डी समिति धर्मकांटा पर सभी आवको का तौल सुनिश्चित करने एवं मण्डी शुल्क और विकास उपकर की देयता का आकलन करने के लिये उत्तरदायी होंगे, जिसकी नियमित रूप से उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) द्वारा निगरानी की जानी थी। अग्रेतर, परिषद ने (दिसंबर 2019) धर्मकांटा को क्रियाशील रखने के निर्देश दिए गये थे क्योंकि अक्रियाशील धर्मकांटा से मण्डी शुल्क/उपकर का अपवंचन हो सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

(i) नमूना जांच हेतु चयनित 38 मण्डी समितियों में से चार[20] मण्डी स्थलों में धर्मकांटा स्थापित नहीं किया गया था।

(ii) ई-मण्डी पोर्टल[21] के द्वारा निर्गत विक्रय वाउचर (प्रपत्र संख्या VI) में प्रवेश पर्ची संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था। इसके कारण प्रवेश पर्चियों के विवरण का मिलान विक्रय वाउचर के साथ नहीं किया जा सका।

शासन ने उत्तर में बताया कि अन्य मण्डी समितियों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर वहाँ धर्मकांटा स्थापित किये जायेंगे। शासन ने आगे बताया कि मण्डी परिसर के प्रवेश द्वार पर केवल अनुमानित वजन लिया जाता है और आवक का वास्तविक वजन सफाई, छंटाई और वर्गीकरण के बाद प्रपत्र VI में दर्ज किया जाता है। शासन ने यह भी बताया कि मण्डी अधिनियम और नियमों के अनुसार न तो प्रवेश पर्ची

---

[20] चौबेपुर (कानपुर नगर), रसड़ा (बलिया), कदौरा (जालौन), बिसवां (सीतापुर)। चौबेपुर (कानपुर नगर) में, शिवराजपुर स्थित उप-मण्डी स्थल में तौल कांटा स्थापित नहीं किया गया था, जबकि मण्डी समिति, चौबेपुर में मुख्य मंडी स्थल का निर्माण नहीं किया गया था।

[21] ई-मंडी विभिन्न हितधारकों के लिए एक वेब-आधारित मंच है जिसमें विभिन्न मॉड्यूल शामिल हैं, जैसे व्यापारियों को लाइसेंस जारी करने के लिए लाइसेंस मॉड्यूल, फॉर्म नंबर VI (विक्रेताओं के लिए बिक्री वाउचर) मॉड्यूल, फॉर्म नंबर IX (कमीशन एजेंट/थोक व्यापारियों का बिल) मॉड्यूल, डिजिटल भुगतान के लिए मॉड्यूल और किसानों को प्रवेश पर्ची जारी करने के लिए मॉड्यूल, आदि।

जारी करना अनिवार्य है और न ही इसका वास्तविक व्यापारिक गतिविधियों से कोई सम्बन्ध है। प्रलेखन और अभिलेख के रखरखाव में सुधार के लिये प्रवेश पर्ची तैयार की जाती है। आगे यह भी कहा गया कि यद्दपि अब ई-मण्डी पोर्टल में विक्रय वाउचर (प्रपत्र VI) में प्रवेश पर्ची संख्या दर्ज करने का प्रावधान कर दिया गया है।

राज्य सरकार का उत्तर परिषद के उस निर्णय के विपरीत है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मण्डी शुल्क के अपवंचन की संभावना को कम करने के लिये मण्डी समिति में आवक की धर्मकांटा तौल पर्ची जारी करने की परिकल्पना की गई थी। इसके अतिरिक्त, परिषद ने ई-मण्डी पोर्टल पर वर्ष 2023 की दूसरी छमाही से ही विक्रय वाउचर में प्रवेश पर्ची संख्या दर्ज करने का के प्रावधान सम्मिलित कर लिया था।

2.1.9.2 कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत कृषको को सहायता का प्रावधान

कृषकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिये, परिषद ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाये संचालित की जिनका अप्रैल 2018 में पुनरुत्थान किया गया। योजना-वार विवरण **तालिका-07** में दिया गया है।

तालिका 07 : मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजनाओं का विवरण 2017-22

क्र.सं.	योजना का नाम	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
		लाभार्थियों की संख्या	भुगतान की धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	भुगतान की धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	भुगतान की धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	भुगतान की धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	भुगतान की धनराशि
1.	**मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना**	745	797.11	553	771.53	629	1121.16	350	566.31	133	189.07
2.	**मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना**	21309	1338.14	10893	1097.75	17073	1667.84	3100	371.75	5096	572.11
3.	**मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना**	114	106.51	72	56.25	180	119.27	290	402.00	285	132.84
4.	**मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना**	769	286.52	875	322.92	955	348.48	737	265.32	985	354.60
5.	**मुख्यमंत्री मण्डी समिति व्यापारी/ आढती दुर्घटना सहायता योजना**	यह योजना अप्रैल 2019 से संचालित की गयी थी				0	0	0	0	0	0
6.	**मुख्यमंत्री मण्डी/उपमण्डी स्थल अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना**	यह योजना अप्रैल 2019 से संचालित की गयी थी				03	4.10	01	2.00	17	31.49
	योग	**22937**	**2528.28**	**12393**	**2248.45**	**18840**	**3260.85**	**4478**	**1607.38**	**6516**	**1280.11**

(स्रोत: राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उत्तर प्रदेश)

मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत कृषि और गृह विज्ञान के स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान शोधकर्ताओं को राज्य में शासकीय और शासकीय

सहायता प्राप्त कृषि[22] विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले किसानों और भूमिहीन मजदूरों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जानी थी। इस योजना के अन्तर्गत मेधावी छात्रों को प्रति माह ₹3,000 की दर से निर्धारित संख्या में छात्रवृत्ति देय थी।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि 2017-18 से 2021-22 की अवधि में राज्य के 16 में से चार[23] क्षेत्रों में छात्रवृत्ति योजना से कोई भी छात्र लाभान्वित नहीं हुआ। अग्रेतर मात्र दो क्षेत्रों (अयोध्या और वाराणसी) द्वारा गृह विज्ञान के छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान किया गया था।

परिषद ने अपने उत्तर (फरवरी 2024) में बताया कि 2017-18 से 2021-22 कि अवधि में, राज्य के चार संभागों में मुख्यमंत्री किसान छात्रवृत्ति योजना के लिये आवेदन प्राप्त नहीं हुए थे और गृह विज्ञान विषय के लिये केवल दो संभागों में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन प्राप्त हुए। परिषद ने आगे कहा कि योजना के प्रचार-प्रसार में वृद्धि कर छात्रवृत्ति के लिये आवेदन प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

2.1.9.3 ई-नाम प्लेटफॉर्म पर मण्डी समितियों की कार्यप्रणाली

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार (नाम) को बढ़ावा देने के लिये एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना प्रारम्भ की गयी (जुलाई 2015) जिसमें चयनित विनियमित थोक कृषि बाजारों में एकसमान ई-मार्केट प्लेटफॉर्म (ई-नाम) के स्थापना करने की परिकल्पना की गई । ई-नाम योजना का एक मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादों के अखिल भारतीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिये पहले राज्यों के स्तर पर और अंततः पूरे देश में एकसमान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाजारों को एकीकृत करना था। वित्तीय वर्ष 2021-22[24] तक राज्य में कुल 251 मण्डी समितियों में से 125 में ई-नाम योजना लागू की गई थी।

प्रदेश में मण्डी समितियों द्वारा ई-नाम प्लेटफॉर्म का उपयोग करके 2017-22 की अवधि में किये गये विपणन का विवरण **तालिका-08** में दिया गया है।

[22] संशोधित योजना (सितंबर 2018) में, छात्रवृत्ति स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को दी जानी थी।

[23] अलीगढ, बरेली, बस्ती, मिर्ज़ापुर

[24] 2016-17 में 66 मंडी समितियां, 2017-18 में 34 मंडी समितियां और 2020-21 में 25 मंडी समितियां।

तालिका-08: ई-नाम प्लेटफॉर्म पर आवक, कारोबार की मात्रा/मूल्य, ई-भुगतान, व्यापारी, किसान, अंतर्राज्यीय और अंत:राज्यीय व्यापार

क्र.सं.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	योग
1.	अनुमानित आवक मात्रा (लाख कुंतल)	248.06	194.92	159.88	58.23	46.37	**707.46**
2.	व्यापार की मात्रा (लाख कुंतल)	108.62	109.96	118.73	38.35	30.78	**406.44**
3.	व्यापार का मूल्य (₹ करोड़ में)	1584.74	1819.00	2132.83	637.23	548.90	**6722.70**
4.	ई-भुगतान (₹ करोड़ में)	10.65	9.95	9.51	1.28	0.54	**31.93**
5.	ई-भुगतान में भाग लेने वाले किसान (संख्या)	3516	2370	1523	282	116	**7807**
6.	ई-भुगतान में भाग लेने वाले व्यापारी (संख्या)	912	713	392	148	57	**2222**
7.	पंजीकृत किसान (संख्या लाख में)	25.28	5.46	1.81	0.02	0.009	**32.58**
8.	पंजीकृत व्यापारी (संख्या)	17629	1805	708	1318	184	**21644**
9.	अंतर-राज्यीय व्यापार (₹ करोड़ में)	(आंकड़ों का वर्षवार विवरण नही उपलब्ध कराया गया)					**0.39**
10.	अंत:राज्यीय व्यापार (₹करोड़ में)	(आंकड़ों का वर्षवार विवरण नही उपलब्ध कराया गया)					**1.02**

(स्रोत: राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उत्तर प्रदेश)

जैसा कि **तालिका-08** से स्पष्ट है कि ई-नाम प्लेटफॉर्म पर कृषि उत्पाद के आवक की मात्रा में 2017-18 से 2021-22 की अवधि में कमी की प्रवृत्ति देखी गयी। इसके अतिरिक्त ई-नाम प्लेटफॉर्म पर अंतर्राज्यीय और अंत:राज्यीय व्यापार दोनों में न्यूनतम गतिविधि थी, जो ई-नाम पोर्टल के उपयोग के संबंध में हितधारकों के बीच रुचि की कमी को दर्शाता है। लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि 2017-18 से 2021-22 की अवधि में ई-नाम प्लेटफॉर्म पर कृषि उत्पाद के आवक की अनुमानित मात्रा गैर ई-नाम आवक के सापेक्ष 1.91 प्रतिशत से 2.53 प्रतिशत के बीच रही।

इस प्रकार, अखिल भारतीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिये पहले राज्यों के स्तर पर और अंततः पूरे देश में एकसमान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाजारों को एकीकृत करने की योजना के मुख्य उद्देश्य को अभी भी प्राप्त किया जाना शेष है।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया कि ई-नाम (अप्रैल 2016) के प्रारंभिक चरण के क्रियान्वयन में, मण्डी स्थलो के आंतरिक व्यापार को सुविधाजनक बनाने पर ध्यान केंद्रित था और धीरे-धीरे इसको अंतर-मंडी और अन्तःराज्यीय व्यापार पर लागू किया गया। 2017-18 से 2018-19 की अवधि में द्वितीयक व्यापार आवको की प्रविष्टि की गयी थी। 2020-21 और 2021-22 में कृषि कानून और कोविड-19 के कारण ई-नाम व्यापार में गिरावट आई। ई-नाम के अन्तर्गत अंतर्राज्यीय व्यापार को दिसंबर 2018 से लागू किया गया यद्दपि प्लेटफॉर्म के सुचारू संचालन के लिये

कई बाधाओं (जैसे गुणवत्ता आश्वासन, परिवहन और भुगतान के बाद के मुद्दे) को दूर करने की आवश्यकता थी जिसे संबंधित मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया और जुलाई 2022 में एक नया प्लेटफॉर्म प्रारम्भ किया गया। अब तक ई-नाम पर राज्य के अन्दर ₹1.02 करोड़ की वस्तुओं का व्यापार किया गया था और अंतर-राज्य में ₹0.39 करोड़ की वस्तुओं का व्यापार किया गया था। राज्य सरकार ने बताया कि ई-नाम पोर्टल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये कई कदम उठाये गये है जैसे प्रत्येक माह 'ई-नाम दिवस' का आयोजन, सभी हितधारकों को प्रशिक्षण, माह में सबसे अधिक क्रय और विक्रय करने वाले किसानों और व्यापारियों को पुरस्कृत करने, प्रत्येक ई-नाम मण्डी में हितधारकों की सहायता के लिये ई-नाम मित्र नियुक्त करना आदि। राज्य की मण्डी समितियों द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिये सभी लाइसेंसों को एकीकृत लाइसेंस में परिवर्तित करके लाइसेंस प्रक्रिया के नियमों में ढील दी गई जिससे अन्य राज्यों के व्यापारियों को कृषि उत्पादों की खरीद/बिक्री करने की अनुमति मिल सके। ई-नाम पोर्टल के माध्यम से आलू और अन्य निर्दिष्ट कृषि उपज के अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

तथ्य यह है कि राज्य में ई-नाम के क्रियान्वयन के छह वर्ष पश्चात भी इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं हुए।

2.1.10 किसानों और व्यापारियों के लिये सुख-सुविधाओं का प्रावधान और उपयोग

अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत, मण्डी समितियों को निर्दिष्ट कृषि उत्पाद के क्रय एवं विक्रय के लिये ऐसी सुविधाएं प्रदान करनी थीं जो परिषद द्वारा समिति को समय-समय पर दिए गये किसी भी निर्देश में निर्दिष्ट की जाये अथवा समिति द्वारा आवश्यक समझी जाये। प्रदान की गई सुविधाओं एवं इनके उपयोग पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी प्रस्तरो में चर्चा की गई है:

2.1.10.1 अनिर्मित मण्डी स्थल

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, मण्डी समितियों को प्रधान मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल में उत्पादकों और व्यापारियों को उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करनी थीं। अभिलेखों की जांच से पता चला कि राज्य में 251 मण्डी समितियों में से 29 में प्रधान मण्डी स्थल का निर्माण नहीं किया गया था। इन 29 मण्डी समितियों में से 18 में प्रमुख मण्डी यार्ड और उप मण्डी यार्ड ***(परिशिष्ट-2.1.7)*** दोनों का अभाव था। इसलिये ये मण्डी समितियां निर्दिष्ट कृषि उत्पाद के क्रय एवं विक्रय के लिये एक नामित मण्डी स्थल और आवश्यक मण्डी सुविधाओं जैसे दुकानें, प्लेटफॉर्म, धर्मकांटा आदि के बिना संचालित थी। तथापि, इनके द्वारा देय मण्डी शुल्क और विकास सेस की वसूली की जा रही थी।

शासन ने अपने उत्तर (सितम्बर 2023) में बताया कि शेष मण्डी समितियों के लिये प्रधान/उप मण्डी स्थल के निर्माण का प्रस्ताव भूमि की उपलब्धता के अनुसार लिया जायेगा।

2.1.10.2 मण्डी क्षेत्र में कृषि उत्पाद के भंडारण के लिये स्थान का प्रावधान

मण्डी नियमावली, 1965 के नियम 47 के अन्तर्गत, मण्डी समितियां मण्डी क्षेत्र में निर्दिष्ट कृषि उत्पाद के भंडारण के लिये सुविधाएं प्रदान कर सकती हैं और उस उद्देश्य के लिये मण्डी क्षेत्र में गोदाम किराये पर ले सकती है या निर्माण कर सकती हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि किसी भी नमूना जांच की गई मण्डी समिति ने अपने मण्डी क्षेत्र में किसानों को मण्डी स्थल में गोदामों का निर्माण करके या मण्डी क्षेत्र में गोदामों को किराये पर लेकर ऐसी सुविधाएं प्रदान नहीं करायी। तथापि, सभी नमूना जांच की गई मण्डी समितियों के मण्डी स्थल में अविक्रित कृषि उत्पाद हेतु खुले प्लेटफ़ार्म और टिन-शेड वाली संरचनाएँ उपलब्ध थीं जो नमी, वर्षा, आवारा पशुओं आदि के संपर्क में थीं।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (सितम्बर 2023) कि किसानों द्वारा मण्डी स्थल में लाई गई अविक्रित कृषि उत्पाद के लिये उपयुक्त स्थान की व्यवस्था हेतु उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) और मण्डी समितियों के सचिव को निर्देश जारी किये जा रहे हैं जिससे उनकी उपज को वर्षा, नमी और पशुओं आदि से सुरक्षित रखा जा सके।

2.1.10.3 लाइसेंस धारक तौलक/मापक और पल्लेदारों का प्रावधान

नियम 70 के अन्तर्गत, मण्डी/ उपमण्डी स्थल में काम करने वाले तौलक, मापक, पल्लेदारों आदि को मण्डी नियमावली, 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत लाइसेंस के लिये आवेदन करना आवश्यक है। मण्डी समिति द्वारा एक रजिस्टर में लाइसेंसधारक का नाम लिखा जाना था और इसे कार्यालय में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना था। इसके अतिरिक्त, नियम 83 के अन्तर्गत विक्रय के लिये मण्डी स्थल में लायी गई किसी भी निर्दिष्ट कृषि उत्पाद का वजन या माप केवल लाइसेंस प्राप्त तौलक या मापक द्वारा ही किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच की गयी 38 में से आठ[25] मंडी समितियों में 2017-18 से 2021-22 की अवधि में तौलको, मापको और पल्लेदारों को कोई भी लाइसेंस निर्गत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, नमूना जाँच की गयी शेष 30 मण्डी समितियों में तौलको, मापको और पल्लेदारों के लाइसेंस धारकों की संख्या 2017-18 में 1698 से घटकर 2021-22 में 1062 हो गई

[25] चौबेपुर, दादरी, हापुड, बिंदकी, बीसलपुर, खागा, मिर्ज़ापुर और रसड़ा

(परिशिष्ट-2.1.8)। अत: मण्डी समितियों द्वारा पर्याप्त संख्या में लाइसेंसधारी तौलको, मापको और पल्लेदारों को सुनिश्चित नहीं किया गया।

उत्तर (सितम्बर 2023) में राज्य सरकार ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण, किसान अधिनियम के लागू होने और मई 2020 में मण्डी विनियमन के दायरे से 45 निर्दिष्ट कृषि उत्पाद की अधिसूचना रद्द होने के कारण, लाइसेंसधारियों की संख्या में कमी आई थी।

2.1.10.4 विवाद उप समिति और विकास उप समितियो का गठन नही किया जाना

मण्डी नियमावली, 1965 के नियम 56 (1) और 56 (2) के अन्तर्गत , मण्डी समिति, एक विवाद उप-समिति और एक विकास उप-समिति की नियुक्ति के लिये उत्तरदायी है। विवाद उप-समिति का प्राथमिक कार्य उत्पादकों और व्यापारियों के बीच विक्रय की शैली, दर, भुगतान, गुणवत्ता या वस्तु के वजन आदि से सम्बंधित शिकायतों का समाधान करना है। विकास उप-समिति मण्डी स्थल में भवनों, सड़कों और गलियों का निर्माण, रखरखाव और मरम्मत की व्यवस्था करने के लिये उत्तरदायी है जिसे समिति द्वारा कार्य के अनुमोदन के पश्चात उप-समिति को सौंपा जा सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच की गई किसी भी मण्डी समितियो ने व्यापारियों और उत्पादकों के बीच विवादों के समाधान हेतु कोई विवाद उप-समिति का गठन नहीं किया था। अग्रेतर, मण्डी समितियों ने मण्डी स्थल के विकास करने के लिये निर्माण/मरम्मत कार्य के लिये नियमित आधार पर सम्बंधित निर्माण खण्डों को प्रस्ताव भेजे। तथापि, नमूना जाँच की गई किसी भी मण्डी समितियो ने इन गतिविधियों की देखरेख के लिये कोई विकास उप-समिति का गठन नहीं किया। इस प्रकार, मण्डी नियमावली, 1965 में उल्लिखित प्रावधानों के बावजूद, मण्डी समितियाँ इन उप-समितियों के गठन के बिना संचालित थीं।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (सितम्बर 2023) कि परिषद, मण्डी समितियों में विवाद उप-समिति और विकास उप-समिति के गठन के लिये एक उचित स्तर पर आवश्यक कार्यवाही कर रहा है।

2.1.10.5 अक्रियाशील ग्रामीण अवस्थापना केंद्र (आर.आई.एन.)

बाजार की बुनियादी सुविधा या मण्डी साधारणतया गांवों से बहुत दूर होने के कारण स्थानीय किसानों की उपज को स्थानीय स्तर पर विक्रय किये जाने की सुविधा

प्रदान करने की दृष्टि से, बुंदेलखण्ड पैकेज[26] के अन्तर्गत ग्रामीण अवस्थापना केंद्र[27] (आरआईएन) बाजार के विकास पर विचार किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बुंदेलखंड क्षेत्र के सात जिलों में कुल 133 आरआईएन का निर्माण किया गया था। यद्यपि इन 133 आरआईएन में से मात्र 26 (अगस्त 2023 तक) आरआईएन संचालित थे। नमूना जाँच की गयी मण्डी समिति ललितपुर के अभिलेखों की जांच में देखा गया कि उपनिदेशक (निर्माण), झांसी ने ₹ 19.31 करोड़ की लागत से 11 आरआईएन का निर्माण किया और अप्रैल 2016 में मण्डी समिति को सौंप दिया। लेकिन उनके निर्माण के बाद से, मात्र दो आरआईएन (तरगुआं और नागवास) संचालित थे। सचिव, मण्डी समिति ललितपुर ने कहा (नवंबर 2022) कि शेष आरआईएनों को क्रियाशील करने में कठिनाई हो रही है क्योंकि किसानों को मुख्य मण्डी स्थल में अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त हो रहा था।

राज्य सरकार ने कहा कि आरआईएन में निर्मित दुकानों, गोदामों और अन्य संपत्तियों के शीघ्र आवंटन के लिये सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट से परिषद द्वारा अनुरोध किया गया था। ऐसे प्रकरणों में जहां व्यापारियों ने दुकानों/गोदामो के आवंटन में रुचि नहीं दिखाई, वहां कृषि गतिविधि से सम्बंधित किसी भी कार्य के लिये स्वयं सहायता समूह या किसी इच्छुक व्यक्ति को दुकानों और गोदामों के अस्थायी आवंटन के लिये भी कार्यवाही की जा रही है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यापक बुनियादी ढांचा क्रियाशील स्थिति में रहे। अग्रेतर, राज्य सरकार ने कहा कि ललितपुर जिले के 11 आरआईएन में निर्मित 44 दुकानें और चार गोदाम पहले ही व्यापारियों और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को आवंटित किये जा चुके हैं। शासन ने आगे कहा कि दो आरआईएन (तिरगुआन और नागवास) खाद्द्यान मण्डी के रूप में क्रियाशील थे तथा ललितपुर के शेष नौ आरआईएन में गेहूं क्रय केंद्र आयोजित किये जा रहे थे।

तथ्य यह है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निर्मित 107 आरआईएन अभी तक क्रियाशील नहीं हुए है। ललितपुर जिले में क्रय केंद्रों के लिये नौ आरआईएन के बुनियादी ढांचे का उपयोग करना एक मौसमी गतिविधि थी, न कि वह इच्छित उद्देश्य जिसके लिये आरआईएन का निर्माण किया गया था।

[26] भारत सरकार ने सूखा निवारण के लिए एक विशेष पैकेज तथा बुंदेलखंड क्षेत्र (उत्तर प्रदेश के सात जिले और मध्य प्रदेश के छह जिले) के एकीकृत विकास के लिए एक व्यापक पैकेज को मंजूरी दी थी (दिसंबर 2009)

[27] किसानों को कम दूरी पर अपनी उपज बेचने के लिए सुविधाएं (अनाज, फल और सब्जी भंडारण केंद्र, मंच, पार्किंग क्षेत्र, यूटिलिटी ब्लॉक, शौचालय, आंतरिक सड़क, नाली आदि) उपलब्ध कराने के लिए सात जिलों (झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा) में उप जिला स्तर पर ग्रामीण अवसंरचना केन्द्र (आर.आई.एन) का निर्माण किया गया।

2.1.10.6 अक्रियाशील कृषि विपणन केंद्र (ए.एम.एच)

परिषद ने 2011-12 से 2014-15 की अवधि में प्रदेश में 1,643 कृषि विपणन केंद्रों (ए.एम.एच) का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य किसानों को उनके उत्पादन क्षेत्रों के निकट अपनी कृषि उपज बेचने के लिये स्थानीय बाजार प्रदान करना था। इन ए.एम.एच में 5,852 दुकानें, 1,508 प्लेटफार्म, 92 गोदाम और 1,237 हैंडपंप सम्मिलित थे। इन ए.एम.एच के निर्माण के लिये व्यय किये गये ₹ 406.44 करोड़ में से **₹** 265.50 करोड़ तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान से प्राप्त किये गये, जबकि परिषद ने ₹ 140.94 करोड़ का योगदान दिया।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि 128 मण्डी समितियों के अन्तर्गत निर्मित 1,643 ए.एम.एच में से 480 एएमएच (29 प्रतिशत) जनवरी 2024 तक अक्रियाशील थे। इसके अतिरिक्त, इन 128 मण्डी समितियों में से, 30 मण्डी समितियां ऐसी थीं जहां 170 ए.एम.एच (निर्माण लागत: ₹ 39.11 करोड़) में से कोई भी क्रियाशील नहीं थी ***(परिशिष्ट 2.1.9)***।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर (सितम्बर 2023) में बताया कि सहकारिता विभाग और मण्डी परिषद के बीच विवाद के कारण ए.एम.एच में दुकानों के आवंटन में विलम्ब हुआ। इस विवाद को सुलझाने हेतु यह निर्णय लिया गया (दिसंबर 2021) कि सहकारिता विभाग की भूमि पर निर्मित 804 खाली दुकानों को विभाग द्वारा ही आवंटित किया जायेगा और सहकारिता विभाग से इन रिक्त दुकानों को जल्द से जल्द आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। शेष 187 खाली दुकानों का आवंटन सम्बंधित मण्डी समितियों के स्तर पर प्रक्रियाधीन था।

तथ्य यह है कि ए.एम.एच के अक्रियाशील होने के कारण किसानों को ए.एम.एच के माध्यम से सुविधाएं प्रदान करने के इच्छित उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए।

2.1.10.7 व्यापारियों को मण्डी स्थलों में दुकानें अनावंटित रहना

लेखापरीक्षा में देखा गया कि दिसंबर 2023 तक 21 नमूना जांच की गई मण्डी समितियों के मण्डी स्थलो में 309 दुकानें रिक्त थीं। अभिलेखों की जांच से अग्रेतर पता चला कि 309 अनावंटित दुकानों में से 223 दुकानें जिनकी लागत ₹ 25.87 करोड़ थी, मण्डी समितियों को हस्तांतरित होने के उपरान्त कभी आवंटित नहीं की गई, जैसा कि ***(परिशिष्ट-2.1.10)*** में वर्णित है। दुकानों के आवंटन न होने के मुख्य कारण आवंटन के लिये आवेदन प्राप्त न होना, आरक्षित दुकानों हेतु आरक्षित श्रेणी के व्यापारियों का भाग न लेना, दुकानों के प्रीमियम की राशि अधिक होना, 45 निर्दिष्ट कृषि उत्पादों हेतु अधिसूचना रद्द किया जाना, व्यापार को निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जाना आदि थे। इसके अतिरिक्त

जिन 223 दुकानों का कभी आवंटित नहीं किया गया था उनमे उप मंडी स्थल बरौली अहिर गांव, आगरा (30 दुकानों) और उप मंडी स्थल मलीहाबाद, लखनऊ (53 दुकानों) में निर्मित कुल 83 दुकानें सम्मिलित थीं। व्यष्टि अध्ययन-01 और व्यष्टि अध्ययन-02 में इन दो उप मंडी स्थल अक्रियाशील रहने के विवरण पर चर्चा की गई है।

केस स्टडी-01: आगरा के बरौली अहीर गांव में अक्रियाशील नई सब्जी/पुष्प मण्डी

लेखापरीक्षा ने देखा कि मण्डी समिति, आगरा ने आगरा के बरौली अहीर गांव में नए सब्जी/पुष्प मण्डी के विकास के लिये ₹ 3.70 करोड़ की लागत से 2.34 हेक्टेयर भूमि (दिसंबर-2015) का अधिग्रहण किया। उपनिदेशक (निर्माण), आगरा ने बरौली अहीर ग्राम में नये सब्जी/फल मण्डी स्थल हेतु ₹ 8.65 करोड़ की लागत से 43 सी श्रेणी की दुकानों और 30 सुपर मार्केट दुकानों का निर्माण कराया, जिन्हें जनवरी 2019 में मण्डी समिति आगरा को हस्तांतरित किया गया। तीन नीलामियों के उपरांत भी, आवेदनों की कमी के कारण 30 सुपर मार्केट दुकाने आवंटित नहीं की जा सकीं। मण्डी समिति, आगरा ने उत्तर में बताया कि बरौली अहीर मण्डी स्थल के निकट उपमण्डी स्थल बसई क्रियाशील थी, जिसके कारण व्यापारियों ने बरौली अहीर मण्डी स्थल में दुकानों के आवंटन में रुचि नहीं दिखाई। परिणामस्वरूप, आगरा के बरौली अहीर में नये सब्जी/पुष्प मण्डी के विकास में किये गये ₹12.35 करोड़ (₹8.65 करोड़ रुपए + ₹3.70 करोड़ रुपए) का निवेश अवरुद्ध रहा है क्योंकि इसका संचालन नहीं किया गया।

उत्तर में, शासन ने आवंटन प्रक्रिया में देरी के लिये COVID-19 महामारी को जिम्मेदार ठहराया (सितम्बर-23) और कहा कि सभी 43 दुकानों का आवंटन कर दिया गया है और सुपरमार्केट की 30 दुकानों का आवंटन प्रक्रियाधीन है ।

केस स्टडी-02: लखनऊ के मलिहाबाद में अक्रियाशील उप-मण्डी स्थल

मण्डी परिषद ने मलीहाबाद में ₹ 56.30 करोड़ की लागत से एक उप मण्डी स्थल (आम मण्डी) फरवरी 2021 (जून 2021 में हस्तगत) में विकसित किया जिसमे 76 वातानुकूलित दुकानें, किसान भवन, एक प्रसंस्करण इकाई, कैंटीन आदि सम्मिलित है।

यद्यपि, अप्रैल 2022 तक 76 में से मात्र 11 दुकानों की नीलामी की जा सकी। मलीहाबाद में उप-मण्डी स्थल में व्यापारिक गतिविधियां दिसंबर 2022 तक प्रारम्भ नहीं हुईं और इसलिये, नवनिर्मित मण्डी स्थल से कोई मण्डी शुल्क या उपयोगकर्ता शुल्क वसूल नहीं किया गया। इस संदर्भ में, मण्डी समिति लखनऊ ने बताया (दिसंबर 2022) कि उप-मण्डी स्थल में लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों की संख्या (लगभग 500) की तुलना में दुकानें कम थीं इसलिये, आम के व्यापार को उप-मण्डी स्थल में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (सितम्बर 2023) कि फरवरी 2023 तक 76 में से 23 दुकाने आवंटित कर दी गयी है और शेष दुकानों के लिये आवंटन प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने आगे कहा कि निर्दिष्ट कृषि उत्पाद से आम को हटाने से व्यापारिक गतिविधियां और दुकान आवंटन की प्रक्रिया प्रभावित हुई। यद्यपि, अन्य निर्दिष्ट उत्पादों के व्यापार करने हेतु इन दुकानों के उपयोग के सम्बन्ध में मण्डी समिति से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और इन दुकानों के उपयोग में परिवर्तन के अनुमोदन के पश्चात दुकानों का आवंटन किया जायेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि मलीहाबाद उप-मण्डी स्थल अक्रियाशील रही (जनवरी 2024) तथा उप मण्डी स्थल को सौंपने के दो वर्ष से अधिक समय के उपरान्त भी कोई उपयोगकर्ता शुल्क/मण्डी शुल्क प्राप्त नहीं किया जा सका।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (सितम्बर 2023) कि रिक्त दुकानों के आवंटन के लिये मण्डी समिति द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

2.1.10.8 मण्डी स्थल की दुकानें और स्थान केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और उत्तर प्रदेश पुलिस के अधीन रहना

अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत मण्डी समितियों को मण्डी स्थलों में उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध करानी थीं और विशेष रूप से में गलियों, दुकानों आदि का निर्माण और रखरखाव करना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मण्डी समिति अयोध्या में कृषि उत्पाद की व्यापारिक गतिविधियों के लिये निर्मित संपत्तियां (10 'ए' श्रेणी की दुकानें, 10 'बी' श्रेणी की दुकानें, छह 'बी-1' श्रेणी की दुकानें, 31 'सी' श्रेणी की दुकानें, दो नीलामी मंच) सितंबर 1990 से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (के.रि.पु.ब.) के कब्जे में थीं। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि 57 दुकानों में 54 दुकानें के.रि.पु.ब. के कब्जे से पूर्व ही व्यापारियों को आवंटित की जा चुकी थीं। मण्डी समिति ने के.रि.पु.ब. से सितंबर 1990 से मार्च 2022[28] तक की अवधि के लिये मार्च 2022 में ₹ 73.76 लाख का बिल प्रस्तुत किया। यद्यपि, अक्टूबर 2022 तक बिलों का भुगतान नहीं किया गया और परिसर भी के.रि.पु.ब. के कब्जे में रहा।

इसी प्रकार नमूना जांच की गयी मण्डी समिति बहजोई, संभल, में छह गोदाम, एक टाइप-III आवास सहित पास का खुला स्थान, कैंटीन और कैंटीन परिसर (दिसंबर 2011) पुलिस लाइन ने कब्जे में कर लिया था। चूंकि संपत्ति पुलिस विभाग के अधीन थी, इसलिये मण्डी समिति को विकसित बुनियादी ढांचे का लाभ नहीं मिल सका। मण्डी समिति ने देय भुगतान के लिये ₹ 29.49 लाख (सितंबर 2018) और ₹ 47.44 लाख (सितंबर 2022) की मांग की, लेकिन पुलिस विभाग द्वारा किराये का भुगतान नहीं किया गया।

---

28 मण्डी समिति ने इससे पूर्व सितंबर 1990 से जून 2020 की अवधि के लिए जून 2020 में ₹ 70.13 लाख रुपये का बिल प्रस्तुत किया था, जो अभी तक लम्बित है।

इस प्रकार, कब्ज़ा होने के कारण, मण्डी समितियां, अयोध्या और बहजोई के व्यापारियों को अधिनियम की धारा 16 के अनुसार उपयुक्त सुविधाएं नहीं प्रदान कर सकी।

शासन ने बताया (सितम्बर 2023) कि अयोध्या और बहजोई के जिलाधिकारियों को मण्डी स्थल के प्रांगण में अनधिकृत अधिग्रहण को खाली कराने के लिये पत्र जारी किये गये हैं।

2.1.11 मण्डी स्थल/क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास

लेखापरीक्षा में देखा गया कि नमूना जांच किये गये उप निदेशक निर्माण/मण्डी समितियों में किये गये निम्नलिखित आधारभूत संरचनाओ के विकास कार्य या तो क्रियाशील नहीं थे/निष्क्रिय थे या अविकसित रह गये थे।

2.1.11.1 नोएडा के पुष्प मण्डी में निवेश अवरुद्ध रहना

नोएडा मण्डी स्थल में पुष्प मण्डी के निर्माण का प्रस्ताव दिसंबर 2005 में प्राप्त हुआ था और सितंबर 2008 में इस स्थान को ₹ 38.75 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ विकसित किया गया था, जिसमें कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)[29] (₹ 3.50 करोड़), राष्ट्रीय बागवानी मिशन दिल्ली (₹ 5.09 करोड़) और परिषद (₹ 30.16 करोड़) की वित्तीय सहायता शामिल है। पुष्प मण्डी में एक नीलामी केन्द्र, एक वातानुकूलित पुष्प कक्ष (प्राप्त करने, पैकिंग और प्रेषण के लिये), तीन शीतगृह इकाइयाँ, 114 दुकानें, 18 गुमटियाँ और एक उत्पादको का विश्राम गृह शामिल हैं।

लेखापरीक्षा की जांच में पता चला कि 74 दुकानों की नीलामी अक्टूबर 2008 में हुई थी। तथापि, पुष्पों के खरीदारो की कमी के कारण पुष्प मण्डी संचालित नहीं हो सकी। जुलाई 2014 में निदेशक मण्डी परिषद के साथ हुई बैठक में व्यापारियों ने बताया कि परिवहन सम्बन्धी समस्याएं, नोएडा क्षेत्र में पुष्पों का उत्पादन न होना और खरीदारों की कमी पुष्प मण्डी के संचालित न होने के मुख्य कारण हैं। पुष्प मण्डी को जिंस बाजार में परिवर्तित करने की कोशिशें भी विफल रहीं क्योंकि एपीडा ने जुलाई 2022 में पुष्प मण्डी को अनाज और किराने के थोक कारोबार के लिये उपयोग करने हेतु परिषद के प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी।[30]

[29] एपीडा की स्थापना भारत सरकार द्वारा दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत की गई थी।

[30] एपीडा द्वारा मंडी परिषद को लिखे गए पत्र (जुलाई 2022) के अनुसार, पुष्प नीलामी केंद्र का उपयोग पुष्प व्यवसाय के साथ-साथ अनाज और किराना के थोक व्यवसाय के रूप में करना एपीडा के आदेश के विपरीत है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पुष्प मण्डी के निर्माण से पहले कोई संभाव्यता एवं आवश्यकता के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया गया था।[31] अग्रेतर, अक्टूबर 2008 में दुकानों के आवंटन के बाद से जनवरी 2024 तक पुष्प मण्डी बंद रही। यद्यपि जब कनेक्शन काटा गया तब तक 1093 किलोवाट का स्वीकृत विद्युत भार अप्रैल 2018[32] तक जारी रहा। मण्डी समिति ने अगस्त 2017 तक ₹ 1.09 करोड़ के कुल विद्युत बिल के सापेक्ष मार्च 2018 में ₹ 85 लाख के विद्युत शुल्क का भुगतान किया।

संयुक्त भौतिक सत्यापन (जुलाई 2022) के समय , लेखापरीक्षा ने पाया कि नीलामी केन्द्र में डिस्प्ले बोर्ड और उपकरण अक्रियाशील थे, तीन शीतगृह कक्ष जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थे, दुकानें/गुमटियाँ/जेनरेटर कक्ष बंद थे और उत्पादकों का विश्राम गृह बिना किसी उपयोग के खाली पड़ा था। इस प्रकार, परियोजना पर ₹ 39.60 करोड़[33] का व्यय अलाभकारी रहा।

चित्र 1

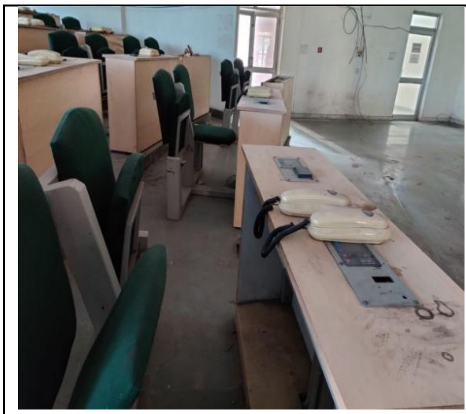

चित्र 2

संयुक्त भौतिक सत्यापन के समय (27.07.2022) नोएडा पुष्प मण्डी में नीलामी कक्ष दीमक से क्षतिग्रस्त

शासन ने बताया (सितम्बर 2023) कि पुष्प मण्डी को संचालित करने के प्रयास किये गये, लेकिन इसे क्रियाशील नहीं किया जा सका। चूंकि मण्डी संचालित नहीं थी, इसलिये दुकानें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थीं जिससे कोई वित्तीय लाभ नहीं मिल रहा था। अनाज/किराना व्यापार के लिये दुकानों का उपयोग करने के अनुरोध को एपीडा ने इस सुझाव के साथ ठुकरा दिया कि एपीडा के अधिदेश के अनुसार प्रस्ताव पर पुनः कार्य किया जाये। शासन ने आगे कहा कि पुष्पों के साथ-साथ बासमती चावल, मक्का आदि अन्य निर्यात

[31] जैसा कि मंडी समिति,नोएडा द्वारा सूचित किया गया (जनवरी 2024)।

[32] जुलाई 2017 में अस्थायी रूप से कनेक्शन काटा गया तथा अप्रैल 2018 में स्थायी रूप से कनेक्शन काटा गया।

[33] पुष्प मंडी के निर्माण पर ₹ 38.75 करोड़ तथा विद्युत शुल्क पर ₹ 85 लाख व्यय।

उत्पादों के लिये, नोएडा पुष्प मण्डी के दुकानों का उपयोग करने हेतु एपीडा के साथ पत्राचार जारी है। इसके अतिरिक्त, अन्य कृषि उत्पादन के निर्यात के लिये शीतगृह, नीलामी कक्ष और संग्रहण केंद्र को पट्टे या किराये के आधार पर आवंटित करने का प्रयास किया जा रहा है।

तथ्य यह है कि पुष्प मण्डी अपने निर्माण के 15 वर्ष बाद भी अक्रियाशील थी क्योंकि इसका निर्माण बिना किसी संभाव्यता और आवश्यकता आधारित मूल्यांकन, के किया गया था।

2.1.11.2 अक्रियाशील विशिष्ट मण्डी स्थल अमरपुर, ललितपुर

बुंदेलखंड पैकेज के अन्तर्गत ललितपुर जिले के अमरपुर गाँव में एक विशिष्ट मण्डी स्थल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था जो ललितपुर के वर्तमान मण्डी स्थल से पांच किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है।

उप निदेशक (निर्माण), झांसी ने दिसंबर 2013 से अक्टूबर 2016 कि अवधि में ₹ 67.39 करोड़ की लागत से विशिष्ट मण्डी स्थल का निर्माण किया और अक्टूबर 2016 में इसे मण्डी समिति ललितपुर को हंस्तान्तरित कर दिया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विशिष्ट मण्डी स्थल में निर्मित 290 दुकानों में से 40 दुकाने आवंटित कर दी गयी और शेष 250 दुकानों की नीलामी आवेदन की कमी के कारण नवंबर 2022 तक नहीं की जा सकी, जबकि मई 2017 और जुलाई 2018 के बीच दस बार नीलामी के लिये नोटिस प्रकाशित किया गया था। मण्डी समिति द्वारा व्यापारियों के साथ आयोजित एक बैठक (जुलाई 2019) में, यह बताया गया कि विशिष्ट मण्डी स्थल में दुकानों का आकार छोटा था और मण्डी स्थल में व्यापार के लिये स्थितियां अनुकूल नहीं थीं।

राज्य सरकार ने उत्तर में (सितम्बर 2023) बताया कि शेष दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। शासन ने आगे बताया कि यदि व्यापारी विशिष्ट मण्डी स्थल में दुकानों के आवंटन में रुचि नहीं दिखाते हैं, तो खाली दुकानों को अस्थायी आधार पर स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन, किसान उत्पादक उद्योग या किसी अन्य इच्छुक पक्ष को कृषि गतिविधियों से संबंधित कार्य के लिये आवंटित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

2.1.11.3 कन्नौज में आलू प्रसंस्करण इकाई का निर्माण बंद करना

परिषद ने ठठिया, कन्नौज में विशिष्ट आलू मण्डी स्थल के निर्माण हेतु ₹ 97.20 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की

(दिसम्बर 2015)। मुख्य अभियंता, मण्डी परिषद, लखनऊ द्वारा ₹ 63.12 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की (जनवरी 2016) जिसमें कैंटीन, किसान भवन, 60 'ए' श्रेणी की दुकानें, शौचालय, आंतरिक सड़कें, बाह्य विकास, प्रवेश द्वार/टोल प्लाजा, जल भण्डारण टैंक एवं भू-दृश्य निर्माण तथा शीतगृह एवं प्रसंस्करण इकाई का निर्माण किया जाना था। शीतगृह एवं प्रसंस्करण इकाई की अनुमानित लागत ₹ 26.65 करोड़ थी। मेसर्स ग्लेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ अप्रैल 2016 में ₹ 61.82 करोड़ की कुल लागत पर अनुबन्ध किया गया जिसमे कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि अक्टूबर 2017 निर्धारित थी।

लेखापरीक्षा ने पाया गया कि परिषद के निदेशक के निर्देश पर मार्च, 2017 में शीतगृह और प्रसंस्करण इकाई का निर्माण कार्य रोक दिया गया था। लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि उप निदेशक (निर्माण), कानपुर ने अनुबंध की लागत का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाते हुए दिसंबर, 2019 में इस आधार पर अनुबंध समाप्त कर दिया कि ठेकेदार ने निर्धारित तिथि से दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी विशिष्ट आलू मण्डी स्थल का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया था। अनुबंध समाप्त होने की तिथि तक शीतगृह और प्रसंस्करण इकाई के निर्माण पर ₹ 11.71 करोड़ और 60 'ए' श्रेणी की दुकानों के निर्माण पर ₹ 2.79 करोड़ व्यय किये गये।

इसके बाद अक्टूबर,2020 में मण्डी परिषद के अपर निदेशक (प्रशासन) की अध्यक्षता में गठित समिति ने विशिष्ट आलू मण्डी स्थल के शेष कार्य को पूरा करने का निर्णय लिया। शीतगृह एवं प्रसंस्करण इकाई को छोड़कर परियोजना के अधूरे निर्माण कार्य (दुकानें, शौचालय, कार्यालय भवन, सड़के आदि) को पूर्ण कर अगस्त 2022 में मण्डी समिति, कन्नौज को हस्तगत करा दिया गया। शीतगृह एवं प्रसंस्करण इकाई अपूर्ण रह गई, जिसके परिणामस्वरूप शीतगृह एवं प्रसंस्करण इकाई के निर्माण पर किया गया ₹11.71 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

उत्तर में राज्य सरकार ने बताया (सितम्बर 2023) कि प्रथम चरण में 60 दुकानों और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिये निर्माण प्रारम्भ किया गया था। तथापि परियोजना को पूर्ण करने में विलम्ब होने के कारण, अनुबन्ध निरस्त कर दिया गया और शेष कार्य किसी अन्य फर्म द्वारा पूर्ण किया गया। सभी 60 दुकानें आवंटित की जा चुकी हैं और मण्डी क्रियाशील है। शासन ने आगे बताया कि आलू प्रसंस्करण इकाई के निर्माण के लिये कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करने का निर्णय लिया गया है और संरचना में आंशिक परिवर्तन करके

अपूर्ण निर्माण को नीलामी मंच और गोदाम जैसे अन्य उद्देश्यों के लिये उपयोग करने की प्रक्रिया चल रही है।

चित्र 3

चित्र 4

अपूर्ण प्रसंस्करण इकाई, ठठिया, कन्नौज का संयुक्त भौतिक सत्यापन (31.08.2024)

राज्य सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अगस्त,2024 में किये गये संयुक्त भौतिक निरीक्षण से पता चला कि सम्पूर्ण शीतगृह और प्रसंस्करण इकाई की अपूर्ण संरचना जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थी। इसके अतिरिक्त, मण्डी समिति, कन्नौज या मण्डी परिषद द्वारा उक्त संरचना का किसी भी उपयोगी उद्देश्य के लिये उपयोग करने का कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया।

2.1.11.4 कर्मचारियों के अप्रयुक्त आवासीय भवन

नमूना जाँच की गई मण्डी समिति चांदपुर, बिजनौर और उप निदेशक (निर्माण),मुरादाबाद के अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि मण्डी स्थल में ₹ 18.80 लाख की लागत से आवासीय भवन (टाइप-1: 8, टाइप-2: 10 और टाइप-3: 1) और सड़कें एवं नालियाँ बनाई गई थीं और उन्हें मण्डी समिति को हंस्तान्तरित कर दिया गया था (मई 1991)। मण्डी समिति ने कहा (दिसंबर 2022) कि आवासीय भवनों को उनके हस्तांतरण के बाद से कभी आवंटित नहीं किया गया था ।

संयुक्त भौतिक सत्यापन (18.10.2022) के समय आवासीय भवनों की स्थिति जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पाई गई, जो झाड़ियों से घिरे हुए थे।

चित्र 5 **चित्र 6**

(मण्डी समिति चांदपुर, बिजनौर के आवासीय भवनों का संयुक्त भौतिक सत्यापन)

आवंटन न होने तथा उचित रख-रखाव के अभाव में आवासीय भवन समय के साथ अनुपयोगी हो गये तथा टूट-फूट कर क्षतिग्रस्त हो गये।

उत्तर में राज्य सरकार ने बताया (सितम्बर 2023) कि मण्डी समिति चांदपुर, बिजनौर में वर्ष 2003 में विभिन्न प्रकार के 19 आवासीय भवनों का निर्माण कराया गया था। मण्डी समिति ने इन आवासीय भवनों को गोदाम के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव पारित किया है, जो वर्तमान में क्रियान्वयन में है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आवासीय भवन मार्च,1991 में बनाये गये थे और मई,1991 में मण्डी समिति को हस्तान्तरित कर दिये गये थे, जैसा कि कार्य के पूर्णता प्रमाण पत्र में दर्शाया गया है। इस प्रकार, 31 वर्ष बीत जाने के बाद भी, मण्डी समिति आवासीय भवनों का किसी भी रचनात्मक उद्देश्य के लिये उपयोग करने में विफल रही।

2.1.12 निष्कर्ष

अधिनियम के अन्तर्गत कृषि उत्पादन मण्डी समितियों (एपीएमसी) का संचालन और प्रशासन उनके सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनमें उत्पादक, व्यापारी, आढ़तिया, पल्लेदार और मापक शामिल थे। यद्यपि, निर्वाचित सभापति और उपसभापति का प्रभार सरकारी अधिकारियों के अधीन रखा गया था। प्रारंभ से ही, मण्डी समितियों के सदस्यों को नामित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप सभापति और उपसभापति के लिये कोई चुनाव नहीं हुआ।

परिषद को 2017-18 से 2021-22 कि अवधि में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये ₹ 138.94 करोड़ प्राप्त हुये। यद्यपि, कुल उपलब्ध निधियों

(₹ 163.67 करोड़) में से, ₹ 83.10 करोड़ (50.77%) परिषद के खाते में अप्रयुक्त रह गये। मण्डी स्थलो में दुकान मालिकों से प्रीमियम (₹ 81.96 करोड़), किराया (₹ 11.78 करोड़) और उपयोगकर्ता शुल्क (₹ 1.33 करोड़) की पर्याप्त राशि वसूल नहीं की गई। सीमेंट और मैक्सफाल्ट की आपूर्ति करने वाली फर्मों को किये गये ₹ 5.61 करोड़ के अग्रिम भुगतान को संबंधित उप निदेशक(निर्माण) द्वारा समायोजित नहीं किया गया। परिषद और मण्डी समितियों में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों में मानवशक्ति की भारी कमी थी।

मण्डी समितियां व्यापारियों द्वारा प्रपत्र 6-आर (विक्रेताओं के बिक्री के वाउचर) में बताये गये वजन पर निर्भर थीं। ई-मण्डी प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्गत संबंधित 6-आर के साथ प्रवेश पर्ची का कोई संबंध नहीं था। ई-नाम का उद्देश्य, अखिल भारतीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिये पहले राज्य स्तर पर और अंततः पूरे देश में बाजारों को एकसामान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकीकृत करना था, किन्तु 2015-16 में प्रारंभ होने के छह वर्ष बाद भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्तर-राज्यीय और अंतर्राज्यीय व्यापार नगण्य रहा। नमूना-जांच की गई किसी भी मण्डी समिति में विवाद उप-समिति और विकास उप-समिति का गठन नहीं किया गया था।

मण्डी समिति ललितपुर में 11 ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र (रिन) पर किया गया कुल ₹19.31 करोड़ का निवेश निष्फल साबित हुआ क्योंकि यह किसानों को अपेक्षित लाभ प्रदान करने में विफल रहा। 2011-15 कि अवधि में ₹406.44 करोड़ की लागत से 1643 कृषि विपणन केन्द्र (एएमएच) का निर्माण किया गया। तथापि, 30 मण्डी समितियों में ₹39.11 करोड़ की लागत से निर्मित 170 एएमएच अपने निर्माण के बाद से ही अक्रियाशील रहे। नमूना जांच की गई 21 मण्डी समितियों में 25.87 करोड़ रुपये की लागत वाली 223 दुकानें हस्तान्तरण के बाद से आवंटित नहीं की गईं थीं। परिषद ने उचित सम्भाव्यता अध्ययन किये बिना परियोजनाएं प्रारम्भ कीं, जिसके परिणामस्वरूप सब्जी/ पुष्प मण्डी , आलू प्रसंस्करण इकाई, मण्डी स्थल, उप मण्डी स्थल आदि जैसे आधारभूत संरचनायें अप्रयुक्त पड़ी रहीं।

2.1.13 अनुशंसायें

- *राज्य सरकार को उत्पादकों, व्यापारियों, आढ़तिया, पल्लेदारों में से मण्डी समितियों में सदस्यों को मनोनीत करना चाहिये तथा सदस्यों द्वारा उनके सभापति एवं उपसभापति के चुनाव हेतु कार्यवाही करनी चाहिये।*
- *निधियों के बेहतर उपयोग के लिये प्रभावी तंत्र तैयार किया जाना चाहिये तथा उस पर ध्यानपूर्वक निगरानी रखी जानी चाहिये।*
- *मण्डी समितियों और परिषद के समुचित संचालन को सुनिश्चित करने के लिये सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की समय पर और उचित भर्ती की जानी चाहिये।*
- *मण्डी स्थलो के आन्तारिक परिसर में लाए गये प्रत्येक माल का वजन सुनिश्चित किया जाना चाहिये तथा मण्डी शुल्क की देय और भुगतान की गई राशि का मिलान किया जाना चाहिये। मण्डी स्थलो के संचालन में प्रणालीगत सुधारों के माध्यम से प्राप्तियों की वसूली सुनिश्चित किया जाना चाहिये।*
- *मण्डी स्थल/मण्डी क्षेत्र में नये आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिये दीर्घकालिक नीति बनाई जानी चाहिये। उपयोगकर्ता मण्डी समिति के द्वारा उर्ध्वगामी दृष्टिकोण के आधार पर नये आधारभूत संरचना को आवश्यकतानुसार बनाया जाना चाहिये।*
- *सुविधाओं के बेहतर उपयोग के लिये, कृषि उत्पाद के क्रय एवं विक्रय हेतु बनाई गई अप्रयुक्त आधारभूत संरचनाओं का रख-रखाव किया जाना चाहिये और प्राथमिकता के आधार पर उन्हें उपयोग में लाया जाना चाहिये।*

खेल विभाग

2.2 खेल विभाग की गतिविधियां

2.2.1 परिचय

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1974 में स्थापित खेल विभाग, राज्य में खेलों को बढ़ावा देने हेतु उत्तरदायी है, जिसमें खेल नीतियों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, खेल बजट और कर्मचारियों का प्रबंधन, खेल अवस्थापना और उपकरण प्रदान करना, प्रशिक्षण प्रदान करना और विभिन्न प्रतियोगिताओं में राज्य के खिलाड़ियों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना शामिल है। विभाग का उद्देश्य खेल सुविधाओं में सुधार करके उदीयमान खिलाड़ियों के प्रदर्शन में गुणात्मक सुधार लाना और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव हासिल करने हेतु प्रोत्साहित करना है। खेल विभाग, खेल से संबंधित प्रशिक्षण, प्रतियोगिताओं और योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शिक्षा विभाग, युवा कल्याण विभाग, स्वायत्त खेल संघों और अन्य खेल आयोजकों के साथ समन्वय में काम करता है।

देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य होने के बावजूद, राष्ट्रीय खेलों में प्रदर्शन के मामले में राज्य का प्रदर्शन बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है। पिछले चार राष्ट्रीय खेलों में राज्य के प्रदर्शन में असंगत रुझान रहा क्योंकि पदक तालिका में राज्य की स्थिति 2007 में नौवीं (77 पदक), 2011 में दसवीं (70 पदक), 2015 में चौदहवीं (68 पदक) और 2022 में आठवीं (56 पदक) रही।

2.2.2 संगठनात्मक ढांचा

शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (खेल) तथा निदेशालय स्तर पर खेल निदेशक, खेल विभाग की क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन करने हेतु उत्तरदायी हैं। मंडल स्तर पर क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी तथा जनपद स्तर पर जिला क्रीड़ा अधिकारी खेल विभाग की गतिविधियों का संचालन करते हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी, लखनऊ के माध्यम से तीन स्वायत्त स्पोर्ट्स कॉलेज संचालित हैं।

2.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

खेल विभाग की गतिविधियों पर निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने हेतु की गयी कि क्या:

- राज्य में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु वातावरण तैयार करने हेतु व्यापक योजना बनाई गयी तथा खेल क्रियाकलापों का बेहतर संचालन किया गया;
- धनराशि पर्याप्त थी, समय पर जारी की गयी और उसका मितव्ययितापूर्वक, कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया;
- खेल अवस्थापना और सुविधाओं का पर्याप्त रूप से सृजन किया गया, उनका उचित रखरखाव किया गया, प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया और खिलाड़ियों हेतु खेल उपकरण पर्याप्त रूप से उपलब्ध थे;
- उदीयमान खिलाड़ियों को उनके कुशल विकास और खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने हेतु पर्याप्त प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और अन्य सहायता प्रदान की गयी; तथा
- विभाग की विभिन्न क्रियाकलापों के कार्यान्वयन पर नजर रखने हेतु निगरानी प्रणाली पर्याप्त थी।

2.2.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए:

a) भारत सरकार द्वारा निर्गत राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 और भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011;

b) भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत दिशानिर्देश, आदेश और अनुदेश; तथा

c) उत्तर प्रदेश बजट नियमावली और वित्तीय हस्त पुस्तिकाएं।

2.2.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि में अपर मुख्य सचिव खेल एवं निदेशक खेल के कार्यालयों में वर्ष 2016-22 की अवधि की खेल कियाकलापों से संबंधित अभिलेखों की जांच की गयी। 75 में से 13[1] जनपदों का चयन बिना प्रतिस्थापन के सरल यादृच्छिक प्रतिचयन नमूना पद्धति के माध्यम

[1] आगरा, अयोध्या, आज़मगढ़, बांदा, बरेली, इटावा, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, सीतापुर।

से किया गया। प्रत्येक चयनित जिले में, क्षेत्रीय/जिला क्रीड़ा अधिकारियों के कार्यालयों में अभिलेखों का अवलोकन किया गया। लेखापरीक्षा ने तीन स्वायत्त स्पोर्ट्स कॉलेज, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ, बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई, इटावा के अभिलेखों की भी जांच की। इसके अलावा, निर्मित परिसंपत्तियों और सुविधाओं का फोटोग्राफ, संयुक्त भौतिक निरीक्षण करके भी साक्ष्य एकत्र किए गए।

मानचित्र 1: चयनित नमूना जनपद और इन जनपदों में खेल कार्यालय/कालेज

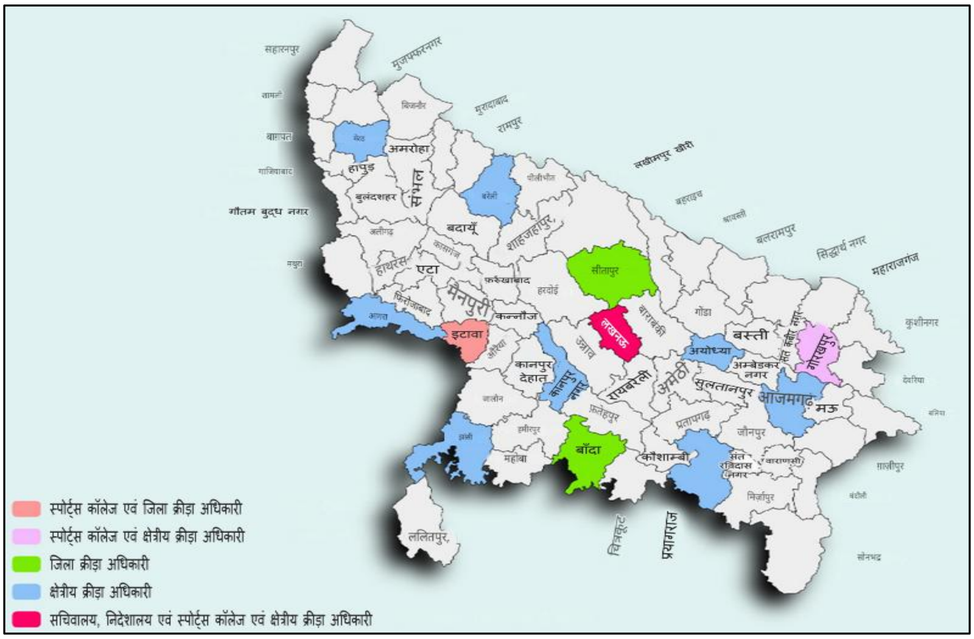

प्रारंभिक बैठक (जुलाई 2022) में प्रमुख सचिव, खेल विभाग के साथ लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड, क्षेत्र, कार्यप्रणाली आदि पर चर्चा की गयी। अपर मुख्य सचिव, खेल विभाग के साथ समापन बैठक (जुलाई 2023) में प्रतिवेदन के निष्कर्षों पर चर्चा की गयी। शासन के उत्तर (जुलाई 2023), लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर समापन बैठक के समय व्यक्त किए गए विचार और खेल निदेशालय से अगस्त 2024 तक प्राप्त अतिरिक्त सूचनाओं को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.2.6 योजना

खेल विभाग के कार्यों में बुनियादी सुविधाओं का सृजन, खेल क्रियाकलापों का संचालन, खेलों में उत्कृष्टता लाने हेतु प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों का चयन शामिल है।

2.2.6.1 खेल नीति

राज्य के युवाओं हेतु खेल संस्कृति और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के अवसरों को बढ़ावा देने हेतु राज्य हेतु खेल नीति तैयार करना और उसे अंगीकृत करना सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। खेल नीति राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिये निर्णय लेने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करती है। राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक उपायों पर मार्गदर्शन करती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि शासन ने एक खेल नीति को स्वीकृति मार्च 2023 में दी। मार्च 2023 से पहले राज्य विशिष्ट खेल नीति के अभाव में, शासन को राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 में सुझाए गए विभिन्न उपायों को लागू करने हेतु ठोस कदम उठाने चाहिए थे। यद्यपि, जैसा कि बाद के प्रस्तरों में चर्चा की गयी है, राज्य में खेलों के प्रचार और प्रसार हेतु उठाए गए कदम अधिकांशतः तदर्थ थे और राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 के लक्ष्यों और उद्देश्यों से असंगत थे।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि खेल नीति मार्च 2023 में प्रख्यापित कर दी गयी है।

तथ्य यह है कि मार्च 2023 से पहले राज्य विशिष्ट खेल नीति के अभाव में**,** शासन ने राष्ट्रीय खेल नीति**,** 2001 को लागू करने हेतु पर्याप्त उपाय नहीं किए**,** जैसा कि आगे के प्रस्तरों में चर्चा की गयी है।

2.2.6.2 खेल विधाओं को प्राथमिकता देना

राष्ट्रीय खेल नीति 2001 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु सिद्ध क्षमता, लोकप्रियता और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के आधार पर खेल विधाओं को प्राथमिकता देने और विकसित करने पर जोर देती है। विभिन्न विधाओं के विकास की योजना बनाते समय, आनुवंशिक और भौगोलिक विविधताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि संभावित क्षेत्रों में वर्तमान और उदीयमान प्रतिभाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु समय पर कदम उठाए जा सकें।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि खेल विभाग 31 खेलों[2] में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा था। यद्यपि, खेल विभाग ने खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु विकास

[2] वर्ष 2019-20 में खेल विभाग ने 32 खेलों में शिविर आयोजित किए।

हेतु खेल विधाओं को प्राथमिकता नहीं दी जैसा कि राष्ट्रीय खेल नीति में उल्लिखित है।

2.2.6.3 खेल अवस्थापना की स्थापना हेतु योजना

राज्य में खेल अवस्थापनाओं की उपलब्धता का कोई व्यापक मूल्यांकन नहीं किया गया, ताकि पर्याप्तता और क्षेत्रीय असंतुलन का पता लगाया जा सके। परिणामस्वरूप, राज्य में खेल अवस्थापनाओं का निर्माण व्यापक स्तर पर नहीं हुआ। खेल सुविधाओं की उपलब्धता के विश्लेषण से पता चला कि 75 जनपदों के सापेक्ष खेल स्टेडियम और बहुउद्देशीय हॉल क्रमशः 70 और 65 जनपदों में उपलब्ध थे, अन्य विशिष्ट खेल सुविधाएँ[3] केवल कुछ जनपदों में उपलब्ध थीं, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.2.1*** में विस्तृत रूप से वर्णित है। पाँच जनपदों[4] में खेल स्टेडियम और बहुउद्देशीय हॉल जैसी कोई खेल सुविधा उपलब्ध नहीं थी। खेल अवस्थापनाओं की जनपदवार उपलब्धता निम्नलिखित मानचित्र में दर्शायी गयी है:

मानचित्र 2: खेल विभाग के स्वामित्व वाली खेल अवस्थापनाएँ

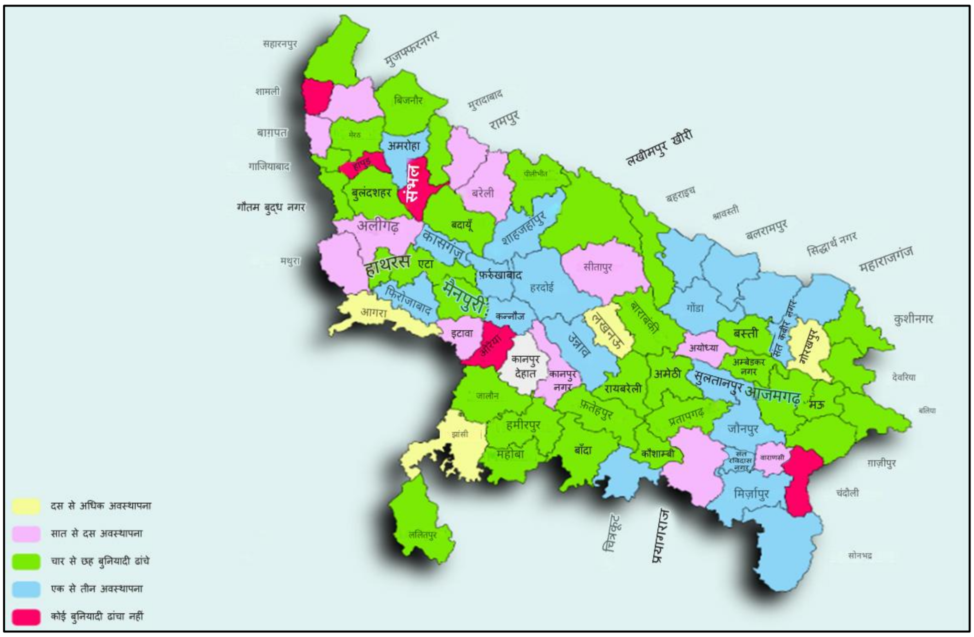

जैसा कि ऊपर दर्शाए गए मानचित्र से स्पष्ट है, विभिन्न खेलों हेतु जनपदों में उपलब्ध खेल सुविधाओं में काफी भिन्नता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि खेल सुविधाओं का निर्माण जनपदवार आवश्यकताओं का आकलन किए बिना किया गया था।

---

3 तरणताल, जूडो/जिमनेजिम हॉल, भारोत्तोलन हॉल, एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान, खेल परिसर, इनडोर वॉलीबॉल हॉल, सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, छात्रावास, खेल छात्रावास और खेल कॉलेज।

4 औरैया, चंदौली, हापुड, संभल और शामली।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि नई खेल नीति में नीतिगत ढांचे, खेल विधाओं की प्राथमिकता और बजटीय संसाधनों के अनुपातिक वितरण से संबंधित समस्याओं का समाधान किया गया है। समापन बैठक (जुलाई 2023) में शासन ने बताया कि मार्च 2023 में खेल नीति लागू कर दी गयी है और खेल विधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। शासन ने अग्रत्तेर बताया (जुलाई 2023) कि जनपदों से प्राप्त प्रस्ताव, उच्च अधिकारियों के निर्देशों और बजट की उपलब्धता के आधार पर जनपदों में खेल अवस्थापनाओं का निर्माण किया गया। बिना खेल अवस्थापना वाले पांच जनपदों में से, शामली हेतु वर्ष 2022-23 में स्टेडियम के निर्माण को स्वीकृति दे दी गयी है और अन्य चार जनपदों में भूमि उपलब्ध करा दी गयी है।

शासन का उत्तर इस बात पर ज़ोर देता है कि खेल अवस्थापनाओं का निर्माण प्रत्येक जनपद में उपलब्ध खेल अवस्थापनाओं और उनकी अपर्याप्तताओं के आधारभूत सर्वेक्षण के आधार पर व्यापक मूल्यांकन के स्थान पर मांग-आधारित रहा।

2.2.6.4 खेल अवस्थापना कार्यों की स्वीकृति में विलम्ब

मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2016-22 की अवधि में नौ खेल अवस्थापनाओं के निर्माण/उच्चीकरण कार्यों से संबंधित घोषणाएं कीं गयी, जिनका विवरण **तालिका-1** में दिया गया है।

तालिका 1: मुख्यमंत्री घोषणाओं द्वारा वर्ष 2016-22 की अवधि में शामिल खेल अवस्थापनाओं के कार्यों की स्थिति का विवरण

क्रम सं.	घोषणा का विवरण	घोषणा की तिथि	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	स्वीकृति की तिथि	निर्गत की गयी राशि (₹ करोड़ में)	प्रारंभ की तिथि	पूर्ण होने की नियत तिथि (पूर्ण होने की संशोधित तिथि)	मार्च 2023 तक भौतिक प्रगति *(प्रतिशत में)*	घोषणा की तिथि के सापेक्ष स्वीकृति में विलम्ब (महीनों में)
01	कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में लिफ्ट का निर्माण	23/09/2016	अक्टूबर 2023 तक इस कार्य हेतु कोई धनराशि निर्गत नहीं की गयी है ।						
02	गोरखपुर के जंगल कौड़िया विकास खंड में स्टेडियम का निर्माण	29/01/2018	10.73	सितंबर 2019	10.73	सितंबर 2019	दिसंबर 2020 (दिसंबर 2021)	100	19

क्रम सं.	घोषणा का विवरण	घोषणा की तिथि	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	स्वीकृति की तिथि	निर्गत की गयी राशि (₹ करोड़ में)	प्रारंभ की तिथि	पूर्ण होने की नियत तिथि (पूर्ण होने की संशोधित तिथि)	मार्च 2023 तक भौतिक प्रगति *(प्रतिशत में)*	घोषणा की तिथि के सापेक्ष स्वीकृति में विलम्ब (महीनों में)
03	अमेठी में स्टेडियम का उच्चीकरण	14/08/2018	4.93	जून 2019	4.93	सितम्बर 2019	मार्च 2021 (दिसंबर 2021)	100	09
04	फर्रुखाबाद में स्टेडियम का उच्चीकरण	14/08/2018	5.70	अगस्त 2019	5.70	अक्टूबर 2019	सितंबर 2020 (मई 2022)	100	11
05	औरैया में स्टेडियम का निर्माण	14/08/2018	6.51	नवंबर 2019	6.51	जनवरी 2020	अक्टूबर 2023	90	14
06	गोंडा के नंदिनी नगर में इनडोर स्टेडियम का निर्माण	30/11/2018	निरस्त						
07	वाराणसी में शूटिंग रेंज का निर्माण	21/02/2019	5.04	जनवरी 2021	5.04	जुलाई 2021	अगस्त 2023	100	22
08	मेरठ में शूटिंग रेंज का आधुनिकीकरण	21/02/2019	8.65	जुलाई 2021	8.65	जुलाई 2021	दिसंबर 2023	88	28
09	लखनऊ में कुश्ती अकादमी	19/08/2021	अक्टूबर 2023 तक कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।						
योग			**41.56**		**41.56**				

(स्रोत: खेल निदेशालय)

जैसा कि तालिका 1 में विस्तृत रूप से बताया गया है, जून 2019 से जुलाई 2021 की अवधि में छह कार्यों की स्वीकृति उनकी घोषणा के नौ से 28 माह विलम्ब से दी गयी थी। इनमें से चार कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण हो गए। यद्यपि, दो कार्यों हेतु अभी भी धनराशि निर्गत की जानी थी और एक कार्य घोषणा के बाद निरस्त कर दिया गया था। परियोजनाओं को स्वीकृति देने में विलम्ब विभाग की ओर से योजना की कमी का संकेत थी।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि विभाग द्वारा कोई विलम्ब नहीं किया गया। अग्रेत्तर बताया गया कि घोषणा के क्रियान्वयन हेतु शासन स्तर पर कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था से प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद कार्यों हेतु स्वीकृति जारी की गयी। यद्यपि समापन बैठक (जुलाई 2023) में शासन ने कार्यों की स्वीकृति में

विलम्ब को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि भविष्य में कार्यों की किसी भी घोषणा से पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट बनायी जायेगी।

2.2.7 बजट आवंटन और व्यय

राज्य में खेल क्रियाकलापों पर वर्ष 2016-22 की अवधि में बजट आबंटन और व्यय **तालिका 2** में दिया गया है।

तालिका 2: खेल विभाग हेतु 2016-22 की अवधि में बजट प्रावधान और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट			व्यय			बजट के सापेक्ष बचत और उसका प्रतिशत		
	राजस्व	पूंजीगत	योग	राजस्व	पूंजीगत	योग	राजस्व (*प्रतिशत*)	पूंजीगत (*प्रतिशत*)	योग (*प्रतिशत*)
2016-17	100.31	447.21	547.52	97.81	413.43	511.24	2.50 (2)	33.78 (8)	36.28 (7)
2017-18	92.31	132.27	224.58	89.47	82.27	171.74	2.84 (3)	50.00 (38)	52.84 (24)
2018-19	119.51	76.77	196.28	97.88	57.97	155.85	21.63 (18)	18.80 (24)	40.43 (21)
2019-20	126.56	79.25	205.81	91.01	62.88	153.89	35.55 (28)	16.37 (21)	51.92 (25)
2020-21	132.99	83.11	216.10	59.19	61.47	120.66	73.80 (55)	21.64 (26)	95.44 (44)
2021-22	165.45	99.30	264.75	147.60	51.30	198.90	17.85 (11)	48.00 (48)	65.85 (25)
योग	**737.13**	**917.91**	**1655.04**	**582.96**	**729.32**	**1312.28**			

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

लेखापरीक्षा ने पाया कि खेल विभाग ने व्यय के सापेक्ष 98 से 315 प्रतिशत तक अधिक बजट मांग प्रस्तुत की, जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.2.2*** में दिया गया है। यद्यपि, जैसा कि **तालिका-2** में उल्लेख किया गया है, आवंटित धन का भी उपयोग नहीं किया जा सका। वर्ष 2016-21 की अवधि में खेल क्रियाकलापों पर व्यय ₹ 511.24 करोड़ से घटकर ₹ 120.66 करोड़ हो गया, परन्तु वर्ष 2021-22 में यह बढ़कर ₹ 198.90 करोड़ हो गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2016-17 की अवधि में अधिक व्यय मुख्य रूप से सैफई, इटावा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण पर ₹ 273.35 करोड़ के व्यय के कारण हुआ था।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि खेल विभाग ने अधिक बजट मांग नहीं की हैं, बजट मांग स्वीकृत कार्यों हेतु धन की आवश्यकता पर आधारित थीं। यद्यपि, समापन बैठक में शासन ने बताया कि भविष्य में अनुमानित व्यय के सापेक्ष वास्तविकता के आधार पर बजट की मांग की जाएगी।

2.2.8 खेल अवस्थापना

2.2.8.1 खेल अवस्थापना का विकास

विभाग के उत्तरदायित्वों में से एक विभिन्न खेल विधाओं हेतु खेल अवस्थापनाओं का विकास करना है। खेल अवस्थापना की सुविधाएं प्रदान करने/बढ़ाने हेतु विभाग ने वर्ष 2016-22 की अवधि में 56 कार्यों को क्रियान्वित किया, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.2.3*** में वर्णित है। इन 56 कार्यों में से 44 कार्य वर्ष 2016-22 की अवधि में स्वीकृत किए गए, जैसा कि **तालिका 3** में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 3: वर्ष 2016-22 की अवधि में स्वीकृत खेल अवस्थापनाएँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	स्वीकृत कार्यों की संख्या	स्वीकृत/ संशोधित लागत	निर्गत की गयी धनराशि	मार्च 2023 तक पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या
2016-17	07	71.80	71.78	07
2017-18	05	24.31	24.31	04
2018-19	12	38.00	38.00	12
2019-20	12	57.70	54.93	07
2020-21	06	24.41	14.53	04
2021-22	02	10.15	9.72	शून्य
कुल योग	**44**	**226.37**	**213.27**	**34**

(स्रोत: खेल निदेशालय)

जैसा कि तालिका 3 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है, वर्ष 2016-22 की अवधि में स्वीकृत 44 कार्यों में से मात्र 34 कार्य (अनुमानित लागत ₹ 169.47 करोड़) ही ₹168.61 करोड़ का व्यय करते हुए मार्च 2023 तक पूर्ण किए जा सके। शेष 10 कार्य (अनुमानित लागत ₹ 56.90 करोड़) मार्च 2023 तक पूर्ण नहीं हुए, यद्यपि, नौ कार्यों के संदर्भ में, पूर्ण होने की निर्धारित तिथि नौ से 45 माह पूर्व में ही समाप्त हो चुकी थी जबकि एक कार्य (वर्ष 2020-21 में स्वीकृत) के संदर्भ में, निर्धारित पूर्णता तिथि अप्रैल 2023 थी जैसा कि ***परिशिष्ट 2.2.3*** में वर्णित है। निदेशालय ने कार्यों के पूर्ण होने में विलम्ब का कारण नहीं बताया।

खेल विभाग ने वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि में 12 अन्य खेल अवस्थापना कार्यों को भी क्रियान्वित किया, जिन्हें वर्ष 2016-17 से पूर्व स्वीकृत किया गया था। इन 12 कार्यों में से, ₹ 440.35 करोड़ की लागत वाले चार कार्य अपूर्ण थे, जिनमें ₹ 244.40 करोड़ व्यय करने के पश्चात

भी भौतिक प्रगति 30 से 96 प्रतिशत ही थी। इन कार्यों में विलम्ब की अवधि प्रारंभिक निर्धारित समाप्ति तिथि से तीन वर्ष से 13 वर्ष तक थी, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.2.3*** में विस्तृत रूप से वर्णित है।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि कार्यों में विलम्ब प्रक्रियागत और परिस्थितिजन्य था। यद्यपि, समापन बैठक में शासन ने कार्य पूर्ण होने में विलम्ब की बात स्वीकार की और कहा कि कार्य शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किए जाएंगे।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि बिलम्ब के परिणामस्वरूप कार्य की लागत में वृद्धि हुयी। वर्ष 2016-22 की अवधि में निष्पादित 56 कार्यों में से 14 कार्यों के सन्दर्भ में जिनमें 9 से 165 महीने का बिलम्ब था, की लागत में ₹ 308.83 करोड़ की वृद्धि हुयी।

लेखापरीक्षा में खेल अवस्थापना से संबंधित कार्यों के निष्पादन में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं:

2.2.8.2 प्रतिस्पर्धी बोली के बिना कार्यों का आवंटन

शासनादेश (फरवरी 2013) में लोक निर्माण विभाग और शासन के अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सहित कार्यदायी संस्थाओं की एक सूची दी गयी है, ताकि इन कार्यदायी संस्थाओं को विभिन्न शासकीय कार्यों का आवंटन किया जा सके। अग्रत्तेर नामांकन के साथ-साथ प्रशासनिक विभाग के पास कार्य देने हेतु शासकीय संस्थाओं के मध्य सीमित निविदा प्रक्रिया को अपनाने का विकल्प भी उपलब्ध था। इसके अतिरिक्त, शासनादेश (सितंबर 2013) के अनुसार खेल विभाग के निर्माण कार्यों हेतु, कार्यदायी संस्थाओं के चयन हेतु कम से कम तीन कार्यदायी संस्थाओं से प्राक्कलन प्राप्त किए जाने थे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन सी कार्यदायी संस्था कम लागत पर निर्माण कार्य करेगी।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि खेल विभाग ने वर्ष 2016-22 की अवधि में 44 कार्यों (अनुमानित लागत: ₹ 209.72 करोड़) के सन्दर्भ में उचित दरों को सुनिश्चित करने हेतु कम से कम तीन कार्यदायी संस्थाओं से प्राक्कलन प्राप्त किए बिना ही कार्यदायी संस्थाओं[5] को नामित किया।

---

[5] उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (11 कार्य); उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड (छह कार्य); कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम (एक कार्य); उत्तर प्रदेश निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (20 कार्य) और उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड (छह कार्य)।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि विभाग द्वारा नामित कार्यदायी संस्थाएँ ई-निविदा के माध्यम से आवंटित कार्य निष्पादित कर रही थीं, इसलिए प्रतिस्पर्धा थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि कम से कम तीन कार्यदायी संस्थाओं से प्राक्कलन प्राप्त किए बिना कार्यदायी संस्थाओं का नामांकन करना शासनादेश (सितंबर 2013) का उल्लंघन था।

2.2.8.3 कार्यदायी संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली के प्रस्तर 212(vii)(4) में प्रावधान है कि विभाग को कार्य प्रारंभ करने से पूर्व कार्यदायी संस्था के साथ अनुबंध/समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित करना चाहिए। कार्यदायी संस्था को त्रुटि/कार्य के समय पर निष्पादन न करने हेतु उत्तरदायी ठहराने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि खेल विभाग ने उपरोक्त प्रावधान का पालन नहीं किया तथा कार्यदायी संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए बिना ही कार्य प्रारंभ करा दिया तथा धनराशि अवमुक्त कर दी गयी।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में स्वीकार किया कि कार्यदायी संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित नहीं किया गया। आगे शासन ने बताया कि भविष्य में समझौता ज्ञापन निष्पादित किया जाएगा। खेल निदेशालय ने बताया (सितंबर 2023) कि वर्ष 2016-22 की अवधि में स्वीकृत कार्यों के पूर्ण होने में विलम्ब के कारण परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति कार्यदायी संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापनों के अभाव में नहीं लगाई जा सकी।

इस प्रकार, खेल विभाग समझौता ज्ञापन के अभाव के कारण खेल अवस्थापना के निर्माण में विलम्ब के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति लगाने के अधिकार से वंचित रह गया।

2.2.8.4 अवस्थापनाओं के निर्माण पर निष्फल व्यय

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली के प्रस्तर 212(i) में प्रावधान है कि परियोजना की तैयारी प्रशासनिक विभाग द्वारा व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार करने के साथ प्रारंभ होनी चाहिए। परियोजना की अवधारणा और रचना में हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उनके साथ परामर्श किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित खेल अवस्थापना के निर्माण पर निष्फल व्यय पाया गया:

(i) सैफई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम

शासन ने सैफई में विशिष्ट खेल परिसर के निर्माण हेतु ₹ 74.95 करोड़ की स्वीकृति (जनवरी 2006) दी, जिसमें ₹ 21.05[6] करोड़ की लागत से एक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण भी शामिल था। इसके अतिरिक्त, शासन ने मैदान की घास और पिच तैयार करने हेतु ₹ 0.50 करोड़ स्वीकृत (मार्च 2008) किया। यह कार्य फरवरी 2007 तक पूर्ण होना था। यद्यपि, स्टेडियम का 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने के पश्चात्, अधोमानक कंक्रीट और स्टील के सुदृढ़ीकरण के कारण पवेलियन के आठ पैनल गिर गए (फरवरी 2007), जैसा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट (अप्रैल 2007) में पाया गया। शासन ने कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को निर्माण कार्य को ध्वस्त करने और खेल विभाग के संबंधित लेखाशीर्ष में ₹ 21.55 करोड़ जमा करने का निर्देश (मई 2014) दिया। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने शासन के खाते में ₹ 21.55 करोड़ जमा (जून 2014) कर दिया। इसके पश्चात् क्रिकेट की उच्च स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सैफई खेल संकुल में जिसे भविष्य में खेल विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जा सके, शासन ने ₹ 260.30 करोड़ की लागत से 40,000 दर्शकों की क्षमता वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की परियोजना को स्वीकृति (अगस्त 2015) दी। विभाग ने अगस्त 2015 से अप्रैल 2016 अवधि में कार्यदायी संस्था को ₹163.73 करोड़ अवमुक्त किए। कार्य के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन और कार्य की लागत में वृद्धि के कारण परियोजना लागत को बाद में संशोधित (मई 2016) कर ₹ 346.57 करोड़ कर दिया गया। यद्यपि, निदेशालय के पास कोई भी व्यवहार्यता प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं था, जिस पर विचार करते हुए स्टेडियम का निर्माण किया गया।

सैफई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण ₹ 347.05 करोड़ की लागत से किया गया था और उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने जून 2020[7] तक स्टेडियम का निर्माण पूर्ण कर लिया था। यद्यपि, स्टेडियम के निर्माण के दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी, सितंबर 2022 तक स्टेडियम में किसी भी स्तर का कोई क्रिकेट मैच आयोजित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के आयोजन हेतु

---

6 सिविल कार्य ₹12.13 करोड़ और यांत्रिक कार्य ₹ 8.92 करोड़।

7 इटावा के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गठित समिति ने कार्य को संतोषजनक पाते हुए स्टेडियम को हस्तगत करने की संस्तुति (जून 2020) की थी। यद्यपि, निदेशालय ने लेखापरीक्षा को हस्तगत होने की तिथि उपलब्ध नहीं करायी।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड/उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ के साथ कोई अनुबंध/समझौता ज्ञापन निष्पादित नहीं किया गया था। स्टेडियम में मैदान का उपयोग कॉलेज के क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा किया जा रहा था, यद्यपि, अंतरराष्ट्रीय स्तर की अन्य उच्च स्तर की सुविधाएं जैसे कि दर्शकदीर्घा, मीडिया और टीवी प्रोडक्शन रूम, विभिन्न प्रकार की उत्कृष्ट सुविधाएं, लिफ्ट आदि अप्रयुक्त थीं और उन पर किया गया व्यय निष्फल हो गया।

फोटो 1: सैफई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य वर्ष 2016-17 में प्रारम्भ किया गया था और वर्ष 2021-22 में इसे कॉलेज को सौंप दिया गया। साथ ही, मैदान का उपयोग कॉलेज के क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा किया जा रहा है।

उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि सैफई स्पोर्ट्स कॉलेज के छात्रों के अभ्यास हेतु सैफई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उपयोग करना, दर्शकदीर्घा, मीडिया और टीवी प्रोडक्शन रूम के साथ 40,000 बैठने की क्षमता वाले स्टेडियम के निर्माण को उचित नहीं ठहराता। अग्रेतर, जैसा कि निदेशालय द्वारा स्वीकार (अक्टूबर 2023) किया गया है, कि स्पोर्ट्स कॉलेज को छात्रों को केवल एक मानक खेल का मैदान, जैसे अभ्यास पिच आदि प्रदान करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, ₹ 347.05 करोड़ की लागत से इस खेल अवस्थापना के निर्माण को उचित ठहराने वाले किसी भी व्यवहार्यता अध्ययन

का अभाव था और शासन द्वारा स्टेडियम को अभीष्ट उद्देश्य हेतु उपयोग करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

(ii) मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कॉलेज, सैफई में तरणताल

खेल विभाग ने मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कॉलेज में ₹ 207.96 करोड़ की लागत से अंतरराष्ट्रीय मानक के समस्त मौसम के अनुकूल तरणताल का निर्माण[8] किया, जिसे कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने जनवरी 2020 में हस्तगत करा दिया। तरणताल परिसर में तीन तरणताल[9], दर्शक दीर्घा, पत्रकार दीर्घा आदि शामिल थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कॉलेज तरणताल में विद्युत् आपूर्ति हेतु 33 केवीए विद्युत संयोजन (जनवरी 2019) स्थापित किया गया। तरणताल के निर्माण की अवधि में, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने विद्युत् का उपयोग किया, लेकिन ₹ 1.25 करोड़ के विद्युत् बिल का भुगतान नहीं किया गया। परिणामस्वरुप, विद्युत् वितरण कंपनी दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने कार्यदायी संस्था द्वारा तरणताल को हस्तगत किये जाने से पूर्व ही विद्युत संयोजन विच्छेदित (सितंबर 2019) कर दिया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं वाला तरणताल कभी भी क्रियाशील नहीं था। तीन तरणताल में से, अभ्यास और मुख्य तरणताल का उपयोग वर्ष 2020-22 की अवधि में कक्षा सात से बारह[10] के प्रशिक्षु खिलाड़ियों द्वारा किया गया था, जबकि डाइविंग तरणताल का कभी उपयोग नहीं किया गया था। विद्युत संयोजन के अभाव में, तरणताल में स्थापित मशीनरी/उपकरण का उपयोग नहीं किया जा रहा था, जिससे कॉलेज में नामांकित छात्रों के प्रशिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त, दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने (सितंबर 2022) के बाद भी अंतरराष्ट्रीय तरणताल में किसी भी स्तर की कोई प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिता आयोजित नहीं की गयी।

---

8 शासन द्वारा दिसंबर 2012 में तरणताल के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

9 अभ्यास तरणताल 18.00X25.00 मीटर (1.50 मीटर गहराई), मुख्य तरणताल 50.00X25.00 मीटर (2.00 मीटर गहराई) और डाइविंग तरणताल 25.00X25.00 मीटर (5.00 मीटर गहराई)।

10 वर्ष 2020-21 (19 प्रशिक्षु) और वर्ष 2021-22 (17 प्रशिक्षु)।

फोटो 2: सैफई खेल परिसर में अंतरराष्ट्रीय तरणताल

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि स्पोर्ट्स कॉलेज के खिलाडियों के अभ्यास हेतु एक तरणताल में विद्युत संयोजन उपलब्ध करा दिया गया है। स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रधानाचार्य को विद्युत बिल की देयता का आकलन करने के निर्देश (जुलाई 2023) जारी कर दिए गए हैं तथा बजट की उपलब्धता के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

शासन का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि तरणताल के संयुक्त भौतिक सत्यापन (सितंबर 2023) में पाया गया कि किसी भी तरणताल में विद्युत संयोजन नहीं था। तरणताल परिक्षेत्र के बाहर स्थापित पंप का उपयोग करके अभ्यास तरणताल और मुख्य तरणताल में पानी भरा और निकाला जा रहा था। लेखापरीक्षा ने अग्रेतर पाया कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने लंबित विद्युत बिल हेतु ₹ 18.00 करोड़ की मांग (जून 2024) की थी, जिसका भुगतान किया जाना अवशेष है। इसके अतिरिक्त, डाइविंग तरणताल का उपयोग नहीं किया गया था, विद्युत संयोजन की कमी के कारण पूल में स्थापित मशीनरी का उपयोग नहीं किया गया था और तरणताल हस्तगत होने के बावजूत कोई अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय टूर्नामेंट आयोजित नहीं किया गया था। इस प्रकार, तरणताल का वांछित से कम उपयोग किया जाना ₹ 207.96 करोड़ की लागत से इस खेल अवस्थापना के निर्माण पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है।

(iii) लखनऊ में निर्माणाधीन वेलोड्रोम स्टेडियम

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली[11] में यह प्रावधान है कि वृहद्, लाभार्थी-उन्मुख परियोजनाओं के सन्दर्भ में आधारभूत सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक है। परियोजना के प्रत्येक प्रदाय योग्य/उत्पादन हेतु सफलता मानदंड भी मापने योग्य शर्तों में निर्दिष्ट किए जाने चाहिए ताकि निकटतम लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि का आकलन किया जा सके।

शासन ने गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ में ₹ 167.94[12] करोड़ की लागत से वेलोड्रोम स्टेडियम के निर्माण हेतु एक परियोजना स्वीकृत की (फरवरी 2015) तथा कार्यदायी संस्था (उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम) को उपलब्ध कराने हेतु ₹ पांच करोड़ अवमुक्त (फरवरी 2015) किया। वेलोड्रोम स्टेडियम का निर्माण उद्दीयमान साइकिलिस्ट खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रस्तावित (अप्रैल 2013 और अक्टूबर 2014) किया गया ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले सकें और राज्य का नाम रोशन कर सकें। राष्ट्रीय खेल वर्ष 2015-16 के आयोजन के शासन के निर्णय की दृष्टि में भी वेलोड्रोम स्टेडियम का प्रस्ताव रखा गया था। इस परियोजना को जून 2015 में प्रारम्भ करके मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना था। यद्यपि, कार्य दिसंबर 2015 में प्रारम्भ हुआ। इसके पश्चात, विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर कार्य के कार्यक्षेत्र[13] में परिवर्तन कर परियोजना को संशोधित कर (जुलाई 2021) ₹ 158.97 करोड़ कर दिया गया।

अग्रेतर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने वर्ष 2021-22 तक अवमुक्त ₹ 60.00 करोड़[14] के सापेक्ष जनवरी 2023 तक ₹ 51.56 करोड़[15] व्यय किया। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के प्रतिवेदन (जनवरी 2023) के अनुसार शासन ने इस आधार पर कार्य रोक दिया था कि राज्य में साइकिल चालकों की संख्या बहुत कम थी और वे नोएडा और दिल्ली में प्रशिक्षण ले रहे थे, इसे देखते हुए, वेलोड्रोम को इनडोर

[11] उत्तर प्रदेश बजट नियमावली का अनुलग्नक ए, पैरा (xv)।

[12] सिविल कार्य ₹ 113.09 करोड़ और विद्युत कार्य ₹ 54.85 करोड़।

[13] बैठने की व्यवस्था में संशोधन, पूर्ण रूप से ढके हुए वेलोड्रोम के स्थान पर अर्ध-ढका हुआ वेलोड्रोम, छत की विशिष्टता में संशोधन, एयर कंडीशनिंग कवरेज में संशोधन, सिविल कार्य में संशोधन, अर्थात, पाईल का कार्य, पार्किंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), आदि।

[14] वर्ष 2014-15 में ₹ 5.00 करोड़, वर्ष 2017-18 में ₹ 15.00 करोड़, वर्ष 2018-19 में ₹ 10.00 करोड़, वर्ष 2019-20 में ₹ 10.00 करोड़, वर्ष 2020-21 में ₹ 10.00 करोड़ और वर्ष 2021-22 में ₹ 10.00 करोड़।

[15] वर्ष 2015-16 में ₹ 0.52 करोड़, वर्ष 2016-17 में ₹ 4.11 करोड़, वर्ष 2017-18 में ₹ 0.0009 करोड़, वर्ष 2018-19 में ₹ 13.02 करोड़, वर्ष 2019-20 में ₹ 5.06 करोड़, वर्ष 2020-21 में ₹ 2.96 करोड़, वर्ष 2021-22 में ₹ 4.66 करोड़ और वर्ष 2022-23 में ₹ 9.73 करोड़।

सिंथेटिक ट्रैक के रूप में उपयोग करने हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम से संशोधित अनुमान की मांग की गयी थी। वेलोड्रोम कार्यक्षेत्र में किए गए परिवर्तन यह दर्शाते हैं कि परियोजना को वेलोड्रोम स्टेडियम की आवश्यकता का आकलन करने हेतु आधारभूत सर्वेक्षण किए बिना ही प्रारम्भ किया गया था। इसके अतिरिक्त, शासन द्वारा कार्य के कार्यक्षेत्र में बीच में बदलाव के कारण कार्य पर किया गया ₹ 51.56 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

फोटो 3: वेलोड्रोम के निर्माण कार्य की स्थिति

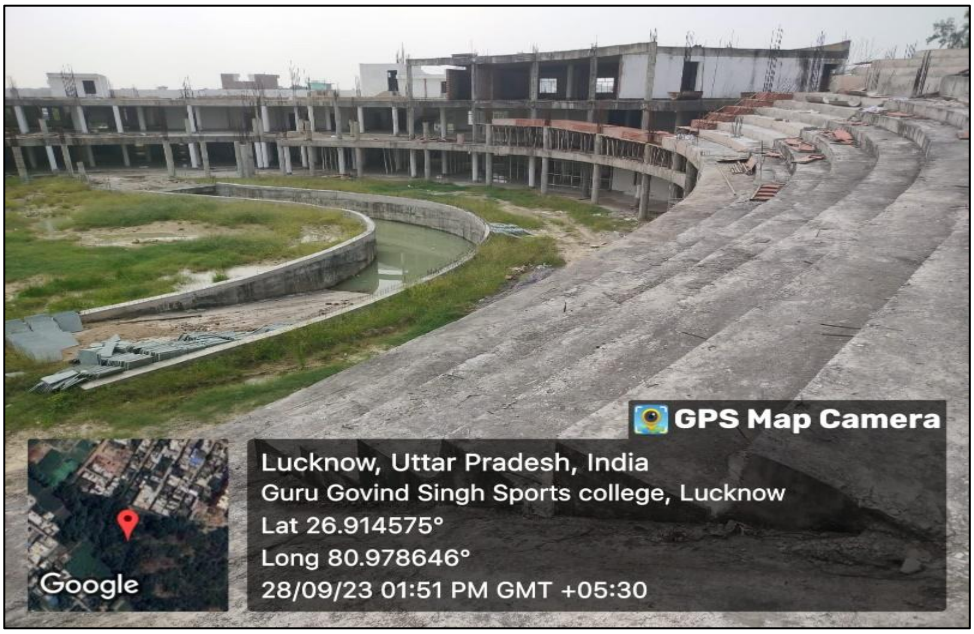

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि वेलोड्रोम का निर्माण कार्य फरवरी 2015 में स्वीकृत हुआ था और 2016-17 में बन्द कर दिया गया था। शासन की स्वीकृत से कार्य पुनः प्रारम्भ किया गया।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि संयुक्त भौतिक सत्यापन (सितंबर 2023) से ज्ञात हुआ कि वेलोड्रोम का कार्य रोक दिया गया था और कार्यदायी संस्था ने संरचना को इनडोर सिंथेटिक ट्रैक के रूप में उपयोग करने हेतु एक विस्तृत अनुमान प्रस्तुत किया था। इसके अतिरिक्त, शासन वेलोड्रोम स्टेडियम के कार्य के कार्यक्षेत्र में लगातार हो रहे परिवर्तन पर कोई उत्तर नहीं दिया।

2.2.8.5 अवस्थापनाओं का अनुरक्षण और उपयोग

खेलों को बढ़ावा देने हेतु निर्मित अवस्थापनाओं का अनुरक्षण और उचित उपयोग एक महत्वपूर्ण घटक है। लेखापरीक्षा ने राज्य में समग्र खेल सुविधाओं के अनुरक्षण और उपयोग से संबंधित अभिलेखों की जांच की। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गयी है:

(i) निर्मित अवस्थापनाओं की मरम्मत और अनुरक्षण हेतु नीति

उत्तर प्रदेश की व्यय वित्त समिति ने खेल विभाग को राज्य में स्थापित किए जा रहे विभिन्न प्रकार के क्रीड़ागनों और अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसरों के अनुरक्षण और अनुरक्षण हेतु आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था करने हेतु एक राज्य नीति तैयार करने का निर्देश (फरवरी 2016) दिया था। यह अपेक्षा की गयी थी कि राज्य नीति राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल अवस्थापनाओं के उचित रखरखाव/मरम्मत को सक्षम बनाएगी जो राज्य में खिलाड़ियों को दीर्घकालिक लाभ प्रदान करेगी।

यद्यपि, लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2023) कि खेल विभाग ने निर्मित अवस्थापनाओं की मरम्मत और अनुरक्षण के संबंध में कोई नीति नहीं बनाई।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि विभिन्न जनपदों में निर्मित खेल अवस्थापनाओं का अनुरक्षण जनपदों से प्राप्त अनुरक्षण के प्रस्तावों और बजट की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में किया गया था। समापन बैठक में, शासन ने निर्मित अवस्थापनाओं की मरम्मत और अनुरक्षण हेतु नीति की कमी के सम्बन्ध में तथ्य को स्वीकार किया और अग्रेतर बताया कि चूंकि धन की कमी है, इसलिए अनुरक्षण एक मुद्दा बना हुआ है।

(ii) परिसंपत्ति पंजिका का रखरखाव न करना

वित्तीय हस्त पुस्तिका[16] में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार भूमि और विभागीय भवनों का पंजिका निर्धारित प्रारूप[17] में बनाए रखने का प्रावधान है। स्थानीय अधिकारी इन अभिलेखों को अद्यतन रखने हेतु उत्तरदायी है, और वर्ष में एक बार यह प्रमाणित करता है कि उसके अधीन भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किए गए 13 क्षेत्रीय/जिला क्रीड़ा अधिकारियों में से 10[18] ने निर्धारित प्रपत्रों में संपत्ति पंजिका नहीं बनायी थी और संपत्ति के भौतिक सत्यापन के संबंध में प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था। नमूना जांच किए गए जनपदों में भूमि और खेल अवस्थापना का विवरण एक पंजिका में अंकित किया गया था। यद्यपि, शेष तीन जनपदों[19] में

[16] वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड-V, भाग-I-नियम 265 और 266।

[17] वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड-V में फॉर्म 26 से 28।

[18] आगरा, अयोध्या, आज़मगढ़, बांदा, बरेली, झाँसी, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, सीतापुर।

[19] इटावा, गोरखपुर और कानपुर।

पंजिकायें भी नहीं बनायी गयी थी। लेखापरीक्षा ने अग्रेतर निम्नलिखित पाया:

- जनपद झांसी में, 21 एकड़ भूमि जो मार्च 1991 में खेल विभाग को हस्तांतरित की गयी थी, प्रथम बार मार्च 2006 में अतिक्रमित पाई गयी थी। सितंबर 2022 तक अतिक्रमित भूमि का मूल्य ₹ 42.49[20] करोड़ था।

अग्रेतर लेखापरीक्षा ने पाया कि झांसी के जिलाधिकारी ने खेल विभाग को सूचित (अगस्त 2010) किया कि वर्ष 2002-05 की अवधि में जनपद में तैनात दो क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारियों ने भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की और इसलिए, जिलाधिकारी ने खेल विभाग से इन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त, दिसंबर 2007 और सितंबर 2017 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गये थे। यद्यपि, न तो भूमि खाली कराई जा सकी और न ही अक्टूबर 2022 तक अतिक्रमणकारियों और उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी।

- उप-विभागीय मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार, *बख्शी का तालाब, लखनऊ* ने जनवरी 2015 में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ के प्रधानाचार्य को सूचित किया कि कॉलेज की 27,000 वर्ग गज भूमि पर भू-माफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। कॉलेज प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि अतिक्रमित भूमि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की है। अतिक्रमित भूमि की कीमत ₹17.22 करोड़[21] थी। कॉलेज प्रशासन ने अतिक्रमित भूमि को खाली करवाने हेतु गंभीर प्रयास नहीं किए, यहाँ तक की उसने अतिक्रमण करने वाले के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करायी (अगस्त 2022)।

- जनपद इटावा में, जुलाई 2022 से स्टेडियम परिसर में एक निजी कुश्ती अकादमी संचालित थी। जिला क्रीडा अधिकारी ने बताया (सितंबर 2022) कि अकादमी जनपद के तत्कालीन क्रीड़ा अधिकारी के मौखिक आदेश पर संचालित थी।

- लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मेट्रो स्टेशन और उसके प्रवेश/निकास के निर्माण हेतु केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ की

---

[20] सर्कल रेट (सितंबर 2022) ₹ 5,000 प्रति वर्ग मीटर के आधार पर गणना की गयी।

[21] दिसंबर 2015 की मूल्यांकन सूची के अनुसार दर: ₹ 7,700/- वर्ग मीटर। कुल अतिक्रमित भूमि 27,000 वर्ग मीटर, यानि 22,358.70 वर्ग मीटर। अतिक्रमित भूमि की कुल कीमत 22358.70 x ₹ 7,700= ₹ 17.22 करोड़।

258.48 वर्ग मीटर भूमि (फरवरी 2017) अधिग्रहीत की। यद्यपि, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, लखनऊ ने लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्रदान की गयी 258.48 वर्ग मीटर भूमि के क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ 2.40[22] करोड़ की मांग नहीं की।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि अवस्थापना के संबंध में समेकित जानकारी विभाग के पास उपलब्ध है। झांसी में भूमि अतिक्रमण के संबंध में, खेल निदेशक ने समापन बैठक (जुलाई 2023) में बताया कि भूमि खाली कराने हेतु जिलाधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं तथा गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ में भूमि अतिक्रमण के सम्बन्ध में जांच के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। अग्रेतर शासन ने बताया कि इटावा जिले में अनाधिकृत कुश्ती अकादमी को हटाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं तथा लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से भूमि क्षतिपूर्ति की मांग की जा रही है।

तथ्य यह है कि निर्धारित प्रारूप में संपत्ति रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया जा रहा था और संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही अभी भी नहीं की गयी थी।

(iii) खेल अवस्थापनाओं का अनुरक्षण नहीं किया गया

लेखापरीक्षा में खेल अवस्थापनाओं के खराब अनुरक्षण के विविध उदाहरण पाये गये, जिनकी चर्चा निम्नवत की गयी है:

- **तरणताल:** मार्च 2023 तक राज्य के 37 जनपदों के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारियों/क्रीड़ा अधिकारियों के क्षेत्राधिकार में 37 में नौ[23] तरणताल नवीनीकरण कार्य, जीर्ण-शीर्ण होने और प्रशिक्षक/जीवन रक्षक की तैनाती न होने जैसे विभिन्न कारणों से अक्रियाशील थे। इसके अतिरिक्त राज्य के तीन स्पोर्ट्स कॉलेजों में से दो स्पोर्ट्स कॉलेजों, गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ और मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कालेज, सैफई में तरणताल थे। गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में तरणताल उपयोग में नहीं था क्योंकि वर्ष 2016-22 की अवधि में कॉलेज में न तो कोई प्रशिक्षु था, न ही प्रशिक्षक और जीवन रक्षक था यद्यपि तरणताल के अनुरक्षण पर ₹ 5.68 लाख व्यय हुये। इसके अतिरिक्त मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कालेज,

[22] सर्किल रेट (दिसम्बर 2015) के आधार पर गणना ₹ 93,000/- प्रति वर्ग मीटर।

[23] अमेठी, बागपत, बांदा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, सुल्तानपुर।

सैफई में तरणताल आंशिक रूप से उपयोग में था, जैसा कि प्रस्तर 2.2.8.4(ii) में विस्तृत रूप से बताया गया है।

- **इनडोर वॉलीबॉल हॉल:** राज्य में दो इनडोर वॉलीबॉल हॉल में से दोनों इनडोर हॉल जीर्ण-शीर्ण हो चुके हैं। बांदा जनपद में इनडोर वॉलीबॉल हॉल की कृत्रिम छत, खिड़कियां और दरवाजे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर में छत से पानी टपक रहा था और सितंबर 2018 में भारी तूफान और बारिश के कारण कृत्रिम छत गिर गयी थी।
- ***अन्य खेल अवस्थापनायें***: जनपद झांसी में बास्केटबॉल कोर्ट और लॉन टेनिस कोर्ट, जनपद बांदा में पांच सीमेंटेड नेट अभ्यास क्रिकेट पिचों में से तीन और गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में लॉन टेनिस कोर्ट जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थे।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि उपरोक्त खेल अवस्थापनायें विभिन्न कारणों से अक्रियाशील थीं, जैसे कि नवीनीकरण की आवश्यकता, प्रशिक्षक और जीवन रक्षक की अनुपलब्धता और पानी की अनुपलब्धता, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.2.4*** विस्तृत रूप से वर्णित है।

(iv) *अप्रयुक्त खेल अवस्थापना*

लेखापरीक्षा में अप्रयुक्त खेल अवस्थापना के कई उदाहरण पाए गए, जिनकी चर्चा नीचे की गयी है:

- **डोरमेट्री** *:* राज्य के 19 जनपदों में खेल विभाग के अंतर्गत 19 डोरमेट्री थे। राज्य में निर्मित डोरमेट्री का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु, शासन ने खेल निदेशक को 13 जनपदों[24] में डोरमेट्री जिनका उपयोग नगण्य था, का उपयोग खेल छात्रावास के रूप में करने का निर्देश (जनवरी 2016) दिया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2016-22 की अवधि में इन 13 डोरमेट्री में से 12 का विवरण उपलब्ध कराया गया जिनमें (नौ डोरमेट्री) तीन से 117 दिनों तक उपयोग किया गया जबकि तीन डोरमेट्री (लखीमपुर खीरी, प्रतापगढ़ और सीतापुर) का वर्ष 2016-22 की अवधि में उपयोग नहीं किया गया, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.2.5*** में वर्णित है। शेष एक डोरमेट्री बस्ती के संबंध में विभाग ने सूचना नहीं उपलब्ध करायी।

[24] अंबेडकर नगर, बाराबंकी, बस्ती, गोरखपुर, हरदोई, कौशांबी, लखीमपुर खीरी, मथुरा, मऊ, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, सीतापुर और वाराणसी।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि डोरमेट्री का उपयोग समय-समय पर प्रतियोगिताओं की अवधि में खेल टीमों के आवास हेतु किया जाता है।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि निदेशालय ने डोरमेट्री के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की, जैसा कि शासन के निर्देश (जनवरी 2016) में निदेशालय को इन डोरमेट्री को खेल छात्रावास के रूप में उपयोग करने हेतु नीति बनाने हेतु कहा गया था। यद्यपि, ऐसी कोई नीति तैयार नहीं की गयी थी।

- **आजमगढ़ में छात्रावास भवन** : लेखापरीक्षा ने पाया कि खिलाड़ियों को आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु आजमगढ़ में निर्मित खेल छात्रावास भवन का उपयोग फरवरी 2008 में इसके निर्माण के पश्चात कभी नहीं किया गया, क्योंकि निदेशालय ने आवासीय सुविधा के साथ कोई खेल आवंटित नहीं किया था। यह भी पाया गया कि छात्रावास भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में था।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि खेलों का आवंटन न होने के कारण खेल छात्रावास का उपयोग नहीं किया जा सका।

फोटो 4: खेल छात्रावास भवन, आजमगढ़

- **अन्य खेल अवस्थापनायें**: अग्रेतर लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीतापुर (महमूदाबाद) में कुश्ती हॉल और मेरठ में बास्केटबॉल कोर्ट का उपयोग प्रशिक्षक की कमी के कारण वर्ष 2016-22 की अवधि में नहीं किया गया।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि 2023 तक मेरठ में बास्केटबॉल प्रशिक्षक की नियुक्ति कर दी गयी है। अग्रेतर शासन ने बताया कि प्रशिक्षक की नियुक्ति न होने के कारण सीतापुर (महमूदाबाद) में कुश्ती हॉल का उपयोग नहीं किया जा सका।

2.2.9 स्पोर्ट्स कॉलेज

खेल विभाग में तीन स्पोर्ट्स कॉलेज[25] हैं राज्य में स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की गई है, जोकि पूर्ण रूप से खेल विभाग द्वारा वित्तपोषित हैं तथा उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेज सोसायटी, लखनऊ के माध्यम से प्रशासित हैं। सोसायटी का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नौ से 12 वर्ष की आयु के उदीयमान खिलाड़ियों चयन करना और उन्हें उपयुक्त खेल प्रशिक्षण के साथ-साथ पर्याप्त शिक्षा प्रदान करना ताकि वे असाधारण खिलाड़ी बन सकें, साथ ही उनका सर्वांगीण विकास हो सके। कॉलेज में प्रवेश योग्यता के आधार पर दिया जाता है जोकि शारीरिक परीक्षण और खेल कौशल/खेल परीक्षण पर आधारित हैं।

2.2.9.1 स्पोर्ट्स कॉलेज में सीटों के उपयोग में कमी

वर्ष 2016-22 की अवधि में स्पोर्ट्स कॉलेज में छात्रों की स्वीकृत संख्या और वास्तविक संख्या **तालिका 4** में दी गई है।

तालिका 4: स्पोर्ट्स कॉलेज में स्वीकृत संख्या के सापेक्ष वास्तविक संख्या

वर्ष	स्वीकृत संख्या			वास्तविक ताकत			रिक्त सीटें (*प्रतिशत में*)		
	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक(%)	बालिका(%)	कुल (%)
2016-17	968	222	1190	719	122	841	249(26)	100(45)	349(29)
2017-18	968	222	1190	732	148	880	236(24)	74(33)	310(26)
2018-19	1003	222	1225	682	149	831	321(32)	73(33)	394(32)
2019-20	1003	222	1225	692	158	850	311(31)	64(29)	375(31)
2020-21	1003	222	1225	591	126	717	412(41)	96(43)	508(41)
2021-22	1003	222	1225	549	114	663	454(45)	108(49)	562(46)

(स्रोत: स्पोर्ट्स कॉलेज)

तालिका-4 से स्पष्ट है, स्पोर्ट्स कॉलेज की स्वीकृत क्षमता वर्ष 2016-17 में 1,190 से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 1,225 हो गई। यद्यपि, वर्ष 2016-22 की अवधि में स्पोर्ट्स कॉलेज में 26 से 46 प्रतिशत तक सीटें रिक्त रहीं। वर्ष 2021-22 की अवधि में, मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कॉलेज,

[25] गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ , बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर एवं मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कॉलेज, सैफई ।

सैफई, इटावा में सर्वाधिक सीटें रिक्त (57 प्रतिशत) थीं, उसके पश्चात् गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ (37 प्रतिशत) और बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर (35 प्रतिशत) थी। अग्रेतर, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियां पायीं गयीं:

- मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कॉलेज, सैफई, इटावा ने वर्ष 2014-15 में अपना संचालन शुरू किया तथा उस वर्ष मात्र कक्षा छह में प्रवेश दिया गया। इसके पश्चात्, कॉलेज में प्रति वर्ष 80 छात्रों की दर से प्रवेश दिया जाना था। यद्यपि, छात्रों के छोड़ने/निष्कासित होने के कारण कॉलेज में नामांकन कम रहा और वर्ष 2020-21 और 2021-22 में कोविड-19 महामारी के कारण कोई प्रवेश नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त, पर्याप्त छात्रावास की सुविधा न होने के कारण[26], 20 बालिकाओं (बैडमिंटन-सात और जूडो-13) को मेजर ध्यान चन्द स्पोर्ट्स कॉलेज, सैफई से बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर स्थानांतरित (अप्रैल 2022) कर दिया गया। इनमें से मात्र 13 खिलाड़ी (बैडमिंटन-एक और जूडो-12) बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर में प्रवेश लिया। उल्लेखनीय है कि बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर में बैडमिंटन और जूडो खेल से संबंधित अवस्थापनायें उपलब्ध नहीं थी।

- गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में लान टेनिस हेतु स्वीकृत क्षमता 30 छात्रों की संख्या के सापेक्ष वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि में रिक्त सीटें 90 से 93 प्रतिशत तक थीं, जबकि वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि में इस खेल में कोई छात्र नामांकित नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त सत्र 2018-19 से कॉलेज में बैडमिंटन हेतु 35 सीटें आवंटित की गयीं, यद्यपि वर्ष 2018-19 से 2021-22 की अवधि में मात्र 34 से 40 *प्रतिशत* सीटें ही भरी गयी।

- गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ द्वारा वर्ष 2016-17 में क्रिकेट में छात्रों की अधिक संख्या होने के कारण अपनी स्वीकृत क्षमता 310 को अतिक्रमित किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि क्रिकेट में छात्रों की संख्या 81 (2016-17) से 29 (2017-18) तक अधिक थी।

समापन बैठक में शासन ने बताया कि कोविड-19 के कारण क्षमता का कम उपयोग हुआ है तथा इस कमी को दूर करने हेतु प्रयास किए जाएंगे।

---

[26] दिनांक 5 मार्च 2020 को यूपी स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी की 102वीं बैठक का कार्यवृत्त।

तथ्य यह है कि क्षमता का कम उपयोग कक्षा छह में प्रारंभिक प्रवेश के पश्चात् खेल कॉलेजों से छात्रों के छोड़ने/निष्कासन के कारण भी हुआ, इसके अतिरिक्त कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020-21 और 2021-22 की अवधि में कोई प्रवेश नहीं हुआ।

2.2.9.2 खिलाड़ियों का छोड़ना/निष्कासन

उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी के प्रवेश विवरणिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार, छात्रों के अभिभावकों को अपने बच्चे को कॉलेज से निकालने हेतु सत्र शुरू होने से एक माह पूर्व सूचना देनी होती है। छात्र के कॉलेज छोड़ने की स्थिति में, समस्त प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकती है और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और शिक्षा पर व्यय की गई धनराशि वसूल की जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रधानाचार्य किसी भी छात्र को निर्धारित खेल/शैक्षणिक उपलब्धि हासिल न करने और अच्छा आचरण न रखने के कारण निष्कासित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में, छात्र के प्रशिक्षण/शिक्षा पर किए गए पूर्ण व्यय की वसूली की जा सकती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि में गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ और बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर से 45 छात्रों ने कालेज छोड़ दिया, जबकि खेल और शैक्षणिक प्रदर्शन में कमी के कारण 169 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया। मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कॉलेज, सैफई ने वर्ष 2016-22 की अवधि में 106 छात्रों के कालेज छोड़ने/निष्कासन के कारणों का विवरण नहीं दिया। अग्रेतर लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रवेश विवरणिका में वर्णित प्रावधान के अनुसार कालेज छोड़ने वाले छात्रों के प्रशिक्षण और शिक्षा पर व्यय की गई राशि की वसूली नहीं की गयी। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, स्पोर्ट्स कालेज के प्रधानाचार्यों ने बताया कि ऐसी कोई वसूली/जब्ती नहीं की गई। यद्यपि, इसका कारण नहीं बताया गया।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि छात्रों को खेल मूल्यांकन/शैक्षणिक परीक्षा में असफल होने, अनुशासनहीनता एवं पांच वर्षों की अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग न करने के कारण स्पोर्ट्स कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया।

2.2.9.3 शिक्षा की गुणवत्ता

स्पोर्ट्स कॉलेज में कक्षा छह से कक्षा 12 तक सभी विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत (मानविकी विषय) शिक्षा दी जाती

है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को निजी अध्यापन लेने की अनुमति नहीं थी।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि स्पोर्ट्स कॉलेज में शैक्षणिक विषयों के शिक्षण हेतु स्वीकृत क्षमता के सापेक्ष शिक्षक उपलब्ध नहीं थे, जिसका विवरण निम्नवत वर्णित है:

- गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ में 14 शिक्षकों (11 शिक्षक और तीन सहायक शिक्षक) की स्वीकृत संख्या के सापेक्ष वर्ष 2016-22 की अवधि में संविदा शिक्षकों सहित शिक्षकों की उपलब्धता छह (2021-22) और 11 (2018-19 और 2019-20) की अवधि में थी। वर्ष 2016-22 की अवधि में कक्षा छह से आठ में 766 छात्र नामांकित थे; परन्तु कक्षा छह से आठ हेतु निर्धारित कला और पुस्तक कला विषय हेतु कोई शिक्षक उपलब्ध नहीं था। इसी प्रकार वर्ष 2016-22 की अवधि में कक्षा नौ से 12 में 859 छात्र थे, जिनके लिये योग और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य विषय था; परन्तु उक्त अवधि में इस विषय का कोई शिक्षक उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016-18 और 2020-21 की अवधि में हिंदी में 865 छात्रों (कक्षा छह से 12) एवं वर्ष 2016-17 की अवधि में संस्कृत में 145 छात्रों (कक्षा छह से 10) हेतु कोई शिक्षक उपलब्ध नहीं था। कक्षा 11 और 12 के सन्दर्भ में वर्ष 2016-19 और 2021-22 की अवधि में अर्थशास्त्र के 159 छात्रों, वर्ष 2016-19 की अवधि में समाजशास्त्र के 398 छात्रों और वर्ष 2016-18 की अवधि में नागरिक शास्त्र के 293 छात्रों हेतु कोई विषय विशेषज्ञ शिक्षक उपलब्ध नहीं थे। अग्रेतर लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-21 की अवधि में इतिहास और भूगोल विषयों हेतु शिक्षक तैनात थे; परन्तु इन विषयों में कक्षा 11 और 12 में कोई छात्र नहीं था।

- बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर में वर्ष 2016-22 की अवधि में 11 शिक्षकों (चार शिक्षक और सात सहायक शिक्षक) की स्वीकृत संख्या के सापेक्ष मानदेय के आधार पर नियुक्त संविदा शिक्षकों सहित कुल 10 शिक्षक कार्यरत थे। वर्ष 2016-22 की अवधि में, कक्षा छह से आठ तक 801 कला और पुस्तक कला के छात्र बिना विषय विशेषज्ञ शिक्षक के अध्ययन कर रहे थे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016-22 की अवधि में कक्षा नौ से 12 तक अनिवार्य विषय के रूप में योग और शारीरिक शिक्षा के 822 छात्र बिना किसी विषय विशेषज्ञ शिक्षक के अध्ययन कर रहे थे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016-22 की अवधि में कक्षा 11 और 12 में क्रमशः 191,

266 और 280 छात्र बिना किसी विषय विशेषज्ञ शिक्षक के वैकल्पिक विषय के रूप में अर्थशास्त्र, भूगोल और समाजशास्त्र की पढाई कर रहे थे।

- मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कॉलेज, सैफई में वर्ष 2016-22 की अवधि में स्वीकृत पांच सहायक अध्यापकों के पदों के सापेक्ष मानदेय के आधार पर तीन से नौ संविदा शिक्षकों की तैनाती की गई थी। इस कॉलेज में कोई नियमित शिक्षक उपलब्ध नहीं था।

- दो स्पोर्ट्स कॉलेजों[27] में कक्षा 12 की यूपी बोर्ड परीक्षा के परिणामों के विश्लेषण में पाया गया कि वर्ष 2016-22 की अवधि में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में पंजीकृत 505 छात्रों में से 190 छात्रों (38 *प्रतिशत*) ने प्रथम श्रेणी प्राप्त किया और प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत 28 प्रतिशत (वर्ष 2017 में) से 72 प्रतिशत (वर्ष 2021 में) रहा। मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कॉलेज, सैफई में वर्ष 2016-22 की अवधि में पंजीकृत और कक्षा 12 की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के परिणाम का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

शासन द्वारा (जुलाई 2023) उत्तर में बताया गया कि शिक्षा विभाग से रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति हेतु कई बार अनुरोध किया गया जिन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया। इसलिए उपलब्ध योग्य शिक्षकों से ही शिक्षण कार्य कराया जा रहा था।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि स्पोर्ट्स कॉलेज में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई थी, जिससे इन कॉलेजों में पंजीकृत छात्रों के समग्र विकास में बाधा उत्पन्न हुयी। इसके अतिरिक्त 71 छात्रों[28] को उक्त कॉलेजों द्वारा शैक्षणिक अप्रदर्शन के कारण निष्कासित कर दिया गया, जो आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों में दी जा रही शिक्षा की अपर्याप्त गुणवत्ता को दर्शाता है।

2.2.9.4 स्पोर्ट्स कॉलेज से संबंधित अन्य टिप्पणियां

स्पोर्ट्स कॉलेज की लेखापरीक्षा की अवधि में पाई गई अन्य महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

(i) बैठकों का कम आयोजन

उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी नियम और विनियम में प्रावधान है कि प्रबंधन बोर्ड की बैठक प्रत्येक वर्ष तिमाही में या जितनी अधिक बार आवश्यक

[27] गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ एवं बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर।
[28] गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ -22, बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर -49।

हो, होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश प्रबंधन बोर्ड के पदेन अध्यक्ष हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2016-22 की अवधि में 24 बैठकों के सापेक्ष, प्रबंधन बोर्ड की केवल छह बैठकें[29] (25 *प्रतिशत)* आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016-22 की अवधि में उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी की चार बैठकें[30] भी आयोजित की गईं, यद्यपि सोसाइटी की बैठक आयोजित किये जाने हेतु कोई मानक निर्धारित नहीं था। प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष ने बोर्ड की बैठक आयोजित करने में 17 महीने के विलम्ब पर आपत्ति जताई थी (जून 2017) और प्रत्येक तीन महीने में बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया था। यद्यपि बैठकों की आवृत्ति कम रही।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि कोविड-19 के कारण बैठकें आयोजित नहीं की जा सकीं।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि वर्ष 2016-20 की अवधि में बैठकें आयोजित करने में भी कमी पाई गयी, अर्थात कोविड-19 महामारी से पहले की अवधि में भी।

(ii) **जिम्नास्टिक उपकरणों की कमी**

राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 में इस बात पर जोर दिया गया है कि उच्च गुणवत्ता वाले खेल उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त उपाय किये जाने चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रमुख सचिव, खेल विभाग ने बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर के निरीक्षण में जिम्नास्टिक खिलाड़ियों की मांग पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के जिम्नास्टिक उपकरणों की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया (फरवरी 2011) ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें और राज्य का नाम रोशन कर सकें। बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रधानाचार्य ने खेल निदेशक को ₹1.44 लाख की लागत वाले फ्रांस निर्मित जिम्नास्टिक उपकरणों का प्राक्कलन प्रस्तुत किया (मार्च 2011)। चूंकि स्थापित जिम्नास्टिक उपकरण दस वर्ष से अधिक पुराने और अप्रचलित हो गए थे और खिलाड़ियों

[29] बैठक संख्या 98 दिनांक 19.06.2017, 99 दिनांक 26.10.2017, 100 दिनांक 31.05.2018, 101 दिनांक 29.01.2019 102 दिनांक 05.03.2020 एवं 103 दिनांक 16.12.2021।

[30] उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी नियम एवं विनियम के अनुसार, उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री सोसाइटी के पदेन अध्यक्ष हैं। सोसाइटी की बैठकें 06.08.2019, 31.10.2019, 17.12.2019 और 30.06.2022 को आयोजित की गईं।

के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे थे, इस प्रकरण पर उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी की प्रबंधन बोर्ड की बैठक (मार्च 2015) में चर्चा की गयी। तदनुसार, प्रधानाचार्य ने खेल निदेशक को जिम्नास्टिक उपकरणों हेतु ₹ 1.05 करोड़ का संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत किया (अगस्त 2015) तथा कहा कि उपकरणों की खरीद में असुविधा होने की स्थिति में फर्श क्षेत्र हेतु केवल ₹ 35.90 लाख की स्वीकृति दी जा सकती है, क्योंकि उपकरणों की आवश्यकता अपरिहार्य थी। यद्यपि शासन से अपेक्षित निधि की अनुपलब्धता के कारण जिम्नास्टिक उपकरणों का क्रय नहीं किया जा सका (अगस्त 2022)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2016-22 की अवधि में 116 बालक और बालिकाओं ने जिम्नास्टिक खेल हेतु पंजीकरण[31] कराया था। उपयुक्त जिम्नास्टिक उपकरणों की अनुपलब्धता के कारण, छात्रों ने पुराने उपकरणों के साथ अभ्यास किया।

समापन बैठक में शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा आश्वासन दिया कि इस संबंध में आवश्यक प्रयास किये जायेंगे।

(iii) अंतर-सदनीय प्रतियोगिता आयोजित न करना

स्पोर्ट्स कॉलेज की प्रवेश विवरणिका में उल्लेख है कि खिलाड़ियों में प्रबल खेल भावना और प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अंतर-सदनीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी तथा विजेताओं को प्रमाण-पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज, सैफई ने वर्ष 2016-21 की अवधि में कोई अंतर-सदनीय खेल प्रतियोगिता आयोजित नहीं की। इस प्रकार, कॉलेजों ने छात्रों को अंतर-सदनीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर प्रदान नहीं किया, जिससे छात्रों में खेल भावना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल सकता था।

(iv) खेल मैदान से उच्चवोल्टता लाइन नहीं हटाया जाना

बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर के खेल मैदान से दो उच्चवोल्टता लाइन गुजर रही थीं, जिससे खिलाड़ियों के अभ्यास में बाधा आ रही थी और उन्हें करंट लगने का डर था। इस संदर्भ में, नगरीय विद्युत वितरण

[31] 2016-17 में सभी नामांकित छात्र (69) और 2017-20 की अवधि में जिम्नास्टिक में नए प्रवेश (47) छात्र शामिल हैं।

खंड, गोरखपुर ने दिसंबर 2005 और अगस्त 2018 में लाइन शिफ्टिंग हेतु क्रमशः ₹ 25.60 लाख और ₹ 2.74 करोड़ का प्राक्कलन प्रस्तुत किया। प्रधानाचार्य ने (अक्टूबर 2018) उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी से मुख्य मैदान से उच्चवोल्टता लाइनों को शिफ्ट करने हेतु ₹ 1.19 करोड़ प्रदान करने का अनुरोध किया। यद्यपि, उच्चवोल्टता लाइन को स्थानांतरित नहीं किया जा सका क्योंकि स्थानांतरित किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गयी (अगस्त 2022)।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि इन उच्चवोल्टता लाइनों को स्थानांतरित करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। यद्यपि तथ्य यह है कि शासन ने आवश्यक धनराशि अवमुक्त नहीं की।

(v) जमानत राशि वापस न करना

स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रवेश विवरणिका में यह प्रावधान है कि प्रवेश के समय विद्यार्थियों के अभिभावकों को अनिवार्य रूप से दो हजार रुपए की जमानत राशि जमा करानी होगी। यह जमानत राशि विद्यार्थी के कॉलेज छोड़ने के समय छात्र पर बकाया राशि के समायोजन के पश्चात वापस कर दी जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्पोर्ट्स कॉलेजों ने जमानत राशि जमा करने से संबंधित किसी अभिलेख का रख रखाव नहीं किया था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016-22 की अवधि में 826 छात्रों[32] ने कक्षा VI में तीनों कॉलेजों में प्रवेश लिया और इस तरह ₹ 16.52 लाख[33] जमानत राशि के रूप में जमा किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016-22 की अवधि में 492 छात्रों[34] ने कक्षा XII पास की, लेकिन कॉलेजों ने ₹ 9.84 लाख[35] जमानत राशि वापस नहीं की।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर और गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में, वर्ष 2016-17 से किसी भी छात्र ने जमानत राशि की वापसी हेतु अनुरोध नहीं किया एवं इसकी मांग किये जाने पर वापस कर दिया जाएगा। अग्रेतर बताया कि मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज, सैफई शैक्षणिक सत्र पूर्ण होने के उपरांत जमानत राशि वापस कर देता है।

---

[32] गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज , लखनऊ में 273 छात्र, बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज , गोरखपुर में 236 छात्र और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज, सैफई में 317 छात्र।

[33] चूंकि कोई पंजिका नहीं रखा गया था, इसलिए प्रति छात्र ₹ दो हजार की दर से गणना की गई।

[34] गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ में 287 छात्र, बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज , गोरखपुर में 205 छात्र। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई ने कक्षा 12 उत्तीर्ण छात्रों की स्थिति उपलब्ध नहीं कराई।

[35] चूंकि कोई पंजिका नहीं रखा गया था, इसलिए प्रति छात्र ₹ दो हजार की दर से गणना की गई।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि स्पोर्ट्स कॉलेज को अभिभावकों की मांग की प्रत्याशा किए बिना ही स्वतः संज्ञान लेकर जमानत राशि वापस करनी थी। इसके अतिरिक्त मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज, सैफई ने स्वीकार किया (सितंबर 2023) कि जमानत राशि वापस नहीं की गई। इसके अतिरिक्त स्पोर्ट्स कॉलेज जमानत राशि के संग्रह, वापसी और जब्ती के अभिलेखों के रख रखाव में विफल रहे।

2.2.10 प्रशिक्षण

खेल विभाग विभागीय प्रशिक्षकों और अंशकालिक प्रशिक्षकों की सेवाओं का उपयोग करके खेल छात्रावासों, स्पोर्ट्स कॉलेज और प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से उदीयमान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियां पायीं गयीं:

2.2.10.1 प्रशिक्षकों की कमी

खिलाड़ियों के कौशल को उन्नत करने और प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन का उत्तरदायित्व प्रशिक्षक का था। वर्ष 2016-22 की अवधि में स्थायी और अंशकालिक प्रशिक्षकों की उपलब्धता **तालिका 5** में दी गई है।

तालिका 5: प्रशिक्षण शिविरों हेतु स्वीकृत और उपलब्ध प्रशिक्षकों की स्थिति

वर्ष	स्वीकृत प्रशिक्षकों की संख्या		उपलब्ध प्रशिक्षकों की संख्या		प्रशिक्षकों की कमी (*प्रतिशत में*)	
	स्थायी[36]	अंशकालिक	स्थायी	अंशकालिक	स्थायी	अंशकालिक
2016-17	209	450	130	322	79 (38)	128 (28)
2017-18	209	450	131	369	78 (37)	81 (18)
2018-19	209	450	141	390	68 (33)	60 (13)
2019-20	209	450	141	367	68 (33)	83 (18)
2020-21	209	450	134	0[37]	75 (36)	0
2021-22	209	450	130	179	79 (38)	271 (60)

(स्रोत: खेल निदेशालय)

तालिका 5 से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2016-2020 और 2021-22 की अवधि में स्थायी और अंशकालिक प्रशिक्षकों की रिक्तियां क्रमशः 33 से 38 प्रतिशत और 13 से 60 प्रतिशत थीं। अंशकालिक प्रशिक्षकों की उपलब्धता के खेलवार विश्लेषण में पाया गया कि नौ खेलों[38] में वर्ष 2016-22 की अवधि में स्वीकृत क्षमता के सापेक्ष औसत कमी 50 से 83 प्रतिशत

36 क्रीड़ा अधिकारी, उप क्रीड़ा अधिकारी और सहायक प्रशिक्षक शामिल हैं।

37 खेल निदेशालय के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण 2020-21 के दौरान प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

38 तीरंदाजी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, कराटे, कयाकिंग और कैनोइंग, लॉन टेनिस, रोइंग, स्क्वैश, तैराकी।

(परिशिष्ट 2.2.6) तक थी। चूंकि प्रत्येक प्रशिक्षक एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने हेतु उत्तरदायी था, इसलिए प्रशिक्षकों की कमी ने खिलाड़ियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और उनके कौशल विकास में बाधा उत्पन्न की। नमूना जाँच हेतु चयनित 13 जनपदों में से दो[39] में, वर्ष 2016-22 की अवधि में तैराकी, मुक्केबाजी, लॉन-टेनिस, शूटिंग और स्क्वैश में प्रशिक्षक के बिना 4,012 खिलाड़ी पंजीकृत थे और अभ्यास कर रहे थे ***(परिशिष्ट 2.2.7)***।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि वर्तमान में 115 स्थायी और 402 अंशकालिक प्रशिक्षक की तैनाती की गयी है। अग्रेतर शासन ने बताया कि तैराकी, मुक्केबाजी, लॉन टेनिस, निशानेबाजी और स्क्वैश में निर्धारित मानकों के अनुसार उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण तैनाती पूरी नहीं हो पायी। शासन ने यह भी बताया कि आवश्यक संख्या में प्रशिक्षकों की तैनाती पूरी करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2.2.10.2 प्रशिक्षुओं का चोट प्रबंधन

राष्ट्रीय खेल नीति 2001 में खिलाड़ियों हेतु किसी भी आकस्मिक घटना/आवश्यकता की स्थिति में पर्याप्त बीमा कवर और चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि शासन ने खेल छात्रावास में रहने वाले खिलाड़ियों को चिकित्सा सुविधाओं हेतु प्रति खिलाड़ी प्रति वर्ष 2,000 रुपये का प्रावधान किया है। स्पोर्ट्स कॉलेज के खिलाड़ियों के संबंध में, शासन ने उनकी चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु चिकित्सा अधिकारी[40] का पद स्वीकृत किया था। इसके अतिरिक्त शासन ने वर्ष 2016-22 की अवधि में प्रत्येक खेल स्टेडियम में फिजियोथेरेपी केंद्र की स्थापना हेतु भी प्रावधान किया। यद्यपि क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी/जिला क्रीड़ा अधिकारी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की चोट प्रबंधन हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जैसा कि खेल निदेशालय द्वारा पुष्टि की गई (जुलाई 2024)।

लेखापरीक्षा ने स्पोर्ट्स कॉलेज, खेल छात्रावासों में चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता और खेल स्टेडियमों में फिजियोथेरेपी केंद्रों की स्थापना से संबंधित अभिलेखों की जांच की और पाया कि:

[39] आगरा और झांसी।

[40] वर्ष 2016-22 की अवधि में प्रत्येक स्पोर्ट्स कॉलेज में एक-एक।

- तीन स्पोर्ट्स कॉलेज में से दो स्पोर्ट्स कॉलेज अर्थात बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर और मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कॉलेज, सैफई में चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त था। परिणामस्वरूप, अस्पताल/औषधालय भवन ***(परिशिष्ट 2.2.8)*** भी वर्ष 2016-22 की अवधि में कम उपयोग में रहे।
- नमूना जाँच हेतु चयनित 13 क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी/जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय में से केवल दो[41] जनपदों में फिजियोथेरेपिस्ट उपलब्ध थे। इस प्रकार, खिलाड़ियों हेतु चोट प्रबंधन की अवधारणा अपर्याप्त थी।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि छात्रावासों में रहने वाले खिलाड़ियों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति करने हेतु प्रति खिलाड़ी ₹2,000 का प्रावधान किया गया है। अग्रेतर शासन ने बताया कि जुलाई 2023 से जनपद स्तर पर आयुष्मान भारत योजना के तहत खिलाड़ियों को चिकित्सा लाभ भी स्वीकृत किया गया है। समापन बैठक में शासन ने आश्वासन दिया कि प्राथमिक चिकित्सा चोट प्रबंधन के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

2.2.10.3 आहार प्रबंधन प्रणाली

एक खिलाड़ी का दैनिक ऊर्जा सेवन शरीर के कार्यों, गतिविधि और विकास हेतु शीघ्र ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है, साथ ही शरीर के ऊर्जा भंडार को भी प्रभावित करता है। शासन ने सभी खेल विधाओं हेतु स्पोर्ट्स कॉलेज और खेल छात्रावासों में प्रत्येक खिलाड़ी हेतु प्रतिदिन ₹375 आहार धनराशि के रूप में निर्धारित (दिसंबर 2021) की गयी। इससे पूर्व, खेल छात्रावासों हेतु ₹250 एवं स्पोर्ट्स कॉलेज हेतु ₹200 की दरें प्रभावी थी।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विभाग ने खिलाड़ियों के पोषण स्तर का मूल्यांकन करने हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं किया। इसके अतिरिक्त शासन ने कैलोरी की खेल-वार आवश्यकता पर विचार किए बिना आहार प्रबंधन (अक्टूबर 2020) लागू किया। इस प्रकार, खिलाड़ियों का आहार प्रबंधन खिलाड़ियों के पोषण स्तर और विशिष्ट खेलों के अनुसार उनकी आवश्यकताओं के वैज्ञानिक मूल्यांकन पर आधारित नहीं था।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि शासनादेश (दिसम्बर 2021) के अनुसार आवासीय खेल छात्रावासों में खिलाड़ियों को प्रतिदिन ₹ 375 की दर से आहार सूची के आधार पर आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। समापन

[41] फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर की सुविधा केवल केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में स्थापित की गई थी, जबकि ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में मानदेय के आधार पर फिजियोथेरेपिस्ट की नियुक्ति की गई थी।

बैठक में शासन ने आश्वासन दिया कि आहार प्रबंधन पर लेखापरीक्षा सुझावों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

2.2.10.4 डोपिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु अपर्याप्त प्रयास

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संस्था, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, जो खेलों में देश के डोपिंग रोधी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि खेल विभाग ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संस्था द्वारा प्रतिबंधित पदार्थों/दवाओं की सूची उपलब्ध नहीं कराई, इसके अतिरिक्त वर्ष 2016-22 की अवधि में प्रशिक्षकों को भी खिलाड़ियों हेतु राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संस्था के नियमों/प्रतिबंधित पदार्थों के सम्बन्ध में प्रशिक्षित नहीं किया गया। डोपिंग के प्रभाव के सम्बन्ध में खिलाड़ियों की जागरूकता हेतु कोई कार्यक्रम नहीं चलाया गया। इस प्रकार, खेल विभाग ने डोपिंग के संबंध में प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों के मध्य जागरूकता हेतु कोई उपाय नहीं किया।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में डोपिंग के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की।

2.2.11 खेलकूद का वातावरण

2.2.11.1 प्रशासनिक मानवशक्ति की कमी

विभाग के विभिन्न कार्यों को पूरा करने हेतु विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों को भरा जाना आवश्यक था, क्योंकि विशेषकर लम्बी अवधि तक मानवशक्ति की कमी से विभाग का निष्पादन प्रभावित होता है।

खेल विभाग के समूह बी, सी और डी संवर्ग में मार्च 2022 तक, मानवशक्ति की कुल कमी 36 प्रतिशत से 48 प्रतिशत के मध्य थी ***(परिशिष्ट 2.2.9)***। इसमें क्रीड़ा अधिकारी (19 प्रतिशत), उप क्रीड़ा अधिकारी (24 प्रतिशत) और सहायक प्रशिक्षक (92 प्रतिशत) की रिक्तियां शामिल है, जो खेल विभाग द्वारा आयोजित किए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों हेतु स्थायी प्रशिक्षक हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सेवा नियमों को अंतिम रूप न दिए जाने, पोषक संवर्ग से पदों को भरे जाने की स्थिति में पदोन्नति हेतु उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता और भर्ती करने वाली संस्था के प्रश्नों के स्पष्टीकरण प्रदान करने में विलम्ब के कारण रिक्तियां परिलक्षित थीं।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में रिक्तियाँ होने के विभिन्न कारण बताये, जैसे कि शासन स्तर/उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग स्तर पर लंबित प्रस्ताव, पदोन्नति हेतु पोषक संवर्ग में उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता,

सेवा नियमों को अंतिम रूप दिए जाने का लंबित होना आदि, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.2.9*** में वर्णित है।

2.2.11.2 महिला खिलाड़ियों की भागीदारी

राष्ट्रीय खेल नीति 2001 में यह प्रावधान है कि खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जाएंगे। खेल विभाग का लक्ष्य खेल संघों, शैक्षणिक संस्थानों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से खेलों में महिलाओं की भागीदारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2016-22 की अवधि में खेल विभाग ने 26 से 71 जनपदों में 22 से 32 खेलों हेतु 2,105 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए, जिनमें महिला खिलाड़ियों की भागीदारी 18 से 22 प्रतिशत रही ***(परिशिष्ट 2.2.10)***। आगरा में दो प्रशिक्षण शिविरों और रायबरेली में एक प्रशिक्षण शिविर को छोड़कर, महिला खिलाड़ियों को समर्पित कोई अलग से प्रशिक्षण शिविर आयोजित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016-20 *की* अवधि में 44 खेल छात्रावासों में से महिला खिलाड़ियों हेतु 12 छात्रावासों का उपयोग 18 से 30 प्रतिशत तक नहीं हो पाया ***(परिशिष्ट 2.2.11)***, जबकि वर्ष 2020-21 और 2021-22 की अवधि में महिला खिलाड़ियों के छात्रावासों में क्रमशः 77 प्रतिशत और 71 प्रतिशत रिक्तियाँ रहीं, जिसका मुख्य कारण कोविड-19 महामारी है। महिला खिलाड़ियों से संबंधित अन्य विषयों पर विवरण निम्नवत हैं:

(i) महिला खिलाड़ियों के अधिकार

भारत सरकार ने महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु दिशानिर्देश प्रसारित किये (अगस्त 2010) हैं, जिनमें पीड़िताओं द्वारा की गयी शिकायतों के निवारण हेतु शिकायत तंत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।

खेल निदेशालय ने लेखापरीक्षा को बताया (जुलाई 2024) कि निदेशालय में गठित कामकाजी महिलाओं के यौन और मानसिक उत्पीड़न संबंधी समिति महिला खिलाड़ियों से प्राप्त शिकायतों का निवारण भी करती है। यद्यपि वर्ष 2016-22 की अवधि में महिला खिलाड़ियों से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है। निदेशालय ने अग्रेतर बताया कि उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ ने महिला खिलाड़ियों से प्राप्त यौन और मानसिक उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण हेतु एक समिति गठित (जुलाई 2023) की थी। यद्यपि निदेशालय

को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वर्ष 2016-22 की अवधि में उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ द्वारा ऐसी कोई समिति गठित की गयी। लेखापरीक्षा ने अग्रेतर पाया कि:

- नमूना जाँच किये गये 13 जनपदों में से नौ के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी/जिला क्रीड़ा अधिकारी द्वारा बताया गया कि महिला खिलाड़ियों की शिकायतों से निपटने हेतु जनपद स्तर पर ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गयी है। यद्यपि तीन[42] नमूना जाँच किये गये जनपदों ने बताया कि जब भी शिकायतें प्राप्त हुयीं, उनका निवारण किया गया और क्षेत्रीय खेल अधिकारी, लखनऊ ने बताया कि एक महिला सहायता केंद्र का गठन किया गया था।

- नमूना जांच किये गये 13 जनपदों में से किसी भी जनपद में वर्ष 2016-22 की अवधि में लिंग संवेदीकरण शिविर आयोजित नहीं किया गया।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि महिला खिलाड़ियों की यौन उत्पीड़न शिकायतों के निवारण हेतु निदेशालय स्तर पर शिकायत प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु रेलगाड़ी में यात्रा करते समय महिला खिलाड़ियों के साथ महिला प्रशिक्षक को भेजने की व्यवस्था की जाती है। जनपद/मंडल स्तर पर महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न के मामलों में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी/जिला क्रीड़ा अधिकारी पुलिस प्रशासन का सहयोग प्राप्त करते हैं। निदेशालय ने अग्रेतर बताया (जुलाई 2024) कि वर्ष 2016-22 में महिला खिलाड़ियों से जुड़े प्रशिक्षण/ प्रतियोगिता की अवधि में जनपद स्तर पर पुलिस/स्थानीय प्रशासन की सहायता से सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, पृथक से कोई प्रणाली विकसित नहीं थी।

(ii) महिला प्रशिक्षकों की कमी

वर्ष 2016-22 की अवधि में स्वीकृत स्थायी और अंशकालिक प्रशिक्षकों के सापेक्ष, उपलब्ध महिला प्रशिक्षकों का प्रतिशत क्रमशः 11 से 12 प्रतिशत और आठ से 21 प्रतिशत था ***(परिशिष्ट 2.2.12)*****।** शासनादेश में यह प्रावधान है कि यदि प्रशिक्षण शिविर में महिला खिलाड़ियों की संख्या अधिक है तो महिला खेलों हेतु अलग से प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा सकता है। तथापि, यह देखा गया कि वर्ष 2016-22 की अवधि में कुल 2,105 प्रशिक्षण शिविरों ***(परिशिष्ट 2.2.13)*** में से 106 में महिला खिलाड़ियों का प्रतिशत

[42] आगरा, बांदा और बरेली।

प्रशिक्षण शिविरों हेतु पंजीकृत कुल खिलाड़ियों का 50 प्रतिशत या उससे अधिक था, लेकिन आगरा में दो प्रशिक्षण शिविरों और रायबरेली में एक प्रशिक्षण शिविर को छोड़कर महिला खिलाड़ियों हेतु कोई अलग प्रशिक्षण शिविर आयोजित नहीं किया गया था।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि महिला खिलाड़ियों के अधिक प्रतिभाग किये जाने पर विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुरोध किए जाने के उपरांत महिला प्रशिक्षक उपलब्ध कराए जाते हैं। शासन द्वारा अग्रेतर बताया गया कि महिला प्रशिक्षकों हेतु कोई अलग आरक्षण नीति उपलब्ध नहीं है। समापन बैठक (जुलाई 2023) में शासन द्वारा बताया गया कि महिला खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रयास किए जाएंगे।

2.2.11.3 खेल संघों/महासंघों

राज्य खेल संघ खेलों के प्रतिस्पर्धात्मक पक्ष हेतु उत्तरदायी हैं और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु टीमें भेजते हैं। खेल विभाग ऐसे आयोजनों के संचालन हेतु तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वित्तीय सहायता उन खेल संघों को प्रदान की जाती है जो सरकार के निर्धारित दिशा-निर्देशों को स्वीकार करते हैं। खेल विभाग, दिशा-निर्देशों में दिए गए नियमों और शर्तों को पूरा करने पर खेल संघों को मान्यता प्रदान करता है।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि मार्च 2022 तक 34 खेल संघों ने खेल विभाग के दिशा-निर्देशों को स्वीकार कर लिया था। यद्यपि खेल विभाग और खेल संघों के बीच समन्वय अपर्याप्त था। 34 खेल संघों में से मात्र 16 संघों ने मार्च 2022 तक खेल विभाग को पदाधिकारियों की सूची प्रदान की। इसके अतिरिक्त खेल विभाग ने वर्ष 2016-22 की अवधि में खेल गतिविधियों के आयोजन हेतु मात्र पाँच[43] खेल संघों को ₹ 20.24 करोड़ ***(परिशिष्ट 2.2.14)*** की वित्तीय सहायता प्रदान की।

अग्रेतर लेखापरीक्षा में पाया गया कि चार राज्य खेल संघों[44] में विवाद थे, जिसके परिणामस्वरूप उनके द्वारा प्रतियोगिताएं आयोजित नहीं की जा रही थी एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में कोई टीम नहीं भेज रहे थे। यद्यपि खेल विभाग इन चार खेलों में से तीन खेल हेतु प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहा था एवं वर्ष 2016-22 की अवधि में इन शिविरों में

---

[43] बैडमिंटन, हॉकी, जूडो, हैंडबॉल और भारोत्तोलन।

[44] उत्तर प्रदेश पावर लिफ्टिंग महासंघ लखनऊ/कानपुर, उत्तर प्रदेश नेटबॉल महासंघ गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो महासंघ लखनऊ, उत्तर प्रदेश शूटिंग बॉल महासंघ मेरठ।

5,450 खिलाड़ी नामांकित थे ***(परिशिष्ट 2.2.15)***। यद्यपि उक्त खिलाड़ी राज्य/राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सके। निदेशालय ने बताया (मार्च 2022) कि खेल संघों में विवाद के कारण, टीमों का चयन नहीं किया गया और उन्हें प्रतियोगिता हेतु नहीं भेजा गया।

समापन बैठक (जुलाई 2023) में शासन द्वारा बताया गया कि खेल संघों/महासंघों और खेल विभाग के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे।

2.2.11.4 दिव्यांग खिलाड़ियों को सहायता का अभाव

खेल विभाग दिव्यांग खिलाड़ियों को सामान्य खिलाड़ियों की तरह ही पुरस्कार और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। नमूना जांच किये गये जनपदों में लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- चार जनपदों (आगरा, बरेली, लखनऊ और मेरठ) में दिव्यांग खिलाड़ियों हेतु शौचालय और रैंप जैसी अलग सुविधाएं उपलब्ध थीं। मेरठ में दिव्यांग खिलाड़ियों हेतु भारोत्तोलन हॉल और एथलेटिक मैदान उपलब्ध थे। यद्यपि अन्य नौ नमूना जांचे गए जनपदों में वर्ष 2016-22 की अवधि में दिव्यांग खिलाड़ियों हेतु ऐसी कोई अलग सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

- नमूना जांच किये गये किसी भी जनपद में वर्ष 2016-22 की अवधि में दिव्यांग खिलाड़ियों के प्रति खिलाड़ियों को जागरूक करने हेतु कोई संवेदीकरण अभियान नहीं चलाया गया।

- खेल विभाग ने दिव्यांग खिलाड़ियों के मध्य खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि इसने वर्ष 2016-22 की अवधि में बरेली को छोड़कर समस्त नमूना जांच किये गये जनपदों में दिव्यांग खिलाड़ियों हेतु विशेष रूप से समर्पित कोई टूर्नामेंट/प्रतियोगिता आयोजित नहीं किया।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि दिव्यांग खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अग्रेतर शासन द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन को मई 2023 में मान्यता प्रदान की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिव्यांग खिलाड़ियों को और अधिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

2.2.12 अनुश्रवण

2.2.12.1 खिलाड़ियों के संकलित डेटाबेस अनुरक्षित न करना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि खेल विभाग ने अंतरराष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की सूचना संकलित की थी। यद्यपि खेल विभाग द्वारा निर्मित खेल सुविधाओं में प्रशिक्षित किए जा रहे उदीयमान खिलाड़ियों के संबंध में संकलित डेटाबेस का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था। इस तरह के डेटाबेस विभिन्न खेल विषयों हेतु बेहतर योजना बनाने और संसाधनों की आवश्यकता के आधार पर आवंटन में सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे/प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर रहे खिलाड़ियों की सूचना जनपद खेल कार्यालयों और क्षेत्रीय खेल कार्यालयों में संकलित की जाती है।

तथ्य यह है कि निदेशालय स्तर पर खिलाड़ियों का डाटाबेस संकलित नहीं किया गया था, इसके अतिरिक्त नमूना जांच किये गये जनपदों में मात्र दो[45] जनपद खेल कार्यालयों ने सूचित किया, कि खिलाड़ियों का डाटाबेस संधारित किया गया था।

2.2.12.2 निर्माण कार्यों का अप्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण

शासन द्वारा निर्देशित किया गया (नवम्बर 2015) कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु खेल अवस्थापनाओं के निर्माण पर जनपद स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण समिति की रिपोर्ट प्रत्येक माह की 5 तारीख तक उपलब्ध कराई जाये।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2016-22 की अवधि में सभी विभागीय अधिकारियों द्वारा जनपद स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण समिति की मासिक रिपोर्ट निदेशालय को अग्रेषित नहीं की गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जनपद गुणवत्ता समिति ने गुणवत्ता का परीक्षण केवल नवनिर्मित खेल अवस्थापनाओं के हस्तानान्तरण के समय ही किया तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो शासन के निर्देशों का उल्लंघन था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2009 से निदेशालय स्तर पर सहायक अभियंता का पद रिक्त होने के कारण निर्माण कार्यों की इस प्रगति रिपोर्ट की समुचित जांच नहीं की गयी।

[45] प्रयागराज और सीतापुर।

शासन ने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु जनपद स्तर पर समिति गठित की गयी थी तथा समय-समय पर विभागीय अधिकारी द्वारा जनपद में निरीक्षण सुनिश्चित किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि समस्त चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण रिपोर्ट प्रत्येक माह निदेशालय को प्राप्त नहीं होती थी।

2.2.13 निष्कर्ष

राज्य खेल नीति के अभाव में राज्य में वर्ष 2016-22 की अवधि में खेलों के प्रोत्साहन और विकास हेतु उठाए गए कदम अधिकांशतः तदर्थ थे। उत्कृष्टता हासिल करने हेतु खेल विधाओं की प्राथमिकता तय नहीं की गयी।

बजटीय संसाधनों का तर्कसंगत आवंटन नहीं किया गया, जिससे अत्यधिक बचत हुयी, जबकि सुविधाओं को धनराशि की कमी का सामना करना पड़ा। विभिन्न जनपदों में खेल अवस्थापनाओं को व्यापक बनाने हेतु कोई प्रभावी उपाय नहीं किए गये, क्योंकि पांच जनपदों में मूलभूत खेल सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। परियोजनाओं को व्यवहार्यता प्रतिवेदन के बिना, अथवा धन की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना या उनके पूर्ण होने की समयसीमा का निर्धारण किये बिना स्वीकृति प्रदान की गयी। परिणामस्वरूप, निर्माण कार्यों के पूर्ण होने में अत्यधिक विलम्ब हुआ। नमूना जाँच वाले जनपदों में भारी निवेश के बाद बनायी गयी कई खेल अवस्थापनायें अप्रयुक्त पड़ी थीं, जिनमें से कई अवस्थापनाओं को मरम्मत और रखरखाव की आवश्यकता थी। अन्य स्थानों पर उपकरणों और सुविधाओं की कमी थी। स्पोर्ट्स कॉलेजों में बड़े पैमाने पर छोड़ना/निष्कासन हुआ और बहुत सीटें रिक्त रहीं।

इसी तरह, खेल विभाग प्रशिक्षकों की कमी को उचित ढंग से दूर नहीं कर पाया। निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि में फिजियोथेरेपिस्ट की सेवाएं न लेना, निष्पक्ष खेल को बढ़ावा देने हेतु डोपिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु कोई तंत्र न होना, महिलाओं की कम भागीदारी, महिला प्रशिक्षकों की कमी और दिव्यांग खिलाड़ियों को अपर्याप्त सहायता आदि जैसी कमियां परिलक्षित हुईं ।

2.2.14 अनुशंसायें

- शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खेल अवस्थापनाओं का निर्माण विस्तृत सर्वेक्षण और आवश्यकता के आकलन के उपरांत किया जाय। ऐसे प्रकरणों में उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाना चाहिए जहाँ उपरोक्त का अनुपालन न किये जाने के कारण अवस्थापनाओं के निर्माण पर अलाभकारी व्यय हुआ।
- खेल सुविधाओं और उपकरणों के अनुरक्षण और मरम्मत का कार्य ससमय किया जाना चाहिए और उचित मूल्यांकन के उपरांत वर्ष के प्रारंभ में ही बजट उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन संबंधितों एवं संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए जहां ये सुविधाएं क्षतिग्रस्त और उपेक्षित हैं।
- शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्माण एजेंसियों के साथ समझौते में अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाए, साथ ही उल्लंघन हेतु दंड का प्रावधान भी हो तथा कार्य पारदर्शी, उत्तरदायी और समयबद्ध रूप से निष्पादित किए जाएं।
- प्रशिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए। साथ ही शासन द्वारा उचित संख्या में फिजियोथेरेपिस्ट की सेवाएं ली जानी चाहिए।
- शासन को समस्त खेल प्रशिक्षुओं की प्रगति पर पर्याप्त निगरानी रखने हेतु डाटाबेस अनुरक्षित करवाना चाहिए।
- खिलाड़ियों की शिकायतों से निपटने हेतु सभी जनपदों में एक उत्तरदायी शिकायत निवारण तंत्र लागू किया जाना चाहिए।
- खिलाड़ियों/खेल प्रशिक्षुओं के मध्य निष्पक्ष खेल और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने हेतु डोपिंग के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने हेतु ठोस उपाय किए जाने चाहिए।
- राज्य में प्रतिस्पर्धात्मक खेलों को बढ़ावा देने हेतु खेल विभाग और खेल संघों के मध्य अच्छा समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
तथा
ग्रामीण विकास विभाग

2.3 उत्तर प्रदेश में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का कार्यान्वयन

2.3.1 परिचय

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को *दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना* (डीडीयू-जीकेवाई) की उदघोषणा की गयी थी, जो कि 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के निर्धन ग्रामीण युवाओं को नियोजन-सह-कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है। डीडीयू-जीकेवाई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन[1] (एनआरएलएम) का एक अंग है, जिसे ग्रामीण निर्धन परिवारों की आय में विविधता जोड़ने एवं ग्रामीण युवाओं की कॅरिअर आकांक्षाओं के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने का काम सौंपा गया है। यह योजना त्रि-स्तरीय कार्यान्वयन मॉडल का अनुसरण करती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में डीडीयू-जीकेवाई की राष्ट्रीय इकाई, राष्ट्रीय नीति निर्माण, वित्तपोषण, तकनीकी सहायता एवं सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी अभिकरण थी। राज्य में, सामान्य रूप से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों में समाहित डीडीयू-जीकेवाई राज्य कौशल मिशनों को, डीडीयू-जीकेवाई हेतु सह-वित्तपोषण एवं कार्यान्वयन सहायता प्रदान करने के कार्य में मुख्य भूमिका निभाना था। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां, परियोजनाओं के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्यक्रम को कार्यान्वित करती हैं।

2.3.1.1 उत्तर प्रदेश में डीडीयू-जीकेवाई का कार्यान्वयन

डीडीयू-जीकेवाई योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश को जुलाई 2016 से कार्य योजना[2] राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश में,

---

[1] दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) भारत सरकार का एक प्रमुख निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य निर्धन परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार एवं कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाकर गरीबी को कम करना है, जिसके परिणामस्वरूप गरीबों के लिए स्थायी एवं विविध आजीविका विकल्प उपलब्ध होंगे।

[2] डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अंतर्गत, राज्यों को कार्य योजना एवं वार्षिक योजना राज्यों में वर्गीकृत किया गया है। आन्ध्र प्रदेश राज्यों को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार परियोजनाएं स्वीकृत करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। वार्षिक योजना राज्यों के मामले में, ग्रामीण विकास मंत्रालय योजना के अंतर्गत परियोजनाएं स्वीकृत करता है।

यह योजना उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा राज्य में कार्यान्वित की जा रही थी जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक सोसायटी[3] के रूप में स्थापित है एवं उत्तर प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। डीडीयू-जीकेवाई योजना के अंतर्गत परियोजनाओं का वित्तपोषण केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में किया जाता है। भारत सरकार द्वारा अवमुक्त निधियां, राज्य सरकार के ग्राम्य विकास विभाग को निर्गत की जाती हैं, जो अग्रेतर राज्यांश सहित केन्द्रांश को उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को अवमुक्त करता है।

2.3.2 संगठनात्मक ढांचा

राज्य सरकार के स्तर पर, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का नेतृत्व, प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव करते हैं, जो उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की राज्य कार्यकारी समिति के प्रमुख भी हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई का नेतृत्व मिशन निदेशक करते हैं, जिन्हें डीडीयू-जीकेवाई योजना के काम की देखरेख के लिए उप निदेशकों, सहायक निदेशकों एवं राज्य परियोजना प्रबंधक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। जनपद स्तर पर, क्रियान्वयन स्तर तक पहुंचने के लिये, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के पास जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयां हैं।

2.3.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा द्वारा 2016-22 की अवधि के लिए डीडीयू-जीकेवाई योजना के अभिलेखों की जांच[4], मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के कार्यालय में की गयी। प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) के कार्यालय से भी सूचनाएं एकत्र की गयीं। 'उत्तर प्रदेश में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का कार्यान्वयन' पर सम्पादित निष्पादन लेखापरीक्षा, डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं[5] के कार्यान्वयन पर केंद्रित थी। वार्षिक योजना एवं कार्य योजना 2016-19 में स्वीकृत परियोजनाओं में से, पच्चीस प्रतिशत

[3] उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी।

[4] फरवरी-अप्रैल 2022, जून-जुलाई 2022 एवं जनवरी 2023 की अवधि मे|

[5] वार्षिक योजना: 22 परियोजनाएं एवं कार्य योजना 2016-19: 88 परियोजनाएं।

परियोजनाओं को नमूना जांच के लिए प्रतिदर्श विधि[6] द्वारा चयनित किया गया था। इस प्रकार, निष्पादन लेखापरीक्षा में अभिलेखों की नमूना जांच हेतु वार्षिक योजना की पांच परियोजनाओं एवं कार्य-योजना 2016-19 की 23 परियोजनाओं ***(परिशिष्ट 2.3.1)*** का चयन किया गया था। कार्य योजना 2019-22 के संबंध में, भारत सरकार द्वारा समय-सीमा बढ़ाकर मार्च 2023 तक कर दी गयी थी। चूंकि, निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, कार्य योजना 2019-22 की परियोजनाएं अभी भी प्रगति पर थीं, इसलिए निष्पादन लेखापरीक्षा में कार्य योजना 2019-22 के अंतर्गत केवल परियोजनाओं के चयन एवं अनुमोदन से संबंधित मुद्दों की जांच की गयी।

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदण्ड, कार्यक्षेत्र एवं निष्पादन लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली पर चर्चा के लिए, राज्य सरकार के साथ, एक प्रारम्भिक बैठक आयोजित (24 मई 2022) की गयी। मसौदा प्रतिवेदन, फरवरी 2023 में राज्य सरकार को प्रेषित की गयी थी। राज्य सरकार द्वारा, जुलाई 2023 में, मसौदा प्रतिवेदन का उत्तर प्रेषित किया गया। अग्रेतर, राज्य सरकार के साथ आयोजित समापन बैठक (16 अगस्त 2023) में मसौदा प्रतिवेदन पर चर्चा की गयी। राज्य सरकार के उत्तरों को प्रतिवेदन में यथास्थान सम्मिलित किया गया है, एवं राज्य सरकार की टिप्पणियों को जनवरी 2024 तक अद्यतन किया गया है।

2.3.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आंकलित करना था कि क्या-

- डीडीयू-जीकेवाई योजना के कार्यान्वयन के संदर्भ में आयोजना पर्याप्त थी;
- निधियों को योजना के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित शर्तों एवं मानदंडों के अनुसार निर्गत किया गया था एवं उनका उचित उपयोग किया गया था; एवं
- दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित एवं उसका अनुश्रवण किया गया था।

[6] प्रतिस्थापन के बिना आकार के लिए आनुपातिक संभावना विधि।

2.3.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्गत डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम दिशा-निर्देश, जुलाई 2016;
- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्गत डीडीयू-जीकेवाई मानक संचालन प्रक्रिया भाग- I एवं भाग- II;
- डीडीयू-जीकेवाई योजना के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार /उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश/ आदेश/अधिसूचनायें।

2.3.6 लेखापरीक्षा परिणाम

2.3.6.1 आयोजना

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पूर्ववर्ती आजीविका कौशल[7] योजना (अब डीडीयू-जीकेवाई) के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश को वार्षिक योजना राज्य से वार्षिक कार्य योजना राज्य में परिवर्तित करने के लिए अनुमोदन (सितंबर 2014) प्रदान किया एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को योजना के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया। वार्षिक कार्य योजना 2014-15 के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा आजीविका कौशल कार्यक्रम के अंतर्गत दो लाख प्रशिक्षुओं को आच्छादित किया जाना प्रस्तावित था, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के एनआरएलएम की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित किया (सितंबर 2014) गया था। तथापि, वार्षिक कार्य योजना 2014-15 के कार्यान्वयन में खराब प्रदर्शन के कारण, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2015-16 के लिए कार्य योजना को स्वीकृति नहीं दी एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को निर्देश दिया (अक्टूबर 2015) कि वर्तमान कार्य योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रगति होने के बाद नयी कार्य योजना प्रारम्भ की जायेगी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश की स्थिति, कार्य योजना राज्य के रूप में किये जाने की पुष्टि (जुलाई 2016) की गयी एवं डीडीयू-जीकेवाई योजना के अंतर्गत कार्य योजना 2016-19 को स्वीकृति प्रदान की, जिसके अंतर्गत 1.84 लाख प्रशिक्षुओं को आच्छादित करने का प्रस्ताव था। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने कार्य योजना 2016-19 के अंतर्गत प्रशिक्षण

[7] आजीविका कौशल दिशानिर्देशों (सितंबर 2013) के अंतर्गत, राज्यों को दो में वर्गीकृत किया गया था - आप राज्य एवं गैर आप (वार्षिक योजना) राज्य।

के लिए 97,139 प्रशिक्षुओं को आच्छादित करने वाली 88 परियोजनाओं को स्वीकृति दी। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वार्षिक योजना से कार्य योजना राज्य में संक्रमण के एक भाग के रूप में, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को वार्षिक योजना की 27 परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरित (सितंबर 2016) किया । उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा डीडीयू-जीकेवाई के कार्यान्वयन के लिए आयोजना में कमियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परणामों पर आगे के प्रस्तरों में चर्चा की गयी है।

(i) कौशल अंतर आंकलन एवं श्रम बाजार का अध्ययन

डीडीयू-जीकेवाई दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 3.2.1.1 में प्रावधान है कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को कौशल एवं नियोजन के लिए ग्राम पंचायत-वार मांग की पहचान करने के लिए स्वयं या संव्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से विस्तृत ग्राम पंचायत-वार कौशल अंतर आंकलन किये जाने की आवश्यकता होगी। राज्य के भीतर एवं बाहर के क्षेत्रों में नौकरियों के लिए कौशल आवश्यकता का आकलन करने के लिए श्रम बाजारों का उचित अध्ययन भी समय-समय पर किये जाने की आवश्यकता थी। ऐसी प्रक्रिया इस लिए परिकल्पित की गयी थी, ताकि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन[8], मोबिलाइजेशन, रोजगार मेलों, सूचना, शिक्षा एवं संचार, आदि के लिए जनपद, विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत-वार लक्ष्य निर्धारित कर सकें तथा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का सार्थक मूल्यांकन भी कर सकें।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा डीडीयू-जीकेवाई की कार्य योजना 2016-19 के लिए, कौशल अंतर आंकलन एवं श्रम बाजारों के अध्ययन की गतिविधियां सम्पादित नहीं की गयीं थीं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के चयन हेतु आमंत्रित प्रस्ताव के लिए निवेदनों (आर एफ पी) में प्रशिक्षण के जनपद-वार एवं कौशल क्षेत्र-वार लक्ष्यों को प्रकाशित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के परियोजना प्रस्तावों का सार्थक मूल्यांकन नहीं किया जा सका था।

8 डीडीयू-जीकेवाई योजना में परिकल्पना की गई थी कि एसआरएलएम सामान्यत इस योजना को राज्य स्तर पर कार्यान्वित करेगा। तथापि, उत्तर प्रदेश में यह योजना उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा कार्यान्वित की जा रही थी।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा जनपद स्तर पर गठित कौशल विकास समिति द्वारा जनपद कौशल विकास योजना प्रस्तुत की जाती है। यह समिति जनपद की मांग एवं जनपद के भीतर स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को देखते हुए पाठ्यक्रमों के आधार पर लक्ष्यों को आवंटित करने की जानकारी प्रदान करती है। तथापि, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने अग्रेतर अवगत कराया (जनवरी 2024) कि संकल्प योजना के अंतर्गत अक्टूबर 2020 में जनपद कौशल विकास योजना प्रारम्भ हुई थी, जिसके लिए कौशल अंतर आंकलन नहीं किया गया था एवं 15-35 आयु वर्ग के निर्धन ग्रामीण युवाओं की संख्या का आंकलन भी नहीं किया गया था।

इस प्रकार, डीडीयू-जीकेवाई के कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा कौशल अंतर आंकलन एवं श्रम बाजारों के अध्ययन जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियां सम्पादित नहीं की गयी एवं कार्य योजना 2016-19 के अंतर्गत परियोजना लक्ष्यों को अव्यवस्थित रूप से निर्धारित किया गया था।

(ii) राज्य परिप्रेक्ष्य कार्यान्वयन आयोजना तैयार न किया जाना

डीडीयू-जीकेवाई दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 4.6 में प्रावधान है कि कार्य योजना राज्य का दर्जा प्राप्त होने के पश्चात, राज्य को अगले वर्ष में राज्य परिप्रेक्ष्य कार्यान्वयन आयोजना प्रस्तुत करनी थी। राज्य परिप्रेक्ष्य कार्यान्वयन आयोजना का उद्देश्य, मध्यम अवधि (सात वर्ष) में कौशल की आवश्यकताओं जिसमें प्रशिक्षित एवं नियोजित किये जाने वाले युवाओं की संख्या, ऐसे व्यावसायों एवं व्यावसायिक क्षेत्र जिनके भीतर प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, नवोन्मेष एवं विशेष परियोजनाओं को परिलक्षित करना था।

कार्य योजना राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की स्थिति की पुष्टि जुलाई 2016 में की गई थी। अतः यह अपेक्षा थी कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, वर्ष 2017 तक राज्य परिप्रेक्ष्य कार्यान्वयन आयोजना प्रस्तुत करेगा। तथापि, कार्य योजना राज्य का दर्जा प्राप्त करने के छः वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा राज्य परिप्रेक्ष्य कार्यान्वयन आयोजना तैयार नहीं की गयी थी।

समापन बैठक में चर्चा के समय राज्य सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2023) कि भविष्य में राज्य परिप्रेक्ष्य कार्यान्वयन आयोजना बनाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(iii) राज्य स्तरीय युवा डाटाबेस नहीं बनाया जाना

डीडीयू-जीकेवाई दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 3.2.1.1 में प्रावधान है कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में डीडीयू-जीकेवाई योजना से लाभान्वित होने के इच्छुक एवं सक्षम व्यक्तियों के विवरण के साथ एक राज्यव्यापी युवा डाटाबेस भी बनाया जाना था।

यह देखा गया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के द्वारा 2016-17 से 2021-22 की अवधि के दौरान, राज्य स्तरीय युवा डाटाबेस नहीं बनाया गया था या उसके पास उपलब्ध नहीं था। इस डाटाबेस के अभाव में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन उन ग्रामीण युवाओं के विवरण जानने की स्थिति में नहीं था, जो प्रत्येक ग्राम पंचायत में डीडीयू-जीकेवाई से लाभान्वित होने के इच्छुक थे या लाभान्वित होने वाले थे तथा जिससे प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण लक्ष्यों की आयोजना बनायी जा सके।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा राज्य स्तरीय युवा डाटाबेस हेतु कौशल मित्र पोर्टल विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने अग्रेतर अवगत कराया (जनवरी 2024) कि कौशल मित्र पोर्टल का पहला चरण दिसंबर 2023 से चल रहा था।

इस प्रकार, राज्य सरकार एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के उत्तर से यह स्पष्ट था कि 2016-22 की अवधि में डीडीयू-जीकेवाई योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय युवा डाटाबेस उपलब्ध नहीं था।

2.3.7 वित्तीय प्रबंधन

डीडीयू-जीकेवाई योजना 60:40 के अनुपात (60 *प्रतिशत* केन्द्रांश एवं 40 *प्रतिशत* राज्यांश) में वित्तपोषित भारत सरकार की एक योजना है। उत्तर प्रदेश में, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा राज्यांश के साथ केन्द्रांश की धनराशि, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में डीडीयू-जीकेवाई योजना के समर्पित बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। डीडीयू-जीकेवाई योजना में प्राप्त एवं व्यय की गयी धनराशियों[9] का विवरण **तालिका-1** में वर्णित है।

[9] इसमें वार्षिक कार्य योजना 2014-15, वार्षिक योजना (2016 से पहले स्वीकृत), कार्य योजना 2016-19 एवं कार्य योजना 2019-22 के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में अवमुक्त एवं व्यय की गयी धनराशि सम्मिलित है।

तालिका 1: 2016-22 के दौरान डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत प्राप्त धन एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	केन्द्रांश	राज्यांश	बैंक ब्याज	उपलब्ध धनराशि	व्यय धनराशि	अंतिम अवशेष
2016-17	214.95	निर्गत नहीं	10.75	10.02	245.78[10]	46.47	199.31
2017-18	199.31	निर्गत नहीं	निर्गत नहीं	8.20	207.51	140.90	66.61
2018-19	66.61	27.78	18.52	3.70	116.61	109.46	7.15
2019-20	7.15	51.03	34.02	1.38	93.58	51.19	42.39
2020-21	42.39	238.08	158.72	3.16	442.35	424.30	18.05
2021-22	18.05	162.63	108.42	9.98	299.08	191.41[11]	107.67

(स्रोत: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन)

स्वीकृत परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति, निधियों को अवमुक्त करने में विलम्ब एवं अप्रयुक्त निधियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों की चर्चा निम्नलिखित प्रस्तरों में की गयी है:

2.3.7.1 स्वीकृत परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, परियोजनाओं को पूरा करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को चार किश्तों में धनराशि अवमुक्त की जानी थी। डीडीयू-जीकेवाई वार्षिक योजना एवं कार्य योजना 2016-19 के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति **तालिका 2** में उल्लिखित है।

तालिका 2: स्वीकृत परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति

योजना	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	कुल परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	अवमुक्त धनराशि (03/2022)	परियोजनाओं में अवमुक्त की गयी किश्तों की संख्या (03/2022)			
			₹ करोड़ में (*प्रतिशत*)	*प्रथम किश्त*	*द्वितीय किश्त*	*तृतीय किश्त*	*चतुर्थ किश्त*
वार्षिक योजना	20[12]	195.63	131.36 (67)	20	17	01	--
कार्य योजना 2016-19	88	800.41	382.99 (48)	88	54	--	--
कुल	**108**	**996.04**	**514.35**	**108**	**71**	**01**	**--**

(स्रोत: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन)

[10] नैबकॉन्स द्वारा हस्तांतरित वार्षिक योजना की परियोजनाओं की ₹ 10.06 करोड़ की शेष निधि सहित

[11] उ.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को हस्तांतरित ₹ 150.00 करोड़ सहित

[12] इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बंद की गई दो परियोजनाएं सम्मिलित नहीं हैं

जैसा की उक्त तालिका 2 से स्पष्ट है कि स्वीकृत परियोजनाओं की लागत के सापेक्ष, वार्षिक योजना की परियोजनाओं के संबंध में केवल 67 प्रतिशत निधि एवं कार्य योजना 2016-19 की परियोजनाओं में केवल 48 प्रतिशत निधि, मार्च 2022 तक अवमुक्त की गयी थी। अग्रेतर, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा कार्यान्वित 108 परियोजनाओं में से 71 परियोजनाओं (66 *प्रतिशत*) को दूसरी किश्त एवं केवल एक परियोजना को तीसरी किश्त प्राप्त हुई थी। इस प्रकार, वार्षिक योजना एवं कार्य योजना की किसी भी परियोजना में मार्च 2022 तक सभी चार किश्तें अवमुक्त नहीं की गयी थीं, जो यह दर्शाता था कि उपरोक्त परियोजनायें पूर्ण नही हुयी थी।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि डीडीयू-जीकेवाई दिशा-निर्देशों/अधिसूचनाओं में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के बाद ही परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को पहली, दूसरी, तीसरी एवं चौथी किश्त का भुगतान किया गया था। राज्य सरकार द्वारा अग्रेतर अवगत कराया गया कि वार्षिक योजना की सभी परियोजनाओं को बंद करने की प्रक्रिया चल रही थी एवं कार्य योजना 2016-19 में कम प्रगति वाले परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की परियोजनाओं का समापन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

2.3.7.2 राज्य सरकार द्वारा निधियों को विलम्ब से अवमुक्त किया जाना

(i) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 हेतु उत्तर प्रदेश में आजीविका कौशल योजना के अंतर्गत दो लाख प्रशिक्षुओं हेतु नियोजन सहित कौशल विकास परियोजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश की प्रथम किश्त (₹ 165.90 करोड़[13]) अवमुक्त किया था | भारत सरकार ने निर्देशित किया था कि राज्य सरकार द्वारा उक्त निधियों को प्राप्ति की तिथि से तीन दिनों के भीतर राज्यांश सहित, मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को अंतरित किया जाये। इसके साथ ही, निर्धारित अवधि के बाद हस्तांतरण के प्रकरण में, राज्य सरकार, विलम्ब की अवधि के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अवमुक्त केन्द्रांश ₹ 165.90 करोड़ को दिसंबर 2014 में राज्य सरकार के खाते में जमा किया गया था। तथापि, राज्य सरकार द्वारा, भारत सरकार के निर्देशों के विपरीत चार माह विलंब

[13] वर्ष 2009-10 के लिए ₹ 82.95 करोड़, ₹ 48.11 करोड़ (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना के अंतर्गत) एवं ₹ 34.84 करोड़ (जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत)

से केन्द्रांश की धनराशि अंतरित[14] की गयी थी। परिणामस्वरूप, भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप, केन्द्रांश की धनराशि पर ब्याज के रूप में ₹ 6.64 करोड़[15] के भुगतान की देयता का उपार्जन राज्य सरकार द्वारा किया गया था।

(ii) कार्य योजना 2016-19 के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश की स्वीकृत किश्त (₹ 5.83 करोड़) अवमुक्त (मई 2018) की गयी थी। स्वीकृति आदेशों में यह निर्देश दिया गया था कि राज्य सरकार उक्त निधियों की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर राज्यांश के साथ उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को आवश्यक रूप से हस्तांतरित करेगी। इसके साथ ही, निर्धारित अवधि के बाद हस्तांतरण के प्रकरण में, राज्य सरकार, विलम्ब की अवधि के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अगस्त 2018 में राज्य सरकार के खाते में, केन्द्रांश की धनराशि ₹ 5.83 करोड़ जमा की गयी थी। तथापि, राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के निर्देशों के विपरीत दो महीने विलम्ब से केन्द्रांश की धनराशि को हस्तांतरित (नवंबर 2018) किया गया था। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने निधियों को विलंब से अवमुक्त करने के कारण ₹ 11.66 लाख[16] के ब्याज के भुगतान की देयता उपार्जित की थी।

राज्य सरकार (व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग) द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि विलम्ब से धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग को एक पत्र भेजा जायेगा।

2.3.7.3 प्रशासनिक एवं समर्थन लागत का उपभोग न किया जाना

(i) प्रशासनिक लागत

डीडीयू-जीकेवाई दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 3.2.1.9 में व्यस्था दी गयी है कि कौशल से संबंधित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के प्रशासनिक व्यय, जिसमें राज्य एवं जनपद स्तर पर कार्मिक लागत एवं कार्यालय व्यय सम्मिलित हैं, के लिए डीडीयू-जीकेवाई के लिए वर्ष के निर्धारित बजट की कुल धनराशि में से छः प्रतिशत की दर से व्यय की अनुमति दी जायेगी। यह अनुमान लगाया गया था कि इन निधियों का उपयोग राज्य एवं जनपद दोनों में डीडीयू-जीकेवाई के लिए एक समर्पित

[14] 01 मई 2015।

[15] ₹165.90 करोड़ पर चार माह के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज।

[16] दो माह के लिए ₹ 5.83 करोड़ पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से गणना की गई।

पूर्णकालिक टीम स्थापित करने के लिए किया जायेगा। इस टीम में एक मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) एवं आठ राज्य कार्यक्रम प्रबंधक सम्मिलित थे, जो योजना के विभिन्न कार्यों में मुख्य परिचालन अधिकारी की सहायता करेंगे। इसके अतिरिक्त, राज्य एवं जनपद स्तर पर सहायक कर्मचारियों को भी तैनात किया जाना था।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने मार्च 2016 में डीडीयू-जीकेवाई के लिए प्रशासनिक लागत के रूप में ₹ 2.22 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की एवं निर्देशित किया कि धनराशि प्राप्त होने की तिथि के तीन दिनों के भीतर 60:40 के सहभाजन के अनुपात में राज्यांश के साथ धनराशि को उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के बैंक खाते में अवमुक्त किया जाये। यह धनराशि इस शर्त के साथ अवमुक्त की गयी थी कि डीडीयू-जीकेवाई दिशा-निर्देशों की धारा 4.1.1 के अनुसार, स्वीकृति आदेश निर्गत होने के एक महीने के भीतर, राज्य के द्वारा, कौशल के लिए एक समर्पित मुख्य परिचालन अधिकारी को नियुक्त किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, राज्य द्वारा समवर्ती अनुश्रवण, मानक एवं गुणवत्ता, भागीदारी नियुक्ति, प्रशिक्षण एवं विकास, मोबिलाइजेशन एवं आईईसी, नियोजन पश्चात ट्रैकिंग, परियोजना मूल्यांकन एवं निधि निर्गत करने जैसे योजना के मुख्य कार्यों को पूरा करने के लिए, स्वीकृति आदेश जारी होने के चार माह के भीतर, आठ राज्य परियोजना प्रबंधकों की नियुक्ति करना भी अपेक्षित था।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशासनिक लागत अवमुक्त करने के लिये ग्राम्य विकास विभाग से अनुरोध (सितंबर 2017) किया गया। तथापि, मैचिंग अंश[17] के साथ उपरोक्त प्रशासनिक लागत की धनराशि, राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को जून 2021 में अवमुक्त की गयी थी, *अर्थात*, भारत सरकार से मार्च 2016 में अनुदान प्राप्त होने के पांच साल से अधिक समय व्यतीत होने के बाद। वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि में उपलब्ध निधि का उपयोग नहीं किया गया एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा, राज्य एवं जनपद स्तर पर डीडीयू-जीकेवाई के लिए समर्पित कार्मिक भी नियुक्त नहीं किये जा सके। इस प्रकार, केन्द्रांश की उपलब्धता के उपरांत भी राज्य सरकार द्वारा विलंब किए जाने के कारण योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू कार्यान्वित नहीं किया जा सका। राज्य एवं जनपद स्तरों पर समर्पित कौशल टीमों की नियुक्ति

[17] ₹2.22 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा) + ₹1.48 करोड़ (राज्य का हिस्सा) = ₹3.70 करोड़

डीडीयू-जीकेवाई के 'कार्य योजना' राज्य के रूप में नामित होने के लिए शर्तों में से एक थी, तथापि इस शर्त को अभी तक पूरा नहीं किया गया था, जबकि उत्तर प्रदेश को जुलाई 2016 में ही 'कार्य योजना' राज्य घोषित कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत प्रशासनिक लागत के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्गत स्वीकृति (मार्च 2016) में सहायता अनुदान की निर्धारित शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार, निधि की प्राप्ति की तिथि से तीन दिनों की निर्दिष्ट अवधि से विलम्ब की अवधि के लिए 12 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को ₹ 2.22 करोड़ का केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने में विलम्ब के कारण, दण्डात्मक ब्याज के रूप में ₹ 1.38 करोड़[18] की देयता राज्य सरकार पर सृजित हुई।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि डीडीयू-जीकेवाई योजना के लिए एक कौशल टीम की नियुक्ति, प्रक्रिया में थी एवं इसे यथाशीघ्र पूरा किया जायेगा। राज्य सरकार ने अग्रेतर अवगत कराया कि, वर्तमान में, योजना की निगरानी जनपद स्तर पर एमआईएस प्रबंधक एवं मुख्यालय में सहायक प्रबंधक द्वारा की जा रही है, साथ ही योजना के लिए क्रमशः जनपद एवं मुख्यालय दोनों स्तरों पर तकनीकी सहायता सहायक द्वारा किया जा रहा है।

तथ्य यह था कि उ.प्र. में डीडीयू-जीकेवाई योजना के कार्यान्वयन के लिए समर्पित कौशल टीम उपलब्ध नहीं थी, जो 'कार्य योजना' राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए पूर्व शर्तों में से एक थी।

(ii) समर्थन लागत

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा कार्य योजना 2016-19 के सन्दर्भ में उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, डीडीयू-जीकेवाई योजना के अंतर्गत विभिन्न सहायक गतिविधियों पर संबंधित मानक लागत की तुलना में व्यय निम्नानुसार था:

[18] 62 महीनों की अवधि (अप्रैल 2016 से मई 2021 तक) के लिए प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से गणना की गई।

तालिका 3: डीडीयू-जीकेवाई के विभिन्न गतिविधियों पर मानक लागत एवं व्यय

क्र.सं.	व्यय शीर्ष का नाम	डीडीयू-जीकेवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार मानक लागत[19]	2016-22 के दौरान किया गया व्यय
1	कौशल अंतर आंकलन	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को भुगतान की गई कुल परियोजना लागत का *एक* प्रतिशत तक	शून्य
2	सूचना, शिक्षा एवं संचार	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को भुगतान की गयी कार्यक्रम लागत का *1.5* प्रतिशत तक	शून्य
3	पुरा-छात्र समर्थन	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को भुगतान की गई कुल परियोजना लागत का *1.5* प्रतिशत तक	शून्य
4	क्षमता निर्माण	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को भुगतान की गई कुल परियोजना लागत का *3* प्रतिशत तक	शून्य
5	कार्मिक विकासखण्ड स्तर एवं उसके नीचे	प्रति विकासखण्ड ₹ 3.5 लाख तक प्रति वर्ष	शून्य
6	माइग्रेशन सहायता केंद्र	प्रति वर्ष प्रति केंद्र ₹ 10 लाख तक	शून्य

(स्रोत: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन)

उक्त तालिका-3 से स्पष्ट है कि क्रम संख्या एक से छ: में उल्लिखित गतिविधियों के लिए समर्थन लागत के रूप में वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि में कोई व्यय नहीं किया गया था। जो इंगित करता था कि डीडीयू-जीकेवाई योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए उल्लिखित इन गतिविधियों को प्रारम्भ नहीं किया गया था, जिसने योजना की प्रगति को प्रभावित किया था।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि वर्तमान में समर्थन लागत के अंतर्गत आईईसी, क्षमता निर्माण एवं अनुश्रवण पर ₹ 10.67 करोड़ की धनराशि व्यय की गई है।

[19] डीडीयू-जीकेवाई दिशानिर्देशों के प्रस्तर 3.2.1.1, 3.2.1.3, 3.2.1.5, 3.2.1.6, 3.2.1.8 एवं 3.2.1.4

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक उपरोक्त तालिका में उल्लिखित गतिविधियों पर व्यय नहीं किये जाने के कारणों से अवगत नहीं कराया गया। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा अग्रेतर अवगत कराया गया (जनवरी 2024) कि ₹ 10.67 करोड़ में से आईईसी पर ₹ 1.50 करोड़ एवं क्षमता निर्माण पर ₹ 0.35 करोड़ का व्यय अप्रैल 2022 से जून 2023 की अवधि में किया गया था, जबकि अवशेष ₹ 8.82 करोड़ का व्यय मार्च 2021 से जून 2023 की अवधि में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तथा अप्रैल 2022 से जून 2023 की अवधि में रोजगार मेले से संबंधित था।

योजना का कार्यान्वयन

2.3.8 वार्षिक योजना की परियोजनाओं का कार्यान्वयन

2.3.8.1 अनुमोदित परियोजनाओं के लक्ष्य की प्राप्ति में कमी

भारत सरकार द्वारा वार्षिक योजना[20] से 'कार्य योजना' राज्य में संक्रमण के एक भाग के रूप में वार्षिक योजना की 27 परियोजनाओं को उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को स्थानांतरित (सितंबर 2016) किया गया था। इनमें से उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने 49,525 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण लक्ष्य के साथ 22 परियोजनाओं[21] को कार्यान्वित किया गया था। इन 22 परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पायी गयी कमियों को **तालिका-4** एवं **चार्ट-1** में वर्णित किया गया है:

तालिका 4: वार्षिक योजना की परियोजनाओं के लक्ष्य के उपलब्धि में कमी

स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	कुल लक्ष्य		उपलब्धि (मार्च 2022)		कमी (*प्रतिशत में*)	
	प्रशिक्षण	नियोजन[22]	प्रशिक्षण	नियोजन	प्रशिक्षण	नियोजन
22[23]	49525	34668	41908	21126	7617(15)	13542(39)

(स्रोत: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन)

---

20 दिसंबर 2013 से मई 2014 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत।

21 उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को स्थानांतरित की गई 27 परियोजनाओं (फरवरी 2017) में से तीन परियोजनाओं की स्थिति को स्थानांतरण पत्र में रद्द किये जाने के रूप में उल्लेख किया गया था एवं दो अन्य परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन, स्थानांतरण के समय निष्पादित नहीं किए गए थे।

22 कुल प्रशिक्षित का *70* प्रतिशत।

23 सीतापुर शिक्षण संस्थान की दो बंद (अक्टूबर 2016 एवं नवंबर 2016) परियोजनाओं सहित।

चार्ट 1: मार्च 2022 में स्वीकृत वार्षिक योजना की परियोजनाओं की भौतिक प्रगति

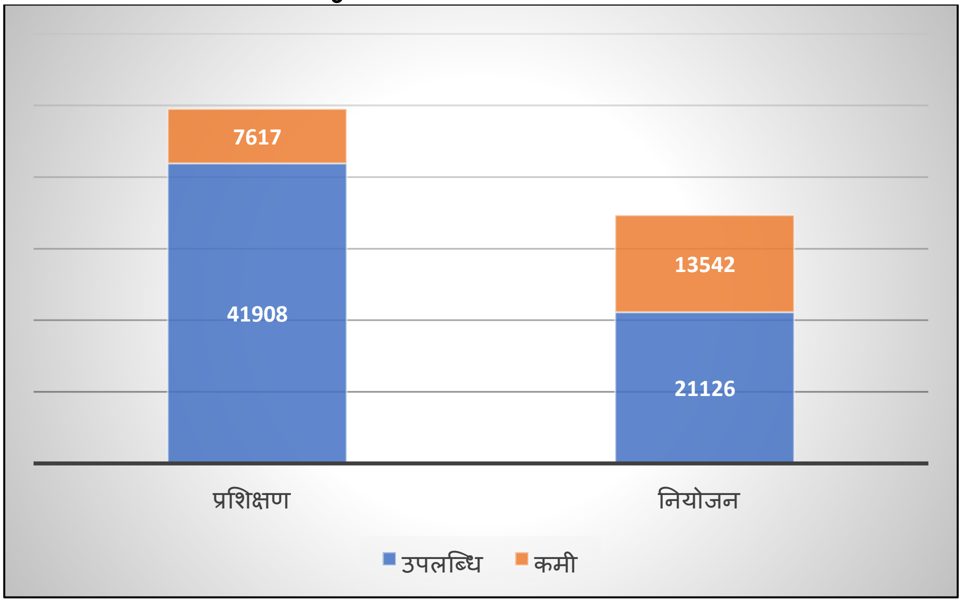

(स्रोत: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन)

लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि वार्षिक योजना की सभी 22 परियोजनाओं के प्रशिक्षण केंद्र निष्क्रिय थे, क्योंकि मार्च 2022 तक इन परियोजनाओं के संबंध में कोई सक्रिय केंद्र उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार, वार्षिक योजना परियोजनाओं ने प्रशिक्षण एवं नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया था।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि वार्षिक योजना की सभी परियोजनाओं को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है। तथापि, प्रशिक्षण एवं नियोजन लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के लिए कोई उत्तर नहीं दिया गया।

2.3.8.2 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के पक्ष में अनियमित समय-विस्तार दिया जाना

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वार्षिक योजना की 20 चल रही परियोजनाओं[24] की प्रगति की समीक्षा (जुलाई 2017) की एवं यह पाया कि इनमें से अधिकांश परियोजनाओं ने दो से तीन साल बीत जाने के बाद भी अपने प्रशिक्षण/ नियोजन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया था। इसलिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया गया था कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी की आवश्यकताओं के अनुसार 18 परियोजनाओं[25] को अधिकतम एक वर्ष का विस्तार दिया जा सकता है।

[24] उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा कार्यान्वित 22 वार्षिक योजना की परियोजनाओं में से दो परियोजनाएं अक्टूबर एवं नवंबर 2016 में बंद हो गयी थीं ।

[25] समीक्षा बैठक में प्रशिक्षण एवं नियोजन मानक के अनुरूप नहीं होने के कारण दो परियोजनाओं को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 18 परियोजनाओं में से, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा 17 परियोजनाओं ***(परिशिष्ट 2.3.2)*** के प्रकरण में एक वर्ष का विस्तार दिया गया था। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा एक वर्ष के प्रथम विस्तार को स्वीकृति देने के पश्चात, 15 परियोजनाओं में एक वर्ष एवं दो परियोजनाओं में छः माह का अतिरिक्त समय विस्तार दिया गया, जो एक वर्ष का अधिकतम समय-विस्तार प्रदान करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की समीक्षा बैठक (जुलाई 2017) में लिए गए निर्णय का उल्लंघन था। अग्रेतर, पाया गया कि इन 17 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को कुल मिलाकर अवमुक्त की गयी ₹ 117.07 करोड़ की धनराशि के उपरांत भी छः परियोजनाओं के प्रकरण में प्रशिक्षण लक्ष्य एवं 12 परियोजनाओं में नियोजन लक्ष्य, अनुचित समय-विस्तार प्रदान किए जाने के बाद भी प्राप्त नहीं किए जा सके थे।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि वार्षिक योजना की सभी परियोजनाओं को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है एवं उन सभी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों जिनकी प्रगति कम थी, को वसूली हेतु पत्र प्रेषित किये गये थे। तथापि, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को दिये गये अनियमित समय-विस्तार के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

2.3.8.3 दोषी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों से भुगतान की वसूली न किया जाना

ग्रामीण विकास मंत्रालय की समीक्षा बैठक (जुलाई 2017) में यह निर्देशित किया गया था कि स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष प्रशिक्षण एवं नियोजन का संचालन नहीं करने के दृष्टिगत, दो परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों यथा 'श्रीराम न्यू होराइजन' एवं 'सहज ई-विलेज' की परियोजनाओं को बंद कर दिया जाये तथा इन परियोजनाओं को भुगतान की गई धनराशि को ब्याज सहित वसूल की जाये। यह भी निर्देश दिया गया था कि तकनीकी सहायता एजेंसी द्वारा वसूल की जाने वाली धनराशि की गणना की जायेगी एवं वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी।

लेखापरीक्षा के दौरान जांच से पता चला कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा दो साल से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत उपरोक्त निर्देशों पर कार्यवाही की गयी थी एवं इन दोनों परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को परियोजना समाप्त किए जाने की सूचना प्रेषित (सितंबर 2019) की गयी, जिसमें मेसर्स सहज ई-विलेज एवं मेसर्स श्रीराम न्यू होराइजन

को भुगतान की गई क्रमशः ₹ 3.73 करोड़[26] एवं 0.80 करोड़ रुपये की सम्पूर्ण धनराशि वापस करने के निर्देश दिये गये थे । तथापि, समीक्षा बैठक (जुलाई 2017) में ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशों के विपरीत, वसूली जाने वाली दण्डात्मक ब्याज की धनराशि का उल्लेख समाप्ति सूचना में नहीं किया गया था, यद्यपि समाप्ति सूचना में उल्लेख किया गया था कि समझौता ज्ञापन के दण्डात्मक धारा को लागू किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दोनों परियोजनाओं को उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा मई 2020 में बंद कर दिया गया था। तथापि, भुगतान की गई धनराशि एवं उस पर दण्डात्मक ब्याज की वसूली के लिए कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी थी। जबकि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन समझौता ज्ञापन के धारा 13.1 के अनुसार राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 अथवा अन्य लागू कानूनों एवं संविधियों के उपबंधों का सहारा लेकर धनराशि की वसूली के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता था। लेखापरीक्षा द्वारा इस प्रकरण को उद्धृत किये (जुलाई 2022) जाने के बाद, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने दोनों परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को भुगतान, किये गये ₹ 4.48 करोड़ एवं दण्डात्मक ब्याज के रूप में ₹ 4.83 करोड़[27] की वसूली के लिए पत्र प्रेषित (अक्टूबर 2022) किये थे । इस प्रकार, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा त्वरित कार्यवाही नहीं की गयी थी तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार डीडीयू-जीकेवाई निधियों की वसूली के लिए प्रभावी कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी थी।

राज्य सरकार अवगत कराया गया (जुलाई 2023) कि 6 अक्टूबर 2022 तक देय ब्याज के साथ ₹ 9.31 करोड़ की वसूली के लिये उपरोक्त दोनों परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को एक पत्र उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा निर्गत (अक्टूबर 2022) किया गया था।

2.3.8.4 नियोजन लक्ष्यों को पूर्ण न किये जाने के सापेक्ष परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों से भुगतान की वसूली न किया जाना

दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 3.2.2.20 के साथ पठित प्रस्तर 3.2.2.3 में यह प्रावधान है कि यदि नियोजन, कुल प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं के 50 प्रतिशत से

---

[26] वसूली पत्र (अक्टूबर 2022) में जारी की गई कुल राशि ₹ 3.68 करोड़ बताई गई थी।

[27] सहज-ई-विलेज- ₹ 4.02 करोड़ एवं श्रीराम न्यू होराइजन- ₹ 0.81 करोड़ जैसा कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा 06 अक्टूबर 2022 तक की गणना की गई है।

कम है, तो परियोजना को तत्काल समाप्त कर दिया जायेगा एवं नियोजित किये गये प्रशिक्षुओं के अनुसार यथानुपात भुगतान किया जायेगा।

वार्षिक योजना की परियोजनाओं की मार्च 2021 तक भौतिक प्रगति आख्या के अनुसार, वार्षिक योजना की 10 परियोजनाओं में नियोजन की प्रगति प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं के 50 प्रतिशत से कम थी। इन परियोजनाओं का विस्तारित समय अक्टूबर 2019 एवं मई 2020 के मध्य समाप्त हो गया था। इस प्रकार, प्रावधानों के अनुसार इन परियोजनाओं को समाप्त किया जाना अपेक्षित था एवं नियोजित किये गये प्रशिक्षुओं की संख्या के अनुसार केवल यथानुपात भुगतान किया जाना अनुमन्य था। तथापि, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने इन 10 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा नियोजन लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जाने के बाद भी इनको किये गये ₹ 42.91 करोड़ के अतिरिक्त भुगतान[28] की वसूली (मार्च 2022 तक) नहीं की गयी थी, जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.3.3*** में उल्लिखित है।

राज्य सरकार द्वारा अवगत कराया गया (जुलाई 2023) कि वर्तमान में वार्षिक योजना की सभी परियोजनायें समाप्त किये जाने की स्थिति में थीं, जिनमें से दो परियोजनायें (आईसीए एवं ओरियन एडूटेक) समाप्त की जा चुकी थीं एवं शेष सभी परियोजनाओं को समाप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। राज्य सरकार ने अग्रेतर बताया कि वसूली एवं भुगतान दिशा-निर्देशों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

2.3.9 कार्य योजना 2016-19 की परियोजनाओं का कार्यान्वयन

2.3.9.1 कार्य योजना 2016-19 के लक्ष्य की प्राप्ति में विफलता

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कार्य योजना **2016-19** के लिए **1,84,520** प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण लक्ष्य को स्वीकृति प्रदान **(**जुलाई **2016)** की थी। इन लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि तालिका-**5** में उल्लिखित है।

तालिका 5: मार्च 2022 तक प्रशिक्षण एवं नियोजन के लक्ष्यों में कमी

अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार लक्ष्य (अ)		स्वीकृत परियोजनाओं के अनुसार लक्ष्य (ब)		कमी (*प्रतिशत में*) (अ)-(ब)=(स)	
प्रशिक्षण	नियोजन[29]	प्रशिक्षण	नियोजन	प्रशिक्षण	नियोजन
184520	129164	97139	67997	87381(47)	61167(47)

(स्रोत: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन)

[28] दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार यथानुपात आधार पर लेखा परीक्षा द्वारा तैयार की गयी।

[29] कुल प्रशिक्षित का *70* प्रतिशत।

तालिका-5 से स्पष्ट है कि कार्य योजना 2016-19 के लिए 1,84,520 प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण लक्ष्य के सापेक्ष, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने 97,139 (53 प्रतिशत) के प्रशिक्षण लक्ष्य के साथ परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की थी। इसके परिणामस्वरूप कार्य योजना के लिए अनुमोदित प्रशिक्षण लक्ष्यों में 47 प्रतिशत की कमी आयी थी। जिसकी चर्चा आगे के प्रस्तर *2.3.9.2* में की गयी है |

अग्रेतर, कार्य योजना 2016-19 में स्वीकृत परियोजनाओं के लक्ष्य एवं उपलब्धि में कमी **तालिका-6** एवं **चार्ट-2** में प्रदर्शित की गयी है:

तालिका 6: कार्य योजना 2016-19 की परियोजनाओं के अंतर्गत लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी

स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	कुल लक्ष्य		मार्च 2022 तक की उपलब्धि		कमी *(प्रतिशत में)*	
	प्रशिक्षण	नियोजन[30]	प्रशिक्षण	नियोजन	प्रशिक्षण	नियोजन
88	97139[31]	67997	46073	16063	51066 (53)	51934 (76)

(स्रोत: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन)

तालिका-6 से स्पष्ट है कि स्वीकृत परियोजनाओं के प्रशिक्षण एवं नियोजन लक्ष्यों की प्राप्ति में क्रमशः 53 *प्रतिशत* एवं 76 *प्रतिशत की विचारणीय कमी थी*। तथापि, अग्रेतर यह पाया गया कि कार्य योजना 2016-19 की 88 परियोजनाओं में से 44 (50 *प्रतिशत)* प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण एवं नियोजन के लक्ष्यों की प्राप्ति किये बिना मार्च 2022 तक निष्क्रिय थे।

चार्ट 2: कार्य योजना की स्वीकृत परियोजनाओं की मार्च 2022 तक की भौतिक प्रगति

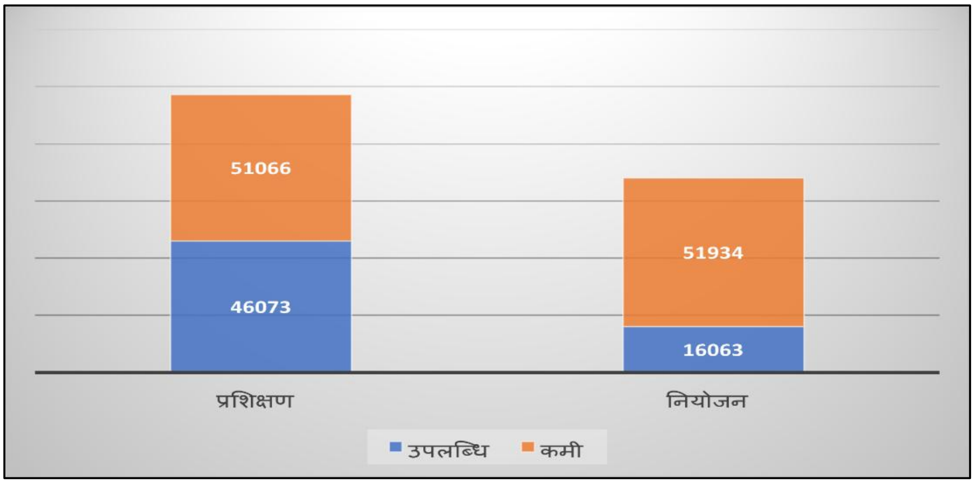

(स्रोत: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन)

30 कुल प्रशिक्षित का *70* प्रतिशत

31 ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कार्य योजना (2016-19) के अनुसार, प्रशिक्षण एवं नियोजन का कुल लक्ष्य क्रमशः 184520 एवं 129164 था।

राज्य सरकार द्वारा अवगत कराया गया (जुलाई 2023) कि में बताया गया कि कार्य योजना 2016-19 में कम प्रगति वाली परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की परियोजनायें समाप्त करने का निर्देश दिया गया है।

2.3.9.2 प्रस्तावों के लिए अनुरोध आमंत्रित करने में विलम्ब एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशों पर निष्क्रियता

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्य योजना 2016-19[32] में उत्तर प्रदेश के लिए डीडीयू-जीकेवाई हेतु 1,84,520 ग्रामीण निर्धन युवाओं के प्रशिक्षण का लक्ष्य अनुमोदित (जुलाई 2016) किया गया था। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा उपलब्ध करायी गयी (जनवरी 2024) सूचनाओं के अनुसार, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा मई 2017 से दिसंबर 2018 की अवधि में प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आरएफपी) आमंत्रित करने के लिए तीन अधिसूचनाएं निर्गत की गयी थीं, जिसका विवरण **तालिका-7** में प्रदर्शित है।

तालिका 7: कार्य योजना 2016-19 के लिए प्रस्तावों के लिए अनुरोध का विवरण

क्र.सं.	प्रस्तावों के लिए अनुरोध की अधिसूचना	जमा करने की अंतिम तिथि	प्रशिक्षण लक्ष्य
1	सं. 236 दिनांक 4 मई 2017	31-07-17	70000
2	सं. 2945 दिनांक 4 दिसंबर 2017	31-12-17	25000
3	सं. 2633 दिनांक 14 दिसंबर 2018	12-01-19	उल्लेख नहीं किया गया

(स्रोत: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन)

तालिका-7 से यह दृष्टिगत है कि कार्य योजना 2016-19 हेतु, प्रस्तावों के लिए अनुरोध आमंत्रित करने के लिए तीन अधिसूचनाएं निर्गत की गयी थी, जिनमें मात्र प्रथम दो अधिसूचनाओं में प्रशिक्षण लक्ष्य उल्लिखित थे। कार्य योजना 2016-19 के लिए प्रथम प्रस्तावों के लिए अनुरोध, मई 2017 में आमंत्रित किया गया था, अर्थात कार्य योजना की स्वीकृति के 11 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावों के लिए अनुरोध की अधिसूचनाओं[33] में जनपद-वार, कौशल क्षेत्र/व्यावसाय-वार आवश्यकता का कोई विवरण अंकित नहीं था।

[32] अनुमोदित कार्य योजना में लक्ष्य के वर्ष-वार विभाजन का उल्लेख नहीं किया गया था।

[33] उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने बार-बार मांग-पत्रों एवं अनुस्मारकों के उपरांत भी प्रस्तावों के लिए अनुरोध की कोई अन्य अधिसूचना एवं आमंत्रण, प्राप्त एवं अस्वीकृत प्रस्तावों की संख्या से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये।

अग्रेतर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा (नवंबर 2017) की एवं अगस्त 2017 तक *प्रशिक्षण लक्ष्य के* केवल सात प्रतिशत एवं नियोजन लक्ष्य के दो *प्रतिशत* की भौतिक प्रगति को संज्ञान में लेते हुए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य सरकार को, वर्ष 2017-18 में प्रशिक्षण एवं नियोजन प्रदान करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये तत्काल कदम उठाने एवं मार्च 2019 तक कार्य योजना लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया था। तथापि, **तालिका-7** स्पष्ट है कि कार्य योजना 2016-19 के लिए आरएफपी जनवरी 2019 तक आमंत्रित किया गया था, जिसके कारण कार्य योजना 2016-19 की परियोजनाओं के समाप्ति की अवधि मार्च 2019 (नमूना हेतु चयनित परियोजनाओं में सितंबर 2021 तक भी) के भी आगे चली गयी थी। इसके साथ ही, प्रशिक्षण परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान किये जाने की गति भी धीमी थी। कार्य योजना 2016-19 के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का वर्षवार विवरण **तालिका-8** में प्रदर्शित है।

तालिका 8 : कार्य योजना 2016-19 के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का वर्षवार विवरण

वर्ष	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	प्रशिक्षण लक्ष्य स्वीकृत परियोजना के अंतर्गत
2016-17	03	7550
2017-18	42	57758
2018-19	43	31831

(स्रोत: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन)

यह इंगित करता था कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने, मार्च 2019 तक कार्य योजना लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु, अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय की समीक्षा बैठक (नवंबर 2017) में दिये गये निर्देशों पर कोई कार्य नहीं किया था।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि कार्य योजना 2016-19 को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2016 में अनुमोदित किया गया था। तत्पश्चात्, अन्य कार्यवाही पूरी करते हुए, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रस्तावों के लिए अनुरोध निर्गत किया गया था एवं उक्त प्रस्तावों के लिए अनुरोध में, पूर्ण लक्ष्य का आवंटन न किए जाने के कारण प्रस्तावों के लिए अनुरोध पुनः निर्गत किया गया था, जिसके कारण उक्त प्रक्रिया में विलंब हो गया था। तथापि, मार्च 2019 तक कार्य योजना लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशों का पालन नही किये जाने पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी थी।

2.3.9.3 चिन्हित जोखिमों पर विचार किये बिना परियोजनाओं का चयन किया जाना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्य योजना 2016-19 की 23 नमूना जाँच हेतु चयनित परियोजनाओं में से, दो परियोजनाओं को, परियोजना मूल्यांकन एजेंसी के मूल्यांकन आख्या में चिन्हित किये गये जोखिमों पर विचार किये बिना स्वीकृति दी गई थी, जिसका विवरण अधोलिखित है:

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	परियोजना मूल्यांकन एजेंसी (नैबकॉन्स[34]) के मूल्यांकन आख्या में की गयी टिप्पणियां	परियोजना मूल्यांकन एजेंसी की संस्तुति	लेखापरीक्षा अवलोकन
तारा कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड	परियोजना मूल्यांकन एजेंसी द्वारा, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी की वित्तीय क्षमता की जांच, उसके द्वारा डीडीयू जीकेवाई के अंतर्गत संचालित अन्य परियोजनाओं की तुलना में की गयी| परियोजना मूल्यांकन एजेंसी के अनुसार, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी की राजस्थान राज्य में विगत स्वीकृत परियोजना के पश्चात, सीमित वित्तीय पात्रता (₹1.06 लाख) थी।	आवेदक की सीमित वित्तीय पात्रता पर विचार करने के उपरांत, परियोजना अनुमोदन समिति के अनुमोदन हेतु संस्तुति की जा सकती थी।	परियोजना की मूल्यांकन रिपोर्ट की संवीक्षा से पता चला कि मूल्यांकन एजेंसी ने परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के लिए अनुवर्ती प्रस्ताव के लिए अवशेष वित्तीय सीमा का आकलन किया था जो केवल ₹ 1.06 लाख थी। तथापि, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी ने ₹ 3.37 करोड़ के परियोजना के लिये (13 दिसंबर 2017) आवेदन किया था। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा मूल्यांकन आख्या की संस्तुति की अनदेखी करते हुए परियोजना को स्वीकृति (जून 2018) प्रदान की गयी थी। इस प्रकार, जो परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी, मात्र ₹ 1.06 लाख रुपये की परियोजना के लिए पात्र था, को ₹ 3.37 करोड़ की परियोजना की स्वीकृति दी गयी थी। इसके अतिरिक्त, 475 के प्रशिक्षण लक्ष्य के सापेक्ष, उपलब्धि केवल 274 (57 प्रतिशत) एवं 70 प्रतिशत के नियोजन लक्ष्य के

[34] नैबकॉन्स (नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज) को कार्य योजना 2016-19 की डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं की प्रारंभिक स्क्रीनिंग एवं गुणात्मक मूल्यांकन के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा परियोजना मूल्यांकन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था।

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	परियोजना मूल्यांकन एजेंसी (नैबकॉन्स[34]) के मूल्यांकन आख्या में की गयी टिप्पणियां	परियोजना मूल्यांकन एजेंसी की संस्तुति	लेखापरीक्षा अवलोकन
			सापेक्ष, मार्च 2022 तक उपलब्धि 111 (58 प्रतिशत) थी।
पीपल ट्री वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	परियोजना मूल्यांकन एजेंसी (नैबकॉन्स) ने मूल्यांकन आख्या में उल्लेख किया था कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी ने, बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में प्रारम्भ की गई डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं के नियोजन के आकड़े उपलब्ध कराये थे। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा पिछले डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं में नियोजित किये जाने का दावा करने वाले 30 प्रशिक्षुओं के नमूने में से, नैबकॉन्स ने पाया कि प्रशिक्षण के बाद किसी को नियोजन प्रदान नहीं किया गया था। इस प्रकार, नियोजन पर परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का प्रदर्शन बहुत खराब था।	परियोजना अनुमोदन समिति उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा अनुमोदन के लिए सिफारिश की जा सकती है। तथापि, नैबकॉन्स ने पहचाने गए जोखिमों का संदर्भ भी दिया था।	उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने नियोजन के जोखिम क्षेत्र की अनदेखी करते हुए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के 3,500 प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के प्रस्ताव के सापेक्ष 2,600 प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए परियोजना की स्वीकृति प्रदान (सितंबर 2017) की, जबकि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नियोजन का प्रदर्शन बहुत खराब बताया गया था। लेखापरीक्षा ने अग्रेतर देखा कि इस परियोजना में प्रशिक्षुओं के नियोजन की स्थिति खराब थी क्योंकि मार्च 2022 तक 734 प्रशिक्षुओं (अर्थात प्रशिक्षित 1,048 प्रशिक्षुओं में से 70 प्रतिशत) के लक्ष्य के सापेक्ष केवल 201 प्रशिक्षुओं (27 प्रतिशत) को नियोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रस्तर 2.3.11.4 (iii) में चर्चा के अनुसार नियोजन के समर्थन में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा संदिग्ध कूटरचित बैंक खाता विवरणों का उपयोग किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि डीडीयू-जीकेवाई योजना के अंतर्गत मनोनयन हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों का मूल्यांकन, नामित मूल्यांकन एजेंसी (पूर्ववर्ती एजेंसी नैबकॉन्स) द्वारा किया गया था एवं नैबकॉन्स को पत्र भेजकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि परियोजना मूल्यांकन एजेंसी ने मूल्यांकन रिपोर्टो में चिन्हित किये गये जोखिमों का संकेत दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने परियोजनाओं के अनुमोदन से पहले इन जोखिमों पर ध्यान नहीं दिया।

2.3.9.4 निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन न किया जाना

डीडीयू-जीकेवाई दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 4.5 के प्रावधानों के अनुसार, परियोजना अनुमोदन समिति की बैठकों के कार्यवृत्त निर्गत होने के 48 घंटे के भीतर परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया जाना था। अग्रेतर, डीडीयू-जीकेवाई के मानक संचालन प्रक्रिया के प्रस्तर 3.2 के अनुसार, समझौता-ज्ञापन के निष्पादन से 10 दिनों के भीतर पहली किश्त निर्गत करना सुनिश्चित किया जाना था एवं पहली किश्त निर्गत होने के 30 दिनों के भीतर पहले बैच का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जाना था।

लेखापरीक्षा जांच के लिए चयनित कार्य योजना 2016-19 की 23 परियोजनाओं के प्रकरणों में यह पाया गया कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के साथ समझौता-ज्ञापनों के निष्पादन, पहली किश्त निर्गत करने एवं पहले बैच का प्रशिक्षण शुरू करने में विचारणीय विलम्ब हुआ। 19 परियोजनाओं में समझौता-ज्ञापन के निष्पादन में 16 से 155 दिन, 18 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को प्रथम किश्त निर्गत किय जाने में दो से 226 दिन ***(परिशिष्ट 2.3.4 अ)*** एवं प्रथम बैच का प्रशिक्षण प्रारंभ करने में 21 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी में 14 से 112 दिन ***(परिशिष्ट 2.3.4 ब)*** का विलंब पाया गया था। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन एवं परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा दिशानिर्देशों में निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि परियोजना अनुमोदन समिति के बाद, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को समझौता-ज्ञापन पूर्ण करने का निर्देश दिया जाता है एवं परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी से वांछित अभिलेख प्राप्त करने के बाद ही समझौता-ज्ञापन किया गया है। इसके अतिरिक्त, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को उनके द्वारा प्रस्तुत

अभिलेखों की जांच करने जैसे बैंक गारंटी के सत्यापन के बाद ही पहली किश्त निर्गत की जाती है। समापन गोष्ठी में, राज्य सरकार द्वारा अवगत कराया (अगस्त 2023) गया कि भविष्य में समय-सीमा का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2.3.9.5 निष्पादन बैंक गारंटी का नवीनीकरण न किया जाना

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह निर्देशित किया गया (सितंबर 2017) था कि डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत नई परियोजना के लिए, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को कुल अनुमोदित लागत के 6.25 प्रतिशत न्यूनतम मूल्य की एक बैंक से निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करना होगा। अग्रेतर, यह सुनिश्चित किया जाना था कि बैंक से प्राप्त निष्पादन गारंटी, समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तिथि/उससे पहले से शुरू होने वाली अवधि से ले कर, परियोजना की अनुमोदित अवधि के समाप्त होने के 180 दिनों तक वैध रहे। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डीडीयू-जीकेवाई परियोजना में निष्पादन बैंक गारंटी का प्रारम्भ इस उद्देश्य के लिए किया गया था ताकि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अपर्याप्त या विलंबित प्रदर्शन या दिशा-निर्देशों या प्रोटोकॉल के उल्लंघन की स्थिति में सरकार को एक आश्वासन सुनिश्चित कराया जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्य योजना 2016-19 की 23 नमूना परियोजनाओं में से, 16 परियोजनाओं में, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा एक वैध निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करना आवश्यक था, जिनके समझौता-ज्ञापन पर अधिसूचना की तिथि के बाद हस्ताक्षर किये गए थे। तथापि, यह पाया गया कि इन 16 परियोजनाओं में निष्पादन बैंक गारंटी समाप्त (मार्च 2022 तक) हो गई थी एवं परियोजनाओं की विस्तारित अवधि के लिए नवीनीकृत नहीं की गई थी ***(परिशिष्ट 2.3.5)***। इस प्रकार, उपर्युक्त 16 परियोजनाओं में निष्पादन बैंक गारंटी के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देश (सितंबर 2017) का अनुपालन नहीं किया गया था। कार्य योजना 2016-19 की परियोजनाओं की खराब प्रगति को देखते हुए, परियोजना को अंतिम रूप देने तक निष्पादन बैंक गारंटी की वैधता महत्वपूर्ण थी।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि डीडीयू-जीकेवाई योजना के अंतर्गत, परियोजना अनुमोदन समिति की चौथी बैठक से पूर्व के सभी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी पर बैंक गारंटी अनिवार्य नहीं था। राज्य सरकार ने अग्रेतर बताया कि समाप्त हो चुकी बैंक गारंटियों के नवीनीकरण के लिए मिशन कार्यालय से पत्र निर्गत किया गया है।

उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि उपर्युक्त 16 परियोजनाओं में वैध निष्पादन बैंक गारंटी प्राप्त करने की आवश्यकता थी, क्योंकि इन परियोजनाओं, को परियोजना अनुमोदन समिति की चौथी बैठक के बाद अनुमोदित किया गया था जैसा कि ***परिशिष्ट 2.3.5*** में वर्णित है।

2.3.9.6 परियोजना निधि को अनियमित रूप से चालू खाते में रखा जाना

ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना (जनवरी 2015) के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गैर-धारा 25 कंपनी के रूप में पंजीकृत को छोड़कर सभी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को डीडीयू-जीकेवाई योजना की परियोजना निधियों को बचत बैंक खाते में रखना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 23 नमूना परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी में से, 21 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी ***(परिशिष्ट 2.3.6)*** ने डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं के लिए चालू खाता खोला था। तथापि, इन 21 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी में से पांच, ट्रस्ट या सोसाइटी के रूप में पंजीकृत थे, लेकिन यह परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां डीडीयू-जीकेवाई परियोजना के लिए चालू खाते का संचालन कर रहीं थीं। लेखापरीक्षा ने अग्रेतर पाया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने मार्च 2022 तक इन पांच परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 29.37 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की थी, जिसका विवरण **तालिका 9** में उल्लिखित है।

तालिका 9: ट्रस्ट एवं सोसायटी के रूप में पंजीकृत परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा चालू खाते का संचालन

क्र.सं.	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी की प्रकृति	कुल परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	मार्च 2022 तक अवमुक्त धनराशि (₹ करोड़ में)
1	इंदिरा गांधी कम्प्यूटर साक्षरता मिशन	ट्रस्ट	14.94	11.21
2	निरंजन माध्यमिक शिक्षा समिति	सोसाइटी	3.67	2.74
3	स्वर्गीय महाबीर प्रसाद मेमोरियल शिक्षण संस्थान	सोसाइटी	4.50	3.38
4	सोशल एक्शन फॉर वेलफेयर एंड कल्चरल एडवांसमेंट	सोसाइटी	14.99	7.36
5	मास इन्फोटेक सोसाइटी (P2)	सोसाइटी	9.45	4.68
	कुल		**47.55**	**29.37**

(स्रोत: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन)

इस प्रकार, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने डीडीयू-जीकेवाई परियोजना के लिए बचत बैंक खाते के संचालन के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया था।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि वर्तमान में, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के लिए एकल नोडल खाता (एसएनए) संचालित किया जा रहा है एवं पात्र परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान भी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के एसएनए खाते में किया जा रहा है।

स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने 2016-22 की अवधि में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के चालू खाते में अनियमित रूप से ₹ 29.37 करोड़ की परियोजना निधि अवमुक्त की थी।

2.3.9.7 अनधिकृत भुगतान/अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाना

(i) अभिलेखों की जांच में पाया गया कि तकनीकी सहायता एजेंसी (तकनीकि सहायता एजेंसी)[35] के रिपोर्ट (सितंबर 2019), के अनुसार जेआईटीएम स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड (परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी) द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया के अनुच्छेद 8.3 (परियोजना निधि प्रबंधन) एवं 8.7.1 (परियोजना के अंतर्गत खरीदी जाने वाली संपत्ति) का उल्लंघन करते हुए, परिसंपत्तियों की खरीद के लिए क्रमशः सावधि जमा पर ₹ 2.00 करोड़ एवं संपत्ति खरीदने के लिए ₹ 19.93 लाख की परियोजना निधि का अनियमित रूप से उपयोग किया गया था। तकनीकी सहायता एजेंसी की संस्तुति पर, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी पर ₹ 0.50 लाख का अर्थदण्ड लगाया (फरवरी 2020) एवं व्यावर्तित किए गए निधि पर 10 प्रतिशत की दर से ब्याज (₹ 19.93 लाख) 20 फरवरी 2020 तक जमा करने का आदेश दिया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा ₹ 0.50 लाख की अर्थदण्ड की धनराशि, डीडीयू-जीकेवाई के परियोजना खाते से जमा (फरवरी 2020) की गयी थी न कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के स्वनिधि से। अग्रेतर, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा तद्दिनांक (जुलाई 2022) तक उपार्जित ब्याज की धनराशि को जमा नहीं किया गया था। तथापि, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा अर्थदण्ड जमा करने

[35] नैबकॉन्स।

के लिए परियोजना निधि का अनधिकृत उपयोग करने एवं व्यावर्तित निधि पर उपार्जित ब्याज जमा न करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की थी।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी पर लगाए गए अर्थदण्ड का भुगतान उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को किया गया था एवं व्यावर्तित किए गये निधि पर अर्जित ब्याज को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को आगामी अवमुक्त किये जाने वाले निधि से समायोजित किया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी ने स्वनिधि से भुगतान करने के बजाय उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को अर्थदण्ड जमा करने के लिए परियोजना निधि का उपयोग किया था, जो डीडीयू-जीकेवाई मानक संचालन प्रक्रिया के अनुच्छेद 8.3 का उल्लंघन था, जिसमें कहा गया था कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को धनराशि का उपयोग विनिर्दिष्ट रूप से परियोजना के उद्देश्यों के लिए करना चाहिए। समापन गोष्ठी (अगस्त 2023) में, राज्य सरकार ने उत्तर दिया कि प्रकरण की जांच के बाद आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(ii) इसी तरह, फोकस एडु केयर प्राइवेट लिमिटेड (परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी) को, अवमुक्त परियोजना निधि में से ₹ 1 करोड़ के सावधि जमा सृजित किये जाने (सितंबर 2018) के लिए दंडित किया गया था एवं फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा ₹ 0.50 लाख का अर्थदण्ड लगाया गया था। तथापि, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी ने न तो अर्थदण्ड की धनराशि जमा की एवं न ही उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा मार्च 2022 तक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई थी।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के दायित्वहीन व्यवहार के कारण, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा वसूली नोटिस निर्गत (सितंबर 2022) किया गया था एवं परियोजना समाप्त करने की प्रक्रिया भी प्रारम्भ की गई थी।

(iii) एक अन्य परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी, खातूर फाइबर्स एंड फैब्रिक्स लिमिटेड ने अवमुक्त परियोजना निधि की प्रथम किश्त की धनराशि ₹ 3.73 करोड़ में से ₹ 3.25 करोड़ की सावधि जमा (अप्रैल 2018) का सृजन कर लिया था। तकनीकी सहायता एजेंसी की संस्तुति (सितंबर 2019) पर, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी पर

₹ 0.50 लाख का अर्थदण्ड लगाया (फरवरी 2020) एवं 15 दिनों के भीतर लागू दिनों के लिए 10 प्रतिशत के ब्याज के साथ व्यावर्तित निधि (₹ 3.25 करोड़) वापस करने का निर्देश दिया । लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी से न तो ₹ 1.30[36] करोड़ ब्याज के साथ व्यावर्तित ₹ 3.25 करोड़ की धनराशि एवं न ही 0.50 लाख रुपये का अर्थदण्ड वसूल किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि अवमुक्त धनराशि की वसूली के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को कारण बताओ नोटिस/वसूली पत्र जारी किया गया है। तथापि, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने अग्रेतर अवगत कराया (जनवरी 2024) कि वसूली के लिए संबंधित जिलाधिकारी को एक पत्र निर्गत किया गया था जो लंबित है।

2.3.9.8 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुचित लाभ प्रदान करना

डीडीयू-जीकेवाई दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 3.2.2.20 में, एक परियोजना में, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा खराब प्रदर्शन करने पर, की जाने वाली कार्यवाही का उल्लेख किया गया है। यदि नए प्रवेशकों के लिए एक वर्ष की अवधि में उपलब्ध परिणाम संतोषजनक नहीं है, अर्थात् प्रशिक्षण पूर्ण होने के तीन माह के भीतर, प्रशिक्षित किये गये व्यक्तियों का 49 प्रतिशत एवं उससे कम नियोजन किया जाता है, तो परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को परियोजना में प्रशिक्षण बंद करने के लिए कहा जायेगा। ऐसे प्रकरणों में, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को नियोजन के लिए यथानुपात आधार पर भुगतान किया जायेगा।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि डीडीयू-जीकेवाई योजना के अन्तर्गत कार्य योजना 2016-19 में खातूर फाइबर्स एंड फैब्रिक्स लिमिटेड (परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी) को ₹ 14.93 करोड़ (फरवरी 2018) की परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें 1,900 प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण लक्ष्य के साथ, मार्च 2018 में, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को ₹ 3.73 करोड़ रुपये की पहली किश्त अवमुक्त की गई थी। अग्रेतर, डीडीयू-जीकेवाई योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को न्यूनतम 1,330 प्रशिक्षुओं अर्थात प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं *का* 70 प्रतिशत नियोजन सुनिश्चित करना था। तथापि, मार्च 2022 तक प्रशिक्षित 736 प्रशिक्षुओं के सापेक्ष नियोजन के सन्दर्भ में परियोजना की प्रगति शून्य थी।

[36] 4 वर्षों के लिए रु. 3.25 करोड़ पर @10 प्रतिशत (अप्रैल 2018 से मार्च 2022)।

इसी तरह, एक अन्य नमूना परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी, डोरिक मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण में, यह देखा गया कि 504 प्रशिक्षुओं के नियोजन लक्ष्य के सापेक्ष, मार्च 2018 में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को ₹1.25 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने के उपरांत भी मार्च 2022 तक, कोई नियोजन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, कार्य योजना 2016-19 की सात अन्य परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को डीडीयू-जीकेवाई योजना के अंतर्गत ₹ 13.28 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने के बावजूद, मार्च 2022 तक उनके द्वारा कोई भी नियोजन प्रदान नहीं किया जा सका था। इन सभी नौ परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए प्रशिक्षण एवं नियोजन के संदर्भ में उपलब्धि (मार्च 2022 तक) का विवरण **तालिका-10** में दिखाया गया है।

तालिका 10: प्रशिक्षण एवं नियोजन लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि का विवरण

क्र.सं.	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	पहली किस्त भुगतान की तिथि	भुगतान की गई धनराशि (₹ करोड़ में)	परियोजना के प्रारंभ की तिथि	मार्च 2022 तक प्रशिक्षण		मार्च 2022 तक नियोजन	
					लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	खातूर फाइबर्स एंड फैब्रिक्स लिमिटेड	26-03-2018	3.73	03-05-2018	1900	736	1330	0
2	डोरिक मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड	27-03-2018	1.25	03-05-2018	720	202	504	0
3	टॉप्स सिक्योरिटी लिमिटेड	25-04-2018	4.99	25-05-2018	2050	206	1435	0
4	एसीएमई इंडिया माइक्रोसिस प्राइवेट लिमिटेड	04-09-2018	1.25	04-10-2018	510	119	375	0
5	विदर्भ बहुउद्देशिया शिक्षण संस्थान	03-10-2018	0.99	03-11-2018	432	97	302	0
6	चाणक्य फाउंडेशन	27-12-2018	1.24	21-01-2019	485	98	340	0
7	एरेस सॉफ्टवेयर एंड एजुकेशन	27-12-2018	1.85	21-01-2019	550	70	385	0
8	शक्ति इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	06-11-2018	1.16	06-12-2018	600	30	420	0
9	अर्थकॉन कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	15-05-2019	1.80	09-06-2019	900	0	630	0
योग			**18.26**		**8147**	**1551**	**5721**	**शून्य**

(स्रोत: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन)

जैसा कि **तालिका-10** में वर्णित है, एक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (मेसर्स अर्थकॉन कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड) ने प्रशिक्षुओं को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया था। अग्रेतर, आठ अन्य परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी से प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं का नियोजन मार्च 2022 तक शून्य था, यहां तक कि प्रारंभ होने के तीन साल से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी। इसलिए, डीडीयू-जीकेवाई दिशा-निर्देशों के धारा 3.2.2.20 के अनुसार इन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों पर कार्यवाही की जा सकती थी एवं इन परियोजनाओं को समाप्त कर, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को भुगतान की गई धनराशि वसूल की जानी चाहिए थी। तथापि, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा इनमें से आठ[37] परियोजनाओं को समय-विस्तार[38] (सितंबर 2021 एवं मार्च 2022) दिया गया था। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की इस कार्यवाही से न केवल इन खराब निष्पादन करने वाले परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया बल्कि यह योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन भी था, साथ ही, इन नौ परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों से दण्डात्मक ब्याज के साथ भुगतान की गई ₹ 18.28 करोड़ की धनराशि की वसूली आज तक नहीं हो पायी थी।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि दिशा-निर्देशों के धारा 3.2.2.20 में निहित निर्देशों का पालन करते हुए, उन सभी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कार्यालय-आदेश जारी किए गए थे, जिनका नियोजन प्रतिशत कार्य योजना 2016-19 तक 50 प्रतिशत से कम था। इसके अतिरिक्त, खराब प्रदर्शन करने वाले परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को वसूली हेतु पत्र भी प्रेषित किये गये थे।

स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की विलम्बित कार्यवाही से परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुचित लाभ हुआ एवं प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को सुनिश्चित नियोजन प्रदान करने की योजना का उद्देश्य विफल हो गया।

[37] अर्थकॉन के मामले में परियोजना के पूरा होने की अवधि जून 2022 तक थी।

[38] क्रम संख्या 1 सितंबर 2022 तक, क्रम संख्या 2,4,5,6,7 मार्च 2023 तक, क्रम संख्या 3 नवंबर 2022 तक, क्रम संख्या 8 23 जून तक (तालिका 11)

2.3.9.9 तकनीकी सहायता एजेंसी को अनियमित रूप से संयोजित किया जाना एवं निधि अवमुक्त किया जाना

दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 6.3 में प्रावधान है कि राज्य सरकारें, डीडीयू-जीकेवाई परियोजना के अनुश्रवण के लिए सक्षम तकनीकि सहायता एजेंसी की सेवाएं प्राप्त कर सकती हैं। यदि समवर्ती अनुश्रवण का कार्य आउटसोर्स किया जा रहा है तो विशिष्ट समझौता ज्ञापन किये जाने की आवश्यकता है।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, डीडीयू-जीकेवाई दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 6.3 का उल्लेख करते हुए डीडीयू जीकेवाई परियोजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को तकनीकी सहायता एजेंसी के रूप में नैबकॉन्स की नियुक्ति के लिए अनुमति (मार्च 2016) प्रदान की थी, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी के रूप में लगाया गया था। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं के अनुश्रवण के लिए नैबकॉन्स को तकनीकी सहायता एजेंसी के रूप में संयोजित (मई 2016) किया गया था। आगे यह पाया गया कि सेवाओं के क्रय की प्रक्रियाओं[39] को अपनाए बिना तकनीकी सहायता एजेंसी को संयोजित किया गया था तथा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन एवं नैबकॉन्स के बीच इस उद्देश्य के लिए समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर, संयोजित किये जाने के चार साल के बाद, 24 जून 2019 को किए गए थे। इस प्रकार, नैबकॉन्स के लिए समझौता-ज्ञापन के नियम एवं शर्तें 24 जून 2019 से लागू हुई। तथापि, समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से पहले कार्य योजना 2016-19 के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के लिए अनुश्रवण लागत का नैबकॉन्स को भुगतान किया गया था। समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए बिना नैबकॉन्स को ₹ 3.99 करोड़[40] की धनराशि का अनियमित भुगतान (मार्च एवं अक्टूबर 2018) किया गया था। अग्रेतर, यह पाया गया कि तकनीकी सहायता एजेंसी ने परियोजनाओं का कठोर अनुश्रवण नहीं किया था। प्रमुख सचिव द्वारा पर्यवेक्षण में यह पाया (29 जनवरी 2020) गया कि तकनीकी सहायता एजेंसी के कार्य की गुणवत्ता की कठोर समीक्षा की आवश्यकता थी। तत्पश्चात, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के मिशन निदेशक द्वारा नैबकॉन्स को निर्गत एक पत्र में उल्लेख किया गया था कि यदि नियमित अंतराल पर गुणवत्तापूर्ण कठोर अनुश्रवण

---

[39] उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने सूचित किया (जनवरी 2024) कि डीडीयू-जीकेवाई एक केंद्र प्रायोजित योजना है, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन परामर्श एवं अन्य सेवाओं की खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा जारी परामर्श एवं अन्य सेवाओं के लिए क्रय मैनुअल, 2017 का पालन करता है।

[40] ₹ 2.31 करोड़ (मार्च 2018) + ₹ 1.68 करोड़ (अक्टूबर 2018)।

किया गया होता तो कार्य योजना 2016-19 की चल रही 105 परियोजनाएं पूरी हो सकती थीं। इस प्रकार, नैबकॉन्स को तकनीकी सहायता एजेंसी के रूप में संयोजित करना एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए बिना अनुश्रवण लागत का भुगतान किया जाना अनियमित था।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर (जुलाई 2023) में डीडीयू-जीकेवाई के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को तकनीकी सहायता एजेंसी के रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए उपाध्यक्ष, नैबकॉन्स को प्रेषित एक पत्र (मई 2016) की प्रति प्रदान की। तथापि, प्रतिस्पर्धात्मक निविदा का अनुसरण किए बिना तकनीकी सहायता एजेंसी की अनियमित नियुक्ति एवं समझौता-ज्ञापन निष्पादित किये बिना अनुश्रवण लागत का भुगतान किये जाने पर उत्तर मौन था।

2.3.9.10 तकनीकी सहायता एजेंसी द्वारा अनुबंध का अनुपालन न किया जाना

दिशा-निर्देशों के अनुसार डीडीयू-जीकेवाई योजना के अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन एवं तकनीकी सहायता एजेंसी (ग्रांट थॉर्नटन भारत एलएलपी) के बीच 25 सितंबर 2020 को 36 माह के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि तकनीकी सहायता एजेंसी के द्वारा कार्य में शिथिलता का संज्ञान उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को माह अक्टूबर 2020 से था। तकनीकी सहायता एजेंसी ने जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर योजना की प्रभावी अनुश्रवण एवं कुशल कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक ढांचा विकसित करने की आवश्यकता से संबंधित अनुच्छेद 3.2.2 में उल्लिखित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था। तकनीकी सहायता एजेंसी द्वारा योजना का वास्तविक समय के अनुसार अनुश्रवण किये जाने के लिए ढांचा विकसित नहीं किया गया, जिसके कारण प्रशिक्षुओं की वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी एवं योजना के अंतर्गत गुणवत्ता प्रभावित हुई।

अग्रेतर, तकनीकी सहायता एजेंसी द्वारा अनुबन्ध के अनुच्छेद 17 (जनशक्ति तैनाती) के प्रावधान का अनुपालन भी नहीं किया गया था। उसने अनुबन्ध में किये गये प्रावधान के अनुसार आवश्यक 41 कार्मिकों (लगभग 425 परियोजनाओं के लिए) के सापेक्ष केवल 21 कार्मिकों को नियुक्त किया था। अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने के 18 माह से अधिक समय तक तकनीकी सहायता एजेंसी द्वारा इन महत्वपूर्ण प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया

गया था। तकनीकी सहायता एजेंसी द्‌वारा अनुबन्ध के प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना, अनुबन्ध के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दण्डात्मक प्रावधान को आमंत्रित करता था। उक्त उल्लिखित प्रकरणों को उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्‌वारा ही इंगित किया गया था एवं मार्च 2022 में तकनीकी सहायता एजेंसी को सूचित किया गया था था। तथापि, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने अनुबन्ध के प्रावधान के अनुसार कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की थी। बल्कि, मार्च 2022 तक तकनीकी सहायता एजेंसी को ₹ 2.88 करोड़ का भुगतान किया गया था। पर्याप्त जनशक्ति की तैनाती में कमी एवं वास्तविक समय पर आधारित अनुश्रवण प्रणाली के लिए वांछित ढांचा विकसित न किया जाना, तकनीकी सहायता एजेंसी के द्‌वारा अनुबंध का अनुपालन न किया जाना एवं योजना के शिथिल अनुश्रवण को दर्शाता है।

राज्य सरकार द्‌वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि समझौता-ज्ञापन के अनुसार, संसाधनों का आवश्यक अनुपात, सक्रिय परियोजना केंद्रों के संबंध में बनाये रखना था। समझौता-ज्ञापन के अनुसार तकनीकी सहायता एजेंसी ने अनुपात को बनाये रखा है। अग्रेतर, तकनीकी सहायता एजेंसी को भुगतान किया गया शुल्क, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्गत की गई पहली किश्त के सापेक्ष अग्रिम है, जो समझौता ज्ञापन के अनुसार ही है। तथापि, अक्टूबर 2020 में, राज्य में व्यापक रूप से फैले कोरोनावायरस के कारण, कोई भी प्रशिक्षण केंद्र काम नहीं कर रहा था। तकनीकी सहायता एजेंसी ने 30 संसाधन व्यक्तियों को तैनात किया एवं अवधि में अनुपात बनाये रखा।

उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि समझौता-ज्ञापन के अनुच्छेद 17 के संदर्भ में, तकनीकी सहायता एजेंसी को मार्च 2022 तक 409 सक्रिय[41] परियोजनाओं के अनुसार 40 कार्मिकों[42] को तैनात करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार, केवल 30 संसाधन व्यक्तियों की तैनाती समझौता ज्ञापन का उल्लंघन थी, जिसमें परियोजना एवं संसाधन के अनुपात को बनाये रखने का प्रावधान किया गया था। अग्रेतर, योजना के प्रभावी अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता एजेंसी द्‌वारा व्यापक ढाँचा विकसित न किये जाने के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया था।

[41] समझौते में उल्लिखित 425 परियोजनाओं के लिए 41 पेशेवरों के अनुपात में गणना की गई।

[42] 20 वार्षिक योजना परियोजनाएं, 88 कार्य योजना 2016-19 परियोजनाएं एवं 301 कार्य योजना 2019-22 परियोजनाएं।

समापन गोष्ठी (अगस्त 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने कहा कि तकनीकी सहायता एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगा जायेगा एवं आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

2.3.10 कार्य योजना 2019-22 परियोजनाओं का चयन एवं अनुमोदन

2.3.10.1 कार्य योजना 2019-22 के लक्ष्य की स्वीकृति में कमी

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की अधिकार प्राप्त समिति, ने 2,25,000 प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण लक्ष्य के साथ उत्तर प्रदेश के लिए डीडीयू-जीकेवाई की कार्य योजना 2019-22 को स्वीकृति (फरवरी 2019) दी। प्रशिक्षण लक्ष्य में 1,41,616 नये प्रशिक्षु एवं 83,384 प्रशिक्षु सम्मिलित थे, जिन्हें वर्तमान कार्य योजना 2016-19 से प्रशिक्षित किए जाने का अनुमान था। सितंबर 2019 तक कार्य योजना 2019-22 लक्ष्य के सभी लक्ष्य को स्वीकृति देने एवं सभी लक्ष्यों की स्वीकृति के लिए जल्द से जल्द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया था। तथापि, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने दिसंबर 2019 में प्रस्तावों के लिए अनुरोध आमंत्रित किया था जिसे जनवरी 2020 तक बढ़ा दिया गया था। यह देखा गया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने कार्य योजना 2019-22 के अंतर्गत 307 परियोजनाओं[43] में से 301 परियोजनाओं को स्वीकृति आदेश (जुलाई 2020 से मई 2021 की अवधि) निर्गत किये, जिसमें 1,41,616 प्रशिक्षुओं के नये लक्ष्य के सापेक्ष 1,50,765 प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण लक्ष्य था। इस प्रकार, कार्य योजना 2019-22 की स्वीकृत परियोजनाओं में पिछले कार्य योजना 2016-19 से संबंधित केवल 9,149 प्रशिक्षुओं[44] की कमी को आच्छादित किया गया। तथापि, शेष कमी को पूर्ण करने के लिए कोई अन्य परियोजना स्वीकृत नहीं की गई।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्गत 28 फरवरी 2019 के कार्यवृत्त के अनुसार, कार्य योजना 2019-22 के लिए 2,25,000 के कुल लक्ष्य के मुकाबले केवल 1,41,616 प्रशिक्षुओं को आवंटित किया जाना था। 83,384 के शेष लक्ष्य को कार्य योजना 2016-19 के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। समापन गोष्ठी (अगस्त 2023) के समय, राज्य सरकार ने अवगत कराया कि दिये गये उत्तर का फिर से विश्लेषण किया जायेगा एवं जल्द से जल्द सूचित किया

---

[43] मार्च 2022 तक 06 परियोजनाओं के मामले में स्वीकृति आदेश जारी नहीं किए गए थे।

[44] 150765-141616=9149।

जायेगा। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने (जनवरी 2024) पुष्टि की कि कार्य योजना 2016-19 एवं कार्य योजना 2019-22 के अंतर्गत क्रमशः 88 एवं 307 परियोजनाओं को स्वीकृति देकर लक्ष्य हासिल किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कार्य योजना 2016-19 की 88 स्वीकृत परियोजनाओं एवं कार्य योजना 2019-22 की 307 स्वीकृत परियोजनाओं में 247904[45] प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण लक्ष्य को आच्छादित किया गया था, जबकि उक्त दोनों कार्य योजनाओं में सम्मिलित रूप से अनुमोदित प्रशिक्षण लक्ष्य 326136[46] प्रशिक्षुओं का था। इस प्रकार, कार्य योजना 2016-19 एवं कार्य योजना 2019-22 के अंतर्गत प्रशिक्षित होने वाले 78232 प्रशिक्षुओं की कमी रह गयी थी।

2.3.10.2 कार्य योजना 2019-22 हेतु परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी की चयन प्रक्रिया का दोषपूर्ण होना

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने 17 दिसंबर 2019 को डीडीयू-जीकेवाई के कार्य योजना 2019-22 के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रस्ताव (आरएफपी) आमंत्रित किये। परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अवधि 19 दिसंबर 2019 से 30 दिसंबर 2019 तक थी, जिसे बाद में 10 जनवरी 2020 तक समय-वृद्धि दिया गया था। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, कार्य योजना 2019-22 के लिए कुल 955 प्रस्ताव प्राप्त होने की आख्या मिली थी। प्रस्तावों की सूची के जांच में निम्नानुसार तथ्य सामने आये:

- कार्य योजना 2016-19 के लिए आरएफपी की अंतिम तिथि[47] एवं कार्य योजना 2019-22 के लिए आरएफपी के प्रकाशन की तारीख[48] से पहले 118 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। जिसमें से 29 प्रस्ताव परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किये गये थे।
- कार्य योजना 2019-22 के लिए आरएफपी की अवधि में 380 प्रस्ताव प्राप्त हुये एवं इनमें से 134 को परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।

---

[45] 97139 (88 परियोजनाओं का लक्ष्य) + 150765 (307 परियोजनाओं का लक्ष्य) = 247904।

[46] 184520 (कार्य योजना 2016-19 का लक्ष्य) + 141616 (कार्य योजना 2019-22 की नई परियोजनाओं के लिए लक्ष्य) =326136।

[47] 05 जनवरी 2019।

[48] 17 दिसंबर 2019।

- आरएफपी की अंतिम तिथि[49] (1 मई 2020 तक प्राप्त) के बाद 218 प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये एवं इनमें से 92 को परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।

इस प्रकार, आरएफपी के प्रकाशन से पहले एवं बाद में प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकार करना एवं उन पर विचार करना अनियमित था, जो आरएफपी आमंत्रण के उद्देश्य को विफल करता है एवं चयन प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि इस संबंध में 'कुडुम्बश्री'[50] (परियोजना मूल्यांकन एजेंसी) से उत्तर की उम्मीद की गई थी, जिसके लिए पत्राचार किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने आगे बताया (जनवरी 2024) कि 'कुडुम्बश्री' के उत्तर की प्रतीक्षा है।

2.3.10.3 खराब प्रदर्शन करने वाली परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों का कार्य योजना 2019-22 हेतु पुनः चयन किया जाना

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने कार्य योजना 2019-22 की 13 परियोजनाओं को 11 ऐसे परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को सौंप दिया, जिन्हें पहले वार्षिक योजना एवं कार्य योजना 2016-19 में परियोजनाएं आवंटित की गई थीं। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि चार खराब प्रदर्शन करने वाले परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को फिर से कार्य योजना 2019-22 में परियोजनायें आवंटित की गयी थी, जिसका आगे के प्रस्तर में चर्चा की गयी है:

(i) लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना अनुमोदन समिति ने अपनी बैठक (मई 2020) में डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत पूर्व आवंटित परियोजनाओं में उनके असंतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर तीन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी[51] के परियोजना प्रस्तावों को निरस्त कर दिया। तथापि, इन तीन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को परियोजना अनुमोदन समिति की पिछली बैठक (जनवरी 2020) में तीन अन्य परियोजनाओं हेतु पहले ही स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा जुलाई से दिसंबर 2020 के दौरान स्वीकृति आदेश निर्गत की गई थी, अर्थात इन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को अस्वीकार करने के परियोजना अनुमोदन समिति के फैसले के बाद। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश कौशल विकास

[49] 10 जनवरी 2020।

[50] यह केरल सरकार का गरीबी उन्मूलन मिशन है।

[51] सेंटर ऑफ़ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ई-आश्रम इन्फोटेक एवं दक्ष अकादमी।

मिशन ने तीन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी की ₹ 20.81 करोड़ की तीन परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ा एवं ऐसे परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को ₹ 5.21 करोड़ की धनराशि (मार्च से मई 2021) अवमुक्त की, यद्यपि इन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा खराब प्रदर्शन के लिए अस्वीकार कर दिया गया था।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि 9वीं परियोजना अनुमोदन समिति 31 जनवरी 2020 को बुलाई गई थी एवं 10वीं परियोजना अनुमोदन समिति 5 मई 2020 को बुलाई गई थी, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई थी। 10वीं परियोजना अनुमोदन समिति में प्रस्तुत परियोजनाओं द्वारा राज्य में पहले से ही किए जा रहे प्रशिक्षण एवं रोजगार को देखते हुए, लक्ष्य आवंटन केवल उन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को किया गया था जिन्होंने आवंटित लक्ष्य के मुकाबले 50 प्रतिशत *एवं 60* प्रतिशत रोजगार दर्ज किया था।

उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि उपर्युक्त तीन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापनों को निष्पादित एवं साथ ही परियोजनाओं के लिए स्वीकृति, 10 वीं परियोजना अनुमोदन समिति में इन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को उनके असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण अस्वीकार करने के बाद दी गई थी।

समापन गोष्ठी (अगस्त 2023) के समय, राज्य सरकार ने अवगत कराया कि यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किये जायेंगे कि भविष्य में इस तरह के प्रकरणों की पुनरावृत्ति न हो।

(ii) अग्रेतर देखा गया कि वार्षिक योजना के एक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी[52] को फिर से (जनवरी 2021) कार्य योजना 2019-22 में ₹ 4.73 करोड़ की परियोजना की स्वीकृति प्रदान किया गया था। तथापि, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को परियोजना अनुमोदन समिति ने उसके खराब प्रदर्शन के लिए अस्वीकार (मई 2020) कर दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने फिर से परियोजना को स्वीकृति (सितंबर 2020) के लिए प्रस्तावित करते हुए कहा कि एमपीआर पोर्टल के अनुसार, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी ने मार्च 2020 तक 1,001 प्रशिक्षुओं का नियोजन किया था, जो लक्ष्य का 51.50 *प्रतिशत* था। अग्रेतर यह उल्लेख किया गया था कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा एमआरआईजीएस पोर्टल पर उपरोक्त डेटा अपलोड नहीं किया गया था, जिसके कारण तकनीकी सहायता

[52] ओरिएंट क्राफ्ट फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रा.लि.।

एजेंसी रिपोर्ट में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन का उल्लेख 20.20 *प्रतिशत* था एवं इसलिए, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को पहले अस्वीकार कर दिया गया था। इस परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी की परियोजना को एसीएस, वीएसईडी जो परियोजना अनुमोदन समिति के अध्यक्ष भी थे, के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था। यद्यपि, परियोजना अनुमोदन समिति की स्वीकृति प्राप्त किये बिना परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के पक्ष में परियोजना को स्वीकृति (जनवरी 2021) प्रदान की गयी थी।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा कार्यान्वित डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं की मार्च 2021 एवं मार्च 2022 की प्रगति रिपोर्ट की लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी क्रमशः 632 एवं 720 प्रशिक्षुओं का नियोजन प्रदान कर सकता है। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा सितंबर 2020 में प्रस्तुत प्रगति, जिसमें 1,001 प्रशिक्षुओं के नियोजन का संकेत दिया गया था, सही नहीं था, एवं परियोजना को गलत नियोजन आंकड़े पर अनुमोदित किया गया था। इस प्रकार, परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा एक बार अस्वीकार किए जाने के बाद परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को परियोजना अनुमोदन समिति की औपचारिक स्वीकृति के बिना अनियमित रूप से स्वीकृति प्रदान किया गया था एवं परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को ₹ 1.18 करोड़ की धनराशि (मार्च 2022) अवमुक्त की गई थी।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि प्रकरण में जांच के बाद डीडीयू-जीकेवाई दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के विरुद्ध आवश्यक अर्थदण्ड एवं अन्य कार्यवाही की जा रही है।

2.3.10.4 **कार्य योजना** *2019-22 के लिए परियोजना मूल्यांकन एजेंसी की अनुचित नियुक्ति*

परामर्श एवं अन्य सेवाओं के क्रय नियमावली 2017 में प्रावधान है कि 'सभी योग्य सेवा प्रदाताओं/सलाहकारों को प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जाने चाहिए' एवं चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं सत्यनिष्ठा होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने कार्य योजना 2019-22 के लिए परियोजना मूल्यांकन एजेंसी (पीएए) के रूप में 'कुडुम्बश्री' को नियुक्त किया एवं इस उद्देश्य के लिए 9 अक्टूबर 2019 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। यह पाया गया कि पीएए का

चयन 9 सितंबर 2019 के ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक पत्र का उल्लेख कर नामांकन पर आधारित था, जिसमें यह कहा गया था कि 16 अगस्त, 2016 के पत्र में उल्लिखित एजेंसियों के अलावा, 'कुडुम्बश्री' को एक मूल्यांकन एजेंसी के रूप में भी नामांकित किया गया था, एवं राज्यों के पास उचित अनुमोदन के बाद इसे पीएए के रूप में रखे जाने का विकल्प था। पूर्ववर्ती पत्र (अगस्त 2016) में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा चयनित पांच मूल्यांकन एजेंसियों के अलावा, राज्य पीएए के रूप में सम्मिलित होने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एवं एनआईआरडी पर विचार कर सकते हैं। इस प्रकार, ये एजेंसियां पीएए के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी योग्य थीं एवं क्रय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, इन एजेंसियों को ईओआई/आरएफपी आमंत्रित करके प्रतिस्पर्धा करने का अवसर दिया जाना चाहिए था।

तथापि, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किया एवं अपारदर्शी तरीके से नामांकन आधार पर पीएए की सीधे नियुक्ति की। अग्रेतर यह पाया गया कि पीएए के साथ निष्पादित समझौता ज्ञापन एक वर्ष तक (8 अक्टूबर 2020) वैध था। तथापि, 'कुडुम्बश्री' समझौता ज्ञापन की वैधता के बाद भी परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन[53] करती रही।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि 'कुडुम्बश्री' को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामांकन के आधार पर परियोजना मूल्यांकन एजेंसी के रूप में चयन किया गया था एवं मूल्यांकन शुल्क अन्य मूल्यांकन एजेंसियों की तुलना में कम पाया गया था।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि न तो अन्य पीएए के मूल्यांकन शुल्क की तुलना के लिए कोई तुलनात्मक चार्ट लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराया गया था एवं न ही पीएए के चयन के लिए टिप्पणी में ऐसे कोई कारण का उल्लेख किया गया था।

2.3.11 नियोजन

डीडीयू-जीकेवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार कम से कम 70 *प्रतिशत* प्रशिक्षुओं को न्यूनतम वेतन या उससे अधिक मासिक वेतन वाली नौकरियों में नियोजन का आश्वासन प्रदान किया गया है। इस क्रम में नियोजन को, नियमित वेतन के साथ तीन माह तक लगातार कार्य करने के रूप में

[53] 'कुडुम्बश्री' ने 08-10-2020 के बाद 12 डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं का मूल्यांकन किया।

परिभाषित किया गया है। डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत वार्षिक योजना की परियोजनाओं एवं कार्य योजना 2016-19 की परियोजनाओं में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा कराये गए नियोजनों में पायी गई अभ्युक्तियों पर चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गयी है:

2.3.11.1 नियोजन सुनिश्चित न किया जाना

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पूर्ववर्ती आजीविका कौशल योजना (वर्तमान में डीडीयू-जीकेवाई) के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना 2014-15 को स्वीकृत (सितंबर 2014) किया गया था, जिसका लक्ष्य दो लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ, उनमें से 1.5 लाख प्रशिक्षुओं (कुल प्रशिक्षितों का 75 *प्रतिशत*) को नियोजन प्रदान करना था। वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय को संबोधित (दिसम्बर 2014) करते हुए मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा यह प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी थी की न्यूनतम 75 *प्रतिशत* नियोजन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रशिक्षण आयोजित करने एवं प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं में से कम से कम 75 प्रतिशत को अनिवार्य रूप से नियोजित करने के निर्देश निर्गत (दिसंबर 2014) किये गये थे, जैसा कि वार्षिक कार्य योजना 2014-15 में अनुमोदित किया गया था। अग्रेतर यह पाया गया कि वार्षिक कार्य योजना के लक्ष्य के सापेक्ष उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा 47,439 प्रशिक्षुओं के लिए 1,771 प्रशिक्षण बैचों को अनुमोदन (दिसंबर 2014 से मार्च 2015 तक) प्रदान किया गया था। इस संदर्भ में, वार्षिक कार्य योजना की भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट (दिसंबर 2015) में पाया गया कि 92 प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा बिना किसी सत्यापित नियोजन के 47,439 प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण कराया गया था तथा इस पर ₹ 6.99 करोड़ का व्यय किया गया था। इस बीच, वार्षिक कार्य योजना 2014-15 की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा (जनवरी 2016) के पश्चात, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं नियोजन की नगण्य प्रगति पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के समापन हेतु एक कार्य योजना/माइलस्टोन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। तथापि, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा न तो

शेष 1,52,561 प्रशिक्षुओं[54] को प्रशिक्षण प्रदान किया गया एवं न ही वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं में से 75 *प्रतिशत* का नियोजन सुनिश्चित किया गया। इसके अतिरिक्त अग्रेतर जनवरी 2016 से मार्च 2021 की अवधि में 47,439 प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के सापेक्ष, ₹ 46.66 करोड़ का व्यय किया गया था। इस प्रकार वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु डीडीयू-जीकेवाई निधि से निर्गत धनराशि में से ₹ 53.65 करोड़ का व्यय, योजना के अंतर्गत, प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं का वांछित नियोजन सुनिश्चित किए बिना किया गया।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (अगस्त 2023) में बताया गया कि डीडीयू-जीकेवाई मानदंडों के स्थान पर, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के मानदंडों के अनुसार सभी भुगतान किए गए थे। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने आगे स्पष्ट किया (जनवरी 2024) कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन मानदंडों के अनुसार, प्रशिक्षण लागत का 80 प्रतिशत भुगतान किया गया था तथा प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा भुगतान दावों को विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण, भुगतान दिसंबर 2015 के पश्चात किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय की शर्तों एवं नियमों के अनुपालन में, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं में से 75 प्रतिशत का नियोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदाताओं को निर्देशित किया गया था। तथापि, प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं में से किसी को भी नियोजित नहीं किये जाने के तथ्य को स्वीकार करने (दिसंबर 2015) के उपरान्त भी उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रशिक्षण लागत का भुगतान अग्रेतर किया गया था।

2.3.11.2 कैप्टिव नियोजन की प्रतिबद्धता पूर्ण न किया जाना

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि एक कैप्टिव नियोक्ता[55] के रूप में प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, आई सी ए एडु स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड को, कार्य योजना 2016-19 के लिए ₹ 24.52 करोड़ की परियोजना स्वीकृत (जून 2017) की गई थी। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी ने, अपने परियोजना प्रस्ताव में, कुल 2,450 प्रशिक्षुओं के नियोजन लक्ष्य में से, 1,500 प्रशिक्षुओं को कैप्टिव नियोजन प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त

[54] 2,00,000 - 47,439 = 1,52,561।

[55] परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी अपनी स्वयं की आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तियों को प्रशिक्षित करती है तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों को अपने संगठनों में नियोजित करती है।

की थी। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2022 तक 1,930 प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं के सापेक्ष, मात्र 712 प्रशिक्षितों को नियोजित किया गया था, जिनमें से मात्र पांच का कैप्टिव नियोजन किया गया था। इस प्रकार, परियोजना स्वीकृत होने के चार साल से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा, मात्र 53 प्रतिशत नियोजन लक्ष्य[56] ही प्राप्त किया गया था, जिसमें से कैप्टिव नियोजन नगण्य (कुल नियोजन का एक प्रतिशत से भी कम) था।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि दिशानिर्देशों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी पर कार्यवाही की जायेगी।

2.3.11.3 संदिग्ध/संशयात्मक नियोजन

नियोजन अभिलेखों[57] की जांच में पाया गया कि एक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी[58] के 29 प्रशिक्षुओं को, शिक्षक/लैब सहायक/काउंसलर के रूप में शैक्षणिक संस्थानों में नियोजित किया जाना प्रदर्शित किया गया था, जबकि उन्हें बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट, फूड एंड बेवरेज सर्विस एवं डोमेस्टिक आई टी हेल्पडेस्क असिस्टेंट के ट्रेडों में प्रशिक्षित किया गया था ***(परिशिष्ट 2.3.7)***। इन प्रशिक्षुओं के नियोजन के सत्यापन[59] में पाया गया कि इन 29 प्रशिक्षुओं में से 24 को संबंधित स्कूल/कॉलेज द्वारा नियोजित नहीं किया गया था तथा एक प्रशिक्षु के सन्दर्भ में, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन के समर्थन में प्रस्तुत नियुक्ति पत्र[60] में उल्लिखित इंटर कॉलेज, अंकित पते पर अस्तित्व में ही नहीं था। इस प्रकार, प्रशिक्षुओं के नियोजन के समर्थन में, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को प्रस्तुत नियोजन सम्बन्धी अभिलेख प्रामाणिक नहीं थे एवं उनमें प्रदर्शित नियोजन संदिग्ध थे। तथापि, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा इन नियोजनों के समर्थन में संदिग्ध कूटरचित अभिलेखों के उपयोग के लिए,

---

[56] प्रशिक्षित 1,930 अभ्यर्थियों में से कम से कम 70 प्रतिशत अर्थात 1,351 अभ्यर्थियों को नियोजन प्राप्त होना था। अतः नियोजन प्रतिशत 712 ÷ 1,351x100 यानि 53 *प्रतिशत* रहा।

[57] उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा उपलब्ध कराई गई नियोजित प्रशिक्षुओं की सूची का विश्लेषण कर ऐसे प्रशिक्षुओं को छांटा गया जिनको विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित किया गया था एवं उनको स्कूल/कॉलेज में 'शिक्षक/प्रयोगशाला सहायक' के रूप में नियोजित पाया गया। तत्पश्चात, लेखापरीक्षा दल द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से ऐसे 29 प्रशिक्षुओं के नियोजन की स्थिति को उनके नियोक्ता के साथ सत्यापित किया गया।

[58] एवन फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड।

[59] लेखापरीक्षा के अनुरोध पर, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने संबंधित जनपदों की जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों के माध्यम से इन नियोजनों का सत्यापन कराया।

[60] उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा नियुक्ति पत्र की प्रति लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई।

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को प्रशिक्षण एवं नियोजन खर्च के रूप में ₹ 11.12 करोड़ की धनराशि प्राप्त (मार्च 2022) हुई थी तथा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अभिलेखों के अनुसार, मार्च 2022 तक इसके द्वारा 2,396 प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं के नियोजन लक्ष्य को प्राप्त किया गया था।

प्रकरण अध्ययन

बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एवं फूड एंड बेवरेज सर्विस-स्टीवर्ड ट्रेड में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को शैक्षणिक संस्थानों में **'सभी विषयों के शिक्षक'** के रूप में नियोजित किया गया था। जैसा कि आसन्न चित्र में दर्शाया गया है, एक प्रशिक्षु के नियुक्ति पत्र में उसे आदर्श शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज, बदायूं में 'सभी विषयों के शिक्षक' के रूप में नियुक्त किया जाना प्रदर्शित था। तथापि, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के जनपद समन्वयक बदायूं द्वारा उसके नियोजन के सत्यापन पर, कॉलेज द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त नियुक्ति पत्र कॉलेज द्वारा निर्गत नहीं किया गया था।

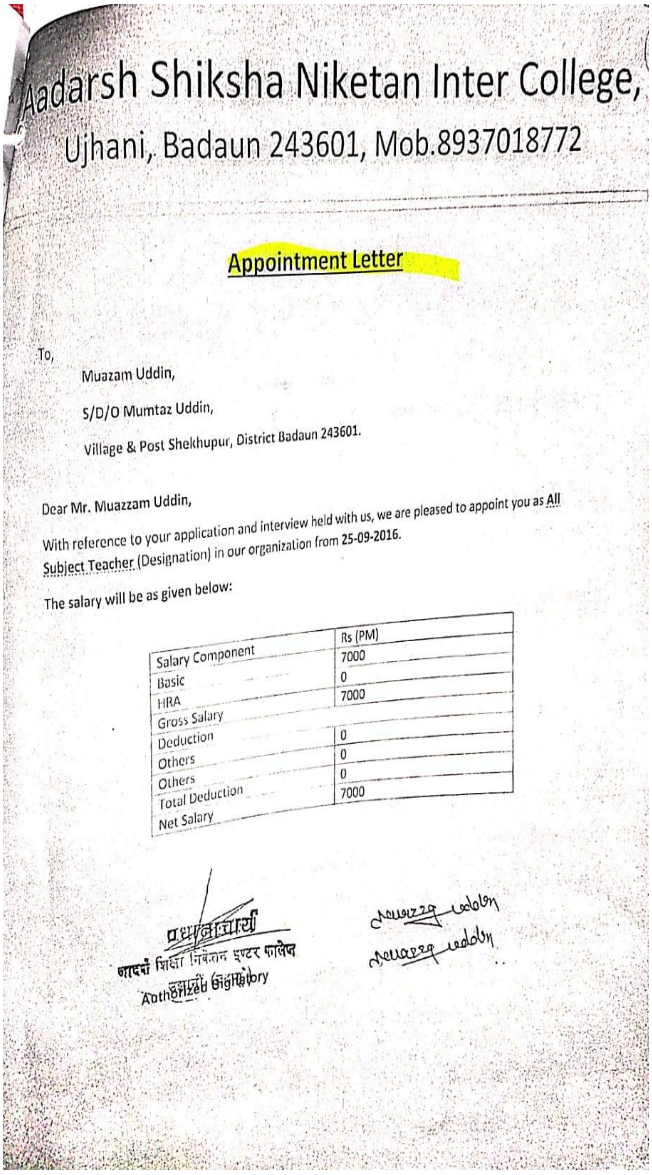

Aadarsh Shiksha Niketan Inter College,
Ujhani, Badaun 243601, Mob.8937018772

Appointment Letter

To,
Muazam Uddin,
S/D/O Mumtaz Uddin,
Village & Post Shekhupur, District Badaun 243601.

Dear Mr. Muazzam Uddin,

With reference to your application and interview held with us, we are pleased to appoint you as All Subject Teacher (Designation) in our organization from 25-09-2016.

The salary will be as given below:

Salary Component	Rs (PM)
Basic	7000
HRA	0
Gross Salary	7000
Deduction	
Others	0
Others	0
Total Deduction	0
Net Salary	7000

प्रधानाचार्य
आदर्श शिक्षा निकेतन इण्टर कालेज
Authorized Signatory

(स्रोत: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन)

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि उक्त परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी की परियोजना को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है।

राज्य सरकार ने अग्रेतर अवगत कराया की परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी पर शास्ति आरोपित की जायेगी।

2.3.11.4 नियोजन के समर्थन में संदिग्ध बैंक खाता विवरण प्रस्तुत किया जाना

(i) अभिलेखों की जांच में पाया गया कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी[61] के द्वारा इस योजना के अंतर्गत दो लाभार्थियों (श्री प्रवीण कुमार एवं सुश्री अशर्फी देवी) को लखनऊ स्थित एन आई एस ए इंडस्ट्रियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में 'सिक्योरिटी गार्ड' के रूप नियोजित दर्शाया गया था। इन लाभार्थियों का वेतन, कॉर्पोरेशन बैंक (विलय के बाद वर्तमान में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) लखनऊ की जुनाबगंज, बंथरा शाखा में खोले गए बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाना दर्शाया गया था। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को प्रस्तुत बैंक खाता विवरण के अनुसार, माह फरवरी, मार्च एवं अप्रैल 2018 का वेतन, माह मार्च, अप्रैल एवं मई 2018 की तिथि 5 को उक्त बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाना दर्शाया गया था|

लेखापरीक्षा द्वारा इन बैंक खातों तथा बैंक खाता विवरणों के सत्यापन के अनुरोध पर, कॉर्पोरेशन बैंक द्वारा अवगत कराया गया (जुलाई 2022) कि बैंक खाता विवरण[62] बैंक के अभिलेखों से मेल नहीं खाते थे एवं बैंक द्वारा उक्त दोनों लाभार्थियों के 1 मार्च 2018 से 31 मई 2018 तक की अवधि के वास्तविक बैंक खाता विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गए। वास्तविक बैंक खाता विवरणों की जाँच करने पर पाया गया कि इन दोनों खातों में वेतन की धनराशि हस्तांतरित करने हेतु कोई लेन-देन नहीं हुआ था, जैसा कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बैंक खाता विवरणों में दर्शाया गया था।

---

[61] न्यू इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड।

[62] यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अवगत कराया गया (जुलाई 2022) कि श्री प्रवीण कुमार के पुराने खाता संख्या 162100101006419 एवं सुश्री अशर्फी के खाता संख्या 162100101003594 को, कॉर्पोरेशन बैंक के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय के पश्चात क्रमशः नए खाता संख्या 520101259349301 एवं 520101259328347 में परिवर्तित कर दिया गया था।

संदिग्ध कूटरचित बैंक खाता विवरण एवं बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा लाभार्थी (श्री प्रवीण कुमार) के संबंध में प्रस्तुत संदिग्ध कूटरचित बैंक खाता विवरण

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

A Premier Public Sector Bank

Statement for A/c 162100101006419 Between 01-Mar-2018 and 31-May-2018

Client Code : 2015006419
Name : PRAVIN KUMAR
Address : VILLAGE-HINDUKHERA, POST-AIN, LUCKNOW-226401 UTTAR PRADESH
Phone : 9559858983

Branch Code : 1621
IFSC Code : CORP0001621
Branch Name : JUNAB GANJ
Address : JUNABGANJ CHOWK,LUCKNOW-KANPUR ROAD,JUNABGANJ, BANTHRA, LUCKNOW-226008
MICR Code : 226017021

Date	Particulars	Instrument No	Withdrawals	Deposits	Balance
			Opening Balance		964.59
05-MAR-2018	BY SALARY/NISA IND/FEB-18			10,240.00	11,204.59
08-MAR-2018	ATM WDR 080318 AT LUCKNOW		1,500.00		9,704.59
12-MAR-2018	ATM WDR 120318 AT LUCKNOW		3,000.00		6,704.59
14-MAR-2018	ATM WDR 140318 AT LUCKNOW		2,000.00		4,704.59
05-APR-2018	BY SALARY/NISA IND/MAR-18			10,240.00	14,944.59
08-APR-2018	ATM WDR 080418 AT LUCKNOW		1,500.00		13,444.59
12-APR-2018	ATM WDR 120418 AT LUCKNOW		2,500.00		10,944.59
05-MAY-2018	BY SALARY/NISA IND/APR-18			10,240.00	21,184.59
08-MAY-2018	ATM WDR 080518 AT LUCKNOW		3,000.00		18,184.59
12-MAY-2018	ATM WDR 120518 AT LUCKNOW		1,000.00		17,184.59
14-MAY-2018	ATM WDR 140518 AT LUCKNOW		1,500.00		15,684.59
			Closing Balance		15,684.59

Page 1 of 1

वास्तविक बैंक खाता विवरण के चित्र निम्नवत दर्शाये गए हैं:

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के द्वारा श्री प्रवीण कुमार के संबंध में उपलब्ध कराया गया वास्तविक बैंक खाता विवरण

Page 1

06-07-2022 15:56:05
REP27

UNION BANK OF INDIA, JUNAB GANJ
PRAVIN KUMAR SO RAKESH RAWATREGISTER

Report To :BM
Service OutLet :16212 JUNAB GANJ
Account Number :520101259349301/INR PRAVIN KUMAR SO RAKESH RAWAT
Report for the Period :01-03-2018TO31-05-2018

Page 2

06-07-2022 15:56:05
REP27

UNION BANK OF INDIA, JUNAB GANJ
PRAVIN KUMAR SO RAKESH RAWAT
Report for the Period :01-03-2018TO31-05-2018

Date	Tran Id	Ref Num	Particulars	Debit Amt.	Credit Amt.	Balance Amt.	Contra Date
			Account Opening balance : 1588.00CR		1,588.00	1,588.00CR	
			Brought Forward :		14.00	1,602.00CR	
06-05-2018	XS1202375		BY INT FOR THE PERIOD 01-				
			Total(Curr. INR) :		1,602.00	1,602.00CR	

Manager/Chief Manager
Date :06-07-2022
Signature

*** 2 pages printed. End of report ***

संदिग्ध कूटरचित बैंक खाता विवरण एवं बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए वास्तविक बैंक खाता विवरण के चित्र निम्नवत दर्शाये गए हैं:

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा लाभार्थी (सुश्री अशर्फी देवी) के संबंध में प्रस्तुत संदिग्ध कूटरचित बैंक खाता विवरण

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

A Premier Public Sector Bank

Statement for A/c 162100101003594 Between 01-Mar-2018 and 31-May-2018

Client Code : 2015003594
Name : ASHRFI DEVI
Address : VILLAGE-HINDUKHERA, POST-AURAWAN, LUCKNOW-227101 UTTAR PRADESH
Phone : 8896801663

Branch Code : 1621
IFSC Code : CORP0001621
Branch Name : JUNABGANJ
Address : JUNABGANJ CHOWK,LUCKNOW-KANPUR ROAD,JUNABGANJ, BANTHRA, LUCKNOW-226008
MICR Code : 226017021

Date	Particulars	Instrument No	Withdrawals	Deposits	Balance
			Opening Balance		1,086.70
05-MAR-2018	BY SALARY/NISA IND/FEB-18			10,240.00	11,326.70
09-MAR-2018	ATM WDR 090318 AT LUCKNOW		1,000.00		10,326.70
13-MAR-2018	ATM WDR 130318 AT LUCKNOW		2,000.00		8,326.70
16-MAR-2018	ATM WDR 160318 AT LUCKNOW		1,000.00		7,326.70
05-APR-2018	BY SALARY/NISA IND/MAR-18			10,240.00	17,566.70
09-APR-2018	ATM WDR 090418 AT LUCKNOW		3,000.00		14,566.70
13-APR-2018	ATM WDR 130418 AT LUCKNOW		1,500.00		13,066.70
05-MAY-2018	BY SALARY/NISA IND/APR-18			10,240.00	23,306.70
09-MAY-2018	ATM WDR 090518 AT LUCKNOW		2,000.00		21,306.70
13-MAY-2018	ATM WDR 130518 AT LUCKNOW		2,500.00		18,806.70
16-MAY-2018	ATM WDR 160518 AT LUCKNOW		1,000.00		17,806.70
			Closing Balance		17,806.70

Page 1 of 1

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के द्वारा सुश्री अशर्फी देवी के संबंध में उपलब्ध कराया गया वास्तविक बैंक खाता विवरण

06-07-2022 15:54:55 UNION BANK OF INDIA, JUNAB GANJ Page 1
REP27
ASHARFI WO BAIJNATHREGISTER

Report To :BM
Service Outlet :16212 JUNAB GANJ
Account Number :520101259328347/INR ASHARFI WO BAIJNATH
Report for the Period :01-03-2018TO31-05-2018

06-07-2022 15:54:55 UNION BANK OF INDIA, JUNAB GANJ Page 2
REP27
ASHARFI WO BAIJNATH

Report for the Period :01-03-2018TO31-05-2018

Date	Tran Id	Ref Num	Particulars	Debit Amt.	Credit Amt.	Balance Amt.	Contra Date
Account Opening balance : 30957.24CR							
Brought Forward :					30,957.24	30,957.24CR	
05-03-2018	XM273025		SELF	20,000.00		19,957.24CR	
26-03-2018	XM171284		SELF	10,000.00		957.24CR	
16-04-2018	XS8760617		ABB FR CB0633/TSL-020439/		14,000.00	14,957.24CR	
26-04-2018	XM239774		SELF	10,000.00		4,957.24CR	
06-05-2018	XS1204958		BY INT FOR THE PERIOD 01-		68.00	5,025.24CR	
25-05-2018	XS4032205		PMJJBY PREMIUM RENEWAL- 1	330.00		4,695.24CR	
25-05-2018	XS4039334		PMSBY PREMIUM RENEWAL- 16	12.00		4,683.24CR	
Total(Curr. INR) :				40,342.00	45,025.24	4,683.24CR	

Manager/Chief Manager
Date :06-07-2022
Signature

*** 2 pages printed. End of report ***

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के 11 अन्य नियोजनों के सन्दर्भ में, बैंकों[63] द्वारा सूचित किया गया कि प्रशिक्षु के बैंक खाते में वेतन हस्तांतरित करने के समर्थन में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बैंक खाता विवरण, वास्तविक बैंक खाता विवरणों से मेल नहीं खाते थे तथा एक प्रकरण में, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा सूचित किया गया कि बैंक खाता नियोजित प्रशिक्षु का नहीं था ***(परिशिष्ट 2.3.8)*** । इस प्रकार, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन के समर्थन में संदिग्ध कूटरचित बैंक खाता विवरणों का उपयोग किया गया था। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को, परियोजना की कुल लागत ₹ 4.50 करोड़ में से, धनराशि ₹ 3.39 करोड़ का भुगतान (मार्च 2022 तक) कर दिया गया था, जिसके सापेक्ष परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा 1,389 प्रशिक्षुओं (लक्ष्य का 103 प्रतिशत) को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था तथा 606 प्रशिक्षुओं (लक्ष्य का 62 प्रतिशत) को नियोजित कराया गया था।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि उक्त परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी की परियोजना के समापन की प्रक्रिया चल रही थी । परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन के समर्थन में संदिग्ध कूटरचित बैंक खाता विवरण के उपयोग पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के संदर्भ में, राज्य सरकार द्वारा अग्रेतर अवगत कराया गया कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी पर शास्ति आरोपित की जायेगी तथा परियोजना के समापन के समय उक्त धनराशि को समायोजित करते हुए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को भुगतान किया जायेगा। तथापि, राज्य सरकार के उत्तर में, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के विरुद्ध, कूटरचित बैंक खाता विवरण के उपयोग के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के विषय में स्पष्टता नहीं थी।

(ii) इसी प्रकार, एक अन्य परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी[64] द्वारा चार प्रशिक्षुओं के नियोजन के समर्थन में प्रस्तुत बैंक खाता विवरण का सत्यापन पंजाब एंड सिंध बैंक से कराये जाने पर वास्तविक नहीं पाए गए ***(परिशिष्ट 2.3.8)***। बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि लाभार्थियों की खाता संख्या तो सही थी, किन्तु सभी चार खातों के सापेक्ष उल्लिखित लेन-देन असत्य प्रतीत होते हैं। इस प्रकार, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा इन प्रशिक्षुओं के नियोजन के समर्थन में संदिग्ध कूटरचित बैंक खाता विवरण

[63] बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक एवं आईसीआईसीआई बैंक।

[64] सेंटर ऑफ़ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट।

का उपयोग किया गया था। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को परियोजना लागत ₹ 4.99 करोड़ के सापेक्ष प्रशिक्षण एवं नियोजन हेतु ₹ 3.75 करोड़ की धनराशि का भुगतान (मार्च 2022 तक) किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि दिशानिर्देशों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी पर शास्ति एवं अन्य (वसूली की) कार्यवाही की जाएगी।

(iii) अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि एक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी[65] द्वारा 10 लाभार्थियों के नियोजन एवं बैंक खातों में उनके वेतन के भुगतान के समर्थन में, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के बैंक खाता विवरणों को प्रस्तुत किया गया था। यह देखा गया कि एक ही बैंक के बचत बैंक खाता संख्या के अंकों की संख्या में अंतर था। 10 लाभार्थियों में से, सात लाभार्थियों के बैंक खाते की संख्या 16 अंकों में थी जबकि, तीन बैंक खाते नौ अंकों में थी। यह भी पाया गया कि बैंक खाता विवरण में बैंक शाखा का नाम, उसका पता एवं आईएफएससी कोड का उल्लेख नहीं किया गया था। इन खाता संख्याओं एवं बैंक खाता विवरण का सत्यापन कराये जाने पर, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा सूचित किया गया (अप्रैल 2022) कि यह बचत बैंक खाते आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड से संबंधित नहीं थे। अग्रेतर, यह भी बताया गया कि आज की तिथि तक आईसीआईसीआई बैंक के सभी बचत खातों में 12 अंकों की खाता संख्या होती है।

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उपयोग किये गये ऐसे दो संदिग्ध कूटरचित बैंक खाता विवरण के चित्र निम्नवत है:

[65] पीपल ट्री वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड।

ICICI Bank | khayaal aapka

MR.AMIT KUMAR
LOHANIKHERA MAWAI GALIBPUR HILAULI MAURAWAN
UTTAR PRADESH-INDIA-209821

Visit www.icicibank.com
Dial your Bank 33667777

NEVER SHARE your Card number , CVV, PIN, OTP, Internet Banking User ID,Password or URN with anyone,even if the caller claims to be a bank employee. Sharing these details can lead to unauthorised access to your account.

STATEMENT SUMMARY for Customer ID: 013395867 as on December 31, 2018

ACCOUNT DETAILS - INR

ACCOUNT TYPE	A/C. BALANCE (I)	FIXED DEPOSITS (LINKED)BAL.(II)	TOTAL BALANCE (I +II)	NOMINATION
Savings A/c: 4629525303518947	471.00	0.00	471.00	Not Registered
TOTAL	471.00	0.00	471.00	

Statement of Transactions in Saving Account Number: 4629525303518947 in INR for the period December 01, 2018 - December 31, 2018

DATE	MODE	PARTICULARS	DEPOSITS	WITHDRAWALS	BALANCE
01-12-2018		B/F			284.00
04-12-2018	ICICI ATM	ATM/CASH WDL/4-12-2018/0		100.00	184.00
10-12-2018	ICICI BANK	NEFT-ICICI/953790973-PIPAL TREE ENTERPRISES	7787.00		7971.00
11-12-2018	ICICI ATM	ATM/CASH WDL/11-12-2018/0		700.00	7271.00
14-12-2018	ICICI ATM	ATM/CASH WDL/14-12-2018/0		1200.00	6071.00
18-12-2018	OTHER ATM	NFS/CASH/WDL/18-12-2018		900.00	5171.00
21-12-2018	OTHER ATM	NFS/CASH/WDL/21-12-2018		800.00	4371.00
23-12-2018	OTHER ATM	NFS/CASH/WDL/23-12-2018		1000.00	3371.00
25-12-2018	ICICI ATM	ATM/CASH WDL/25-12-2018/0		500.00	2871.00
27-12-2018	ICICI ATM	ATM/CASH WDL/27-12-2018/0		1000.00	1871.00
28-12-2018	ICICI ATM	ATM/CASH WDL/28-12-2018/0		200.00	1671.00
31-12-2018	ICICI ATM	ATM/CASH WDL/31-12-2018/0		1200.00	471.00
		Total:	7787.00	7600.00	471.00

16 अंकों की बचत बैंक खाता संख्या सहित संदिग्ध कूटरचित बैंक खाता विवरण

ICICI Bank | khayaal aapka

MR.AWADHESH KUMAR
VILL-DHANNUPUR PACH-DHANNUPUR BLK-SHIKHAR
POS-KACHHWA DIST-MIRZAPUR.
UTTAR PRADESH-INDIA-231501

Visit www.icicibank.com
Dial your Bank 33667777

NEVER SHARE your Card number , CVV, PIN, OTP, Internet Banking User ID,Password or URN with anyone,even if the caller claims to be a bank employee. Sharing these details can lead to unauthorised access to your account.

STATEMENT SUMMARY for Customer ID: 010154088 as on December 31, 2018

ACCOUNT TYPE	A/C. BALANCE (I)	FIXED DEPOSITS (LINKED)BAL.(II)	TOTAL BALANCE (I +II)	NOMINATION
Savings A/c: 127579654	748.00	0.00	748.00	Not Registered
TOTAL	748.00	0.00	748.00	

Statement of Transactions in Saving Account Number: 127579654 in INR for the period December 01, 2018 - December 31, 2018

DATE	MODE	PARTICULARS	DEPOSITS	WITHDRAWALS	BALANCE
01-12-2018		B/F			561.00
08-12-2018	ICICI ATM	ATM/CASH WDL/8-12-2018/0		500.00	61.00
10-12-2018	ICICI BANK	NEFT-ICICI/945994464-PIPAL TREE ENTERPRISES	7787.00		7848.00
11-12-2018	OTHER ATM	NFS/CASH/WDL/11-12-2018		1300.00	6548.00
15-12-2018	ICICI ATM	ATM/CASH WDL/15-12-2018/0		1200.00	5348.00
18-12-2018	OTHER ATM	NFS/CASH/WDL/18-12-2018		500.00	4848.00
19-12-2018	ICICI ATM	ATM/CASH WDL/19-12-2018/0		900.00	3948.00
22-12-2018	ICICI ATM	ATM/CASH WDL/22-12-2018/0		1400.00	2548.00
25-12-2018	ICICI ATM	ATM/CASH WDL/25-12-2018/0		800.00	1748.00
29-12-2018	OTHER ATM	NFS/CASH/WDL/29-12-2018		1000.00	748.00
		Total:	7787.00	7600.00	748.00

नौ अंकों की बचत बैंक खाता संख्या सहित संदिग्ध कूटरचित बैंक खाता विवरण

इस प्रकार, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को नियोजन प्रदान करने के अपने दावे के समर्थन में संदिग्ध कूटरचित बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत किए थे ***(परिशिष्ट 2.3.8)***। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी

को मार्च 2022 तक ₹ 4.53 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया गया था।

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उपरोक्त वर्णित संदिग्ध कूटरचित बैंक खाता अभिलेखों/विवरणों का उपयोग, त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एम ओ यू)[66] के खंड 11 का उल्लंघन था तथा अनैतिक आचरण को अपनाने के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के विरुद्ध कानून के अनुरूप दंडात्मक अपराध के लिए कार्यवाही आवश्यक रूप से प्रारम्भ की जानी चाहिए थी।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि दिशानिर्देशों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी पर शास्ति एवं अन्य (वसूली की) कार्यवाही की जाएगी।

2.3.11.5 वेतन हस्तांतरण के समर्थन में बैंक खाता विवरण उपलब्ध न होना

डीडीयू-जीकेवाई दिशानिर्देशों के प्रस्तर 3.2.2.3 के अंतर्गत, नियोजन को न्यूनतम तीन माह की अवधि तक सतत रोजगार के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका प्रमाण, या तो वेतन पर्ची के रूप में हो सकता है अथवा नियोक्ता द्वारा वेतन भुगतान करने के सम्बन्ध में हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के रूप में हो सकता है जिसमें बैंक खाता विवरण के साथ नियोजित व्यक्ति द्वारा प्राप्त वेतन दर्शाया गया हो ।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी[67] द्वारा प्रस्तुत 1,104 नियोजित लाभार्थियों में से 55 लाभार्थियों के नियोजन सम्बन्धी अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि लाभार्थियों को वेतन भुगतान के समर्थन में बैंक खाता विवरण, केवल तीन लाभार्थियों के ही उपलब्ध थे। शेष 52 लाभार्थियों के लिए वेतन पर्ची उपलब्ध थीं, लेकिन इन लाभार्थियों को वेतन भुगतान के समर्थन में बैंक खाता विवरण उपलब्ध नहीं थे। अग्रेतर, लेखापरीक्षा द्वारा इन 55 लाभार्थियों का मोबाइल फोन के माध्यम से सत्यापन[68] करने पर, उत्तर देने वाले 17 लाभार्थियों में से 16[69]

---

66 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अनैतिक कार्य एवं उसके परिणाम।

67 सी एल एजुकेट लिमिटेड।

68 उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन एवं तकनीकी सहायता एजेंसी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मोबाइल कॉल के माध्यम से सत्यापन के लिए यादृच्छिक नमूना के आधार पर 55 लाभार्थियों (कुल लाभार्थियों का पांच *प्रतिशत*) का चयन किया गया। इनमें से 38 लाभार्थियों ने गलत मोबाइल नंबर, इनकमिंग सुविधा उपलब्ध न होने *आदि* के कारण फोन कॉल का जवाब नहीं दिया।

69 तीन उम्मीदवारों को नौकरी की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया तथा अन्य दो ने कुछ दिनों बाद नौकरी छोड़ दी।

लाभार्थियों द्वारा अवगत कराया गया कि उन्हें कोई नियोजन प्रदान नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट 2.3.9 अ)*** तथा वे नियोजन के समर्थन में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से अनभिज्ञ थे। इस प्रकार, इन लाभार्थियों के नियोजन से आश्वस्त नहीं हुआ जा सका तथा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कपटपूर्ण दावे की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि दिशानिर्देशों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी पर शास्ति एवं अन्य (वसूली की) कार्यवाही की जाएगी।

2.3.11.6 नियोजन[70] का मोबाइल से सत्यापन

नमूना जांच हेतु चयनित 26 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के 554 नियोजित प्रशिक्षार्थियों का सत्यापन[71] अभिलेखों में उपलब्ध उनके मोबाइल फोन नंबरों पर कॉल के माध्यम से किया गया। 554 प्रशिक्षार्थियों में से 180 ने कॉल का उत्तर दिया एवं 374[72] के सन्दर्भ में कॉल पूरी नहीं हो सकी। उत्तर देने वाले 180 प्रशिक्षार्थियों में से-

- 12 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों [73] से संबंधित 49 प्रशिक्षुओं ने बताया कि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें नियोजित नहीं किया गया था, जबकि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों ने उनके नियोजन के अनुसमर्थन में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को नियोजन अभिलेख प्रस्तुत किए थे ***(परिशिष्ट 2.3.9 अ)***।
- तीन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के छः प्रशिक्षुओं[74] द्वारा बताए गए नियोजन के विवरण, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा

[70] दिशानिर्देशों (प्रस्तर 1.3.1) के अनुसार, नियोजन को नियमित वेतन के साथ तीन माह तक सतत कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है।

[71] पांच *प्रतिशत अभ्यर्थियों* का चयन उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, तकनीकि सहायता एजेंसी एवं संबंधित परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मोबाइल फोन कॉल के माध्यम से सत्यापन के लिए यादृच्छिक नमूना आधार पर किया गया।

[72] गलत नंबर, इनकमिंग सुविधा उपलब्ध नहीं होना आदि के कारण ।

[73] आइडियल इंप्रेशन प्राइवेट लिमिटेड-03, पीपल ट्री वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड-05, ड्रीम वीवर्स एडुट्रैक प्राइवेट लिमिटेड-01, सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट-03, इंदिरा गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन-04, रोजगार विकास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड-01, सोशल एक्शन फॉर वेलफेयर एंड कल्चरल एडवांसमेंट-04, आईसीए एडु स्किल्स लिमिटेड (पी2)-02, मास इन्फोटेक सोसाइटी-02, आर्यन्स एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड-02, सीएल एजुकेट लिमिटेड-16, न्यू इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड-06।

[74] ड्रीम वीवर्स एडुट्रैक प्राइवेट लिमिटेड - 04, आर्यन्स एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड-1 एवं ओरिएंट क्राफ्ट फैशन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक प्राइवेट लिमिटेड-1।

प्रस्तुत नियोजन के अभिलेखों (नियोक्ता का नाम) से मेल नहीं खाते थे ***(परिशिष्ट 2.3.9 ब)***।

- छः परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों[75] के 12 प्रशिक्षुओं के प्रकरण में, प्रदत्त नियोजन, संबंधित व्यवसाय से मेल नहीं खाता था जिसमें उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया था ***(परिशिष्ट 2.3.9 स)***।
- पांच प्रकरणों में, प्रशिक्षुओं ने शिकायत की कि बैंक खाते के विवरण में प्रदर्शित वेतन भुगतान की धनराशि, वास्तविक वेतन के भुगतान के अनुरूप नहीं थी। तीन[76] प्रकरणों में धनराशि, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा खाते में स्वयं जमा की गई एवं वापस ले ली गई थी तथा दो[77] प्रकरणों में धनराशि प्रशिक्षुओं द्वारा स्वयं जमा की गई थी ***(परिशिष्ट 2.3.9 द)***।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि डीडीयू-जीकेवाई दिशानिर्देशों के अनुरूप उक्त सभी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के विरुद्ध शास्ति एवं आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

2.3.11.7 नियोजित प्रशिक्षार्थियों को ट्रैक करने में विफलता

डीडीयू-जीकेवाई दिशानिर्देशों के प्रस्तर 1.3.1 (ii) एवं प्रस्तर 4.5 के अनुसार प्रशिक्षितों के नियोजन पश्चात, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उनकी एक वर्ष की अवधि के लिए ट्रैकिंग किये जाने का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार नियोजित प्रशिक्षार्थियों की ट्रैकिंग नहीं की गई थी। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के पास केवल उन तीन माह की ट्रैकिंग के अभिलेख थे, जिनके दौरान उनके द्वारा प्रशिक्षार्थियों के नियोजन का दावा किया गया था। तथापि, नियोजन के तीन माह से आगे ट्रैकिंग के कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा भी इस तथ्य की पुष्टि की गयी कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा तीन माह से आगे प्रशिक्षार्थियों की ट्रैकिंग नहीं की गई थी। योजना के उद्देश्यों के अनुसार प्रशिक्षार्थियों की ट्रैकिंग, प्रशिक्षार्थियों के नौकरी में बने रहने तथा उनके करिअर की प्रगति की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण थी। एक वर्ष की निर्दिष्ट अवधि के लिए

---

[75] आईडी टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड-03, जेआईटीएम स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड -02, टीमलीज सर्विसेज लिमिटेड-1, आर्यन्स एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड-1, ओरिएंट क्राफ्ट फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक प्राइवेट लिमिटेड-1, एवन-04।

[76] इंदिरा गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन-1, आर्यन्स एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड-02।

[77] आर्यन्स एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड -02।

नियोजित प्रशिक्षार्थियों को ट्रैक करने में विफलता ने उस उद्देश्य को विफल कर दिया था।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि डीडीयू-जीकेवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा नियोजित प्रशिक्षुओं को 12 महीने तक ट्रैक करने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने अग्रेतर अवगत कराया कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा, प्रशिक्षु के नियुक्ति प्रस्ताव पत्र, वेतन पर्ची एवं बैंक खाता विवरण को 3 माह तक अपलोड करने के पश्चात, सम्बंधित प्रशिक्षु को नियोजित माना जाता है तथा उसके सन्दर्भ में भुगतान किया जाता है। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा नियोजित प्रशिक्षुओं को 12 महीने ट्रैक करने के पश्चात कॅरिअर प्रोग्रेशन एवं रिटेंशन सपोर्ट देय था। यदि, नियोजन के पश्चात परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा लाभार्थी की ट्रैकिंग नहीं की जाती है, तो परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को उक्त भुगतान नहीं किया जाता है।

राज्य सरकार का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि दिशा-निर्देशों के अनुसार, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को यह सुनिश्चित करना था कि प्रशिक्षुओं को नियोजन के बाद कम से कम एक वर्ष तक ट्रैक किया जाए। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने अग्रेतर अवगत कराया (जनवरी 2024) कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों तथा तकनीकी सहायता एजेंसी को प्रशिक्षण के बाद कम से कम एक वर्ष तक प्रशिक्षुओं की ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए जा रहे थे। इस प्रकार, प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थियों को उनके कैरिअर की प्रगति को ट्रैक करने हेतु डीडीयू-जीकेवाई के उद्देश्य पूर्ण नहीं किये जा सके।

2.3.11.8 नियोजन के अभिलेख प्रस्तुत न करना

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच हेतु चयनित दो परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों यथा फोकस एडु केयर प्राइवेट लिमिटेड एवं थिंक स्किल्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रदान किये गए प्रशिक्षण/नियोजन सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहा, जबकि इनके द्वारा क्रमशः 540 एवं 356 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने तथा 125 एवं 132 प्रशिक्षुओं को नियोजित करने का दावा किया गया था। इसके होते हुए भी, दोनों परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को परियोजना लागत के

सापेक्ष ₹ 5.47 करोड़ की धनराशि का भुगतान[78] माह मार्च 2022 तक किया गया था। अभिलेखों के अभाव में, प्रशिक्षण एवं नियोजन के उनके दावों की सत्यता लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि डीडीयू-जीकेवाई दिशानिर्देशों के अनुसार उपरोक्त सभी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के विरुद्ध शास्ति एवं आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

2.3.12.1 अनुश्रवण

2.3.12.1 उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन/तकनीकी सहायता एजेंसी द्वारा योजना का शिथिल अनुश्रवण

डीडीयू-जीकेवाई के दिशा-निर्देशों (जुलाई 2016) के प्रस्तर 3.2.1.7 (iii) के अनुसार, योजना के समवर्ती मूल्यांकन हेतु उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन अथवा उसकी तकनीकी सहायता एजेंसी द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र का द्विमासिक निरीक्षण किया जाना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा द्वारा बार-बार अनुरोध[79] किये जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन/तकनीकी सहायता एजेंसी द्वारा डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं के निरीक्षण से सम्बंधित समेकित सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी । तथापि, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा नमूना जाँच हेतु चयनित 28 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों में से 19 के सम्बन्ध में निरीक्षण की स्थिति का विवरण उपलब्ध कराया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन 19 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा किये गए द्वि-मासिक निरीक्षणों में 57 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक तथा तकनीकी सहायता एजेंसी द्वारा किये गए निरीक्षणों मे 22 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक की कमी थी, जैसा कि ***(परिशिष्ट 2.3.10)*** में दर्शाया गया है। *यह* दिशानिर्देशों *में* प्रावधानित परियोजनाओं के समुचित अनुश्रवण में व्याप्त कमियों को प्रदर्शित करता था।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) मे बताया गया कि वर्तमान में प्रशिक्षण केन्द्रों तथा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के नियोजित प्रशिक्षुओं का सत्यापन/निरीक्षण तकनीकी सहायता एजेंसी/केंद्रीय तकनीकी सहायता

---

[78] फोकस एडु केयर प्राइवेट लिमिटेड- ₹ 2.48 करोड़ एवं थिंक स्किल्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड- ₹ 2.99 करोड़।

[79] 06-07-2022, 22-07-2022, 29-11-2022, 11-01-2023, 18-01-2023 एवं 20-01-2023।

एजेंसी/कौशल विकास मिशन स्तर से किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि दिशा-निर्देशों में तकनीकी सहायता एजेंसी/उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन हेतु निर्धारित निरीक्षण लक्ष्यों को 2016-22 की अवधि में प्राप्त नहीं किया गया था।

समापन गोष्ठी (अगस्त 2023) में राज्य सरकार द्वारा बताया गया कि निरीक्षण में कमी हेतु तकनीकी सहायता एजेंसी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाएगा तथा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

2.3.12.2 आंतरिक नियंत्रण तंत्र का शिथिल होना

जैसा कि प्रस्तर 2.3.7.3 (i) में चर्चा की गयी है, दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप, 2016-17 से 2021-22 की अवधि में योजना के कार्यान्वयन, परियोजनाओं की प्रगति तथा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रदान किये गए नियोजन के समुचित अनुश्रवण हेतु राज्य एवं जनपद स्तर पर समर्पित कर्मचारियों की पदस्थापना नहीं की गयी थी। जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के एम.आई.एस. प्रबंधकों[80] द्वारा भी इस तथ्य की पुष्टि की गयी कि उनके द्वारा डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत वार्षिक योजना की परियोजनाओं तथा कार्य योजना 2016-19 की परियोजनाओं का अनुश्रवण नहीं किया गया था एवं दिशानिर्देशों[81] में मोबलाइजेशन, नियोजन तथा ट्रैकिंग हेतु प्रावधानित कार्यकलापों को पूर्ण नहीं किया गया था। यह जनपद स्तर पर अनुश्रवण की कमी तथा एक कमजोर आंतरिक नियंत्रण तंत्र को परिलक्षित कर रहा था, जिससे परियोजनाओं की प्रगति के अनुश्रवण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा परियोजनाएं समयबद्ध रूप से पूर्ण नहीं हो सकी।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) मे बताया गया कि वर्तमान में डीडीयू-जीकेवाई कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है तथा योजना का अनुश्रवण जनपद स्तरीय अधिकारियों, जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जनपद समन्वयक/ एम.आई.एस. प्रबंधक द्वारा किया जा रहा है।

तथ्य यही था कि योजना के कार्यान्वयन हेतु समर्पित कर्मचारी अभी भी उपलब्ध नहीं थे।

[80] 14 एमआईएस प्रबंधकों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा डीडीयू-जीकेवाई की परियोजनाओं का अनुश्रवण नहीं किया गया था एवं उनमें से 03 द्वारा अवगत कराया गया कि केवल नियोजित प्रशिक्षुओं की सूची प्रदान की गई थी।

[81] डीडीयू-जीकेवाई की एसओपी-1 के पैराग्राफ 1.7 में जनपद में डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं हेतु डीपीएमयू के कार्यों यथा अभ्यर्थियों का मोबलाइजेशन, नियोजन एवं ट्रैकिंग तथा उप-जनपद पदाधिकारियों हेतु क्षमता निर्माण का उल्लेख किया गया है।

2.3.12.3 दिशानिर्देशों में प्रावधानित मानकों के अनुरूप परियोजना अनुमोदन समिति की बैठकें आयोजित न किया जाना

दिशानिर्देशों के प्रस्तर 4.2 तालिका 2 क्रमांक 11 के अनुसार, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का उत्तरदायित्व है कि वह प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को परियोजना अनुमोदन समिति (पी.ए.सी.) की बैठक आयोजित करे, जिसमें विगत माह के दूसरे मंगलवार तक प्राप्त सभी परियोजना प्रस्तावों पर विचार किया जाए। परियोजनाओं के अनुमोदन के साथ ही, स्वीकृत परियोजनाओं में आंशिक परिवर्तन जैसे जनपदों, ट्रेडों आदि में परिवर्तन के प्रस्ताव भी परियोजना अनुमोदन समिति को प्रस्तुत किये जायें।

वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि में, दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार परियोजना अनुमोदन समिति की कुल 72 बैठकें होनी चाहिए थीं। किन्तु उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा उपलब्ध कराये गए विवरण के अनुसार इस अवधि में परियोजना अनुमोदन समिति की मात्र 10 बैठकें ही सम्पन्न हुईं। इस प्रकार, परियोजना अनुमोदन समिति की बैठकें आयोजित करने में 86 प्रतिशत की कमी रही। इसके परिणामस्वरूप कार्य योजना 2016-19 के परियोजना प्रस्तावों के अनुमोदन में भी विलम्ब हुआ क्योंकि दिसंबर 2016 से जुलाई 2018 की अवधि में परियोजना अनुमोदन समिति की मात्र आठ बैठकें ही आयोजित की गईं थी।

समापन गोष्ठी (अगस्त 2023) में राज्य सरकार द्वारा बताया गया कि परियोजना अनुमोदन समिति की बैठकें दिशानिर्देशों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाएंगी।

2.3.12.4 **परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के** *प्रदर्शन का वर्गीकरण न किया जाना*

डीडीयू-जीकेवाई की मानक संचालन प्रक्रिया[82] के अध्याय-9 के अनुसार, मानक संचालन प्रक्रिया एवं/या ए.एस.डी.एम.एस में विनिर्दिष्ट डेटा रिपोर्टिंग तंत्र से डेटा प्राप्त कर सभी परियोजनाओं का सतत वर्गीकरण[83] किया जाना था। उक्त के परिणाम प्रत्येक माह प्रदर्शित किये जाने थे, जिसमें उक्त माह हेतु निर्धारित वर्गीकृत श्रेणी तथा माह के अंत तक संचयी रूप से निर्धारित वर्गीकृत श्रेणी का उल्लेख किया जाना था। वित्तीय वर्ष के अंत (मार्च के अंत) में, किसी वर्ष हेतु परियोजना की निर्धारित वर्गीकृत श्रेणी तथा

[82] चार मापदंडों के आधार पर वर्गीकरण किया जायेगा: i) भौतिक अवसंरचना गुणवत्ता ii) बैच प्रशिक्षण गुणवत्ता, iii) नियोजन गुणवत्ता एवं vi) परियोजना निष्पादन गुणवत्ता।

[83] डीडीयू-जीकेवाई के लिए विकसित की जाने वाली ईआरपी प्रणाली का नाम।

परियोजना के प्रारम्भ होने से लेकर उक्त वर्ष के अंत तक संचयी रूप से निर्धारित वर्गीकृत श्रेणी, दोनों को परियोजना की वार्षिक वर्गीकृत श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाना था। उक्त वर्गीकरण का उद्देश्य अच्छी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रोत्साहित करने तथा दूसरों को सुधरने के लिए प्रेरित करने हेतु एक मजबूत आधार की स्थापना करना था। प्रावधानों के अनुसार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा अपने राज्य में परियोजनाओं के वर्गीकरण पर परामर्श हेतु एक राज्य स्तरीय समन्वयक को नामित किया जाना चाहिए था। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा इस अवधि में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के वर्गीकरण हेतु आवश्यक राज्य स्तरीय समन्वयक की नियुक्ति नहीं की गई थी। इस प्रकार, डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं में संलग्न परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रदर्शन को निर्धारित मापदंडों के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सका, जो अनुश्रवण का एक महत्वपूर्ण पक्ष था।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर (जुलाई 2023) मे बताया गया कि वर्तमान में डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों का वर्गीकरण किया गया है। उक्त वर्गीकरण परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षित एवं नियोजित किए गए प्रशिक्षुओं के आधार पर किया गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा लेखापरीक्षा को अवगत कराया गया कि निम्न वर्गीकरण वाले परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की समीक्षा बैठक में उन्हें अपनी प्रगति में सुधार करने हेतु आवश्यक सुझाव एवं निर्देश दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा बताया (जनवरी 2024) गया कि परियोजनाओं का वर्गीकरण सितंबर 2022 में आरम्भ किया गया था।

तथ्य यही था कि वर्ष 2016-22 की अवधि में अनुश्रवण के एक महत्वपूर्ण पक्ष की पूर्णतः उपेक्षा की गयी थी।

2.3.13 निष्कर्ष

निष्पादन लेखा परीक्षा में, उत्तर प्रदेश में डीडीयू-जीकेवाई योजना के कार्यान्वयन में, 2016-22 की अवधि में विभिन्न कमियां पायी गयीं। प्रभावी आयोजना के लिए न तो कौशल अंतर आंकलन किया गया था तथा न ही श्रम बाजार का अध्ययन। योजना के अंतर्गत वार्षिक योजना की 22 परियोजनाओं एवं कार्य योजना की 88 परियोजनाओं पर धनराशि ₹ 514.35 करोड़ का व्यय किया गया था, परन्तु नियोजन के लक्ष्यों की प्राप्ति में क्रमशः 39 प्रतिशत एवं 76 प्रतिशत की विचारणीय कमी देखी गई, जो की

योजना का सार था। वार्षिक योजना की परियोजनाएं एवं कार्य योजना की परियोजनाएं दोनों ही निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरी नहीं की जा सकी तथा प्रशिक्षण एवं नियोजन के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के खराब प्रदर्शन एवं दोषपूर्ण कार्य के लिए उनके विरुद्ध समय पर कार्यवाही करने में असफल एवं इसके बजाय अनियमित समय विस्तार देकर उन्हें अनुचित लाभ प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की निष्क्रियता के कारण दोषी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों से अवमुक्त की गई धनराशि की दंडात्मक ब्याज सहित वसूली नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा द्वारा नियोजन से सम्बंधित अभिलेखों की नमूना जांच में कैप्टिव नियोजन की प्रतिबद्धता को पूरा न करने, कपटपूर्ण नियुक्ति पत्रों, कपटपूर्ण बैंक खातों के उपयोग एवं योजना के अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण एवं नियोजन प्रदान करने के अपने दावों के समर्थन में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा संदिग्ध बैंक खाता विवरणों के उपयोग किये जाने के प्रकरणों का पता चला। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा असत्य एवं कूटरचित अभिलेखों के उपयोग के कई प्रकरणों ने, उनके द्वारा किए गए प्रशिक्षण एवं नियोजन के दावों पर एक गंभीर प्रश्न चिह्न लगा दिया था। अतः इस संबंध में कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता था। यह संकेत करता था कि आवश्यक आंतरिक जांच एवं अनुश्रवण, विशेष रूप से नियोजन के सत्यापन से संबंधित, में कमी थी एवं वह प्रभावी नहीं थी।

लेखापरीक्षा के दौरान, धनराशि निर्गत करने में विलम्ब, प्रशासनिक निधि की उपलब्धता के बाद भी समर्पित कर्मचारियों की तैनाती न करना, पहचान किए गए आपत्ति कारकों पर विचार किए बिना परियोजनाओं को आवंटित करना, तकनीकी सहायता एजेंसी एवं परियोजना मूल्यांकन एजेंसी की चयन प्रक्रिया में अनियमितताएं, खराब प्रदर्शन करने वाले परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों का चयन, कार्य योजना 2019-22 में प्रशिक्षण लक्ष्यों की कम स्वीकृति, एवं अनुश्रवण में कमी जैसे प्रकरण भी पाए गए। इस प्रकार, लेखा परीक्षा में पहचान की गई कमियों के आधार पर योजना के कार्यान्वयन में सुधार करने की आवश्यकता थी।

2.3.14 अनुशंसायें

राज्य सरकार को चाहिए कि:

- *कौशल अंतर आंकलन एवं श्रम बाजार के अध्ययन के आधार पर राज्य परिप्रेक्ष्य कार्यान्वयन योजना को बनाया जाना सुनिश्चित करे। अग्रेतर, योजना के कार्यान्वयन एवं उसकी व्यापक आयोजना के लिए राज्य स्तरीय युवा डाटाबेस तैयार किया जाना चाहिए।*
- *समय पर धनराशि निर्गत/उपयोग करने तथा ब्याज की देयता के सृजन से बचने के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन एवं ग्राम्य विकास विभाग के मध्य आपसी समन्वय सुनिश्चित करे।*
- *परियोजनाओं की स्वीकृति से पूर्व, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रदर्शन का आंकलन करे एवं पिछली परियोजनाओं में प्रशिक्षण एवं नियोजन के दावे को सत्यापित करे।*
- *दोषी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रकरण में दंडात्मक ब्याज के साथ अवमुक्त की गई धनराशि की शीघ्र वसूली के लिए तत्काल कार्यवाही करे।*
- *नियोजन एवं प्रशिक्षण के संबंध में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के दावों की वास्तविकता को आश्वस्त करने तथा असत्य दावों के उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत बैंक खाता विवरण सहित नियोजन के अभिलेखों की समीक्षा करे।*
- *कौशल विकास योजना के सुचारू कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए राज्य, जनपद तथा उप-जनपद स्तर पर समर्पित कौशल टीम की तैनाती सुनिश्चित करे।*

राज्य सरकार द्वारा अनुशंसाओं पर सहमति व्यक्त करते हुये उन्हें स्वीकार किया (अगस्त 2023) गया।

अध्याय - III

अनुपालन लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा प्रस्तर

कृषि शिक्षा और अनुसंधान विभाग

3.1: प्रौद्योगिकी महाविद्यालय भवन के अधूरे निर्माण पर निष्फल व्यय

कार्यक्षेत्र की व्यापकता के निर्धारण में शिथिलता, विभागीय स्तर पर धनराशि निर्गत करने में विलम्ब के साथ-साथ निर्माण कार्य प्रारंभ होने से पहले कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप कृषि अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के अधूरे निर्माण पर ₹ 54.80 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, जिसके कारण परियोजना का वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका।

वित्तीय हस्तपुस्तिका, खंड VI का प्रस्तर 318 प्रावधानित करता है कि प्रस्तावित प्रत्येक कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए एक उचित विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जाना चाहिए और कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व इसे प्राप्त कर लिया जाना चाहिए।

बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा (बीयूएटी) के अभिलेखों की जाँच (दिसम्बर-2021) ये तथ्य प्रकाश में आया कि विश्वविद्यालय महायोजना के अंतर्गत प्रावधानित विभिन्न महाविद्यालयों[1] में से, बीयूएटी ने कृषि अभियन्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय (सीएईटी) के भवन निर्माण हेतु ₹ 95.53 करोड़ की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत किया (अगस्त 2010)। प्रस्तावित डीपीआर में महाविद्यालय के सात विभागों[2] के लिए भूतल (23,793 वर्गमीटर) और प्रथम तल (20,789 वर्गमीटर) सहित द्वितलीय भवन निर्माण का प्रावधान किया गया था। विस्तृत प्राक्कलन पर व्यय वित्त समिति की

---

[1] विश्वविद्यालय महायोजना में ग्यारह महाविद्यालयों को बनाने का प्रावधान था। इनमें से चार महाविद्यालय कृषि महाविद्यालय, बागवानी महाविद्यालय, वानिकी महाविद्यालय और सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय क्रियाशील थे। मार्च 2024 तक, पशु चिकित्सा महाविद्यालय के भवन का निर्माण पूर्ण हो गया था, जिसे अगले शैक्षणिक सत्र से क्रियाशील होना प्रस्तावित था। मार्च 2024 तक अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय का निर्माण अधूरा था। शेष पांच महाविद्यालय, जैसे कृषि प्रबंधन महाविद्यालय, डेयरी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, मौलिक विज्ञान और मानविकी महाविद्यालय, खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और मत्स्य पालन महाविद्यालय, मार्च 2024 तक स्वीकृत नहीं थे।

[2] भूतल: वास्तुकला विभाग, सिविल प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रिकल प्रौद्योगिकी विभाग और मैकेनिकल प्रौद्योगिकी विभाग; प्रथम तल: कृषि प्रौद्योगिकी विभाग, कंप्यूटर विज्ञान विभाग और खनन विभाग।

अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए ₹ 89.24 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति (जनवरी 2011) के साथ ही ₹ 63.28 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की, जिसे बाद में संशोधित कर ₹ 53.28 करोड़ कर दिया गया (फरवरी 2011)।

सीएईटी भवन का निर्माण कार्य 45 प्रतिशत की प्रगति, जिसमें भूतल के स्लैब कार्य और प्रथम तल के कुछ स्तम्भ सम्मिलित थे, प्राप्त करने के पश्चात् फरवरी 2012 में बंद कर दिया गया। मार्च 2024 तक निर्माण कार्य अधूरा रहा, जैसा कि निम्नलिखित चित्रों में दर्शाया गया है:

निर्माण कार्य शुरू करने से पहले तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई

प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते समय, राज्य सरकार ने निर्देशित किया था कि सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए। जबकि कार्यदायी संस्था द्वारा बिना

तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए दिसंबर 2014[3] में कार्य पूर्णता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए जनवरी 2011 में निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बीयूएटी ने जनवरी से मार्च 2011 के मध्य तीन चरणों[4] में कार्यदायी संस्था को ₹ 53.28 करोड़ अवमुक्त किए। ततपश्चात् अप्रैल 2012 में परियोजना प्रबंधक, निर्माण और परिकल्प सेवायें द्वारा प्रस्तुत ₹ 105.94 करोड़ के विस्तृत प्राक्कलन के सापेक्ष निदेशक, निर्माण एवं परिकपल सेंवायें, उत्तर प्रदेश, जल निगम द्वारा परियोजना के लिए ₹ 89.24 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति (अगस्त 2013) प्रदान की गई। चूंकि प्रस्तावित विस्तृत प्राक्कलन (₹ 105.94 करोड़) प्रशासनिक स्वीकृति (₹ 89.24 करोड़) में अनुमोदित प्राक्कलन से ₹ 16.70 करोड़ अधिक था, अतः निदेशक, निर्माण और परिकल्प सेवायें ने परियोजना प्रबंधक को अनुमोदित प्राक्कलन में परियोजना पूर्ण करने का निर्देश दिया और शेष कार्य संशोधित प्राक्कलन का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् किया जाना था। इस प्रकार, कार्य शुरू होने के दो वर्ष से अधिक समय के पश्चात् अगस्त 2013 में तकनीकी स्वीकृति दी गई थी तथा तकनीकी स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी इस तथ्य से अवगत भी थे कि जिस धनराशि के लिए तकनीकी स्वीकृति दी जा रही थी वह विस्तृत प्राक्कलन की तुलना में अत्यल्प थी। धनराशि की कमी उद्धृत करते हुए फरवरी 2012 में कार्य बंद कर दिया गया था।

कार्यक्षेत्र का निर्धारण करने में अनिर्णायक दृष्टिकोण

बीयूएटी के निर्माण कार्यों की समीक्षा कृषि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत नए महाविद्यालय और विभाग खोलने के प्रस्तावों की जांच और अनुशंसा हेतु गठित एक विशेषज्ञ समिति[5] की बैठक (अप्रैल 2011) में की गई थी। प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान ने बैठक में सीएईटी भवन के केवल भूतल के निर्माण के लिए निर्देशित किया था और शेष निर्माण पर निर्णय महाविद्यालय में संचालित किये जाने वाले विभागों को अंतिम रूप देने के पश्चात् लिया जाना था। इस स्तर पर, सीएईटी भवन के

---

[3] प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित जनवरी 2011 के शासकीय आदेश के अनुसार, कार्य जून 2011 तक पूरा किया जाना था।

[4] ₹ 12.66 करोड़ प्रथम चरण में (जनवरी 2011), ₹ 19.31 करोड़ द्वितीय चरण में (मार्च 2011) और ₹ 21.31 करोड़ की तृतीय चरण में (मार्च 2011)।

[5] महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद/प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा और अनुसंधान की अध्यक्षता में।

पाइलिंग कार्य पर ₹ 12 करोड़ (लगभग) का व्यय हो चुका था। इसके पश्चात्, कार्यदायी संस्था ने राज्य सरकार को सूचित किया (सितंबर 2011) कि भूतल का 50 प्रतिशत कार्य ₹ 25.31 करोड़ के व्यय के पश्चात् पूर्ण हो चुका है और कार्यदायी संस्था ने प्रथम तल के निर्माण की अनुमति के लिए भी अनुरोध किया था। तथापि, शासन ने (अक्टूबर 2011) कुलपति, बीयूएटी को इस प्रकरण में अपने विचारों सहित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अपनी रिपोर्ट (फरवरी 2012) में, कुलपति ने महाविद्यालय[6] में प्रोद्योगिकी के छह विषयों/शाखाओं को चलाने के लिए प्रथम तल के निर्माण की अनुशंसा की।

बाद में, शासन ने सीएईटी में चार पाठ्यक्रम[7] संचालित करने का निर्णय लिया (फरवरी 2014) और स्थलीय निरीक्षण के बाद न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ एक समिति का गठन किया जिससे प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के निर्माण को पूर्ण करके शिक्षण कार्य आरम्भ किया जा सके। समिति की रिपोर्ट कुलपति द्वारा शासन को भेजी गई (अगस्त 2014) थी, जिसमें अनुशंसा की गई थी कि भवन के भूतल में चार स्नातक कार्यक्रम[8] चलाने के लिए पर्याप्त स्थान है और प्रथम तल पर पहले से निर्मित स्तंभों का उपयोग गुंबद के आकार का सभागार बनाने के लिए किया जा सकता है। इसके बाद यह प्रस्ताव, कार्यक्षेत्र तथा संशोधित ऑकलन पर बिना किसी निर्णय के कार्यदायी संस्था, बीयूएटी और राज्य सरकार के बीच पत्राचार के अधीन रहा।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि बीयूएटी ने सीएईटी के भवन निर्माण कार्य को भूतल तक सीमित करते हुए राज्य सरकार को ₹ 95.54 करोड़ का संशोधित ऑकलन भेजा (फरवरी 2021)। तथापि, शासन ने कुलपति, बीयूएटी को निर्देश दिया (अक्टूबर 2021) कि प्राक्कलन को संशोधित करने का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि भूतल के सम्पूर्ण अनुमोदित प्राक्कलन को पूर्व में ही एकमुश्त स्वीकृति प्रदान किया जा चुका था इसलिए, कार्य पूर्ण किए बिना सम्पूर्ण धनराशी व्यय करने वालों का

[6] सीएईटी के तहत कृषि प्रौद्योगिकी, सिविल प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी, मैकेनिकल प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, खनन इंजीनियरिंग खोलने की सिफारिश की गई थी।

[7] मैकेनिकल, सिविल, कृषि प्रौद्योगिकी तथा एक अन्य।

[8] कृषि प्रौद्योगिकी, मैकेनिकल प्रौद्योगिकी, सिविल प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी।

उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए। शासन ने विश्वविद्यालय को मूल स्वीकृत लागत के भीतर भूतल के निर्माण को पूरा करने का निर्देश दिया। जबकि, कुलपति, बीयूएटी ने (नवंबर 2021) शासन को सूचित किया कि शासकीय स्तर पर जांच समिति का गठन किया जा सकता है क्योंकि विश्वविद्यालय में कोई तकनीकी पद नहीं है। इसके बाद, शासन ने एक जांच समिति का गठन किया (जनवरी 2022) जिसने महाविद्यालय के निर्माणाधीन भवन का दौरा किया (मई 2022) तथा निर्माण कार्य में कोई अनियमितता नहीं पाई। समिति ने निर्माणाधीन भवन को शीघ्र पूरा करने की भी संतुति की।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई 2023) कि वित्तीय स्वीकृति को संशोधित किया गया था और घटाकर ₹ 53.28 करोड़ कर दिया गया था, लेकिन संशोधित स्वीकृति आदेश में कार्य में कोई कमी नहीं दिखाई गई थी, इसलिए, कार्य भूतल और प्रथम तलों के पिछले ड्राइंग और डिजाइन के अनुसार किया गया। राज्य सरकार ने आगे कहा कि विश्वविद्यालय और कार्यदायी संस्था ने महाविद्यालय के निर्माण को पूरा करने के लिए शासन के साथ लगातार पत्राचार किया था। इस प्रकार, विश्वविद्यालय और कार्यदायी संस्था के स्तर पर कोई शिथिलता नहीं बरती गयी और कार्य को पूरा करने के लिए सार्थक प्रयास किए गए। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि फरवरी 2012 से धनराशि की कमी के कारण प्रस्तावित निर्माण कार्य बंद कर दिया गया था और वर्तमान में ₹ 95.41 करोड़ के संशोधित आकलन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है (मार्च 2023) और परियोजना के लिए ₹ दो करोड़ अवमुक्त किए गए है।

तथ्य यह है कि सीएईटी में संचालित होने वाले विभागों के संबंध में निर्णय लेने में विलम्ब, तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने से पहले कार्य प्रारंभ करने, कार्य की प्रगति सुनिश्चित किए बिना विभिन्न चरणों में धनराशि को अवमुक्त करने, विशेषज्ञ समिति की बैठक में निर्माण को केवल भूतल तक प्रतिबंधित करने हेतु लिए गए निर्णय का अनुपालन न करने के कारण, फरवरी 2012 से निर्माण कार्य बंद कर दिया गया। इस प्रकार, परियोजना पर 51.90 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा। कार्यदायी संस्था द्वारा दी गई सूचना (अप्रैल 2024) के अनुसार, राज्य सरकार

द्वारा अवमुक्त ₹ 57.28 करोड़[9] में से, मार्च 2025 में पूरा होने की संशोधित निर्धारित तिथि के सापेक्ष केवल 58 प्रतिशत की भौतिक प्रगति के साथ ₹ 54.80 करोड़ व्यय किए गए थे। सीईएटी का निर्माण कार्य नौ वर्षों से अधिक समय और ₹ 54.80 करोड़ के व्यय के पश्चात भी अधूरा बना हुआ है, जिसके कारण परियोजना का अपेक्षित उद्देश्य अप्राप्त रहा।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

3.2: ₹42.02 करोड़ रुपये का अलाभकारी व्यय

मांग सर्वेक्षण के बिना स्व-वित्तपोषित योजना के अन्तर्गत 680 फ्लैटों के निर्माण करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण, 488 फ्लैटों का निर्माण स्टिल्ट स्तर पर अधूरा छोड़ देने के परिणामस्वरूप परित्यक्त अपूर्ण संरचना पर ₹ 42.02 करोड़ का किया गया व्यय अलाभकारी हो गया।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने समाजवादी आवास योजना[10] के अन्तर्गत 2,344[11] फ्लैटों और स्व-वित्तपोषित योजना-2015 समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत 480[12] फ्लैटों सहित सुल्तानपुर रोड, लखनऊ में स्थित अवध विहार योजना के सेक्टर-7डी में बहु-मंजिला फ्लैटों के निर्माण के लिए एक परियोजना को स्वीकृति[13] (मार्च 2015) दी। इन फ्लैटों के निर्माण के लिए, अधीक्षण अभियंता (परियोजना), उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा ₹ 482.62 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति (अप्रैल 2015) प्रदान की गई थी।

अधिशाषी अभियंता, निर्माण खण्ड-08, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के अभिलेखों की जांच (जुलाई 2022) और वहाँ से एकत्र की गई सूचना (मार्च 2023) में पाया गया कि परियोजना को कार्य स्थल

---

9 राज्य सरकार ने फरवरी 2011 में ₹ 53.28 करोड़, मार्च 2023 में ₹ दो करोड़ और नवंबर 2023 में ₹ दो करोड़ स्वीकृत किए थे।

10 उत्तर प्रदेश शासन ने वहनीय आवास नीति के तहत समाजवादी आवास योजना शुरू की (दिसंबर 2014) जिसे निजी विकासकर्ताओं के साथ-साथ विकास प्राधिकरणों, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद और राज्य सरकार के अन्य संस्थानों द्वारा लागू किया जाना था।

11 1 बी.एच.के. (ई.डब्ल्यू.एस.)-880; 1 बी.एच.के (एल.आई.जी. टाइप ए)-528; 2 बी.एच.के (एल.आई.जी. टाइप बी)-936।

12 2 बीएचके (एमआईजी)-336; 3 बीएचके (एचआईजी)-144।

13 26 मार्च 2015 को आयोजित बोर्ड की 232वीं बैठक में।

पर व्यवहार्य क्षेत्रों के दृष्टिगत समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत 1,960 फ्लैटों एवं स्व-वित्तपोषित योजना के अन्तर्गत 680 फ्लैटों के निर्माण के लिए संशोधित (नवंबर 2015) किया गया था। इन बहुमंजिला आवासीय फ्लैटों के निर्माण के लिए एक ठेकेदार के साथ ₹ 525.29 करोड़ का एक अनुबंध गठित (जनवरी 2016) किया गया था तथा कार्य जुलाई 2018 की समाप्ति की तिथि के साथ जनवरी 2016 में आरंभ किया गया था। संशोधित परियोजना को सितंबर 2016 में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था और संशोधित परियोजना के लिए ₹ 587.82 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा नवंबर 2016 में प्रदान की गई थी।

अग्रेतर जांच से पता चला कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद[14] ने स्व-वित्तपोषित योजना के अन्तर्गत फ्लैटों जिनमें खरीददारों का पंजीकरण नगण्य था और निर्माण शुरू नहीं किया गया था अथवा जहां निर्माण प्लिंथ के साथ स्टिल्ट स्तर तक था, के निर्माण को रोकने का निर्णय लिया (जुलाई 2017)। तदनुसार, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने अवध विहार योजना में प्लिंथ/स्टिल्ट स्तर तक निर्मित 488 स्व-वित्तपोषित योजना के फ्लैट के निर्माण कार्य को रोक दिया (जुलाई 2017), जिस पर ₹ 42.02 करोड़ का व्यय पहले ही किया जा चुका था। जुलाई 2022 में किए गए एक संयुक्त भौतिक निरीक्षण से पता चला कि निर्माणाधीन फ्लैटों की लोहे की छड़ों में खुले एवं वायुमंडल के संपर्क के कारण जंग लग रही थी **(चित्र-3.2.1 और 3.2.2)**।

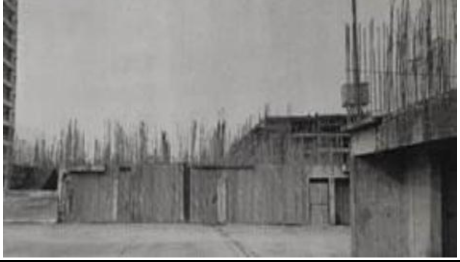

चित्र -3.2.1

चित्र-3.2.2

[14] 6 जुलाई 2017 को आयोजित बोर्ड की 242वीं बैठक में।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने आगे सूचित किया (फरवरी 2024) कि स्व-वित्तपोषित और समाजवादी आवास योजनाओं के अन्तर्गत फ्लैटों की संख्या निर्धारित करने से पहले स्थानीय स्तर पर किए गए सर्वेक्षण के संबंध में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार, स्व-वित्तपोषित योजना के अन्तर्गत फ्लैटों के निर्माण के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण, मांग की कमी को देखते हुए 488 फ्लैटों का निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया था और इस अधूरे निर्माण पर ₹ 42.02 करोड़ का किया गया व्यय अलाभकारी हो गया था, जिसे भविष्य में निष्फल होने से इंकार नहीं किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि लखनऊ में अवध विहार योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा निर्मित समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत 1,960 फ्लैटों और स्व-वित्तपोषित योजना के अन्तर्गत 192 फ्लैटों में से, क्रमशः 607 समाजवादी आवास योजना के फ्लैट और 170 स्व-वित्तपोषित योजना के फ्लैट फरवरी 2024 तक रिक्त/अविक्रित रहे। ₹ 260.47 करोड़[15] की लागत से निर्मित इन 777 रिक्त/अविक्रित फ्लैटों का भविष्य भी मांग की कमी के कारण अनिश्चित था। यद्यपि, स्व-वित्तपोषित योजना के 96 फ्लैट डॉ. राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ को किराए[16] पर दे दिए गये थे।

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद द्वारा पूर्व में प्रदान किए गए उत्तर/सूचना (जनवरी 2023) को अग्रेषित (जून 2023 और सितंबर 2023) करते हुए उत्तर दिया कि स्व-वित्तपोषित योजना के अन्तर्गत 488 अपूर्ण फ्लैटों का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया था और स्व-वित्तपोषित योजना के अन्तर्गत 96 अविक्रित फ्लैटों को किराए पर दिया गया था।

---

15 ₹19.23 लाख रुपए की दर से 408 फ्लैट, ₹25.20 लाख रुपए की दर से 63 फ्लैट, ₹36.50 लाख रुपए की दर से 136 फ्लैट, ₹54.74 लाख रुपए की दर से 74 फ्लैट, ₹79.15 लाख रुपए की दर से 96 फ्लैट।

16 जनवरी 2021 में चालीस फ्लैटों को किराए पर दिया गया था और फरवरी 2022 में 56 फ्लैटों को ₹13000 प्रति माह की दर से किराए पर दिया गया था।

तथ्य यह है कि बिना मांग सर्वेक्षण के उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा अवध विहार योजना में बहुमंजिला फ्लैटों के निर्माण के कारण योजना के अन्तर्गत क्रेताओं का पंजीकरण कम हुआ परिणामतः 488 फ्लैटों के निर्माण को स्टिल्ट स्तर पर रोक दिया गया जिससे इस अपूर्ण निर्माण पर ₹ 42.02 करोड़ का किया गया व्यय अलाभकारी रहा।

चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग

3.3: गृह कर के बकाया पर ब्याज का परिहार्य भुगतान

गृह कर के बकाया पर ब्याज के कारण ₹ 81.30 लाख रुपये का परिहार्य भुगतान किया गया था।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 172 और 173 नगर निगमों को शहर में भवनों और भूमि पर संपत्ति कर लगाने का अधिकार देती है। अग्रेतर धारा 221-ए नगर निगम को संपत्ति कर के बकाया पर ब्याज लगाने का अधिकार देती है।

बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज (बीआरडीएमसी), गोरखपुर के अभिलेखों की जांच (जनवरी 2020) और वहाँ से अग्रेतर संकलित सूचना (दिसंबर 2022, जनवरी 2024 और मई 2024) से विदित हुआ कि नगर निगम (एनएन), गोरखपुर ने प्रधानाचार्य, बीआरडीएमसी से भूमि/भवन निर्माण लागत के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया (नवंबर 2013), ताकि कर का आकलन उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के तहत किया जा सके। हालांकि, प्रधानाचार्य, बीआरडीएमसी ने मेडिकल कॉलेज के भवनों पर कर लगाने का विरोध किया (दिसंबर 2013) जिसमें कहा गया था कि यह एक शासकीय संस्थान है जिसका अपना परिसर है और एनएन द्वारा परिसर में कोई काम नहीं किया जा रहा है। बीआरडीएमसी ने यह भी तर्क दिया कि कॉलेज 1972 से चल रहा था, लेकिन एनएन द्वारा आज तक कर का आकलन नहीं किया गया। हालांकि, एनएन ने बीआरडीएमसी को स्पष्ट किया (जनवरी 2014) कि एनएन की सीमा में सभी प्रकार के भवनों पर कर का

आकलन उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के तहत अनिवार्य था और नियम के अनुसार, एनएन ने किसी भी संस्थान के परिसर के अंदर सुविधा प्रदान नहीं की थी।

अग्रेतर जांच में पाया गया कि एनएन ने पहली बार ₹ 141.66 लाख की गृह कर की मांग उठाई (अप्रैल 2015) जिसमें वर्ष 2015-16 के लिए ₹ 63.52 लाख का गृह कर, मार्च 2015 तक ₹ 63.52 लाख का बकाया और उस पर ब्याज शामिल था। तदोप्रान्त एनएन ने गृह कर के भुगतान के लिए बीआरडीएमसी को एक अनुस्मारक निर्गत किया (मार्च 2016)। हालांकि, प्रिंसिपल, बीआरडीएमसी ने उत्तर दिया (मार्च 2016) कि कॉलेज के विरोध को दिसंबर 2013 में एनएन को सूचित किया गया था और इसने एनएन से किसी अन्य शासकीय संस्थान/विभाग जिनके पास अपना परिसर है, द्वारा किये गए गृह कर की मांग के लिए आधार के साथ-साथ भुगतान के रसीदों की प्रति उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया था। एनएन ने वर्ष 2016-17 (पिछले बकाया सहित) के लिए ₹ 2.25 करोड़ और वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 3.15 करोड़ (पिछले बकाया सहित) गृह कर की मांग में क्रमशः अप्रैल 2016 और अप्रैल 2017 में वृद्धि की। गृह कर की इन मांगों को ध्यान में रखते हुए, प्रधानाचार्य, बीआरडीएमसी ने गृह कर के भुगतान के लिए धनराशि स्वीकृत एवं अवमुक्त करने के लिए महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण (डीजीएमईटी) से अनुरोध किया (अप्रैल 2017, अक्टूबर 2017 और जुलाई 2018)।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि बीआरडीएमसी ने मार्च 2018 में ₹ 1.21 करोड़ की धनराशि के गृह कर के पहले भाग का भुगतान किया था और तत्पश्चात, सितंबर 2018 और फरवरी 2019 के मध्य ₹ 1.97 करोड़[17] का भुगतान किया गया था। अंत में, बीआरडीएमसी ने वर्ष 2019-20 तक देय गृह कर और ब्याज की धनराशि ₹ 1.45 करोड़ का पूर्ण भुगतान[18] सितंबर 2019 में किया और तत्पश्चात

[17] 5 सितंबर 2018 (₹ 5.50 लाख), 28 सितंबर 2018 (₹ 5.00 लाख) और 7 फरवरी 2019 (₹ 186.02 लाख) इसमें 7 फरवरी 2019 को भुगतान की गई ₹ 73,01,350 की ब्याज शामिल थी।

[18] सितंबर 2019 में ₹ 144.83 लाख का कुल भुगतान जिसमें ₹ 8,28,723 का ब्याज शामिल था।

वर्ष 2020-21 और 2021-22 के गृह कर का भुगतान यथासमय किया गया।

इस प्रकार, एनएन, गोरखपुर द्वारा लगाए गए गृह कर के समय पर भुगतान में बीआरडीएमसी की विफलता के परिणामस्वरूप गृह कर बकाया पर ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ। बीआरडीएमसी को नवंबर 2013 में एनएन द्वारा लगाए जाने वाले गृह कर देयता के बारे में पता था, लेकिन धन के आवंटन के प्रयास विलम्ब से अप्रैल 2017 में किए गए थे। इसके साथ ही, डीजीएमईटी ने गृह कर बकाया चुकाने के लिए बीआरडीएमसी को पर्याप्त धन आवंटित नहीं किया। परिणामस्वरूप, बीआरडीएमसी को गृह कर बकाया के भुगतान में विलंब के लिए ₹ 81.30 लाख[19] के ब्याज के भुगतान पर परिहार्य व्यय करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, बीआरडीएमसी ने अभी तक एनएन को संपत्ति का विवरण प्रदान नहीं किया था, इस प्रकार, संपत्ति का वार्षिक मूल्य जिसके आधार पर एनएन द्वारा गृह कर लगाया गया था, तदर्थ रहा।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (फरवरी 2023); उत्तर प्रतीक्षित है (अगस्त 2024)।

[19] वर्ष 2017-18 तक के लिए फरवरी 2019 में भुगतान किया गया ₹ 73,01,350 का ब्याज और वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए सितंबर 2019 में भुगतान किया गया ₹ 8,28,723 का ब्याज।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.4: डॉ. राम मनोहर लोहिया पुरुष चिकित्सालय, फर्रुखाबाद में प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट का संचालन न होने के कारण अलाभकारी व्यय

दिसंबर 2016 में भवन निर्माण के बावजूद डॉ. राम मनोहर लोहिया पुरुष चिकित्सालय, फर्रुखाबाद में प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट के संचालन हेतु राज्य सरकार मानव संसाधन उपलब्ध नहीं करा सकी, जिसके परिणामस्वरूप भवन के निर्माण और उपकरणों / साज-सज्जा के क्रय पर किया गया ₹ 1.96 करोड़ रुपये का व्यय अलाभकारी हुआ।

उत्तर प्रदेश शासन ने (नवंबर 2012) डॉ. राम मनोहर लोहिया पुरुष चिकित्सालय, फर्रुखाबाद के परिसर में प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट भवन के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड[20] को कार्यदायी संस्था नामित किया। कार्यदायी संस्था द्वारा रू. 153.26 लाख की लागत से प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट भवन का निर्माण पूरा होने के बाद, इसे चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को सौंप दिया गया (दिसंबर 2016)। इस बीच, राज्य सरकार ने हाल ही में स्थापित प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट को शुरु करने के लिए मानव संसाधनों/पदों का एक मानक निर्गत किया (मार्च 2016) जिसमें प्लास्टिक सर्जन (एक पद), जनरल सर्जन (दो पद), कैजुअलिटी चिकित्सा अधिकारी (तीन पद) और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ (16 पद) की आवश्यकता का प्रावधान है। मार्च 2016 के शासकीय आदेश में यह भी प्रावधान किया गया कि इन मानकों के निर्धारण को पदों के सृजन, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक था, के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया पुरुष चिकित्सालय, फर्रुखाबाद (सीएमएस) के कार्यालय के अभिलेखों की जांच (सितंबर 2022) से पता चला है कि सीएमएस ने महानिदेशक, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा (डीजीएमएचएस) को सूचित किया (जून 2018) कि प्लास्टिक सर्जरी

[20] इसे पैकफेड के रूप में भी जाना जाता है।

और बर्न यूनिट अस्पताल में स्थापित की गई थी, लेकिन मानव संसाधन और फर्नीचर/उपकरण की कमी के कारण इसे संचालित नहीं किया जा सका। तत्पश्चात, चिकित्सालय में नवनिर्मित प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट के उपकरण और साज-सज्जा के लिए ₹ 70.90 लाख का प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन प्रदान (दिसंबर 2020) किया गया। प्रशासनिक अनुमोदन में निर्देशित किया गया था कि उपकरण की स्थापना से पहले, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसके संचालन के लिए कुशल मानव संसाधन उपलब्ध हैं।

स्वीकृत धनराशि ₹ 70.90 लाख में से, डीजीएमएचएस ने उपकरण/ फर्नीचर की खरीद के लिए सीएमएस को ₹ 42.90 लाख उपलब्ध कराये (जनवरी 2021)। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीएमएससीएल) को ₹ 28 लाख की अवशेष स्वीकृत धनराशि से प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट के लिए उपकरणों की आपूर्ति के लिए अधिकृत किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि सीएमएस ने उपकरण और प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट की फर्निशिंग पर ₹ 39.32 लाख रुपये का व्यय किया (मार्च 2021) और यूपीएमएससीएल द्वारा चिकित्सालय को ₹ 3.46 लाख रुपये के उपकरण की आपूर्ति (जुलाई 2021) की गई थी। हालांकि, चिकित्सालय के मुख्य फार्मासिस्ट के साथ लेखापरीक्षा द्वारा किए गए एक संयुक्त निरीक्षण (5 सितंबर 2022) में यह पाया गया कि प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट पर ताला लगा हुआ था एवं अक्रियाशील था, इसकी सतह मकड़ी के जालों से ढकी थी जो दर्शाता है कि इसे काफी समय से खोला नहीं गया था, यूनिट के लिए खरीदे गए उपकरण और फर्नीचर को स्थापना के लिए भी खोला नहीं गया था, जैसा कि निम्नलिखित चित्रों में दर्शाया गया है।

चित्र 34.1-प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट	चित्र 34.2-उपकरण और फर्नीचर	चित्र 34.3-उपकरण और फर्नीचर

चित्र 34.4 - सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन और सक्शन सिस्टम

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि डीजीएमएचएस ने डॉ. राम मनोहर लोहिया पुरुष अस्पताल, फर्रुखाबाद में नई स्थापित प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट के लिए पदों के सृजन के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया था (अप्रैल 2023)। सितंबर 2023 में शासन द्वारा पदों के सृजन की मंजूरी दी गयी थी, हालांकि स्वीकृत पदों के सापेक्ष जनशक्ति की तैनाती नहीं की गयी थी। परिणामस्वरूप, दिसंबर 2016 में भवन हस्तगत होने के पश्चात भी चिकित्सालय में प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट अक्रियाशील रही।

उत्तर में, राज्य सरकार ने कहा (मई 2023) कि डॉ. राम मनोहर लोहिया पुरुष चिकित्सालय, फर्रुखाबाद में प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट का उपयोग उपकरण और साज-सज्जा की अनुपलब्धता के कारण आइसोलेशन वार्ड के रूप में किया जा रहा था। चिकित्सालय की प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट के लिए उपकरण खरीदे गए थे। वर्तमान में, यह स्थानीय व्यवस्था के माध्यम से नवंबर 2021 से क्रियाशील था और 34 रोगियों का इलाज किया गया था। हालांकि, मानव संसाधन की कमी के कारण, प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट को पूरी तरह से संचालित नहीं किया जा

सका। जले हुए रोगियों का उपचार चिकित्सालय में तैनात जनरल सर्जन द्वारा किया जा रहा था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि सितंबर 2022 में लेखापरीक्षा के संयुक्त निरीक्षण से स्पष्ट था कि प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट क्रियाशील नहीं थीं और उपकरणो को खोला नहीं गया था। लेखापरीक्षा द्वारा चिकित्सालय के एक और संयुक्त निरीक्षण (सितंबर 2023) से ज्ञात हुआ कि प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट में मानवशक्ति की तैनाती नहीं की गई थी, क्रय किये गए उपकरण और साज-सज्जा स्थापित नहीं किए गए थे, बाथरूम में वॉश बेसिन और टॉयलेट शीट का कोई संयोजन नहीं था, बर्न यूनिट के भूतल का उपयोग आइसोलेशन वार्ड के रूप में किया जा रहा था और पहली मंजिल का उपयोग सामान्य रोगियों के लिए किया जा रहा था। सीएमएस ने आगे पुष्टि की (सितंबर 2023 और जून 2024) कि बर्न यूनिट क्रियाशील नहीं थी, और संबंधित वार्डों में भीड़ के कारण यूनिट के वार्डों का उपयोग सामान्य रोगियों के लिए किया जा रहा था क्योंकि आवश्यक मानवशक्ति की तैनाती नहीं की गई थी और खरीदे गए उपकरण स्थापित नहीं किए गए थे। सीएमएस ने आगे कहा (जून 2024) कि चिकित्सालय में तैनात सामान्य सर्जन की सेवानिवृत्ति (जून 2023) के बाद, साक्षात्कार के माध्यम से दो अन्य सर्जन तैनात किए गए और उनके द्वारा बर्न यूनिट में आंशिक रुप से जले मामलों का उपचार किया जा रहा था, जबकि गंभीर रोगियों को उच्च चिकित्सा संस्थानों को संदर्भित किया जा रहा था। इस प्रकार, डॉ. राम मनोहर लोहिया पुरुष चिकित्सालय, फर्रुखाबाद में भवन निर्माण और उपकरणों के क्रेय और प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट के लिए साज-सज्जा पर किए गए ₹ 1.96 करोड़ का व्यय, इसके संचालन के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराने में विभाग की विफलता के कारण अलाभकारी रहा।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें विभाग

3.5: सौर ऊर्जा आधारित पावर बैकअप प्रणाली पर अलाभकारी व्यय ।

विभागीय शिथिलता एवं कार्यदायी संस्था की निष्क्रियता के कारण, केंद्रीय कारागार, बरेली में स्थापित मोबाइल फोन जैमरों को पावर बैकअप प्रदान करने हेतु स्थापित सौर ऊर्जा आधारित बैकअप प्रणाली के पांच वर्षों के बाद भी अक्रियाशील रहने के कारण बैकअप प्रदान करने का उद्देश्य विफल रहा। अतः उपकरणों की स्थापना पर किया गया ₹ 1.95 करोड़ का व्यय अलाभकारी हो गया।

राज्य सरकार ने कारागारों में स्थापित मोबाइल फोन जैमरों के निर्बाध संचालन के लिए केन्द्रीय कारागार, बरेली में सौर ऊर्जा-आधारित पावर बैकअप प्रणाली की स्थापना हेतु ₹ 1.95 करोड़ स्वीकृत (जून 2017) किया। राज्य सरकार ने पीईसी लिमिटेड[21] को कार्य निष्पादन हेतु कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया। कार्यदायी संस्था एवं कारागार प्रशासन और सुधार सेवाओं के मध्य कार्य के लिए एक अनुबंध निष्पादित (जुलाई 2017) किया गया । जिसमें निर्धारित किया गया था कि (i) सौर ऊर्जा आधारित बिजली बैकअप के उपकरणों की वारंटी अवधि की वैधता उपकरण के संतोषजनक प्रवर्तन की तारीख से पांच वर्ष होगी। (ii) पीईसी लिमिटेड शिकायत के 24 घंटे के भीतर बिजली बैकअप प्रणाली में किसी भी दोष को सुधारने के लिए उत्तरदायित्व होगा जिसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा और (iii) महानिरीक्षक, कारागार के पक्ष में कार्यदायी संस्था द्वारा उपकरण की लागत के 10 प्रतिशत एवं उपकरण के 60 महीने की वारंटी अवधि की वैधता अवधि के बराबर अवधि की निष्पादन बैंक गारंटी प्रदान की जाएगी।

कारागार मुख्यालय द्वारा निर्गत किए गए कार्य आदेश (जून 2017) में प्रावधान किया गया था कि कार्यदायी संस्था जल्द से जल्द पावर बैकअप प्रणाली की आपूर्ति करेगा, जो किसी भी स्थिति में 90 दिनों से अधिक नहीं होगा। बाद में कार्य में विलम्ब को देखते हुए, कारागार मुख्यालय ने कार्यदायी संस्था को मार्च 2018 तक स्थापना का कार्य पूरा करने का

[21] भारत शासन का उद्यम (पूर्व में परियोजना और उपकरण निगम लिमिटेड)।

निर्देश दिया। कारागार मुख्यालय ने ₹ 1.95 करोड़ की स्वीकृत धन राशि कार्यदायी संस्था को दो किस्तों[22] में प्रदान किया।

वरिष्ठ अधीक्षक, केंद्रीय कारागार, बरेली के अभिलेखों की जांच (फरवरी 2022) एवं अग्रेतर एकत्र की गयी सूचना (दिसंबर 2022, जनवरी/मार्च 2023 एवं अप्रैल 2024) से ज्ञात हुआ कि कार्यदायी संस्था ने मार्च 2018 में कारागार को उपकरण की आपूर्ति की थी, लेकिन इसे मई 2019 में सौर ऊर्जा बैकअप प्रणाली के स्थापना कार्य को पूरा करने के बाद, अर्थात स्थापना की निर्धारित तिथि (मार्च 2018) के 13 महीने बाद, क्रियाशील किया गया। जबकि, सौर ऊर्जा बैकअप प्रणाली ने स्थापना प्रक्रिया के पूर्ण होने के दो महीने बाद ठीक से काम करना बंद (जुलाई 2019) कर दिया एवं पावर बैकअप की अवधि बहुत कम (केवल 15 से 20 मिनट) थी। परिणामस्वरूप, बिजली कटौती के दौरान जैमर अक्रियाशील रहते थे।

वरिष्ठ कारागार अधीक्षक ने सौर ऊर्जा बैकअप प्रणाली के असंतोषजनक क्रियाशीलता के बारे में कार्यदायी संस्था को अनुरोध (जुलाई 2019) किया। सौर ऊर्जा बैकअप प्रणाली को पूर्णतः क्रियाशील करने हेतु वरिष्ठ कारागार अधीक्षक द्वारा किये गए कई अनुरोधों[23] के बाद कार्यदायी संस्था के एक प्रतिनिधि ने स्थापना की तिथि से एक वर्ष बाद कारागार परिसर का भ्रमण (जून 2020) किया परन्तु उन्होंने समस्या का निवारण नहीं किया एवं सूचित किया कि सौर ऊर्जा बैकअप प्रणाली की अधिकांश बैटरी खराब हैं तथा सौर ऊर्जा बैकअप प्रणाली को क्रियाशील बनाने के लिए उन्हें बदलने की आवश्यकता है। वरिष्ठ कारागार अधीक्षक के पुनः अनुरोधों (जून और जुलाई 2020) के बाद, कार्यदायी संस्था के एक प्रतिनिधि ने फिर से सौर ऊर्जा बैकअप प्रणाली का निरीक्षण (जुलाई 2020) किया और पाया कि सात बैटरी पूरी तरह से खराब थीं और अधिकांश बैटरी में कम वोल्टेज की समस्या थी। कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि ने एक बैटरी बैंक की बैटरियों को बदलने के लिए भेजा और शेष दो बैटरी बैंकों की बैटरियों को 15 दिनों के लिए बिना लोड के बूस्ट चार्ज देने के लिए रखा गया। अगस्त 2020 में, सोलर पावर बैकअप प्रणाली को दो बैटरी बैंकों के साथ

[22] अक्टूबर 2017 और मार्च 2018।

[23] अगस्त, सितंबर, नवंबर और दिसंबर 2019, जनवरी, फरवरी, मार्च और जून 2020।

पुनर्स्थापित किया गया जो चार घंटे का पावर बैकअप दे रही थी। जबकि, मई 2021 में पाया गया कि बिजली कटौती के दौरान मोबाइल फोन जैमर सौर प्रणाली पर काम नहीं कर रहे थे। वरिष्ठ कारागार अधीक्षक द्‌वारा कार्यदायी संस्था को दोष के बारे में सूचित (मई 2021) किया गया। अगस्त 2021 में, कार्यदायी संस्था के एक प्रतिनिधि ने फिर से निरीक्षण किया और पाया कि बैटरियां काम नहीं कर रही थीं परन्तु इस समस्या का समाधान नहीं किया गया । अग्रेतर लेखापरीक्षा में पाया कि कार्यदायी संस्था[24] से अनेक अनुरोधों के उपरान्त भी मार्च 2023 तक पावर बैकअप प्रणाली अक्रियाशील रही।

राज्य सरकार ने उत्तर (सितंबर 2023) में कारागार मुख्यालय के उत्तर (मार्च 2023) को यह कहते हुए अग्रेषित किया कि पीईसी से बरेली के केंद्रीय कारागार में सौर ऊर्जा आधारित पावर बैकअप प्रणाली की मरम्मत करने का अनुरोध किया गया था। कारागार मुख्यालय ने अवगत कराया कि कार्यदायी संस्था से निष्पादन बैंक गारंटी प्राप्त नहीं की गई थी क्योंकि कार्यदायी संस्था ने शासकीय सार्वजनिक उपक्रमों को बैंक गारंटी देने से दी गई छूट के बारे में सूचित किया था। जबकि, कारागार मुख्यालय ने बाद में अवगत कराया (फरवरी 2024) कि इस मामले को कार्यदायी संस्था के प्रशासकीय मंत्रालय, वाणिज्य और उद्‌योग मंत्रालय, भारत शासन के साथ नहीं उठाया गया क्योंकि पीईसी ने वित्तीय नुकसान के कारण सितंबर 2019 से वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद कर दिया था। वरिष्ठ कारागार अधीक्षक, बरेली ने अग्रेतर अवगत कराया (अप्रैल 2024) कि सौर ऊर्जा आधारित पावर बैक अप प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रही थी, जिसके कारण मोबाइल फोन जैमर बिजली कटौती के कुछ मिनट बाद काम करना बंद कर देते हैं।

इस प्रकार, कार्यदायी संस्था के विरुद्ध उचित कार्रवाई न करने, वारंटी अवधि[25] के लिए निष्पादन बैंक गारंटी की मांग नहीं करने एवं अनुबंध की शर्तों के अनुरूप कार्यदायी संस्था की ओर से शिकायत के 24 घंटे के भीतर दोषों को दूर करने के लिए कार्रवाई करने में अक्रियाशीलता एवं

[24] 28 अगस्त 2021 और 22 जनवरी 2022।

[25] सौर ऊर्जा संयंत्र की आपूर्ति, स्थापना और क्रियाशील होने तक बैंक गारंटी के बदले पीईसी द्‌वारा प्रदान किया गया क्षतिपूर्ति बांड (जुलाई 2017) लागू रहा।

विभागीय शिथिलता के कारण सौर ऊर्जा बैकअप प्रणाली को स्थापित करने के पांच साल बाद भी बिजली कटौती के दौरान मोबाइल जैमरों को बिजली बैकअप प्रदान हेतु क्रियाशील नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, सौर ऊर्जा बैकअप प्रणाली की स्थापना का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका और सौर प्रणाली के उचित क्रियान्वयन के बिना प्रणाली की वारंटी अवधि समाप्त हो गयी। अतः सौर प्रणाली की स्थापना पर किया गया ₹ 1.95 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

प्राविधिक शिक्षा विभाग

3.6: महिला छात्रावास भवनों के निर्माण पर अलाभकारी व्यय

शासकीय पॉलिटेक्निक में सात महिला छात्रावासों को उनके हस्तांतरण के दो से चार वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी क्रियाशील नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, इनकी स्वीकृति के सात साल से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी, तीन पूर्ण हो चुके छात्रावास अभी भी हस्तांतरित नहीं किये जा सके और एक छात्रावास का निर्माण अभी भी अपूर्ण है, जिसके कारण इनके निर्माण पर किया गया ₹ 21.22 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

शहर से दूर स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक में और किराए के भवनों की कम उपलब्धता वाले स्थानों में छात्राओं को छात्रावास की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने महिला छात्रावास विहीन 15 शासकीय पॉलिटेक्निकों[26] के लिये 60 छात्राओं की क्षमता वाले प्रत्येक छात्रावास की मानकीकृत लागत ₹ 141.41 लाख पर 15 महिला छात्रावास के निर्माण हेतु ₹ 21.21 करोड़ स्वीकृत (अगस्त 2016) किये। शासन ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ[27] और उत्तर प्रदेश परियोजना निगम लिमिटेड को क्रमशः आठ[28] छात्रावास भवनों और सात[29] छात्रावास भवनों के निर्माण

[26] आजमगढ़, बलिया, बांदा, बस्ती, गोंडा, हमीरपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, मैनपुरी, ओरई जालौन, सिद्धार्थनगर, सोनभद्रा, टुंडाला फिरोजाबाद, वाराणसी और शासकीय चमड़ा संस्थान (जीएलआई), कानपुर नगर में शासकीय पॉलीटेक्निक।

[27] पूर्व में पैकफेड के रूप में नामित।

[28] जीपी आजमगढ़, बांदा, बल्लिया, बस्ती, गोंडा, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और वाराणसी में महिला छात्रावास।

के लिए कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया (अगस्त 2016)। अग्रेतर, शासकीय चमड़ा संस्थान, कानपुर नगर[30] के छात्रावास को छोड़कर, 14 छात्रावासों के निर्माण के लिए निदेशक, प्राविधिक शिक्षा को अगस्त 2016 और फरवरी 2018 के मध्य तीन किश्तों में ₹20.50 करोड़ निर्गत किए गए थे। बाद में शासन द्वारा मार्च 2018 और मार्च 2021 के मध्य इन 15 महिला छात्रावासों के निर्माण की लागत का पुनरीक्षित ऑकलन ₹ 28.95 करोड़ स्वीकृत किया गया था। ₹8.45 करोड़ की अवशेष धनराशि जून 2018 और मार्च 2022 के मध्य निर्गत की गई ***(परिशिष्ट 3.1)***।

शासकीय पॉलीटेकनिक उरई, जालौन के अभिलेखों की जाँच (नवंबर 2019) और निदेशक, प्राविधिक शिक्षा से एकत्र की गयी सूचनाओं (दिसंबर 2021, सितंबर 2022 और दिसंबर 2022) से पता चला कि कार्यदायी संस्था और विभाग के मध्य कार्य की समयसीमा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कोई अनुबंध/समझौता ज्ञापन निष्पादित नहीं किया गया था। कार्य पूर्णता की निर्धारित अवधि न तो शासन द्वारा प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन में तय की गई थी और न ही विभाग द्वारा निर्धारित की गयी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा 15 महिला छात्रावास भवनों के निर्माण पर ₹ 28.92 करोड़ रुपये खर्च कर दिये गये थे। मई और जून 2023 के मध्य लेखापरीक्षा दल द्वारा सभी 15 महिला छात्रावासों का एक संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया था और इन छात्रावासों के संचालन के बारे में अग्रेतर सूचनायें संबंधित शासकीय पॉलीटेक्निक ***(परिशिष्ट 3.2)*** से एकत्र की गई थी। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि 15 महिला छात्रावास भवनों में से 14 का निर्माण पूरा हो

[29] जीपी फिरोजाबाद, हमीरपुर, उरई जालौन, कानपुर देहात, मैनपुरी, सोनभद्र और जीएलआई, कानपुर नगर में महिला छात्रावास।

[30] 15 छात्रावासों में से प्रत्येक के लिए ₹ 56.56 लाख रुपये की दर से ₹ 8.48 करोड़ रुपये की पहली किस्त (अगस्त 2016), 15 छात्रावासों में से प्रत्येक के लिए ₹ 14.14 लाख रुपये की दर से ₹ 2.12 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त (सितंबर 2016) और अगस्त 2017 से फरवरी 2018 के बीच 14 छात्रावासों के लिए ₹ 70.71 लाख रुपये की दर से ₹ 9.90 करोड़ रुपये की तीसरी किस्त। जीएलआई कानपुर में शेष एक छात्रावास के लिए ₹ 1.06 करोड़ की तीसरी किस्त मार्च 2022 में अवमुक्त की गई थी।

गया था और 14 में से 11 पूर्ण छात्रावास भवनों को अगस्त 2018 और जून 2022 के मध्य संबंधित शासकीय पॉलीटेक्निक को हस्तांतरित कर दिये गये थे। 11 हस्तांतरित महिला छात्रावासों में से, केवल तीन[31] को क्रियाशील किया गया था और छात्राओं को आवंटित किया गया था। जबकि एक अन्य महिला छात्रावास32 क्रियाशील तो किया गया था परंतु बालक छात्रावास के रूप में उपयोग किया जा रहा था। इस प्रकार, 11 महिला छात्रावास निम्नलिखित कारणों से उनकी स्वीकृति के सात साल से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी असंचालित/अपूर्ण रहे:

- तीन[33] [8] महिला छात्रावास भवन पूर्ण हो गये थे परंतु हस्तांतरित नहीं किए गए थे क्योंकि शासकीय पॉलीटेक्निक में अन्य भवनों का निर्माण अधूरा था और विशेष जांच दल द्वारा जांच के अधीन थे।
- शासकीय चमड़ा संस्थान, कानपुर नगर में एक महिला छात्रावास अभी भी चयनित निर्माण स्थल पर मौजूदा जर्जर भवन को ध्वस्त करने में देरी के कारण अपूर्ण था, जिसने छात्रावास के निर्माण में आगे भी विलंब किया।
- यद्यपि सात[34] महिला छात्रावास कार्यदायी संस्था द्वारा संबंधित शासकीय पॉलीटेक्निक को हस्तानंतरित कर दिए गए थे फिर भी विभिन्न कारणों, जैसे फर्नीचर की अनुपलब्धता, सुरक्षा कारण और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसा कि ***परिशिष्ट 3.2*** में वर्णित है, से छात्रावास में रहने के लिए लड़कियों की अनिच्छा के कारण क्रियाशील नहीं किये जा सके थे।

[31] जीपी गोंडा (अगस्त 2019 में सौंपा गया), कुशीनगर (अक्टूबर 2019 में सौंपा गया) और मैनपुरी (जून 2019 में सौंपा गया) में महिला छात्रावास क्रियाशील थे।

[32] जीपी फिरोजाबाद का महिला छात्रावास (अगस्त 2018 में सौंपा गया)।

[33] जीपी आजमगढ़, बलिया और वाराणसी में महिला छात्रावास।

[34] जीपी बांदा, बस्ती, हमीरपुर, कानपुर देहात, उरई जालौन, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र में महिला छात्रावास।

इस प्रकार, महिला छात्रावास के निर्माण का उद्देश्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। परिणामस्वरूप, असंचालित 11 महिला छात्रावासों[35] के निर्माण पर किए गए ₹ 21.22 करोड़[36] का व्यय अलाभकारी रहा।

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा ने कहा (सितंबर 2022) कि छात्रावासों के पूरा होने की निर्धारित अवधि विभाग/शासन द्वारा तय नहीं की गई थी और कार्यदायी संस्था के साथ समझौता ज्ञापन करने के निर्देश स्वीकृति के समय अस्तित्व में नहीं थे। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने उत्तर में कहा (फरवरी 2024) कि इन 15 पॉलिटेक्निक में छात्रावासों का निर्माण एक प्राथमिकता थी, जिसमें कोई महिला छात्रावास नहीं था, शहरों से दूर थे और किराए के आधार पर आवास की उपलब्धता कम थी। कार्यदायी संस्था द्वारा सौंपे गए 11 छात्रावासों में से, 10 छात्रावासों में फर्नीचर प्रदान कर दिये गये थे और शेष एक शासकीय पॉलीटेक्निक बांदा के छात्रावास में फर्नीचर के लिए धन की स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्गत कर दी गयी थी। विगत एवं वर्तमान शैक्षणिक सत्र में शासकीय पॉलीटेक्निक में छात्राओं के प्रवेश में कमी थी, जबकि, भविष्य में प्रवेश में वृद्धि के पश्चात छात्रावासों से छात्राओं को लाभ होगा। राज्य सरकार ने आगे कहा कि 15 छात्रावासों में से 11 छात्रावासों को सौंप दिया गया और उन्हें क्रियाशील कर दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि प्राविधिक शिक्षा निदेशालय से प्राप्त आगे की सूचनाओं (मई 2024) से पता चला कि 11 सौंपे गए छात्रावासों में से केवल चार ही क्रियाशील थे, और इसमें भी एक छात्रावास का उपयोग बालकों के छात्रावास के रूप में किया गया था। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा कारणों और सुविधाओं की कमी के कारण छात्राओं की भी इन छात्रावासों में रहने में कोई रुचि नहीं थी, जिसके लिए शासन द्वारा इन छात्रावासों

---

[35] संबंधित जीपीएस को सौंप दिया गया- सात छात्रावास, कार्यदायी संस्था द्वारा अभी तक सौंपे नहीं गए- तीन छात्रावास, अपूर्ण - एक छात्रावास।

[36] जीपी आजमगढ़: ₹ 204.75 लाख; जीपी बांदा: ₹ 243.11; जीपी बल्लिया: ₹ 224.48 लाख; जीपी बस्ती: ₹ 182.32 लाख; जीपी हमीरपुर: ₹ 178.46 लाख; जीपी ओरई जालौन: ₹ 185.66 लाख; जीपी कानपुर देहात: ₹ 187.26 लाख; जीपी सिद्धार्थनगर: ₹ 181.66 लाख; जीपी सोनभद्रा: ₹ 179.45 लाख; जीपी वाराणसी: ₹ 178.36 लाख; जीएलआई कानपुर नगर: ₹ 176.87 लाख।

के संचालन के लिए पर्याप्त सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, इन छात्रावासों के निर्माण के लिए किसी भी समय सीमा के निर्धारण के अभाव के कारण, एक महिला छात्रावास को अभी भी पूर्ण किया जाना शेष था और तीन पूर्ण छात्रावासों को हस्तांतरित नहीं किया गया था।

3.7: हरकोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन भवन पर अलाभकारी व्यय

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग के लिए भवन निर्माण कार्य पर किए गए ₹ 8.37 करोड़ का व्यय पर्याप्त निधि निर्गत करने में विलंब के कारण अलाभकारी रहा, जिसके परिणामस्वरूप दिसंबर 2021 से कार्य रोक दिया गया।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जो पात्र राज्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक वित्तपोषण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है, का उद्देश्य राज्य स्तर पर उच्चतर शिक्षा के नियोजित विकास के माध्यम से उच्चतर शिक्षा में पहुंच, समानता और गुणवत्ता में सुधार करना है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर हरकोर्ट बटलर तकनीकी संस्थान[37], कानपुर को हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने के लिए ₹ 55 करोड़ अनुमोदित (सितंबर 2015) किये। ₹12.65 करोड़ रुपये की लागत से 4,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में अलग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग भवन के निर्माण के साथ अनुमोदित निधि (₹ 55 करोड़), जिसमें संकाय, अनुसंधान अध्येताओं और छात्रों के लिए बैठने की जगह की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा था।

[37] हरकोर्ट बटलर तकनीकी संस्थान, कानपुर एक बहु-अनुशासनात्मक कॉलेज है जिसमें इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, विज्ञान और मानविकी में पाठ्यक्रम हैं।

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय के अभिलेखों की जांच (दिसंबर 2021) से पता चला है कि राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग भवन के निर्माण कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था के रूप में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को नामित किया (सितंबर 2016)। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग भवन के लिए ₹ 20.76 करोड़ का आकलन प्रस्तुत किया (अक्टूबर 2016)। हालांकि, राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग भवन के लिए ₹ 16.25 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (जनवरी 2017) और ₹ 6.50 करोड़ की पहली किस्त अवमुक्त की। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग भवन के निर्माण के लिए हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के बीच एक अनुबंध (मार्च 2017) निष्पादित किया गया था और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को 6.50 करोड़ रुपये अवमुक्त किया गया (मार्च 2017)। अनुबंध के अनुसार, काम शुरू होने की तारीख से 22 माह के भीतर काम पूरा करना था। हालांकि, एजेंसी ने अगस्त 2017 तक काम शुरू नहीं किया था और इसलिए, राज्य सरकार (सितंबर 2017) ने उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को ₹ 6.50 करोड़ की अवमुक्त धनराशि में से व्यय न करने और निर्माण को अगले आदेश तक रोकने का निर्देश दिया। तत्पश्चात, छह महीने के बाद, राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति दी (अप्रैल 2018)। इस प्रकार, मई 2018 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग भवन का निर्माण शुरू किया गया था, अर्थात कार्य की मंजूरी की तारीख से 16 महीने और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को निधि (मार्च 2017) अवमुक्त होने के 14 महीने विलंब से।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने जनवरी 2019 तक ₹ 4.89 करोड़ का व्यय किया और इलेक्ट्रॉनिक्स

इंजीनियरिंग विभाग भवन[38] के लिए ₹ 12.65 करोड़ के संशोधित आकलन के सापेक्ष ₹ 6.15 करोड़[39] की शेष निधि प्रदान करने हेतु अनुरोध के साथ हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। शासन द्वारा उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को क्रमश: मार्च 2019 और मार्च 2021 में एक करोड़ रुपए और **₹** 86.75 लाख रुपए की और निधि निर्गत की गई थी। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा प्रस्तुत (अक्टूबर 2021) उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार, ₹ 8.37 करोड़ की संपूर्ण अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया गया था और कुल मिलाकर 70 प्रतिशत कार्य ही पूरा किया जा सका। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय से कार्य पूरा करने के लिए ₹ 4.28 करोड़ की शेष धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया (अक्टूबर 2021/सितंबर 2023) और फंड निर्गत न होने के कारण निर्माण कार्य दिसंबर 2021 से बंद रहा। लेखापरीक्षा में आगे यह भी देखा गया कि हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय ने (दिसंबर 2018, मई 2019, जून 2019, जनवरी 2020 और मार्च 2020) उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को काम की धीमी प्रगति के बारे में शिकायत की थी।

उत्तर में, राज्य सरकार ने कहा (सितंबर 2023/फरवरी 2024) कि हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग भवन के लिए ₹ 4.28 करोड़ की शेष धनराशि अवमुक्त करने की प्रक्रिया चल रही थी। हालांकि, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय ने आगे पुष्टि की (जुलाई 2024) कि शेष धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त नहीं की गई थी।

---

[38] हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग भवन के निर्माण के लिए ₹12.65 करोड़ के एक संशोधित चित्र और संशोधित आकलन को मंजूरी दी (दिसंबर 2018)। हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय ने संशोधित चित्र को निष्पादन के लिए उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को अग्रेषित (दिसंबर 2018) किया। हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय ने पहले (जुलाई 2018) राज्य सरकार से जनवरी 2017 में दिए गए ₹ 16.25 करोड़ के प्रशासनिक अनुमोदन में संशोधन हेतु अनुरोध किया था ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग भवन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान द्वारा स्वीकृत आकलन (₹ 12.65 करोड़) के भीतर काम को रखा जा सके।

[39] ₹ 12.65 करोड़ के संशोधित आकलन में से पहले ₹ 6.50 करोड़ की अवमुक्त धनराशि कम

तथ्य यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग के छात्रों और अनुसंधान अध्येताओं को उचित बैठने और प्रयोगशाला स्थल प्रदान करने का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग भवनों के निर्माण में विलंब के कारण इसकी मंजूरी के सात साल से अधिक समय के बाद भी हासिल नहीं हुआ। परिणामस्वरूप, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग भवन के अपूर्ण निर्माण पर ₹ 8.37 करोड़ रुपये का व्यय अलाभकारी रहा।

शहरी विकास विभाग

3.8 अपूर्ण व्यावसायिक दुकानों पर अलाभकारी व्यय

नगर पंचायत, उस्का बाजार, सिद्धार्थनगर ने नगर पंचायत की पूर्ण रूप से स्वामित्व न रखने वाली भूमि पर व्यावसायिक दुकानों का निर्माण प्रारम्भ किया, जिसके कारण जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर के साथ विवाद उत्पन्न हुआ और सात वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी निर्माण पूरा नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप अपूर्ण व्यावसायिक दुकानों पर ₹1.36 करोड़ का अलाभकारी व्यय हुआ।

उत्तर प्रदेश की वित्तीय हस्तपुस्तिका के खंड VI का प्रस्तर 378 यह निर्धारित करता है कि ऐसी भूमि पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए जिसे उत्तरदायी सिविल अधिकारी द्वारा विधिवत हस्तांतरित नहीं किया गया है।

नगर पंचायत, उस्का बाजार, सिद्धार्थनगर के कार्यालय के अभिलेखों (सितम्बर 2018) की जांच और एकत्र की गई आगे की सूचनाओं (मार्च 2019, सितम्बर 2019, अक्टूबर 2022 और मई 2023) से ज्ञात हुआ कि नगर पंचायत ने व्यावसायिक दुकानों[40] के निर्माण का निर्णय लिया (जून 2014) एवं तदनुसार, 63 दुकानों के निर्माण के लिए ₹ 2.93 करोड़ के ऑकलन को अध्यक्ष, नगर पंचायत द्वारा अनुमोदित किया गया था। व्यावसायिक दुकानों के निर्माण के लिये निविदा अगस्त 2015 में आमंत्रित की गई थी और मई 2016 में न्यूनतम निविदादाता

[40] ब्लॉक संसाधन केंद्र (ब्ला०सं०के०) से नगर पंचायत के वार्ड नंबर 08 में खण्ड विकास कार्यालय भवन के सामने तक।

को ₹ 2.93 करोड़ की लागत से कार्यादेश निर्गत किया गया था। कार्य जून 2016 में प्रारम्भ किया गया था जिसे छह महीने में पूर्ण किया जाना निर्धारित किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन व्यावसायिक दुकानों का निर्माण कार्य ₹ 1.36 करोड़ का व्यय करने के पश्चात फरवरी 2017 में रोक दिया गया था। परिणामस्वरुप, प्रस्तावित व्यावसायिक दुकानों के प्लास्टर, सीढ़ियों और छत का कार्य अपूर्ण रहा।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर ने नगर पंचायत को कार्य रोकने का निर्देश दिया (जुलाई 2016) क्योंकि उक्त भूमि जिस पर निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिला पंचायत से संबंधित थी। जिला पंचायत ने इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एक रिट याचिका[41] भी दायर की और माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर के समक्ष यह शिकायत उठाने का निर्देश दिया (दिसम्बर 2016)। तद्नुसार, दोनों पक्षों (जिला पंचायत सिद्धार्थनगर और नगर पंचायत उस्का बाजार) को सुनने के पश्चात जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर ने निर्णय लिया (अगस्त 2017) कि उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर, जिला पंचायत का ही उक्त भूमि पर स्वामित्व है। जिलाधिकारी ने अपने आदेश में आगे अभिलिखित किया कि नगर पंचायत उक्त भूमि के अपने स्वामित्व को स्थापित करने के लिये कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सका और नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को निर्माण कार्य तत्काल रोकने का निर्देश दिया। तदुपरान्त नगर पंचायत उस्का बाजार ने जिलाधिकारी से जनहित में व्यावसायिक दुकानों के छत के काम को पूरा करने की अनुमति देने के लिये अनुरोध किया (सितम्बर 2018)। जबकि, विवाद अनिर्णित रहा क्योंकि जिला पंचायत सिद्धार्थनगर और नगर पंचायत उस्का बाजार के बीच आयोजित बैठक (फरवरी 2024) में इस प्रकरण पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।

इस प्रकार, भूमि के स्वामित्व का पता लगाये बिना व्यावसायिक दुकानों का निर्माण प्रारम्भ करने में नगर पंचायत उस्का बाजार की विफलता के परिणामस्वरूप 63 व्यावसायिक दुकानों के अपूर्ण निर्माण कार्यों पर

[41] याचिका सं. 60900/2016

₹ 1.36 करोड़ का अलाभकारी व्यय हुआ। निर्माण कार्य सात वर्षों से अधिक समय तक रुका रहा जैसा कि निम्नलिखित फोटोग्राफ[42] में दर्शाया गया है:

जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर ने उत्तर (फरवरी 2024) में बताया कि नगर पंचायत, उस्का बाजार के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी उक्त भूमि के स्वामित्व का पता लगाए बिना ही व्यावसायिक दुकानों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिये उत्तरदायी थे। राज्य सरकार ने आगे बताया (जुलाई 2024) कि इस प्रकरण पर संबंधित जिलाधिकारी से स्थिति की जानकारी मांगी गई है और टिप्पणियां प्राप्त होने पर तदनुसार सूचित किया जायेगा।

[42] जैसा कि नगर पंचायत उस्का बाजार द्वारा प्रदान (अप्रैल 2024) किया गया।

3.9 अपूर्ण पशु आश्रय गृहों पर अलाभकारी व्यय

वित्तीय नियमों और कान्हा पशु आश्रय योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, नगर पालिका परिषद, सिसवा बाजार, महाराजगंज और नगर पंचायत, उस्का बाजार, सिद्धार्थनगर ने निर्विवाद भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना पशु आश्रय गृहों का निर्माण प्रारम्भ कर दिया, जिसके कारण ₹ 96.63 लाख व्यय होने के बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप छह वर्ष से अधिक समय तक इन निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय अलाभकारी रहा।

उत्तर प्रदेश शासन ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में पशु आश्रय गृहों/कांजी हाउस की स्थापना के लिये कान्हा पशु आश्रय योजना प्रारम्भ की। योजना के दिशानिर्देश में प्रावधान है कि शहरी स्थानीय निकायों के पास पशु आश्रय गृहों के निर्माण के लिये निर्विवाद भूमि होनी चाहिए। यदि शहरी स्थानीय निकायों के पास भूमि उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित जिले के जिलाधिकारी निःशुल्क भूमि की व्यवस्था करेगें। इसके अतिरिक्त, वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड VI के प्रस्तर 378 में यह भी प्रावधान है कि ऐसी भूमि पर कोई भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए जिसे किसी उत्तरदायी सिविल अधिकारी द्वारा विधिवत रुप से हस्तांतरित नहीं किया गया हो।

नगर पालिका परिषद, सिसवा बाजार, महाराजगंज

नगर पालिका परिषद, सिसवा बाजार, महाराजगंज के अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2022), और एकत्र की गई अग्रेतर सूचनाओं (मई 2023 और नवम्बर 2023) से ज्ञात हुआ कि नगर पालिका परिषद[43] के कार्यालय परिसर में पशु आश्रय गृह के निर्माण के लिये ₹ 1.93 करोड़ की एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को स्वीकृति के लिए शहरी विकास विभाग, उ.प्र. शासन को प्रेषित किया गया था (28 जून 2016)। यद्यपि, कार्यालय परिसर में अपर्याप्त भूमि के कारण, नगर पालिका परिषद ने (14 अगस्त 2016) प्रस्तावित निर्माण स्थल को किसी अन्य स्थानीय निकाय ग्राम सभा कोठीभार में स्थित एक अन्य भूमि पर स्थानांतरित

[43] नगर पंचायत सिसवा बाजार का 31 दिसंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना द्वारा नगर पालिका परिषद के रूप में गठन किया गया था।

करने का निर्णय लिया, जो नगर पालिका परिषद की सीमा से सटा था। इस बीच, शासन ने ₹ 1.93 करोड़ की लागत से पशु आश्रय गृह के निर्माण के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (16 अगस्त 2016) प्रदान की और प्रथम किस्त के रूप में ₹ 96.00 लाख निर्गत किये। तत्पश्चात, नगर पालिका परिषद ने शहरी विकास विभाग से कोठीभार में पशु आश्रय गृह के निर्माण के अनुमोदित स्थल को बदलने का अनुरोध किया (20 अगस्त 2016)।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि नगर पालिका परिषद ने पशु आश्रय गृह की स्थापना के लिए नगर पालिका परिषद के वार्ड सं. 7 से सटे कोठीभार में उपलब्ध रिक्त भूमि प्रदान करने के लिये ग्राम पंचायत, कोठीभार से अनुरोध (15 अगस्त 2016) किया। तत्पश्चात, ग्राम पंचायत कोठीभार की भूमि प्रबंधन समिति ने (दिसम्बर 2016) उक्त रिक्त भूमि पर पशु आश्रय गृह के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया (दिसम्बर 2016)। शहरी विकास विभाग ने भी इस भूखंड पर पशु आश्रय गृह के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की (मार्च 2017) ।

आगे जांच से ज्ञात हुआ कि नगर पालिका परिषद ने निविदा (सितम्बर 2016) आमंत्रित करके एक ठेकेदार को पशु आश्रय गृह का निर्माण कार्य सौंपा और तीन महीने के भीतर कार्य पूरा करने के लिये कार्यादेश (दिसम्बर 2016) निर्गत किया गया। कार्य प्रारम्भ होने के बाद ग्राम सभा कोठीभार की खलिहान भूमि पर अवैध निर्माण के संबंध में ग्रामीणों की शिकायत पर उप जिलाधिकारी, निचलौल द्वारा निर्माण कार्य रोक दिया गया (अप्रैल 2017)। बाद में नगर पालिका परिषद ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एक रिट[44] याचिका दायर की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया (जुलाई 2017) जिलाधिकारी को चार सप्ताह में याचिकाकर्ता (नगर पालिका परिषद, सिसवा बाजार) की शिकायतों पर विचार करने और निर्णय लेने का आदेश दिया। तदनुसार, जिलाधिकारी ने शिकायत पर विचार किया और उप जिलाधिकारी के आदेश को बरकरार रखा (सितम्बर 2017)। अपने आदेश में, जिलाधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि ग्राम पंचायत कोठीभार की भूमि प्रबंधन समिति और ग्राम प्रधान ने खलिहान भूमि पर पशु आश्रय गृह के निर्माण की

[44] रिट संख्या 27194/2017

अनुमति दे कर अपनी शक्ति से परे जाकर कार्य किया और नगर पालिका परिषद के कार्यकारी अधिकारी जिलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ग्राम सभा भूमि पर निर्माण प्रारम्भ करने के लिये जिम्मेदार थे।

यह उल्लेख करना उचित है कि स्वीकृति के लिए पशु आश्रय गृह की डीपीआर भेजने से पहले, नगर पालिका परिषद ने शासन को सूचित किया (18 जून 2016) कि नगर पालिका परिषद के पास निर्विवाद भूमि उपलब्ध नहीं थी और उसके बाद नगर पालिका परिषद कार्यालय परिसर में पशु आश्रय गृह का निर्माण करने के लिये प्रस्ताव/डीपीआर को अग्रेषित (28 जून 2016) किया गया। भूमि का यह खंड दो महीने की अवधि के भीतर फिर से अपर्याप्त (अगस्त 2016) माना गया था और इसलिए ग्राम सभा कोठीभार से एक वैकल्पिक स्थल के लिये अनुरोध किया गया था। इस प्रकार, नगर पालिका परिषद ने उपयुक्त स्थल की उपलब्धता के बिना पशु आश्रय गृह के निर्माण का प्रस्ताव दिया और योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार जिलाधिकारी की ओर से निर्विवाद भूमि प्राप्त करने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अप्रैल 2017 में कार्य रोक दिये जाने पर ₹ 48.81 लाख के व्यय के बाद कार्य की भौतिक प्रगति 60 प्रतिशत थी, इसके अतिरिक्त, ₹ 109.14 लाख[45] की अवशेष धनराशि नगर पालिका परिषद (मई 2023) के बैंक खाते में अप्रयुक्त पड़ी थी।

उत्तर (फरवरी 2024) में, निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय ने कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद सिसवा बाजार के उत्तर को अग्रेषित किया जिसमें कहा गया था कि उप जिलाधिकारी के स्थगन आदेश के कारण अप्रैल 2017 से निर्माण कार्य रोक दिया गया था। आगे कहा गया कि नगर पालिका परिषद क्षेत्र के विस्तार के बाद, ग्राम सभा कोठीभार की उक्त भूमि अब नगर पालिका परिषद सिसवा बाजार का हिस्सा हो गयी और उप जिलाधिकारी से उक्त भूमि के भू-उपयोग को खलिहान से परती

---

[45] ब्याज और पहली किस्त की अप्रयुक्त राशि और ₹ 49.70 लाख की दूसरी किस्त की आंशिक प्राप्ति (मार्च 2023 में प्राप्त) शामिल है।

भूमि में बदलने के लिये अनुरोध किया (जनवरी 2024) जिससे पशु आश्रय गृह के निर्माण को पूरा किया जा सके।

इस प्रकार, निर्विवाद भूमि पर पशु आश्रय गृह के लिये प्रस्ताव तैयार करने में कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद की विफलता के परिणामस्वरूप अप्रैल 2017 से स्थल पर कार्य रोक दिया गया और अपूर्ण पशु आश्रय गृह पर किये गये ₹ 48.81 लाख का व्यय अलाभकारी रहा। अग्रेतर, नगर पालिका परिषद दिसम्बर 2019 में अपने क्षेत्र के विस्तार के बाद नगर पालिका परिषद में ग्राम सभा की उक्त भूमि को शामिल करने के बाद भी निर्माण कार्य को पूरा करने में विफल रहा, जैसा कि निम्नलिखित तस्वीर में दर्शाया गया है।

नगर पंचायत, उस्का बाजार, सिद्धार्थनगर

नगर पंचायत, उस्का बाजार, सिद्धार्थनगर के अभिलेखों की जांच (सितम्बर 2018) और उससे एकत्र की गई सूचनाओं (अक्टूबर 2022 और मई 2023) से ज्ञात हुआ है कि नगर पंचायत बोर्ड ने अपनी बैठक (मई 2016) में वार्ड नंबर 7 (सुभाष नगर) में पशु आश्रय गृह के निर्माण का निर्णय लिया था। पशु आश्रय गृह के निर्माण के लिये ₹ 1.68 करोड़ की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (जून 2016) शासन को स्वीकृति के लिये प्रेषित की गई थी जिसमें उल्लेख किया गया था कि उक्त भूमि पर कोई विवाद नहीं था और प्रस्तावित भूमि को खतौनी में कांजी हाउस (मवेशीखाना) के रूप में दर्ज किया गया था। शासन ने ₹ 1.68 करोड़ की

लागत के लिये प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (अगस्त 2016) और प्रथम किस्त के रूप में ₹ 84.00 लाख निर्गत किये। नगर पंचायत द्वारा निविदा (सितम्बर 2016) आमंत्रित करके एक ठेकेदार को कार्य सौंपा गया था और एक वर्ष के भीतर कार्य पूरा करने के लिये कार्यादेश (अक्टूबर 2016) निर्गत किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ठेकेदार ने नवम्बर 2016 में पशु आश्रय गृह का निर्माण प्रारम्भ किया था। यद्यपि, भूमि के स्वामित्व के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ क्योंकि जिला पंचायत सिद्धार्थनगर ने भूमि के इस खण्ड पर स्वामित्व का दावा किया (अप्रैल 2017) था। तत्पश्चात, जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर के समक्ष प्रकरण की सुनवाई हुई (अगस्त 2017) जहां नगर पंचायत उक्त भूमि खण्ड पर अपने स्वामित्व को साबित करने के लिये कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका और जिलाधिकारी ने भूमि स्वामित्व हेतु जिला पंचायत के पक्ष में फैसला किया और नगर पंचायत को निर्माण कार्य तत्काल रोकने करने के लिये निर्देश दिया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि फरवरी 2017 में कार्य रोके जाने पर ₹ 47.82 लाख व्यय करने के उपरांत पशु आश्रय गृह का केवल 35 प्रतिशत कार्य ही पूरा हुआ था। छत और प्लास्टर का कार्य अपूर्ण था। इसके अतिरिक्त, नगर पंचायत के बैंक खाते में ₹ 54.09 लाख (अर्जित ब्याज सहित) की शेष धनराशि अप्रयुक्त (मई 2023) पड़ी थी।

उत्तर में (फरवरी 2024), निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय ने जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर का उत्तर अग्रेषित किया जिसमें कहा गया था कि विवादित भूमि पर एक प्रकरण सिविल जज कोर्ट के समक्ष लंबित है, जिसके लिए सुनवाई की अगली तिथि मई 2024 में है। जिलाधिकारी ने आगे कहा कि नगर पंचायत के तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी भूमि के स्वामित्व का पता लगाये बिना और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिये उत्तरदायी थे।

तथ्य यह है कि नगर पंचायत उस्का बाजार योजना के नियमों और शर्तों के अनुसार निर्विवाद भूमि उपलब्ध नहीं करा सका। खतौनी में भूमि के स्वामित्व का उल्लेख नहीं किया गया था, तथापि भूमि खंड पर नगर पंचायत का स्वामित्व सुनिश्चित किये बिना ही भूमि पर कार्य प्रारम्भ कर

दिया गया था, जिसके कारण विवाद उत्पन्न हुआ और कार्य रोक दिया गया। परिणामस्वरुप, उक्त निर्माण अभी भी अपूर्ण (अप्रैल 2024) था जैसा कि निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है और अपूर्ण पशु आश्रय गृह पर किया गया ₹ 47.82 लाख का व्यय अलाभकारी रहा।

इस प्रकार, वित्तीय नियमों और योजना के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण, दोनों पशु आश्रय गृहों का निर्माण छह साल से अधिक समय से अपूर्ण रहा, जिसके परिणामस्वरूप पशु आश्रय गृहों के अपूर्ण निर्माण पर ₹ 96.63 लाख का अलाभकारी व्यय हुआ।

उत्तर में, राज्य सरकार ने कहा (जुलाई 2024) कि नगर पंचायत, उस्का बाजार, सिद्धार्थनगर में पशु आश्रय गृह के निर्माण के संबंध में प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित है, जिसे माननीय न्यायालय में प्रभावी ढंग से याचिका के माध्यम से निपटाया जायेगा। राज्य सरकार ने आगे कहा कि संबंधित जिलाधिकारी से स्थिति की जानकारी मांगी गई है और टिप्पणियों की प्राप्ति पर तदनुसार सूचित किया जायेगा। यद्यपि, राज्य सरकार ने सिसवा बाजार, महाराजगंज में पशु आश्रय गृह के निर्माण पर कोई उत्तर नहीं दिया।

3.10: निजी विश्वविद्यालय में पंडाल के निर्माण पर अलाभकारी व्यय

निर्माण एवं परिकल्प सेवायें, उत्तर प्रदेश, जल निगम

मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में छह वर्ष से अधिक समय से परित्यक्त पड़े हुए भव्य पंडाल के अधूरे निर्माण पर किया गया ₹ 4.91 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा। कार्य के लिए ₹ 4.91 करोड़ के कुल व्यय में से निर्माण एवं परिकल्प सेवायें ने राज्य सरकार से निधि निर्गत किए बिना ₹ 2.91 करोड़ का व्यय किया।

माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा (अक्टूबर 2013) के अनुसरण में, राज्य सरकार (संस्कृति विभाग) ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय[46] रामपुर (विश्वविद्यालय) के परिसर में भव्य पंडाल (पंडाल) के निर्माण के लिए ₹ 12.17 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति (फरवरी 2015) एवं ₹ दो करोड़ की प्रथम चरण की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। प्रशासनिक अनुमोदन में निहित निर्धारित शर्तों के अनुसार, पंडाल का स्वामित्व संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश का होता, जिसे किसी भी माध्यम से किसी भी व्यक्ति, संस्थान, विभाग या एजेंसी को हस्तांतरित या आदान-प्रदान नहीं किया जाना था। पंडाल का निर्माण कार्य, निर्माण और परिकल्प सेवायें, उत्तर प्रदेश, जल निगम (निर्माण और परिकल्प सेवायें) द्वारा किया जाना था। निदेशक, निर्माण और परिकल्प सेवायें, लखनऊ द्वारा दिसंबर 2016 में कार्य के लिए तकनीकी स्वीकृति (₹ 11.49 करोड़) प्रदान की गई थी। कार्य दिसंबर 2016 में प्रारंभ हुआ एवं जून 2017 तक पूरा किया जाना था। इस बीच, संस्कृति विभाग ने प्रशासनिक अनुमोदन में निहित नियमों और शर्तों को बदल दिया (अक्टूबर 2016)। संशोधित नियमों और शर्तों के अनुसार पंडाल का स्वामित्व विश्वविद्यालय[47] को कर दिया गया।

परियोजना प्रबंधक, निर्माण और परिकल्प सेवायें, यूनिट 54, रामपुर (निर्माण इकाई) (अब निर्माण और परिकल्प सेवायें, यूनिट 18, मुरादाबाद के साथ विलय) के कार्यालय के अभिलेखों की जांच (दिसंबर 2019) एवं अग्रेतर निदेशक, संस्कृति विभाग तथा निर्माण और परिकल्प सेवायें से एकत्र की गई सूचना (जनवरी 2023 और अप्रैल 2024) से पता चला कि

[46] यह एक निजी विश्वविद्यालय है।

[47] निदेशक, संस्कृति विभाग ने अवगत (अप्रैल 2024) कि राज्य सरकार से विश्वविद्यालय को पंडाल का स्वामित्व हस्तांतरित करने का निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर लिया गया था।

फरवरी 2015 में दी गई वित्तीय स्वीकृति (जनवरी 2017) के सापेक्ष पंडाल के निर्माण के लिए निर्माण और परिकल्प सेवायें रामपुर को ₹ दो करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई गई (जनवरी 2017) थी। आगे की जांच से पता चला कि संस्कृति विभाग द्वारा ₹ तीन करोड़ की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गई थी कि कार्यदायी संस्था द्वारा भौतिक प्रगति रिपोर्ट के साथ पूर्व में अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करने के बाद ही निधि का आहरण किया जायेगा। निर्माण और परिकल्प सेवायें ने अवमुक्त किए गए ₹ दो करोड़ की पहली किस्त के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र, जिसे जिलाधिकारी, रामपुर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया था, प्रस्तुत करते हुये निदेशक, संस्कृति विभाग को भेजा (मार्च 2017)। इस बीच, कार्य की प्रगति और निरंतरता को बनाए रखने के लिए निर्माण और परिकल्प सेवायें मुख्यालय ने संस्कृति विभाग द्वारा निधि अवमुक्त करने की प्रत्याशा में मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में निर्माण इकाई को ₹ दो करोड़ की एक और किस्त अवमुक्त (फरवरी 2017) कर दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्माण इकाई ने ₹ 90.74 लाख की अतिरिक्त देयता के सृजन के साथ मार्च 2017 तक कार्य पर ₹ चार करोड़ की संपूर्ण अवमुक्त निधि का उपयोग कर लिया था। सृजित देयता का भुगतान निधि की अनुपलब्धता के कारण ठेकेदार को नहीं किया जा सका। निधि की कमी के कारण संरचनात्मक कार्य पूरा होने के बाद सितंबर 2017 में कार्य बंद कर दिया गया था। निर्माण और परिकल्प सेवायें के कई अनुरोधों (मार्च 2017, मई 2020 और जुलाई 2020) के पश्चात भी संस्कृति विभाग द्वारा अग्रेतर कोई और किस्त निर्गत नहीं की गई थी।

राज्य सरकार (शहरी विकास विभाग) ने उत्तर (दिसंबर 2023) में निर्माण और परिकल्प सेवायें के उत्तर को अग्रेषित किया जिसमें कहा गया कि ₹ दो करोड़ के मोबिलाइजेशन अग्रिम और ₹ 90.74 लाख की देयता का समायोजन संस्कृति विभाग द्वारा ₹ तीन करोड़ की दूसरी किस्त अवमुक्त न करने के कारण अब तक नहीं किया गया था। निर्माण और परिकल्प सेवायें ने अग्रेतर यह भी कहा कि पंडाल का कार्य संस्कृति विभाग के निर्देशों के अनुसार किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निर्माण और परिकल्प सेवायें ने कार्य के लिए संस्कृति विभाग द्वारा निधि अवमुक्त न करने के बावजूद ₹ 2.91 करोड़[48] का कार्य किया था। अग्रेतर, पंडाल कार्य के निर्माण के लिए शेष निधि अवमुक्त न किए जाने के संदर्भ में, निदेशक, संस्कृति विभाग ने अवगत कराया (अप्रैल 2024) कि तत्कालीन माननीय संस्कृति मंत्री द्वारा असंतोषजनक प्रगति वाले कार्यों के प्रकरणों में दिए गए निर्देशों के कारण, कार्य की प्रगति संतोषजनक प्रतीत नहीं होने एवं एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) पोर्टल पर पंडाल के निर्माण पर शासकीय धन के दुरुपयोग से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर विभागीय जांच के कारण पंडाल कार्य के लिए अवशेष निधि अवमुक्त नहीं की गई थी।

इस प्रकार, ₹ 4.91 करोड़ का व्यय करने के बाद भी भव्य पंडाल का कार्य अपूर्ण रहा और यह छह साल से अधिक समय तक परित्यक्त पड़ा था। एक संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई 2024) देखा गया कि आरसीसी की छत मंच क्षेत्र के केवल एक तिहाई भाग पर पड़ी थी। मंच क्षेत्र को छोड़कर पूरे कार्य का निर्माण लोहे की सरियों के पिलर/बीम का उपयोग करके किया गया था और लोहे की सरियों एवं अन्य लोहे की सामग्रियां खुले में पड़े होने के कारण जंग खा रही थी।

3.11 अपूर्ण शूटिंग रेंज पर अलाभकारी व्यय

वर्ष 2008 में प्रारम्भ हुए शूटिंग रेंज के निर्माण कार्य को पूरा करने में नगर निगम लखनऊ विफल रहा और वर्ष 2012 से कार्य बंद कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप अपूर्ण शूटिंग रेंज पर ₹ 18.61 करोड़ का अलाभकारी व्यय हुआ ।

राज्य सरकार ने एकीकृत विकास और अवसंरचना सुविधाओं/सेवाओं के आवश्यक स्तर प्रदान करने के लिये प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय में अवस्थापना विकास निधि के गठन को अधिसूचित किया (जुलाई 1998)। इस निधि से कार्य करने के लिये, जहां तक संभव हो, उन कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी जो शहरी स्थानीय निकायों

[48] कुल व्यय (₹ 4.91 करोड़) में से संस्कृति विभाग द्वारा अवमुक्त निधि (₹ 2.00 करोड़) घटाकर।

को नियमित आय प्रदान करने वाली स्थायी संपत्ति का निर्माण कर सके। इस निधि के अंतर्गत वित्त पोषित किये जाने वाले कार्यों को आयुक्त/ जिलाधिकारी के स्तर पर गठित समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना था।

नगर निगम लखनऊ के अभिलेखों की जांच (अगस्त 2019 और अगस्त 2022) में पाया गया कि राज्य में शूटिंग की अद्वितीय प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से नगर निगम ने लखनऊ में शूटिंग रेंज की स्थापना के लिये नगर आयुक्त के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की (सितम्बर 2008)। नगर आयुक्त के प्रस्ताव में परियोजना की कुल लागत उल्लिखित नहीं की गई थी और इसमें केवल यह कहा गया था कि वर्तमान में शूटिंग रेंज की स्थापना के लिये ₹ 50.00 लाख की आवश्यकता होगी। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने नगर निगम के अभिलेखों[49] मे पाया कि शूटिंग रेंज स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिये कुल अनुमानित परियोजना लागत ₹ 52.95 करोड़ थी।

₹ 52.95 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के सापेक्ष, दिसम्बर 2008 और सितम्बर 2011 के बीच अवस्थापना विकास निधि से आयुक्त, लखनऊ मण्डल की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा ₹ 37.14 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई थी। यद्यपि, ₹ 37.14 करोड़ की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष शूटिंग रेंज के लिए केवल ₹ 18.88 करोड़ अवमुक्त किये गये थे और ₹ 18.61 करोड़ का व्यय (वर्ष 2012 तक) किया गया था। इस शूटिंग रेंज का निर्माण कार्य, जो वर्ष 2008 में प्रारम्भ किया गया था, निधि की कमी के कारण वर्ष 2012 में रोक दिया गया था। कार्य की भौतिक प्रगति ***परिशिष्ट 3.3*** में विस्तृत रुप से दर्शायी गयी है, जो इंगित करती है कि शूटिंग रेंज केवल आंशिक रूप से विकसित की गई थी और आंतरिक और बाहरी सड़क विकास, जल निकासी और उपकरणों की खरीद से संबंधित कोई कार्य नहीं किया गया था। नगर निगम ने अवस्थापना विकास निधि में राज्य सरकार द्वारा निधि निर्गत न करने के लिये परियोजना के लिये कम वित्त पोषण को उत्तरदायी ठहराया (सितम्बर 2023)। प्रासंगिक रूप से, पूरी परियोजना की अनुमानित लागत

[49] पत्र सं० 33/सी/नगर आयुक्त दिनांक 05.06.2012 नगर आयुक्त से राज्य सरकार तक।

(₹ 52.95 करोड़) और परियोजना के लिये धन के स्रोत को कभी भी अनुमोदित[50] नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि नगर आयुक्त ने 30 वर्ष की लीज अवधि के लिये सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर शूटिंग रेंज के रखरखाव और संचालन के लिये राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा (दिसम्बर 2016)। प्रस्ताव को राज्य सरकार[51] द्वारा नगर निगम की परिषद/कार्यकारी समिति का आवश्यक रूप से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अग्रेतर कार्यवाही करने के निर्देश के साथ अनुमोदित (जनवरी 2017) किया गया था। तथापि, पीपीपी आधार पर शूटिंग रेंज के रखरखाव और संचालन का प्रस्ताव नगर निगम की परिषद/कार्यकारी समिति को प्रस्तुत नहीं किया गया था। नगर निगम ने लेखापरीक्षा को सूचित किया (सितम्बर 2023) कि प्रस्ताव परिषद को प्रस्तुत नहीं किया गया था क्योंकि 2017-19 के मध्य उस समय तक निर्मित शूटिंग रेंज को संचालन और रखरखाव के लिये खेल विभाग, उत्तर प्रदेश को हस्तांतरित करने के प्रयास किये जा रहे थे।

अग्रेतर, राज्य सरकार (शहरी विकास विभाग) ने शूटिंग रेंज को पट्टे पर खेल विभाग को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया (जून 2019) था, लेकिन शूटिंग रेंज अभी खेल विभाग को हस्तांतरित किया जाना शेष था। इस संदर्भ में, नगर निगम ने लेखापरीक्षा को सूचित किया (सितम्बर 2023) कि खेल विभाग की सहमति प्राप्त करने के बाद शूटिंग रेंज को हस्तांतरित कर दिया जायेगा। इस बीच, नगर निगम ने इस शूटिंग रेंज को विकसित करने के लिये ₹127.24 करोड़[52] का संशोधित आकलन भी अग्रेषित किया था (जुलाई 2023) और इस आकलन का अनुमोदन प्रतीक्षित था (15 अप्रैल 2024)।

[50] जैसा कि अधिशाषी अभियंता, नगर निगम लखनऊ द्वारा पत्र संख्या 3141/पीएम/जे/24-25 दिनांक 15.04.2024 के माध्यम से सूचित किया गया।

[51] शहरी विकास अनुभाग-7 का पत्र सं. 8354/9-7-16-334 (लखनऊ)/2016 दिनांक 03.01.2017

[52] शेष पिछले कार्य और कुछ नए कार्यों सहित।

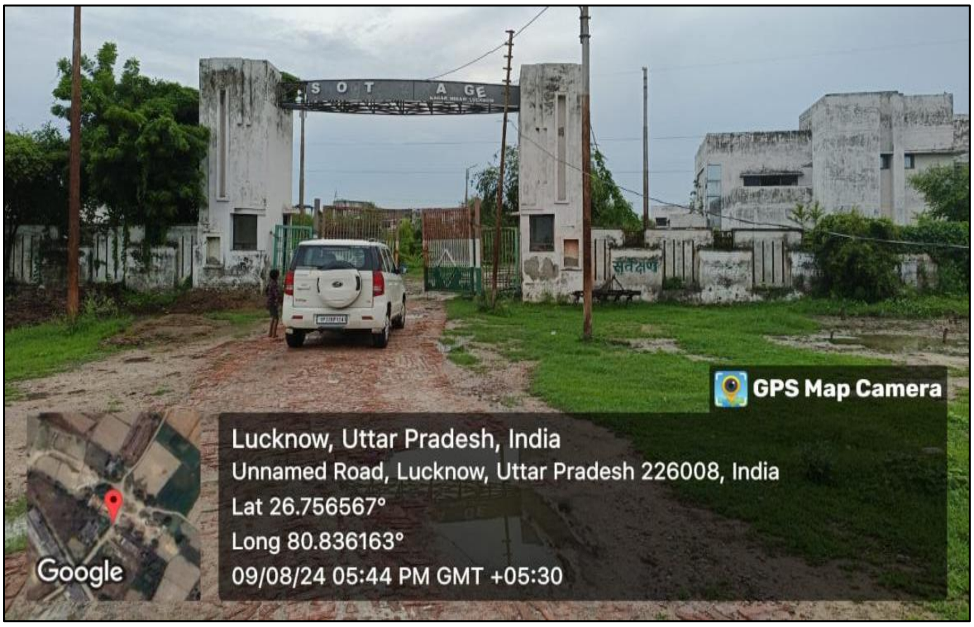

इस प्रकार, अपूर्ण निर्माण कार्यों के कारण ₹18.61 करोड़ रुपये व्यय करने के बाद भी इच्छित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज को संचालित नहीं किया जा सका।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (मई 2023) कि वर्ष 2012 से निधि की कमी के कारण शूटिंग रेंज को पूर्ण रुप से संचालित नहीं किया जा सका। शासन ने आगे बताया कि शूटिंग रेंज विकसित करने के मामलों की जांच करने के लिये प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग के अधीन एक समिति का गठन किया गया था। समिति की बैठक (अप्रैल 2023) में लिये गये निर्णयों के दृष्टिगत, शूटिंग रेंज के आवश्यक न्यूनतम शेष कार्यों को पूरा

करने और शूटिंग उपकरण प्रदान करने के लिये एक कार्य योजना[53] तैयार की जा रही थी। राज्य सरकार ने आगे कहा कि परियोजना पर किया गया व्यय अलाभकारी नहीं था, जैसा कि वर्तमान में शूटिंग रेंज का उपयोग जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा लाइसेंस नवीनीकरण से संबंधित प्रशिक्षण और आतंकवादी निरोधक दस्ते के कर्मियों को प्रशिक्षण और लखनऊ महोत्सव की अवधि में आयोजित शूटिंग प्रतियोगिता के लिये किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, पीपीपी मॉडल पर शूटिंग रेंज के विकास और इसके संचालन एवं रखरखाव के लिये कार्यवाही की जा रही थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निधि की कमी के कारण शूटिंग रेंज 2012 से अपूर्ण रहा जैसा कि उपरोक्त चित्रों में दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के निर्देश (जून 2019) के बाद भी खेल विभाग को शूटिंग रेंज हस्तांतरित करने में नगर निगम द्वारा अनुचित देरी की गयी और पीपीपी आधार पर इसके संचालन के लिये प्रयास भी नहीं किये गये जो नगर निगम स्तर पर शिथिलता दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, आतंकवाद निरोधी दस्ते के प्रशिक्षण के लिये जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा लाइसेंस नवीनीकरण और लखनऊ महोत्सव के लिये शूटिंग रेंज का सीमित उपयोग, परियोजना पर व्यय को सही नहीं दर्शाता है और यह इस शूटिंग रेंज को विकसित करने का उद्देश्य नहीं था। इसके अतिरिक्त, शूटिंग रेंज के शेष कार्य को पूरा करने के लिये ₹166.80 करोड़ की कार्य योजना पर शासन का अनुमोदन प्रतीक्षित था (अप्रैल 2024), जिसे दिसम्बर 2023 में राज्य सरकार को भेजा गया था।

[53] ₹166.80 करोड़ रुपये की कार्य योजना, जिसमें 127.24 करोड़ रुपये की पिछली प्रस्तावित लागत शामिल थी, को दिसम्बर 2023 में शासन को भेज दिया गया था।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग

3.12: ₹ 10.76 करोड़ का अलाभकारी व्यय

बलरामपुर जिले में कटरा शंकर नगर, तुलसीपुर और श्रीदत्तगंज में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) का निर्माण कार्य भूमि प्रदान करने में देरी और निर्माण के लिए आवश्यक अनुमानित निधि की मंजूरी सुनिश्चित किए बिना काम शुरू करने के कारण इसकी स्वीकृति के ग्यारह वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं किया जा सका। इस प्रकार, अपूर्ण आईटीआई भवनों पर किए गए ₹ 10.76 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत शासन ने बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम[54] (एमएसडीपी) के तहत जिला बलरामपुर के कटरा शंकर में ₹3.65 करोड़[55] की लागत से और श्रीदत्तगंज एवं तुलसीपुर में प्रत्येक आईटीआई के लिए ₹4.05 करोड़[56] की लागत से शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए परियोजनाओं[57] को मंजूरी दी (मार्च 2012 और नवंबर 2012)। एमएसडीपी दिशानिर्देशों के अनुसार, स्वीकृत परियोजनाओं की लागत में वृद्धि के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे सभी मामलों में कमी राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने मार्च 2012 में आईटीआई, कटरा शंकर नगर के निर्माण के लिए ₹1.825 करोड़ की और दिसंबर 2012 में श्रीदत्तगंज और तुलसीपुर प्रत्येक के लिए ₹2.025 करोड़ की पहली किस्त राज्य सरकार को निर्गत की।

प्रधानाचार्य, आईटीआई विशुनपुर विश्राम, पंचपेरवा, बलरामपुर के अभिलेखों की जांच (मार्च 2022) और निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण और निदेशक, प्रशिक्षण और रोजगार से एकत्र की गई सूचना (जनवरी 2023,

[54] बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) एक विशेष क्षेत्र विकास योजना थी जिसे अल्पसंख्यक बहुल जिलों में विकास की कमी को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। कार्यक्रम का पुनर्गठन (मई 2018) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के रूप में किया गया है।

[55] निर्माण कार्य के लिए ₹ 2.65 करोड़ और उपकरणों की खरीद के लिए ₹ 1.00 करोड़।

[56] सिविल कार्यों के लिए ₹ 2.86 करोड़ और उपकरणों की खरीद के लिए ₹ 1.19 करोड़।

[57] भारत शासन द्वारा पूरी तरह से वहन की जाने वाली निधि।

नवंबर 2023 और दिसंबर 2023) से पता चला कि राज्य सरकार ने आईटीआई, कटरा शंकर नगर के निर्माण के लिए निर्माण एवं डिजाइन सेवाएँ, उत्तर प्रदेश जल निगम को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया (अगस्त 2012) और निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को ₹ 1.825 करोड़ की पहली किस्त निर्गत की। आईटीआई, कटरा शंकर नगर के निर्माण के लिए निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण और निर्माण एवं डिजाइन सेवाएँ के बीच एक समझौता ज्ञापन (19 सितंबर 2012) निष्पादित किया गया था और निर्माण एवं डिजाइन सेवाएँ को ₹ 1.825 करोड़ की पहली किस्त (24 सितंबर 2012) निर्गत की गई थी। समझौता ज्ञापन के अनुसार, 12 महीने में निर्माण पूरा होने के बाद भवन निदेशालय को सौंप दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने तुलसीपुर और श्रीदत्तगंज में आईटीआई के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया (मार्च 2013) और निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को प्रत्येक आईटीआई के लिए ₹ 2.025 करोड़ की पहली किस्त निर्गत की। तुलसीपुर और श्रीदत्तगंज में आईटीआई के निर्माण के लिए निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण और कार्यदायी संस्था के बीच समझौता ज्ञापन (मार्च 2013) निष्पादित किया गया था और प्रत्येक आईटीआई के लिए ₹ 2.025 करोड़ की पहली किस्त कार्यदायी संस्था को निर्गत की गई थी (मार्च 2013)। हालांकि, समझौता ज्ञापन में आईटीआई भवनों के पूरा होने की अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि जिला बलरामपुर में उपरोक्त तीनों आईटीआई भवनों का निर्माण इसकी मंजूरी के ग्यारह वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं किया जा सका, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

निर्माण एवं डिजाइन सेवाएँ द्वारा आईटीआई, कटरा शंकर नगर भवन का निर्माण

अभिलेखों की जांच से पता चला कि आईटीआई, कटरा शंकर नगर के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था को भूमि जनवरी 2014 में अर्थात, समझौता ज्ञापन के निष्पादन और कार्यदायी संस्था को धन निर्गत करने के नौ महीने से अधिक की अवधि के बाद, प्रदान की गई थी। भूमि का

भाग प्राप्त होने के बाद, कार्यदायी संस्था ने साइट सर्वेक्षण किया और कार्य के लिए ₹ 5.97 करोड़ का विस्तृत अनुमान परियोजना प्रबंधक/कार्यदायी संस्था द्वारा निदेशक, निर्माण एवं डिजाइन सेवाएँ, जल निगम, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत किया (जनवरी 2014)। परियोजना की लागत को संशोधित किया गया था क्योंकि निर्माण स्थल नीचा था और बाढ़ संभावित क्षेत्र में स्थित था, जिसके लिए अतिरिक्त पाइल फाउंडेशन और उच्च प्लिंथ ऊंचाई की आवश्यकता थी, इसके अतिरिक्त कार्य शुरू होने (फरवरी 2014) और परियोजना की मंजूरी (मार्च 2012) के बीच 23 महीने के समय में वृद्धि के कारण निर्माण की लागत में वृद्धि हुई थी।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि कार्यदायी संस्था ने आईटीआई, कटरा शंकर नगर के लिए ₹ 5.97 करोड़ के विस्तृत अनुमान के सापेक्ष केवल ₹ 3.65 करोड़ की तकनीकी मंजूरी प्रदान की (फरवरी 2014) परियोजना प्रबंधक/कार्यदायी संस्था को तकनीकी मंजूरी में यह निर्देश दिया गया था कि अतिरिक्त निधि प्राप्त होने तक, क्लाइंट की सहमति से ₹ 2.32 करोड़ का कार्य रोककर परियोजना को पूरा किया जाना चाहिए तथा एक संशोधित अनुमान तैयार किया जाना चाहिए और शेष राशि (₹ 2.32 करोड़) प्राप्त करने के लिए क्लाइंट विभाग से अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए ताकि शेष कार्य पूरा किया जा सके। कार्यदायी संस्था ने फरवरी 2014 में विस्तृत अनुमान में परिकल्पित कार्य के लिए आवश्यक अतिरिक्त निधि सुनिश्चित किए बिना निर्माण कार्य शुरू किया, इस तथ्य से अवगत होने के बावजूद कि अनुमोदित तकनीकी मंजूरी प्रस्तावित कार्य[58] को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि एमएसडीपी दिशानिर्देशों के अनुसार पहली किस्त का 60 प्रतिशत उपयोग हो जाने पर अगली किस्त निर्गत की जानी थी और उपयोगिता प्रमाण पत्र और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के साथ धन निर्गत करने का अनुरोध किया जाना था। हालांकि, आईटीआई, कटरा शंकर नगर के लिए निर्गत पहली किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य

[58] अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय ने लेखापरीक्षा को सूचित किया (नवंबर 2023) कि कार्यदायी संस्था ने राज्य सरकार को अतिरिक्त निधि की सूचना समय पर नहीं दी और प्रशासनिक विभाग ने अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराने के लिए सहमति नहीं दी थी। निदेशालय ने आगे बताया कि निर्माण एवं डिजाइन सेवाएँ द्वारा निष्पादित परियोजनाओं की एसआईटी जांच से पता चला है कि परियोजनाओं की लागत में वृद्धि का कोई स्पष्टीकरण नहीं था और कार्यदायी संस्था ने परियोजनाओं की लागत में वृद्धि का प्रस्ताव दिया था जो समझौता ज्ञापन और शासकीय आदेश के प्रावधानों के विरुद्ध था।

सरकार द्वारा फरवरी 2017 में अर्थात, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा धन निर्गत करने के चार साल से अधिक समय के बाद, भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया था। तदनुसार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने आईटीआई, कटरा शंकर नगर (फरवरी 2017) के लिए ₹ 1.825 करोड़ की दूसरी किश्त निर्गत की, जिसे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बलरामपुर और कार्यदायी संस्था के बीच एक और समझौता ज्ञापन (मई 2017) के निष्पादन के बाद सितंबर 2017 में कार्यदायी संस्था को अग्रेतर निर्गत किया गया था। हालांकि, समझौता ज्ञापन में परियोजना को पूरा करने की समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा प्रिंसिपल, आईटीआई, कटरा शंकर नगर, बलरामपुर को भेजी गई मासिक प्रगति रिपोर्ट (जुलाई 2018) के अनुसार, मुख्य भवन का केवल 90 प्रतिशत कार्य ₹ 2.66 करोड़[59] के व्यय के बाद पूरा किया गया था और शेष कार्य को प्रगति पर दिखाया गया था, जबकि जुलाई 2018 तक कार्यशाला भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया था। इसके बाद, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय ने निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण से अनुमोदन के लिए आईटीआई, कटरा शंकर नगर के लिए 7.07 करोड़[60] का एक और संशोधित अनुमान राज्य सरकार को अग्रेषित किया (नवंबर 2019), जो अभी भी शासन स्तर पर लंबित था (नवंबर 2023)। प्रधानाचार्य, आईटीआई ने कार्यदायी संस्था से यथाशीघ्र निर्माण कार्य पूरा करने और उसे सौंपने का अनुरोध किया (सितंबर 2020)।

इंगित किए जाने पर, निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण ने कहा (नवंबर 2023) कि आईटीआई, कटरा शंकर नगर की भौतिक प्रगति 63 प्रतिशत थी और आईटीआई भवन अभी सौंपा जाना था।

---

[59] कार्यदायी संस्था को निर्गत किए गए ₹ 3.65 करोड़ में से, इसने निदेशक, प्रशिक्षण और रोजगार, लखनऊ को उपकरणों की खरीद से संबंधित शेष ₹ 99 लाख वापस कर दिए (नवंबर 2020)।

[60] कार्यदायी संस्था ने लागत में वृद्धि के कारणों का हवाला दिया: मिट्टी की स्थिति को देखते हुए पाइल फाउंडेशन के कारण लागत में वृद्धि, लो लाइंग भूमि के कारण प्लिंथ की ऊंचाई में वृद्धि और आईटीआई भवनों के मानकीकरण के कारण प्लिंथ क्षेत्र में वृद्धि।

उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड द्वारा आईटीआई, श्रीदत्तगंज और आईटीआई, तुलसीपुर के भवनों का निर्माण

अभिलेखों की जांच से पता चला कि आईटीआई, श्रीदत्तगंज के निर्माण के लिए जनवरी 2014 में और आईटीआई, तुलसीपुर के लिए दिसंबर 2013 में कार्यदायी संस्था को भूमि प्रदान की गई थी अर्थात, समझौता ज्ञापन के निष्पादन और कार्यदायी संस्था को धन निर्गत करने से नौ महीने से अधिक की अवधि के बाद। कार्यदायी संस्था ने आईटीआई, श्रीदत्तगंज के लिए ₹ 6.12 करोड़ और आईटीआई, तुलसीपुर के लिए ₹ 6.17 करोड़ का विस्तृत अनुमान तैयार किया (फरवरी 2014) और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को प्रस्तुत किया (जनवरी 2015) जिसे मंजूरी नहीं दी गई थी। परियोजनाओं की लागत को संशोधित किया गया था क्योंकि नवंबर 2011 की प्लिंथ एरिया दर पर प्रारंभिक अनुमान तैयार किया गया था, जबकि कार्य वास्तव में वर्ष 2014 में शुरू किया गया था, इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश शासन ने आईटीआई की स्थापना के मानदंडों को मानकीकृत किया था जिसने प्रस्तावित आईटीआई भवनों के निर्माण की लागत को बढ़ा दिया था।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि कार्यदायी संस्था ने क्रमशः आईटीआई, श्रीदत्तगंज के लिए ₹ 6.12 करोड़ और आईटीआई, तुलसीपुर के लिए ₹ 6.17 करोड़ के विस्तृत अनुमानों के सापेक्ष प्रत्येक को केवल ₹ 4.05 करोड़ की तकनीकी मंजूरी (फरवरी 2014) प्रदान की। कार्यदायी संस्था ने इस तथ्य से अवगत होने के बावजूद कि अनुमोदित तकनीकी मंजूरी प्रस्तावित कार्य को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी, विस्तृत अनुमानों में परिकल्पित, कार्य के लिए आवश्यक अतिरिक्त निधि के लिए अनुमोदन सुनिश्चित किए बिना फरवरी 2014 में दोनों आईटीआई का निर्माण कार्य शुरू किया।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि आईटीआई, श्रीदत्तगंज और आईटीआई, तुलसीपुर के लिए निर्गत पहली किस्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र को कार्यदायी संस्था द्वारा क्रमशः जून 2015 और अक्टूबर 2015 में प्रस्तुत किया गया था, अर्थात, निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा धन निर्गत करने के दो साल से अधिक समय के बाद। तदनुसार, निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण ने क्रमशः आईटीआई, श्रीदत्तगंज (नवंबर 2015) और

आईटीआई, तुलसीपुर (जनवरी 2016) प्रत्येक के लिए ₹2.025 करोड़ की दूसरी किश्त निर्गत की, जिसे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बलरामपुर और कार्यदायी संस्था के बीच समझौता ज्ञापनों[61] के निष्पादन के बाद क्रमशः जून 2016 और मार्च 2016 में कार्यदायी संस्था को अग्रेतर निर्गत किया गया था। हालांकि, समझौता ज्ञापनों ने परियोजना को पूरा करने के लिए समय सीमा का वर्णन नहीं किया। इसके बाद, कार्यदायी संस्था ने आईटीआई, श्रीदत्तगंज और आईटीआई, तुलसीपुर के लिए क्रमशः ₹ 8.16 करोड़ और ₹ 8.14 करोड़ का दूसरा संशोधित अनुमान जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को भेजा (नवंबर 2017) जिसे मंजूरी के लिए निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण/शासन को अग्रेषित नहीं किया गया था। अंत में, प्रत्येक आईटीआई, श्रीदत्तगंज और तुलसीपुर के लिए ₹ 4.05 करोड़ की निर्गत राशि के सापेक्ष, कार्यदायी संस्था ने जुलाई 2018 में काम पूरा किया और क्रमशः जुलाई 2019 और अप्रैल 2019 में भवनों को सौंप दिया, जबकि कार्य अपूर्ण[62] थे। यह भी देखा गया कि प्रत्येक आईटीआई के लिए ₹ 4.05 करोड़ की स्वीकृत लागत में उपकरणों की खरीद के लिए ₹ 1.19 करोड़ शामिल थे, लेकिन सिविल कार्य पर ₹ 4.05 करोड़ (उपकरणों की लागत सहित) की कुल निधि व्यय करने के बावजूद निर्माण कार्य अपूर्ण थे।

इंगित किए जाने पर, निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण ने कहा (नवंबर 2023) कि आईटीआई, श्रीदत्तगंज और तुलसीपुर के भवनों को उपलब्ध निधियों के अनुसार कार्य पूरा करने के बाद सौंप दिया गया था और अपूर्ण कार्यों के संबंध में संशोधित अनुमान भेजे गए थे, लेकिन पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सके।

राज्य सरकार का उत्तर और निर्माण की स्थिति

राज्य सरकार ने निदेशक, प्रशिक्षण और रोजगार को प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम[63] के तहत वित्त पोषित निर्माणाधीन आईटीआई भवनों को

---

[61] आईटीआई श्रीदत्तगंज के लिए जून 2016 में और आईटीआई तुलसीपुर के लिए मार्च 2016 में दूसरा समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया था।

[62] आईटीआई, तुलसीपुर में चार कार्यशालाएं, ओवर-हेड टैंक, पंप रूम, सड़क कार्य और साइट विकास कार्य और आईटीआई, श्रीदत्तगंज में चार कार्यशालाएं, टाइप-3 का एक आवासीय तिमाही, टाइप-1, कैंटीन, ओवरहेड टैंक, पंप रूम, सड़क कार्य और साइट विकास।

[63] भारत शासन द्वारा मई 2018 से प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम के रूप में एमएसडीपी का पुनर्गठन और कार्यान्वयन किया गया था।

पूरा करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया (अगस्त 2023), जिसके लिए भारत शासन द्वारा संशोधित लागत अनुमान निर्गत नहीं किए जा रहे थे। इस संदर्भ में, निदेशक, प्रशिक्षण एवं रोजगार ने कहा (दिसंबर 2023) कि किए गए कार्य/किए जाने वाले कार्य को सत्यापित करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, हालांकि, संशोधित प्रस्ताव अभी तक निदेशालय में प्राप्त नहीं हुआ था। निदेशालय ने आगे कहा कि इन तीन आईटीआई भवनों सहित 55 अपूर्ण/निर्माणाधीन भवनों के निर्माण को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट की मांग की गई थी।

निर्माणाधीन आईटीआई भवन कटरा शंकर नगर, बलरामपुर के एक संयुक्त भौतिक सत्यापन (दिसंबर 2023) से पता चला कि मुख्य (अकादमिक) भवन छत के स्तर तक पूरा हो गया था, लेकिन कोई अन्य निर्माण नहीं हुआ था। आईटीआई, कटरा शंकर नगर आईटीआई विशुनपुर विश्राम, पचपेडवा, बलरामपुर से अस्थायी रूप से क्रियाशील था, जो आईटीआई, कटरा शंकर नगर, बलरामपुर से 62 किमी दूर स्थित है। अग्रेतर, आईटीआई श्रीदत्तगंज और तुलसीपुर के संयुक्त भौतिक सत्यापन (फरवरी 2024) से पता चला कि दोनों आईटीआई का 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया था। आईटीआई, तुलसीपुर में, कार्यशाला का निर्माण शुरू नहीं किया गया था और शौचालय, दरवाजे और खिड़कियों के रखरखाव की आवश्यकता थी। आईटीआई, श्रीदत्तगंज में केवल कार्यशाला के आधारशिला कार्य किया गया था और टाइप-1 और टाइप-3 आवासों का निर्माण शुरू नहीं किया गया था। आईटीआई श्रीदत्तगंज और तुलसीपुर की कक्षाएं क्रियाशील नहीं थीं।

राज्य सरकार ने कहा (सितंबर 2024) कि उपरोक्त आईटीआई सहित पीएमजेवीके के तहत सभी अधूरे संस्थानों को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में पर्याप्त निधि का प्रावधान किया गया था। निर्माण एजेंसियों को किए गए कार्य/किए जाने वाले कार्य के आधार पर तुरंत अनुमान प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। राज्य सरकार ने आगे कहा कि जैसे ही कार्यदायी संस्था से अनुमान प्राप्त होंगे, शेष कार्य निधि निर्गत करने के बाद पूरा हो जाएगा।

तथ्य यह है कि निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने में विलंब, भूमि की उपलब्धता से पहले निधि निर्गत करने, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में देरी, परियोजनाओं पर अनुमानित व्यय के लिए निधि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना काम शुरू करने और परियोजना के लिए संशोधित अनुमानों की गैर-स्वीकृति के कारण कार्यदायी संस्था को संपूर्ण स्वीकृत निधि निर्गत करने की तिथि से छह वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सभी तीन आईटीआई भवनों का निर्माण अपूर्ण रहा। परिणामस्वरूप, तीन अधूरे आईटीआई भवनों पर ₹ 10.76 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

(राम हित)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I)
उत्तर प्रदेश

प्रयागराज
दिनांक 25 अप्रैल 2025

प्रतिहस्ताक्षरित

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 30 APR 2025

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

विभागों और संबंधित संस्थाओं का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 1.1)

क्र.सं.	विभागों के नाम	इकाइयों की संख्या			
		सिविल इकाइयां	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	अन्य संस्थाएं (स्वायत्त निकाय / प्राधिकरण, आदि)	कुल
1	प्रशासनिक सुधार	1	0	0	1
2	कृषि	211	3	0	214
3	कृषि विपणन और कृषि विदेश व्यापार	269	0	0	269
4	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	6	0	0	6
5	पशुपालन	88	1	0	89
5	आयुष	155	2	0	157
7	पिछड़ा वर्ग कल्याण	76	1	0	77
8	बेसिक शिक्षा	227	0	0	227
9	बाल विकास एवं पोषण	77	1	0	78
10	सहकारी समितियां	78	15	0	93
11	डेयरी विकास	52	0	0	52
12	चुनाव	142	0	0	142
13	विकलांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण	78	0	0	78
14	सम्पदा	7	0	0	7
15	मत्स्य पालन	57	4	0	61
16	खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता फोरम	161	21	0	182
17	उच्च शिक्षा	184	0	0	184
18	गृह (कारागार प्रशासन)	72	0	0	72
19	होम गार्ड	75	0	0	75
20	अभियोजन के साथ गृह	312	1	0	313
21	बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण	106	1	0	107
22	आवास और शहरी नियोजन	51	58	0	109
23	सूचना और जनसंपर्क	75	0	0	75
24	सिंचाई और जल संसाधन	560	27	0	587
25	न्याय	96	0	0	96
26	मजदूरी	71	0	1	72
27	भाषा	2	0	0	2
28	मद्य निशेध	8	0	0	8

क्र.सं.	विभागों के नाम	इकाइयों की संख्या			
		सिविल इकाइयां	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	अन्य संस्थाएं (स्वायत्त निकाय / प्राधिकरण, आदि)	कुल
29	चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण	30	0	0	30
30	चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	290	2	0	292
31	लघु सिंचाई और भूगर्भजल	67	0	0	67
32	अल्पसंख्यक कल्याण	76	2	0	78
33	पंचायती राज	77	0	75	152
34	कार्मिक (प्रशिक्षण और अन्य व्यय) और रोजगार	74	0	0	74
35	कार्मिक (लोक सेवा आयोग)	1	0	0	1
36	राजस्व	146	0	0	146
37	ग्रामीण विकास	203	0	0	203
38	ग्रामीण अभियंत्रण	131	0	0	131
39	माध्यमिक शिक्षा	212	0	0	212
40	सचिवालय प्रशासन	13	0	0	13
41	रेशम उत्पादन विकास	17	0	0	17
42	समाज कल्याण	77	7	0	84
43	सैनिक कल्याण	77	0	0	77
44	खेल और युवा कल्याण	146	0	0	146
45	चीनी और गन्ना विकास	62	12	0	74
46	प्रौद्योगिकी शिक्षा	82	0	0	82
47	शहरी विकास	3	225	0	228
48	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन	77	0	0	77
49	शहरी स्थानीय निकाय	0	0	700	700
50	शहरी नियोजन और भूमि की अधिकतम सीमा	56	0	0	56
51	सतर्कता	11	0	0	11
55	व्यावसायिक शिक्षा	74	0	0	74
53	महिला कल्याण	76	1	0	77
54	उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग	1	0	0	1
55	उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	1	0	0	1
	योग	**5377**	**384**	**776**	**6537**
उपर्युक्त के अतिरिक्त, 5,73,071 कार्यान्वयन इकाइयां अपनी संबंधित लेखापरीक्षा इकाइयों के भाग के रूप में प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा-I), उत्तर प्रदेश के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन भी थीं।					

परिशिष्ट 2.1.1

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि मंडी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय और चयनित मंडी समितियां

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.5)

मांक	मंडी समिति	उत्तर प्रदेश राज्य कृषि मंडी बोर्ड के संभागीय कार्यालय		
		उप निदेशक (प्रशासन)	उप निदेशक (निर्माण)	उप निदेशक (इ एण्ड एम)
1.	आगरा (आगरा)	1. अलीगढ़	1. आगरा	1. गाज़ियाबाद
2.	अलीगढ़ (अलीगढ़)	2. गोरखपुर	2. अलीगढ़	2. लखनऊ
3.	अनूपशहर (बुलन्दशहर)	3. प्रयागराज	3. आजमगढ़	
4.	औरैया (औरैया)		4. गोरखपुर	
5.	अयोध्या (अयोध्या)		5. झाँसी	
6.	बहजोई (सम्भल)		6. कानपुर	
7.	बरेली (बरेली)		7.लखनऊ	
8.	बिन्दकी (फतेहपुर)		8. मुरादाबाद	
9.	बीसलपुर (पीलीभीत)		9. प्रयागराज	
10.	बिसवां (सीतापुर)		10. वाराणसी	
11.	बुलन्दशहर (बुलन्दशहर)			
12.	चांदपुर (बिजनौर)			
13.	चौबेपुर (कानपुर)			
14.	चिरगाँव (झाँसी)			
15.	दादरी (गौतम बुद्ध नगर)			
16.	देवबंद (सहारनपुर)			
17.	फतेहाबाद (आगरा)			
18.	गंगोह (सहारनपुर)			
19.	हापुड़ (हापुड़)			
20.	जहाँगीराबाद (बुलन्दशहर)			
21.	जालौन (जालौन)			
22.	कदौरा (जालौन)			
23.	कन्नौज (कन्नौज)			
24.	कानपुर (कानपुर)			
25.	खागा (फतेहपुर)			

मांक	मंडी समिति	उत्तर प्रदेश राज्य कृषि मंडी बोर्ड के संभागीय कार्यालय		
		उप निदेशक (प्रशासन)	उप निदेशक (निर्माण)	उप निदेशक (इ एण्ड एम)
26.	खैर (अलीगढ़)			
27.	खलीलाबाद (संत कबीर नगर)			
28.	ललितपुर (ललितपुर)			
29.	लखनऊ (लखनऊ)			
30.	माधोगंज (हरदोई)			
31.	मैनपुरी (मैनपुरी)			
32.	मिर्ज़ापुर (मिर्ज़ापुर)			
33.	मोठ (झाँसी)			
34.	नोएडा (गौतम बुद्ध नगर)			
35.	पीलीभीत (पीलीभीत)			
36.	प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़)			
37.	रसड़ा (बलिया)			
38.	संडीला (हरदोई)			

परिशिष्ट 2.1.2

2017-18 से 2021-22 तक की अवधि के लिये आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.6.2)

क्रमांक	मंडी समिति के नाम	2017-18 से 2021-22 तक आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति
1.	अनूपशहर, बुलन्दशहर	आयोजित नहीं किया गया
2.	औरैया	आयोजित नहीं किया गया
3.	बुलन्दशहर	आयोजित नहीं किया गया
4.	चांदपुर, बिजनौर	आयोजित नहीं किया गया
5.	चिरगाँव, झाँसी	आयोजित नहीं किया गया
6.	देवबंद, सहारनपुर	आयोजित नहीं किया गया
7.	फतेहाबाद, आगरा	आयोजित नहीं किया गया
8.	गंगोह, सहारनपुर	आयोजित नहीं किया गया
9.	जालौन	आयोजित नहीं किया गया
10.	कदौरा, जालौन	आयोजित नहीं किया गया
11.	कन्नौज	आयोजित नहीं किया गया
12.	खागा, फतेहपुर	आयोजित नहीं किया गया
13.	खैर, अलीगढ़	आयोजित नहीं किया गया
14.	खलीलाबाद, संत कबीर नगर	आयोजित नहीं किया गया
15.	ललितपुर	आयोजित नहीं किया गया
16.	मिर्ज़ापुर	आयोजित नहीं किया गया
17.	प्रतापगढ़	आयोजित नहीं किया गया
18.	रसड़ा, बलिया	आयोजित नहीं किया गया
19.	संडीला, हरदोई	आयोजित नहीं किया गया

(स्त्रोत : चयनित मंडी समितियां)

परिशिष्ट 2.1.3

मंडी समितिवार अनाद्रित चेको की स्थिति

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.7.4)

(₹ लाख में)

क्रमांक	मंडी समिति के नाम	व्यापारियों की संख्या	चेक/ड्राफ्ट की संख्या	अवधि/माह का चेक	धनराशि (₹ लाख में)	चेक के सापेक्ष निर्गत आर.सी.	आर.सी. हेतु निर्गत धनराशि
1.	अलीगढ़	10	37	12/2017 to 04/2020	31.61	15	22.27
2.	अनूपशहर, बुलन्दशहर	6	11	02/2018 to 04/2018	10.19	0	0
3.	औरैया	25	27	03/2016 to 03/2022	31.40	0	0
4.	बहजोई, सम्भल	1	1	01/2020	1.73	0	0
5.	बरेली	21	34	07/1996 to 01/2011	15.01	33	14.83
6.	बिन्दकी, फतेहपुर	15	48	12/2019 to 09/2021	56.94	0	0
7.	बिसवां, सीतापुर	34	57	10/2013 to 02/2022	149.25	0	0
8.	बुलन्दशहर	3	3	04/2018 to 08/2019	12.68	3	12.68
9.	चौबेपुर, कानपुर	5	12	10/2017 to 08/2020	27.94	0	0
10.	दादरी, गौतम बुद्ध नगर	3	27	04/2012 to 02/2019	60.79	17	36.90
11.	जालौन	1	1	05/2018	1.97	0	0
12.	कन्नौज	24	57	04/2018 to 03/2022	52.47	0	0
13.	खैर, अलीगढ़	4	6	11/2014 to 11/2019	6.00	3	2.00
14.	माधोगंज, हरदोई	1	1	10/2016	0.40	0	0

क्रमांक	मंडी समिति के नाम	व्यापारियों की संख्या	चेक/ड्राफ्ट की संख्या	अवधि/माह का चेक	धनराशि (₹ लाख में)	चेक के सापेक्ष निर्गत आर.सी.	आर.सी. हेतु निर्गत धनराशि
15.	मैनपुरी	12	12	01/2017 to 10/2018	13.38	0	0
16.	मिर्ज़ापुर	23	28	06/2017 to 12/2021	74.12	0	0
17.	पीलीभीत	4	10	10/2019 to 12/2021	25.76	0	0
18.	प्रतापगढ़	2	3	11/2017 to 02/2020	2.52	0	0
19.	रसड़ा, बलिया	6	12	01/2016 to 06/2020	152.31	0	0
Total		**200**	**387**		**726.47**	**71**	**88.68**

(स्रोत : चयनित मंडी समितियां)

परिशिष्ट 2.1.4

दिसम्बर 2023 तक व्यापारियों को आवंटित दुकानों से प्रीमियम धनराशि की वसूली न होना

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.7.5)

क्रमांक	मंडी समिति	दुकानों की संख्या	वसूल न किया गया प्रीमियम	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	पांच वर्ष से ज्यादा
1	आगरा	64	349.08	27	14	13	10	0	0
2	अलीगढ़	29	153.79	0	0	29	0	0	0
3	बरेली	11	7.59	0	0	0	3	3	5
4	बिन्दकी, फतेहपुर	8	14.92	0	0	4	0	4	0
5	बीसलपुर, पीलीभीत	3	0.32	0	0	0	3	0	0
6	बुलन्दशहर	11	61.21	11	0	0	0	0	0
7	चांदपुर, बिजनौर	1	0.56	0	0	0	0	0	1
8	चिरगाँव, झाँसी	12	12.35	0	0	0	1	9	2
9	कानपुर	5	18.77	0	0	2	1	2	0
10	दादरी,गौतम बुद्ध नगर	1	3.05	0	0	0	0	0	1
11	जहाँगीराबाद, बुलन्दशहर	4	13.46	1	0	0	2	0	1
13	खैर, अलीगढ	1	4.0	0	0	0	0	0	1
14	ललितपुर	17	82.99	16	0	0	0	0	1
15	लखनऊ	30	251.15	0	1	20	4	1	4
16	माधोगंज, हरदोई	4	4.17	0	0	0	4	0	0
17	मैनपुरी	6	17.42	1	0	0	0	0	5
18	नोएडा,गौतम बुद्ध नगर	14	344.18	14	0	0	0	0	0
19	पीलीभीत	4	37.14	4	0	0	0	0	0
20	रसड़ा,बलिया	2	0.61	0	0	0	0	0	2
		227	1376.76	74	15	68	28	19	23
	योग			**89**		**115**			**23**
				01 से 02 वर्ष		02 से 05 वर्ष			**पांच वर्ष से ज्यादा**

(स्रोत : चयनित मंडी समितियां)

परिशिष्ट 2.1.5

दिसम्बर 2023 तक वसूल न किये गए किराये की स्थिति

(संदर्भः प्रस्तर संख्या 2.1.7.6)

(₹ लाख में)

क्रमांक	मंडी समिति के नाम	कुल दुकानों की संख्या	वसूल न किया गया किराया			
			एक वर्ष तक		एक वर्ष से ज्यादा	
			दुकानें	धनराशि	दुकानें	धनराशि
1	आगरा	297	172	8.98	125	29.75
2	अलीगढ़	21	0	0	21	6.38
3	अनूपशहर, बुलन्दशहर	27	26	1.42	1	0.17
4	बरेली	21	0	0	21	4.25
5	बिन्दकी, फतेहपुर	57	25	1.88	32	12.30
6	बुलन्दशहर	7	5	0.09	2	0.10
7	दादरी, गौतम बुद्ध नगर	35	24	1.01	11	5.80
8	देवबंद, सहारनपुर	3	0	0	3	0.15
9	जहाँगीराबाद, बुलन्दशहर	11	0	0	11	1.81
10	हापुड़	33	5	1.00	28	12.80
11	कानपुर	198	86	15.43	112	79.74
12	खैर, अलीगढ़	13	0	0	13	1.45
13	ललितपुर	1	0	0	1	0.56
14	लखनऊ	240	144	7.66	96	15.29
15	मैनपुरी	43	17	0.20	26	2.42
16	मिर्ज़ापुर	3	0	0.00	3	0.80
17	पीलीभीत	15	6	0.43	9	1.46
18	प्रतापगढ़	4	0	0	4	0.45
19	रसड़ा, बलिया	19	17	0.60	2	0.65
	योग	**1048**	**527**	**38.70**	**521**	**176.33**

(स्त्रोत : चयनित मंडी समितियां)

परिशिष्ट 2.1.6

मार्च 2022 में मानव शक्ति की पदवार उपलब्धता का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8)

ग्रुप -अ

(संख्या नम्बर में)

क्रमांक	पद	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	आयुक्त और निदेशक	1	1	0
2	अपर निदेशक	1	1	0
3	वित्त नियंत्रक	1	1	0
4	मुख्य अभियन्ता ग्रेड-1	1	0	1
5	मुख्य अभियन्ता ग्रेड-2	1	0	1
6	संयुक्त निदेशक प्रशासन/विपणन	1	0	1
7	संयुक्त निदेशक निर्माण	4	1	3
8	संयुक्त निदेशक विद्युत् /यांत्रिकी	1	0	1
9	मुख्य लेखा एवं लेखापरीक्षा अधिकारी	1	0	1
10	उप निदेशक प्रशासन/विपणन	20	10	10
11	उप निदेशक निर्माण	21	12	9
12	उप निदेशक विद्युत् /यांत्रिकी	6	5	1
13	उप निदेशक (विधि)	1	0	1
14	उप निदेशक (मंडी निरीक्षक)	0	0	0
15	वरिष्ठ लेखा एवं लेखापरीक्षा अधिकारी	2	0	2
16	व्यवस्था विश्लेषक	1	1	0
17	निजी सचिव ग्रेड-1	1	0	1
Total		**64**	**32**	**32**

नोट: क्रमांक 10 में उल्लिखित पद में से (07 पद) प्रतिनियुक्ति से और (13 पद -10 सचिव कैडर से , 02 विपणन अधिकारी से और एक प्रचार अधिकारी से) पदोन्नति से भरी जायेगी

ग्रुप -ब

(संख्या नम्बर में)

क्रमांक	पद	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	विपणन अधिकारी	7	5	2
2	सांख्यिकी अधिकारी	0	0	0
3	प्रचार अधिकारी	0	0	0
4	लेखा एवं लेखापरीक्षा अधिकारी	26	14	12
5	विधि अधिकारी	2	1	1

क्रमांक	पद	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
6	विशेष कार्यकारी अधिकारी (विधी)	0	0	0
7	अनुश्रवण अधिकारी	0	0	0
8	सहायक अभियन्ता (सिविल)	59	36	23
9	सहायक अभियन्ता (विद्युत् /यांत्रिकी)	16	8	8
10	सहायक वास्तुकार /सहायक नगर योजनाकार	1	1	0
11	प्रोग्रामर	2	0	2
12	निजी सचिव ग्रेड-2	5	5	0
योग		**118**	**70**	**48**

<u>ग्रुप -स</u>

(संख्या नम्बर में)

क्रमांक	पद	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	सहायक लेखा एवं लेखापरीक्षा अधिकारी	23	13	10
2	अनुभाग अधिकारी	31	27	4
3	सहायक प्रोग्रामर	3	0	3
4	निजी सहायक ग्रेड-1	10	0	10
5	सहायक विधी अधिकारी	2	0	2
6	अतिरिक्त सांख्यकी अधिकारी/ अतिरिक्त अनुश्रवण अधिकारी	7	7	0
7	निजी सहायक ग्रेड-2	4	4	0
8	संकलनकर्ता	10	10	0
9	सांख्यिकी संकलनकर्ता/ विधी कार्य सहायक	3	3	0
10	वास्तुकार सहायक	1	1	0
11	वरिष्ठ सहायक	64	53	11
12	विधि सहायक	8	0	8
13	लेखाकार/लेखा परीक्षक	28	5	23
14	अवर अभियन्ता (सिविल)	190	46	144
15	अवर अभियन्ता (विद्युत् /यांत्रिकी)	50	16	34
16	आशुलिपिक	40	15	25
17	कंप्यूटर ऑपरेटर	0	0	0
18	कनिष्ठ सहायक	112	58	54
19	लेखा लिपिक	42	3	39
20	मानचित्रकार (नक्शानवीस)	16	1	15
21	दूरभाष संचालक	1	1	0
22	चालक	55	55	0

क्रमांक	पद	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
23	उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक	11	9	2
24	रोड रोलर चालक	1	0	1
	योग	**712**	**327**	**385**

<u>ग्रुप -डी</u>

(संख्या नम्बर में)

क्रमांक	पद	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	बिजली मिस्त्री	1	1	0
2	दफ्तरी	4	4	0
3	मशीन मैन	0	0	0
4	ब्लू प्रिन्टर	0	0	0
5	चपरासी/चौकीदार	158	158	0
6	फर्राश	1	1	0
7	माली	0	0	0
8	सफाई कर्मचारी	29	29	0
	योग	**193**	**193**	**0**

(स्रोत: उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद्)

परिशिष्ट 2.1.7

अनिर्मित मंडी यार्ड का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.10)

क्रमांक	मंडी समिति के नाम (जनपद)	जहाँ मुख्य मंडी यार्ड निर्मित है	जहाँ कोई उप मंडी यार्ड निर्मित है
1.	अलीगंज (एटा)	नहीं	हाँ
2.	बछरावां (लखनऊ)	नहीं	हाँ
3.	बांसी (सिद्धार्थनगर)	नहीं	नहीं
4.	बन्थरा (लखनऊ)	नहीं	हाँ
5.	बिजनौर (बिजनौर)	नहीं	हाँ
6.	चौबेपुर (कानपुर नगर)	नहीं	हाँ
7.	कोपागंज (मऊ)	नहीं	हाँ
8.	धामपुर (बिजनौर)	नहीं	नहीं
9.	दोहरीघाट (मऊ)	नहीं	हाँ
10.	गुंजडून्डयारा (कासगंज)	नहीं	नहीं
11.	हरगांव (सीतापुर)	नहीं	हाँ
12.	इस्लामनगर (बदायूं)	नहीं	नहीं
13.	ज़मानिया (गाजीपुर)	नहीं	हाँ
14.	जरार (आगरा)	नहीं	नहीं
15.	जेवर (गौतम बुद्ध नगर)	नहीं	नहीं
16.	कुशीनगर (कुशीनगर)	नहीं	नहीं
17.	महोली (सीतापुर)	नहीं	नहीं
18.	मऊ (चित्रकूट धाम)	नहीं	नहीं
19.	मीरनपुर कटरा (शाहजहांपुर)	नहीं	नहीं
20.	ननौता (सहारनपुर)	नहीं	नहीं
21.	नकुर (सहारनपुर)	नहीं	नहीं
22.	पनवारी (महोबा)	नहीं	नहीं
23.	रुपइडीहा (बहराइच)	नहीं	नहीं
24.	सैदपुर (गाजीपुर)	नहीं	हाँ
25.	शमसाबाद (आगरा)	नहीं	नहीं
26.	शोहरतगढ़ (सिद्धार्थनगर)	नहीं	नहीं
27.	सिधौली (सीतापुर)	नहीं	नहीं
28.	टांडा (अम्बेडकरनगर)	नहीं	हाँ
29.	उतरौला (बलरामपुर)	नहीं	नहीं

(स्रोत: उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद्)

परिशिष्ट 2.1.8

तोलक, मापक और पल्लेदार की संख्या

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.10.3)

(संख्या नम्बर में)

क्रमांक	मंडी समिति के नाम	लाइसेन्स धारक	लाइसेन्स धारको की संख्या				
			2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1.	आगरा	तोलक	0	0	0	0	0
		मापक	0	0	0	0	0
		पल्लेदार	40	78	87	0	0
2.	अलीगढ़	तोलक	1	1	1	1	3
		मापक	0	0	0	0	0
		पल्लेदार	9	11	14	23	44
3.	अनूपशहर, बुलन्दशहर	तोलक	0	0	0	0	0
		मापक	0	0	0	0	0
		पल्लेदार	0	0	1	0	0
4.	बुलन्दशहर	तोलक	0	0	3	0	0
		मापक	0	0	0	0	0
		पल्लेदार	0	0	7	0	0
5.	चिरगाँव, झाँसी	तोलक	0	0	0	0	0
		मापक	0	0	0	0	0
		पल्लेदार	0	0	6	0	0
6.	फतेहाबाद, आगरा	तोलक	0	0	0	0	0
		मापक	0	0	0	0	0
		पल्लेदार	0	0	47	43	4
7.	जहांगीराबाद, बुलन्दशहर	तोलक	2	2	7	20	2
		मापक	0	0	0	0	0
		पल्लेदार	93	68	107	250	128
8.	कानपुर	तोलक	0	0	0	0	1
		मापक	0	0	0	0	0
		पल्लेदार	901	1	7	0	7
9.	खैर, अलीगढ़	तोलक	0	0	3	2	3
		मापक	0	0	0	0	0
		पल्लेदार	0	0	2	10	0
10.	ललितपुर	तोलक	0	0	165	10	10
		मापक	0	0	0	0	0
		पल्लेदार	0	26	3	310	310

क्रमांक	मंडी समिति के नाम	लाइसेन्स धारक	लाइसेन्स धारको की संख्या				
			2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
11.	लखनऊ	तोलक	0	0	4	0	0
		मापक	0	0	0	0	0
		पल्लेदार	12	12	154	0	0
12.	मोठ, झाँसी	तोलक	4	4	4	10	10
		मापक	0	0	0	0	0
		पल्लेदार	12	12	12	10	14
13.	नोएडा, जी.बी.नगर	तोलक	0	0	0	0	0
		मापक	0	0	0	0	0
		पल्लेदार	0	0	0	0	2
14.	औरैया	तोलक	0	0	0	0	0
		मापक	0	0	0	0	0
		पल्लेदार	250	255	08	0	0
15.	बरेली	तोलक	0	0	0	0	0
		मापक	0	0	0	0	0
		पल्लेदार	0	0	8	55	55
16.	बिसवां, सीतापुर	तोलक	5	5	5	0	0
		मापक	0	0	0	0	0
		पल्लेदार	0	0	0	0	10
17.	जालौन	तोलक	55	92	27	0	0
		मापक	0	0	0	0	0
		पल्लेदार	119	126	77	0	0
18.	कदौरा, जालौन	तोलक	0	0	14	0	0
		मापक	0	0	0	0	0
		पल्लेदार	40	41	20	0	0
19.	कन्नौज	तोलक	5	0	0	15	15
		मापक	0	0	0	0	0
		पल्लेदार	64	40	9	45	48
20.	मैनपुरी	तोलक	0	0	0	0	0
		मापक	0	0	0	0	0
		पल्लेदार	0	0	0	0	8
21.	पीलीभीत	तोलक	10	10	277	183	121
		मापक	0	0	0	0	0
		पल्लेदार	27	49	331	191	71
22.	प्रतापगढ़	तोलक	0	0	0	0	0
		मापक	0	0	0	0	0

क्रमांक	**मंडी समिति के नाम**	**लाइसेन्स धारक**	**लाइसेन्स धारको की संख्या**				
			2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
		पल्लेदार	0	3	0	0	0
23.	अयोध्या	तोलक	0	0	0	0	0
		मापक	0	0	0	0	0
		पल्लेदार	13	0	12	0	0
24.	बहजोई, सम्भल	तोलक	0	0	0	0	0
		मापक	0	0	0	0	0
		पल्लेदार	23	14	10	0	0
25.	चांदपुर, बिजनौर	तोलक	0	0	0	0	0
		मापक	0	0	0	0	0
		पल्लेदार	0	0	01	0	0
26.	देवबंद, सहारनपुर	तोलक	0	0	0	0	01
		मापक	0	0	0	0	0
		पल्लेदार	04	02	04	04	04
27.	गंगोह, सहारनपुर	तोलक	0	01	0	02	0
		मापक	0	0	0	0	0
		पल्लेदार	0	01	0	12	0
28.	खलीलाबाद, संत कबीर नगर	तोलक	0	0	0	02	02
		मापक	0	0	0	0	0
		पल्लेदार	0	0	28	188	188
29.	माधोगंज, हरदोई	तोलक	0	0	0	0	0
		मापक	0	0	01	01	01
		पल्लेदार	09	01	01	25	0
30.	संडीला, हरदोई	तोलक	0	0	04	0	0
		मापक	0	0	0	0	0
		पल्लेदार	0	06	0	0	0
योग			**1698**	**861**	**1471**	**1412**	**1062**

(स्रोत: चयनित मंडी समितियां)

परिशिष्ट 2.1.9

अक्रियाशील एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.10.6)

(₹ लाख में)

क्रमांक	मंडी समिति के नाम	कुल ए.एम.एच. की संख्या	अक्रियाशील ए.एम.एच. की संख्या	निर्माण पर कुल व्यय
1.	अछाल्दा	10	10	203.33
2.	अतर्रा	1	1	23.1
3.	अतरौली	17	17	462.33
4.	आज़मगढ़	27	27	526.38
5.	बछरावां	4	4	97.63
6.	बाँदा	6	6	172.09
7.	चौबेपुर	3	3	67.69
8.	डिबाई	7	7	151.55
9.	एटा	4	4	81.52
10.	फतेहपुर	7	7	122.49
11.	गुरसराय	6	6	131.19
12.	जहाँगीराबाद	5	5	100.93
13.	जंगीपुर	15	15	426.8
14.	झीझंक	3	3	58.81
15.	कालपी	1	1	28.97
16.	कर्वी	2	2	46.63
17.	कोंच	5	5	124.13
18.	मंझनपुर	4	4	100.68
19.	मऊ	1	1	12.26
20.	मस्करा	1	1	22.25
21.	नोएडा	1	1	19.01
22.	परीक्षितगढ़	3	3	68.75
23.	पयागपुर	2	2	37.77
24.	राठ	3	3	65.78
25.	शाहगंज	2	2	37.04
26.	सैदपुर	1	1	40.32
27.	सरधना	3	3	112.96
28.	शिकोहाबाद	2	2	32.1
29.	वाराणसी	23	23	511.97
30.	ज़मानिया	1	1	24.09
योग		**170**	**170**	**3910.55**
				या **₹39.11** करोड़

(स्रोत: उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद्)

परिशिष्ट 2.1.10

दिसम्बर 2023 तक मंडी क्षेत्र में अनावंटित दुकाने

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.10.7)

(₹ लाख में)

क्रमांक	मंडी समिति के नाम	दुकानों की संख्या जो रिक्त थी	दुकानों की संख्या जो निर्माण से अब तक आवंटित नहीं हुई	कभी भी आवंटित नही हुई दुकानों के निर्माण की कीमत	जो दुकाने कभी भी आवंटित नहीं हुई उन्हें सौपने का माह/वर्ष
1.	आगरा	35	30	813.60	2020
2.	अलीगढ़	29	29	312.62	06/2021 (24 दुकाने) 01/2019 (5 दुकाने)
3.	अनूपशहर, बुलन्दशहर	01	01	4.03	06/2016
4.	अयोध्या	04	04	16.68	10/2018
5.	बरेली	11	07	69.12	06/2016
6.	बिन्दकी, फतेहपुर	10	10	38.00	09/2016
7.	बुलन्दशहर	15	15	54.79	08/2021
8.	चौबेपुर कानपुर	04	04	16.24	12/2016
9.	चिरगाँव, झाँसी	01	01	2.37	08/2017
10.	दादरी, गौतम बुद्ध नगर	05	05	18.65	05/2014
11.	हापुड़	10	0	0.00	लागु नहीं
12.	जहाँगीराबाद, बुलन्दशहर	13	08	30.48	2014 (7 दुकाने) 2017 (1 दुकाने)
13.	जालौन	02	02	8.60	2020
14.	कदौरा, जालौन	01	01	1.20	05/1985
15.	कानपुर	49	11	128.30	2020 (5 दुकाने) 03/2022 (6 दुकाने)
16.	खैर,अलीगढ़	12	12	71.76	2022
17.	लखनऊ	89	68	888.65	2018 (2 दुकाने) 2021 (53 दुकाने) 2019-20 (13 दुकाने)
18.	माधोगंज, हरदोई	10	10	52.73	2017-18
19.	मैनपुरी	01	01	25.40	06/2011
20.	मिर्ज़ापुर	04	01	6.93	08/2016
21.	मोठ, झाँसी	03	03	26.45	07/2021
	योग	**309**	**223**	**2586.60**	
				या **₹ 25.87** करोड़	

(स्रोत: चयनित मंडी समितियां)

परिशिष्ट 2.2.1

मार्च 2022 तक खेल के अवस्थापनाओं की उपलब्धता

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.2.6.3)

क्र.सं.	खेल सुविधा का नाम	उपलब्ध सुविधाओं की संख्या	जनपदों की संख्या जिनमें सुविधा उपलब्ध है	लेखापरीक्षा विश्लेषण
1	स्पोर्ट्स स्टेडियम	82	70	1. पांच जनपदों यथा औरैया, चंदौली, हापुड़, संभल और शामली में कोई स्टेडियम नहीं है। 2. इकसठ जनपदों में एक स्टेडियम है। सात जनपदों यथा, बुलंदशहर, एटा, गोरखपुर, प्रयागराज, रामपुर, सीतापुर और वाराणसी में दो-दो स्टेडियम हैं। बागपत जनपद में तीन और लखनऊ जनपद में चार स्टेडियम हैं।
2	बहुउद्देशीय हॉल	68	65	1. दस जनपदों यथा औरैया, चंदौली, चित्रकूट, हापुड़, जेपी नगर (अमरोहा), कन्नौज, कांशीराम नगर (कासगंज), संभल, शामली और सोनभद्र में कोई बहुउद्देशीय हॉल नहीं है। 2. बासठ जनपदों में एक बहुउद्देशीय हॉल है। तीन जनपदों, यथा लखनऊ, इटावा और सीतापुर में दो बहुउद्देशीय हॉल हैं।
3	तरणताल	38	37	निम्नलिखित 38 (50 प्रतिशत) जनपदों में कोई तरणताल नहीं था: 1. अलीगढ़, 2. औरैया, 3. आजमगढ़, 4. बदायूं, 5. बलिया, 6. बलरामपुर, 7. बस्ती, 8. भदोही, 9. चंदौली, 10. चित्रकूट, 11. एटा, 12. फर्रुखाबाद, 13. फिरोजाबाद, 14. गौतमबुद्ध नगर, 15. गाजीपुर, 16. गोंडा, 17. हापुड़, 18. हरदोई, 19. हाथरस, 20. जेपी नगर (अमरोहा), 21. जौनपुर, 22. कन्नौज, 23. कानपुर नगर, 24. काशीराम नगर (कासगंज), 25. कौशाम्बी, 26. ललितपुर, 27. महोबा, 28. महराजगंज, 29. मऊ, 30. मिर्जापुर, 31. मुरादाबाद, 32. प्रतापगढ़, 33. संभल, 34. संत कबीर नगर, 35. शाहजहांपुर, 36. शामली, 37. श्रावस्ती, 38. सोनभद्र
4	जिम/जिमखाना	17	17	केवल 17 (23 प्रतिशत) जनपदों में जिम हॉल हैं, यथा, अलीगढ़, आजमगढ़, बलिया, बांदा, बरेली, बुलंदशहर, देवरिया, एटा, इटावा, फतेहपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा, मेरठ, सहारनपुर और सीतापुर।

क्र.सं.	खेल सुविधा का नाम	उपलब्ध सुविधाओं की संख्या	जनपदों की संख्या जिनमें सुविधा उपलब्ध है	लेखापरीक्षा विश्लेषण
5	एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान	12	10	आठ जनपदों, यथा, आगरा, अयोध्या, गाजीपुर, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, रायबरेली और वाराणसी में एक-एक एस्ट्रोटर्फ हाकी मैदान है। इटावा और रामपुर में दो-दो एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान थे।
6	फ्लडलाइट एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान	2	1	जनपद लखनऊ में दो फ्लडलाइट एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान हैं।
7	जूडो हॉल	5	5	पांच जनपदों, यथा, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, झांसी, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में जूडो हॉल हैं।
8	भारोत्तोलन हॉल	15	15	पंद्रह जनपदों में भारोत्तोलन हॉल हैं, यथा, 1 आगरा, 2 अम्बेडकर नगर, 3 बरेली, 4. बदायूं 5. गौतमबुद्ध नगर 6. गोरखपुर, 7 हरदोई, 8 झांसी, 9 कानपुर देहात, 10. कानपुर नगर 11. लखनऊ, 12. मथुरा, 13. मुजफ्फरनगर, 14. पीलीभीत 15. सीतापुर
9	क्रीडा संकुल	3	3	तीन जनपदों, यथा, प्रयागराज, रामपुर और वाराणसी में क्रीडा संकुल उपलब्ध थे।
10	मिनी स्टेडियम	2	1	लखनऊ में दो मिनी स्टेडियम हैं।
11	वॉलीबॉल हॉल	10	10	वॉलीवाल हॉल बांदा, गोरखपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, मैनपुरी, पीलीभीत, प्रतापगढ़ और प्रयागराज में उपलब्ध है
12	स्पोर्ट्स कॉलेज	3	3	तीन स्पोर्ट्स कॉलेज : गोरखपुर, लखनऊ और इटावा (सैफई) में हैं।
13	बास्केटबॉल कोर्ट	38	36	दस सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट : आठ जनपदों यथा, अलीगढ़, बरेली, बस्ती, देवरिया, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, सोनभद्र में एक और वाराणसी जनपद में दो सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट हैं। दस पक्का पिच बास्केटबॉल कोर्ट: दस जनपदों, यथा, बदायूं, बलिया, बिजनौर, एटा, जालौन, झांसी, कानपुर देहात, ललितपुर, मऊ, महोबा में एक पक्का पिच बास्केटबॉल कोर्ट है। अठारह पक्का पिच बास्केटबाल कोर्ट: सत्रह जनपदों, यथा, आगरा, बहराइच, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, रामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर में एक और लखनऊ में दो बास्केटबॉल कोर्ट हैं।

क्र.सं.	खेल सुविधा का नाम	उपलब्ध सुविधाओं की संख्या	जनपदों की संख्या जिनमें सुविधा उपलब्ध है	लेखापरीक्षा विश्लेषण
14	सिंथेटिक टेनिस कोर्ट	16	14	तेरह जनपदों अर्थात् आगरा, अलीगढ़, बदायूं, बरेली, बिजनौर, एटा, जालौन, झांसी, हाथरस, महोबा, प्रयागराज, रामपुर और सहारनपुर में एक सिंथेटिक टेनिस कोर्ट है। लखनऊ में तीन सिंथेटिक टेनिस कोर्ट हैं।
15	सिंथेटिक रनिंग ट्रैक	2	2	इटावा और लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज में सिंथेटिक रनिंग ट्रैक हैं।
16	कुश्ती हॉल	14	14	चौदह जनपदों यथा अलीगढ़, अमेठी, अयोध्या, बागपत, बस्ती, जीबी नगर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, गोरखपुर, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और सीतापुर में एक-एक कुश्ती हॉल है।
17	टेबल टेनिस हॉल	2	2	दो जनपदों, यथा, आगरा और वाराणसी में टेबल टेनिस हॉल है।
18	शूटिंग रेंज	6	6	छह जनपदों, यथा, आगरा, अलीगढ़, बागपत, बलिया, बिजनौर और कानपुर नगर में शूटिंग रेंज है।
19	छात्रावास भवन	18	18	अठारह जनपदों, यथा, आगरा, आजमगढ़, बांदा, बाराबंकी, बरेली, सीएसएम नगर (अमेठी), इटावा, फैजाबाद (अयोध्या), फतेहपुर, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मैनपुरी, मेरठ, प्रयागराज, रामपुर और वाराणसी में छात्रावास भवन हैं।
20	डारमेट्री	19	19	19 जनपदों, यथा, आगरा, अंबेडकरनगर, बलिया, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, हरदोई, झांसी, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, मथुरा, मऊ, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, सहारनपुर, सीतापुर, सोनभद्र और वाराणसी में डोरमेट्री उपलब्ध हैं।

(स्रोत: खेल निदेशालय, स्पोर्ट्स कॉलेज, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, जिला क्रीड़ा अधिकारी और खेल विभाग का परफॉरमेंस बजट 2022-23, उत्तर प्रदेश शासन)

परिशिष्ट 2.2.2

वर्ष 2016-22 की अवधि में खेल विभाग की बजट मांग, आवंटन और व्यय का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.2.7)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मांग	आवंटन (बजट प्रावधान)	व्यय	व्यय के सापेक्ष मांग का प्रतिशत	आवंटन के सापेक्ष व्यय में प्रतिशत कमी
2016-17	555.37	547.52	511.24	9	7
2017-18	340.74	224.58	171.74	98	24
2018-19	525.42	196.28	155.85	237	21
2019-20	466.92	205.81	153.89	203	25
2020-21	500.52	216.10	120.66	315	44
2021-22	509.76	264.75	198.90	156	25
कुल	**2898.73**	**1655.04**	**1312.28**		

(स्रोतः खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन और संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.2.3

वर्ष 2016-22 की अवधि में निष्पादित कार्यों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.2.8.1)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्वीकृति वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	संशोधित लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय	पूर्ण होने की नियत तिथि	पूर्ण होने की संशोधित तिथि	मार्च 2023 तक पूर्ण होने की प्रारंभिक नियत तिथि के सापेक्ष विलम्ब	मार्च 2023 तक लागत में वृद्धि
वर्ष 2016-17 से पूर्व स्वीकृत परन्तु वर्ष 2016-22 में निष्पादित पूर्ण कार्यों का विवरण										
1.	2009-10	जनपद मिर्जापुर में खेल स्टेडियम का निर्माण	2.12	3.97	3.97	3.97	सितम्बर 2016	दिसम्बर.2019 मार्च 2020 जून.2022 जुलाई.2022 दिसम्बर.2022	75 माह	1.85
2.	2010-11	जनपद फतेहपुर में स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण	81.15	89.61	33.64	33.64	जुलाई.2018	अप्रैल.2019 जुलाई 2019 अगस्त.2019 नवंबर.2019 जनवरी.2020 मार्च 2020 अक्टूबर.2020 अक्टूबर.2021	39 माह	0.00
3.	2012-13	सैफई जनपद इटावा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तरणताल का निर्माण	103.22	207.96	207.96	207.96	मार्च 2016	दिसम्बर.2018	33 माह	104.74

क्र. सं.	स्वीकृति वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	संशोधित लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय	पूर्ण होने की नियत तिथि	पूर्ण होने की संशोधित तिथि	मार्च 2023 तक पूर्ण होने की प्रारंभिक नियत तिथि के सापेक्ष विलम्ब	मार्च 2023 तक लागत में वृद्धि
4.	2013-14	देवरिया में तहसील भाटपार रानी के अंतर्गत मल्हना मल्हनी गांव में स्टेडियम का निर्माण	4.76	6.77	6.76	6.76	दिसम्बर 2016	जून 2020 मार्च 2021 दिसम्बर 2021	60 माह	2.00
5.	2014-15	महमूदाबाद, जनपद सीतापुर के खेल स्टेडियम में लर्निंग पूल का निर्माण	0.63	0.63	0.63	0.63	सितम्बर 2015		शून्य	0.00
6.	2015-16	जनपद एटा की तहसील अलीगंज में खेल स्टेडियम का निर्माण	8.16	10.78	10.78	10.78	दिसम्बर 2016	जून 2021 अक्टूबर 2021 दिसम्बर 2021	60 माह	2.62
7.	2015-16	स्पोर्ट्स कॉलेज, सैफई जनपद इटावा में एथलेटिक्स ट्रैक की पुनः स्थापना	5.63	5.63	5.63	4.60	नवंबर.2016	जून.2018 जुलाई.2019 जनवरी 2020 मार्च 2020 सितंबर 2020	46 माह	0.00
8.		सैफई, जनपद इटावा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण	260.30	347.05	347.05	347.05	जुलाई 2018	फ़रवरी 2019 नवंबर.2019 जनवरी 2020 मार्च 2020	20 माह	86.75
योग			**465.97**	**672.40**	**616.42**	**615.39**				**197.96**
वर्ष 2016-17 से पूर्व स्वीकृत परन्तु 2016-22 की अवधि में निष्पादित अपूर्ण कार्यों का विवरण										
9.	2006-07	अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर का निर्माण	80.00	133.86	133.86	132.34	जून 2009	मार्च 2015 अगस्त 2017	165 माह	53.86

क्र. सं.	स्वीकृति वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	संशोधित लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय	पूर्ण होने की नियत तिथि	पूर्ण होने की संशोधित तिथि	मार्च 2023 तक पूर्ण होने की प्रारंभिक नियत तिथि के सापेक्ष विलम्ब	मार्च 2023 तक लागत में वृद्धि
								दिसम्बर 2018 मार्च 2019 अगस्त 2019 अक्टूबर 2019 मार्च 2020 दिसम्बर 2021		
10.	2010-11	जनपद सहारनपुर में स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण	86.94	120.79	48.00	34.87	मार्च 2020	दिसम्बर 2022 दिसम्बर 2023	36 माह	33.85
11.	2011-12	गौतमबुद्ध नगर में कुश्ती, भारोत्तोलन हॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और बॉक्सिंग हॉल का निर्माण	14.25	26.73	25.63	25.63	दिसम्बर 2014	अक्टूबर 2020 फ़रवरी 2022	86 माह	12.48
12.	2014-15	गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ में वेलोड्रम स्टेडियम का निर्माण	167.94	158.97	60.00	51.56	मार्च 2020	मार्च 2021 दिसम्बर 2021 मार्च 2023	36 माह	0.00
योग			**349.13**	**440.35**	**267.49**	**244.40**				**100.19**
वर्ष 2016-22 की अवधि में स्वीकृत और निष्पादित पूर्ण कार्यों का विवरण										
13.	2016-17	लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्टस कॉलेज में बने ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में मरम्मत/सुदृढ़ीकरण का कार्य	2.02	2.02	2.00	2.00	मई 2018		शून्य	0.00
14.		लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्टस कॉलेज में बने	8.49	8.49	8.49	8.49	मई 2018		शून्य	0.00

क्र. सं.	स्वीकृति वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	संशोधित लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय	पूर्ण होने की नियत तिथि	पूर्ण होने की संशोधित तिथि	मार्च 2023 तक पूर्ण होने की प्रारंभिक नियत तिथि के सापेक्ष विलम्ब	मार्च 2023 तक लागत में वृद्धि
		ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में मरम्मत/सुदृढ़ीकरण का कार्य								
15.		मिनी स्टेडियम विजयंत खंड गोमतीनगर लखनऊ में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान का निर्माण	23.46	28.40	28.40	28.40	सितंबर 2018		शून्य	4.94
16.		डॉ. भीमराव अम्बेडकर खेल परिसर, लालपुर, वाराणसी के परिसर में निर्मित हॉकी छात्रावास भवन की मरम्मत, और मिट्टी भरने का कार्य	1.00	1.00	1.00	1.00	मार्च 2018		शून्य	0.00
17.		चौक स्टेडियम लखनऊ में बॉक्सिंग हॉल का निर्माण	11.95	11.95	11.95	11.95	मार्च 2019	दिसम्बर 2019	09 माह	0.00
18.		जनपद कासगंज में स्टेडियम का निर्माण	9.09	10.21	10.21	10.21	मार्च 2019	अक्टूबर 2019 फ़रवरी 2020 मार्च 2020 सितंबर 2021	30 माह	1.12
19.		जनपद बलिया में स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण	7.46	9.73	9.73	9.73	मार्च 2019	मार्च 2020 जून 2020 सितंबर 2020 दिसम्बर 2020 मार्च 2021 जून 2021	30 माह	2.27

क्र. सं.	स्वीकृति वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	संशोधित लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय	पूर्ण होने की नियत तिथि	पूर्ण होने की संशोधित तिथि	मार्च 2023 तक पूर्ण होने की प्रारंभिक नियत तिथि के सापेक्ष विलम्ब	मार्च 2023 तक लागत में वृद्धि
								जुलाई 2021 सितम्बर 2021		
20.	2017-18	जनपद गोरखपुर के खेल स्टेडियम में निर्मित खेल अधोसंरचना के विकास एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	4.30	4.30	4.30	4.30	मार्च 2019	जनवरी 2020	10 माह	0.00
21.		के.डी.सिंह "बाबू" स्टेडियम, लखनऊ में स्थित जिम हॉल और बहुउद्देशीय खेल हॉल को वातानकुलन कार्य	2.47	2.47	2.47	2.47	मार्च 2019		शून्य	0.00
22.		जनपद प्रयागराज के स्पोर्ट्स स्टेडियम और मयोहाल में बने छात्रावास की मरम्मत	1.06	1.06	1.06	1.06	जनवरी 2019		शून्य	0.00
23.		जनपद अमरोहा में खेल स्टेडियम का निर्माण	7.35	11.78	11.78	11.78	अक्टूबर 2019	मार्च 2020 दिसम्बर 2020 फ़रवरी 2021 अप्रैल 2021 अगस्त 2021 सितम्बर 2021	23 माह	4.43
24.	2018-19	जनपद अमेठी के डॉ. भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में निर्मित लड़कों	1.09	1.09	1.09	1.09	जून 2019		शून्य	0.00

क्र. सं.	स्वीकृति वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	संशोधित लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय	पूर्ण होने की नियत तिथि	पूर्ण होने की संशोधित तिथि	मार्च 2023 तक पूर्ण होने की प्रारंभिक नियत तिथि के सापेक्ष विलम्ब	मार्च 2023 तक लागत में वृद्धि
		के छात्रावास की विशेष मरम्मत								
25.		चौक स्टेडियम लखनऊ में चारदीवारी का निर्माण	2.41	2.41	2.41	2.41	अगस्त 2019		शून्य	0.00
26.		चौक स्टेडियम लखनऊ में टिन शेड और शौचालय का निर्माण	0.58	0.58	0.58	0.58	अक्टूबर 2019		शून्य	0.00
27.		गोरखपुर के बीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कॉलेज में छात्रावास भवन का मरम्मत का कार्य	6.40	6.40	6.40	6.40	अक्टूबर 2019	नवंबर 2019	01 माह	0.00
28.		बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में छात्रावास भवन का निर्माण	7.89	7.89	7.89	7.89	दिसम्बर 2019	जनवरी 2020 मार्च 2020	03 माह	0.00
29.		गोरखपुर के बीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कॉलेज में मिट्टी भराई का कार्य	1.68	1.68	1.68	1.68	अक्टूबर 2019	नवंबर 2019	01 माह	0.00
30.		बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर में मल्टीजिम भवन का निर्माण	0.57	0.57	0.57	0.57	अगस्त 2019	अक्टूबर 2019	02 माह	0.00
31.		गोरखपुर के बीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कॉलेज में भोजनालय एवं भोजन कक्ष का निर्माण	1.55	1.55	1.55	1.55	जुलाई 2019	सितंबर 2019	02 माह	0.00

क्र. सं.	स्वीकृति वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	संशोधित लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय	पूर्ण होने की नियत तिथि	पूर्ण होने की संशोधित तिथि	मार्च 2023 तक पूर्ण होने की प्रारंभिक नियत तिथि के सापेक्ष विलम्ब	मार्च 2023 तक लागत में वृद्धि
32.		डॉ. भीमराव अम्बेडकर खेल परिसर, लालपुर, वाराणसी का जीर्णोद्धार कार्य	0.73	0.73	0.73	0.73	नवंबर 2019		शून्य	0.00
33.		जनपद वाराणसी में स्थित खेल स्टेडियम में खेल अधोसंरचना की मरम्मत/सुदृढ़ीकरण तथा खिलाड़ियों के लिए चेंजिंग रूम के साथ-साथ आवासीय परिसर के खिलाड़ियों के लिए पार्किंग का निर्माण।	7.55	8.76	8.76	8.76	दिसम्बर 2019	जून 2020 सितंबर 2020	09 माह	1.21
34.		बीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कॉलेज, गोरखपुर में आर.सी.सी सड़क का कार्य	0.95	0.95	0.95	0.95	जून 2019		शून्य	0.00
35.		अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, म्योहाल, प्रयागराज के मुख्य भवन का नवीनीकरण	4.91	5.39	5.39	5.39	नवंबर 2019		शून्य	0.48
36.	2019-20	जनपद रामपुर में बने छात्रावास की विशेष मरम्मत	1.01	1.01	1.01	0.87	दिसम्बर 2020	जुलाई 2021 अगस्त 2021	08 माह	0.00
37.		जनपद फर्रुखाबाद के खेल स्टेडियम में भारोत्तोलन हॉल, जिम हॉल, वॉलीबॉल कोर्ट	5.15	5.70	5.70	5.09	सितंबर 2020	मार्च 2021 सितम्बर 2021 अक्टूबर 2021	20 माह	0.00

क्र. सं.	स्वीकृति वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	संशोधित लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय	पूर्ण होने की नियत तिथि	पूर्ण होने की संशोधित तिथि	मार्च 2023 तक पूर्ण होने की प्रारंभिक नियत तिथि के सापेक्ष विलम्ब	मार्च 2023 तक लागत में वृद्धि
		और चहारदीवारी का निर्माण (माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा)						दिसम्बर 2021 मार्च 2022 मई 2022		
38.		केडी सिंह बाबू स्टेडियम, लखनऊ के मुख्य मैदान में स्प्रिंकलर सिस्टम और मैदान के चारों ओर वीआरसी जाल के स्थान पर बैरिकेडिंग के लिए रेलिंग की स्थापना	3.82	3.82	3.82	3.82	जुलाई 2021		शून्य	0.00
39.		जनपद झांसी में जिम्नास्टिक हॉल का निर्माण	3.57	3.57	3.57	3.57	जून 2020	सितंबर 2020	03 माह	0.00
40.		जंगल कौड़िया, गोरखपुर में स्टेडियम/बहुउद्देशीय खेल हॉल का निर्माण	10.73	10.73	10.73	10.73	दिसम्बर 2020	मार्च 2021 अक्टूबर 2021 दिसम्बर 2021	12 माह	0.00
41.		डॉ. भीमराव अम्बेडकर खेल परिसर लालपुर, वाराणसी में खेल अवस्थापना का निर्माण	1.27	1.27	1.27	1.27	जून 2021	अक्टूबर 2021	04 माह	0.00
42.		डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम, अमेठी का उच्चकिरण	4.93	4.93	4.93	4.93	मार्च 2021	जुलाई 2021 दिसम्बर 2021 अक्टूबर 2021 दिसम्बर 2021	09 माह	0.00

क्र. सं.	स्वीकृति वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	संशोधित लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय	पूर्ण होने की नियत तिथि	पूर्ण होने की संशोधित तिथि	मार्च 2023 तक पूर्ण होने की प्रारंभिक नियत तिथि के सापेक्ष विलम्ब	मार्च 2023 तक लागत में वृद्धि
43.	2020-21	जनपद गोरखपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में बने छात्रावास की मरम्मत	0.93	0.93	0.93	0.93	जून 2022	जुलाई 2022 अगस्त 2022 दिसम्बर 2022	06 माह	0.00
44.		जनपद कौशाम्बी के स्पोर्ट्स स्टेडियम में छात्रावास की छत पर ऑडिटोरियम का निर्माण	2.29	2.29	2.29	2.29	मार्च 2022	जुलाई 2022	04 माह	0.00
45.		खेल निदेशालय, लखनऊ के परिसर की मरम्मत/सुदृढ़ीकरण	0.77	0.77	0.77	0.68	जुलाई 2022		शून्य	0.00
46.		वाराणसी में शूटिंग रेंज	5.04	5.04	5.04	5.04	जुलाई 2021	अगस्त 2023	20 माह	0.00
		योग	**154.47**	**169.47**	**169.45**	**168.61**				**14.45**
2016-22 की अवधि में स्वीकृत और निष्पादित अपूर्ण कार्य का विवरण										
47.	2017-18	जनपद गाजीपुर में नए खेल स्टेडियम का निर्माण	4.70	4.70	4.70	4.66	दिसम्बर 2019	दिसम्बर 2020 दिसम्बर 2021	39 माह	0.00
48.	2019-20	एस्ट्रोटर्फ, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर (फेज-ए) पर पैवेलियन का निर्माण	8.01	8.98	8.98	7.15	फ़रवरी 2021	अगस्त 2021 नवंबर 2021	25 माह	0.97
49.		विधुना, औरैया के अंतर्गत ग्राम सभा बाढिन में खेल स्टेडियम का निर्माण	6.51	6.51	6.51	5.22	जनवरी 2020	अक्टूबर 2023	45 माह	0.00

क्र. सं.	स्वीकृति वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	संशोधित लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय	पूर्ण होने की नियत तिथि	पूर्ण होने की संशोधित तिथि	मार्च 2023 तक पूर्ण होने की प्रारंभिक नियत तिथि के सापेक्ष विलम्ब	मार्च 2023 तक लागत में वृद्धि
50.		खेल स्टेडियम, बरेली में निर्मित फिल्ट्रेशन प्लांट और अन्य कार्य	2.13	2.81	2.81	2.61	नवंबर 2020	दिसंबर 2021 मई 2022 अगस्त 2022 नवंबर 2022	28 माह	0.68
51.		सुल्तानपुर में स्टेडियम और खेल सुविधाओं का विकास	5.00	5.00	3.60	3.60	मार्च 2022		12 माह	0.00
52.		प्रयाग राज में बने तरणताल का जीर्णोद्धार	3.37	3.37	2.00	1.65	जून.2020	मार्च 2021	09 माह	0.00
53.	2020-21	के.डी.सिंह बाबू स्टेडियम, लखनऊ में तरणताल का आवरण और नवीनीकरण	10.22	10.22	3.00	2.85	जून.2022		09 माह	0.00
54.		स्पोर्ट्स स्टेडियम, बलिया का नवीनीकरण और नवीनीकरण	5.16	5.16	2.50	1.98	अप्रैल.2023		शून्य	0.00
55.		मेरठ में शूटिंग रेंज का निर्माण	8.65	8.65	8.65	6.50	जुलाई 2021	दिसम्बर.2023	20 माह	0.00
56	2021-22	खेल स्टेडियम, आगरा में छात्रावास की मरम्मत (लड़कों के छात्रावास के लिए 69.31 लाख और लड़कियों के लिए 81.03 लाख)	1.50	1.50	1.07	0.75	मई 2022	जुलाई.2022 सितम्बर.2022	10 माह	0.00
योग			**55.25**	**56.90**	**43.82**	**36.97**				**1.65**

(स्रोत: खेल निदेशालय)

परिशिष्ट 2.2.4

अपर्याप्त अनुरक्षण/अप्रयुक्त खेल सुविधायें

{संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.2.8.5(iii)}

जनपद/अधिकारी	खेल अवसंरचना	लेखापरीक्षा में पायी गयी कमियां
स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ	तरणताल	लेखापरीक्षा टिप्पणी : 2016-22 की अवधि में तरणताल उपयोग में नहीं था। शासन का उत्तर (जुलाई 2023): शासन ने बताया कि वर्तमान में तरणताल संचालित है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संयुक्त भौतिक सत्यापन (सितंबर 2023) से ज्ञात हुआ कि तरणताल उपयोग में नहीं था। वर्ष 2016-23 की अवधि में कॉलेज में न तो कोई प्रशिक्षु था और न ही कोई प्रशिक्षक या जीवन रक्षक था। यद्यपि, 03.08.2023 से 06.08.2023 की अवधि में एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और उसके पश्चात, तरणताल का उपयोग नहीं किया जा रहा था।
	लॉन टेनिस कोर्ट	लेखापरीक्षा टिप्पणी : प्रशिक्षक की अनुपस्थिति में लॉन टेनिस कोर्ट का उपयोग प्रशिक्षण के लिए नहीं किया जा रहा था और जीर्ण-शीर्ण हो गया था। लॉन टेनिस कोर्ट का उपयोग नहीं करने के संबंध में शासन ने कोई उत्तर नहीं दिया।
स्पोर्ट्स कॉलेज, सैफई	तरणताल	जैसा कि प्रस्तर 2.2.8.4 (ii) में विस्तृत है।
क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, प्रयागराज	तरणताल	लेखापरीक्षा टिप्पणी : जनवरी 2020 से नवीनीकरण के कारण तरणताल उपयोग में नहीं था, जिसे जून 2020 तक पूर्ण किया जाना था। शासन का उत्तर (जुलाई 2023): शासन ने बताया कि नवीनीकरण कार्यों की भौतिक प्रगति 65 प्रतिशत थी \
क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, लखनऊ	तरणताल	लेखापरीक्षा टिप्पणी : नवीनीकरण के कारण तरणताल उपयोग में नहीं था, जिसके लिए मार्च 2021 में प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। शासन का उत्तर (जुलाई 2023): शासन ने बताया कि तरणताल का नवीनीकरण प्रगति पर है।
क्रीड़ा अधिकारी, अमेठी	तरणताल	लेखापरीक्षा टिप्पणी : नवीकरण के कारण तरणताल उपयोग में नहीं था। शासन का उत्तर (जुलाई 2023): शासन ने बताया कि तरणताल का नवीनीकरण प्रगति पर है।
क्रीड़ा अधिकारी, बागपत	तरणताल	लेखापरीक्षा टिप्पणी : तरणताल उपयोग में नहीं था। शासन ने तरणताल के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया।

जनपद/अधिकारी	खेल अवसंरचना	लेखापरीक्षा में पायी गयी कमियां
क्रीड़ा अधिकारी, बुलंदशहर	तरणताल	लेखापरीक्षा टिप्पणी: प्रशिक्षक और जीवन रक्षक की अनुपलब्धता के कारण तरणताल उपयोग में नहीं था। शासन का उत्तर (जुलाई 2023): शासन ने बताया कि प्रशिक्षक/जीवन रक्षक की अनुपलब्धता के कारण तरणताल उपयोग में नही था ।
क्रीड़ा अधिकारी, लखीमपुर खीरी	तरणताल	लेखापरीक्षा टिप्पणी: प्रशिक्षक और जीवन रक्षक की अनुपलब्धता के कारण तरणताल उपयोग में नहीं था। शासन का उत्तर (जुलाई 2023): शासन ने बताया कि जीवन रक्षक/प्रशिक्षक की कमी के कारण तरणताल का संचालन संभव नहीं था।
क्रीड़ा अधिकारी, बांदा	तरणताल	लेखापरीक्षा टिप्पणी : पानी की अनुपलब्धता के कारण तरणताल उपयोग में नहीं था। शासन का उत्तर (जुलाई 2023): शासन ने बताया कि तरणताल का निर्माण 1995 में किया गया था लेकिन पानी की अनुपलब्धता के कारण तरणताल सुचारू रूप से संचालित नहीं हो रहा था।
क्रीड़ा अधिकारी, गाजियाबाद	तरणताल	लेखापरीक्षा अवलोकन: केवल छोटा तरणताल परिचालित था। निदेशक, खेल का उत्तर (जुलाई 2024): निदेशक, खेल ने कहा कि तीनों तरणताल जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थे और उन्हें पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता है।
क्रीड़ा अधिकारी, सुल्तानपुर	तरणताल	लेखापरीक्षा टिप्पणी : नवीनीकरण के कारण तरणताल संचालित नहीं किया गया। निदेशक, खेल का उत्तर (जुलाई 2024): निदेशक, खेल ने कहा कि तरणताल के नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है।
स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर	वॉलीबॉल इनडोर हॉल	लेखापरीक्षा टिप्पणी: जीर्ण-शीर्ण अवस्था के कारण उपयोग में नहीं है, परिणामस्वरूप खुले प्रांगण में प्रशिक्षण दिया जा रहा था । शासन का उत्तर (जुलाई 2023): शासन ने बताया कि तूफान/बारिश की अवधि में नुकसान के कारण वॉलीबॉल इनडोर हॉल सितंबर 2018 से उपयोग में नहीं था। इसमें अग्रेतर कहा गया है कि इसकी मरम्मत के लिए आवश्यक कार्रवाही की जा रही है।
क्रीड़ा अधिकारी, बांदा	वॉलीबॉल इनडोर हॉल	लेखापरीक्षा टिप्पणी: कृत्रिम छत, खिड़की और दरवाजे क्षतिग्रस्त हो गए। शासन का उत्तर (जुलाई 2023): शासन ने बताया कि वॉलीबॉल इनडोर हॉल की स्थिति पर निरीक्षण आख्या (जून 2023) निदेशालय को सौंप दी गई है।

जनपद/अधिकारी	खेल अवसंरचना	लेखापरीक्षा में पायी गयी कमियां
क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, झांसी	बास्केटबॉल कोर्ट	लेखापरीक्षा टिप्पणी : बास्केटबॉल कोर्ट उपयोग में नहीं था। शासन का उत्तर (जुलाई 2023): शासन ने बताया कि नवीनीकरण के लिए प्राक्कलन प्रक्रियाधीन थे।
क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, झांसी	लॉन टेनिस कोर्ट	लेखापरीक्षा टिप्पणी : लॉन टेनिस कोर्ट उपयोग में नहीं था। शासन का उत्तर (जुलाई 2023): शासन ने बताया कि लॉन टेनिस कोर्ट 20 वर्षों से उपयोग में नहीं था।
क्रीड़ा अधिकारी, बांदा	नेट अभ्यास सीमेंटेड क्रिकेट पिच	लेखापरीक्षा टिप्पणी : पांच पिचों में से तीन पिच जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थे। शासन का उत्तर (जुलाई 2023): शासन ने बताया कि क्रिकेट पिचों के नवीनीकरण के लिए प्राक्कलन मांगे गए थे।

(स्रोत: खेल निदेशालय, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी/जिला क्रीड़ा अधिकारी और स्पोर्ट्स कॉलेज)

परिशिष्ट 2.2.5

वर्ष 2016-22 की अवधि में अप्रयुक्त डोरमेट्री की स्थिति

{संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.2.8.5 (iv)}

क्रमांक	जनपद	निर्माण की तिथि (जैसा कि खेल निदेशालय द्वारा सूचित किया गया है)	वर्ष 2016-22 की अवधि में उपयोग की अवधि (दिनों में)
1	सीतापुर	2008-09 के पूर्व	शून्य
2	हरदोई	2008-09	75
3	वाराणसी	2008-09 के पूर्व	64
4	गोरखपुर	2008-09 के पूर्व	40
5	प्रतापगढ़	2008-09 के पूर्व	शून्य
6	लखीमपुर खीरी	2008-09 के पूर्व	शून्य
7	बस्ती	2008-09 के पूर्व	उपलब्ध नहीं कराया गया
8	मुजफ्फरनगर	2008-09 के पूर्व	13
9	बाराबंकी	2008-09 के पूर्व	117
10	मथुरा	2008-09	3
11	कौशाम्बी	2008-09	3
12	मऊ	2007-08	3
13	अम्बेडकर नगर	2007-08	10

(स्रोत: खेल निदेशालय)

परिशिष्ट 2.2.6

वर्ष 2016-22 की अवधि में अंशकालिक प्रशिक्षकों की खेल-वार और वर्षवार स्वीकृत संख्या और कार्यरत का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.2.10.1)

क्र.सं.	खेल	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2021-22		वर्ष 2016-22 की अवधि में औसत कमी (प्रतिशत)
		स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	
1	**तीरंदाज़ी**	**6**	**3**	**6**	**3**	**6**	**5**	**6**	**3**	**6**	**1**	**50%**
2	एथेलेटिक्स	41	33	41	41	41	39	41	39	41	23	15%
3	**बैडमिंटन**	**30**	**16**	**28**	**17**	**28**	**17**	**28**	**14**	**28**	**3**	**53%**
4	**बास्केटबॉल**	**18**	**9**	**16**	**8**	**16**	**8**	**16**	**7**	**16**	**2**	**59%**
5	मुक्केबाज़ी	21	17	21	13	21	21	21	21	21	4	28%
6	क्रिकेट	31	24	35	28	35	34	31	29	31	10	23%
7	फ़ुटबॉल	35	23	35	27	35	30	35	25	35	25	26%
8	जिमनास्टिक्स	13	10	13	11	13	12	13	12	13	3	26%
9	हैंडबाल	19	16	19	19	19	19	19	19	19	13	9%
10	हॉकी	41	32	41	38	41	38	41	41	41	30	13%
11	जूडो	16	10	16	14	16	13	16	13	16	11	24%
12	खो-खो	11	6	9	9	9	9	9	9	9	3	23%
13	कबड्डी	25	18	25	21	25	25	24	20	24	6	27%
14	**तैराकी**	**16**	**1**	**12**	**5**	**12**	**2**	**9**	**1**	**9**	**1**	**83%**
15	**स्क्वैश**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**2**	**2**	**0**	**50%**
16	टेबल-टेनिस	7	4	7	4	7	7	7	3	7	0	49%
17	**लॉन-टेनिस**	**5**	**2**	**4**	**4**	**4**	**1**	**4**	**1**	**4**	**2**	**52%**
18	वॉलीबॉल	26	23	26	23	26	24	26	23	26	10	21%
19	भारोत्तोलन	19	16	19	15	19	16	19	17	19	9	23%
20	कुश्ती	28	25	28	26	28	27	28	27	28	8	19%
21	ताइक्वान्डो	15	13	13	12	13	13	13	13	13	4	18%
22	निशानेबाजी	1	1	4	3	4	3	7	3	7	3	43%

क्र.सं.	खेल	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2021-22		वर्ष 2016-22 की अवधि में औसत कमी (प्रतिशत)
		स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	
23	वुशु	6	5	6	6	6	6	6	6	6	0	23%
24	पावरलिफ्टिंग	7	6	5	5	5	5	4	4	4	1	16%
25	तलवारबाजी	7	6	5	5	5	5	4	4	4	1	16%
26	नेट बॉल	4	3	4	4	4	2	4	2	4	2	35%
27	सॉफ्ट टेनिस	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0%
28	साइकिलिंग	0	0	2	2	2	2	2	2	2	0	25%
29	**रोइंग**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**1**	**4**	**1**	**4**	**0**	**83%**
30	**कयाकिंग और कैनोइंग**	**0**	**0**	**2**	**1**	**2**	**1**	**4**	**1**	**4**	**2**	**58%**
31	**कराटे**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**1**	**75%**
कुल		**450**	**322**	**450**	**369**	**450**	**390**	**450**	**367**	**450**	**179**	**28%**

(स्रोतः खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन);

नोट: कोविड-19 महामारी के कारण, वर्ष 2020-21 में कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था।

परिशिष्ट 2.2.7

नमूना जांच किए गए जनपदों में प्रशिक्षकों की अनुपलब्धता

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.2.10.1)

(संख्या में)

खेल अवस्थापना	जनपद का नाम	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		कुल
		प्रशिक्षक	खिलाड़ी	प्रशिक्षक	खिलाड़ी	प्रशिक्षक	खिलाड़ी	प्रशिक्षक	खिलाड़ी	प्रशिक्षक	खिलाड़ी	प्रशिक्षक	खिलाड़ी	खिलाड़ी
मुक्केबाज़ी	झांसी	प्रशिक्षक उपलब्ध था		00	48	00	00	00	00	00	00	00	00	**48**
निशानेबाजी	आगरा	00	00	00	00	00	554	00	432	00	137	00	80	**1203**
स्क्वैश	आगरा	00	21	00	11	00	07	00	07	00	14	00	04	**64**
तैराकी	आगरा	00	775	00	608	00	644	00	451	00	00	00	00	**2478**
लॉन टेनिस	आगरा	00	68	00	57	00	60	00	14	00	00	00	20	**219**
योग		**00**	**864**	**00**	**724**	**00**	**1265**	**00**	**904**	**00**	**151**	**00**	**104**	**4012**

(स्रोत: क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी और जिला क्रीडा अधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार)

परिशिष्ट 2.2.8

स्पोर्ट्स कॉलेज में अस्पताल/डिस्पेंसरी अवस्थापना का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.2.10.2)

स्पोर्ट्स कॉलेज का नाम	**उपलब्ध** अवस्थापना **का विवरण**	**उपयोग की स्थिति**
मेजर ध्यान चन्द स्पोर्ट्स कॉलेज, सैफई	1. जनरल वार्ड- 10 बेड 2. अल्ट्रासाउंड कक्ष-01 3. एक्स-रे कक्ष-01 4. चिकित्सक कक्ष -03 5. वैक्सीन कक्ष -01 6. पैथोलॉजी -01 7. माइनर ओ टी -01 8. भंडार कक्ष - 01 9. ड्रेसिंग कक्ष -01	फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा आंशिक रूप से उपयोग किया जाता है; एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी के लिए उपकरण उपलब्ध नहीं थे
बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर	1. चिकित्सक कक्ष -01 2. वार्ड -02 (प्रत्येक वार्ड में दो बेड) 3. दवा वितरण कक्ष -01 4. भंडार कक्ष -01 5. ऑपरेशन कक्ष-01 6. शौचालय -02 7. स्नान कक्ष -01	फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा आंशिक रूप से उपयोग किया जाता है: दवा वितरण कक्ष और ऑपरेशन कक्ष उपयोग में नहीं थे।

(स्रोत: स्पोर्ट्स कॉलेज)

परिशिष्ट 2.2.9

वर्ष 2021-22 की अवधि में स्वीकृत संख्या की तुलना में तैनाती

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.2.11.1)

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	रिक्त पदों का प्रतिशत
1.	समूह 'ए'	06	06	00	00
2.	समूह 'बी'	21	11	10	48
3.	समूह 'सी'	465	298	167	36
4.	समूह 'डी'*	269	166	103	38
कुल		**761**	**481**	**280**	**उत्तर में (जुलाई 2023) शासन ने बताया कि समूह डी पद के सापेक्ष नियुक्ति दिनांक 8 सितंबर 2010 के आदेश द्वारा रोक दिया गया था**

(स्रोत: खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन)

उपर्युक्त कमियां निम्नलिखित पदों के संबंध में थीं

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत संख्या	कार्यरत	रिक्त	रिक्ति पदों का प्रतिशत	शासन के उत्तर (जुलाई 2023) और निदेशालय के उत्तर (नवंबर 2023) के अनुसार भर्ती की स्थिति
1.	क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी	18	09	09	50	क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के पदों के लिए भर्ती, जिन्हें सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाना था, शासन स्तर पर लंबित थी।
2.	सहायक अभियंता	01	00	01	100	निदेशालय ने सहायक अभियंता के पद को प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण आधार पर भरने का प्रस्ताव प्रस्तुत दिया, जो शासन स्तर पर लंबित था।

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत संख्या	कार्यरत	रिक्त	रिक्ति पदों का प्रतिशत	शासन के उत्तर (जुलाई 2023) और निदेशालय के उत्तर (नवंबर 2023) के अनुसार भर्ती की स्थिति
3.	क्रीड़ा अधिकारी	59	48	11	19	क्रीड़ा अधिकारी के पदों पर भर्ती तत्संबंधी संशोधित सेवा नियम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण लंबित थी।
4.	उप क्रीड़ा अधिकारी	102	78	24	24	सीधी भर्ती के लिए अनुरोध उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग को भेज दिया गया था। इसके अलावा, पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद पोषक संवर्ग में उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता के कारण रिक्त थे।
5.	सहायक प्रशिक्षक	48	04	44	92	सीधी भर्ती के लिए अनुरोध उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग स्तर पर लंबित था।
6.	जीवन रक्षक	39	25	14	36	सीधी भर्ती के लिए अनुरोध उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग स्तर पर लंबित था।
7.	फ़िज़ियोथेरेपिस्ट	01	00	01	100	फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पदों पर भर्ती सेवा नियमावली को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण लंबित थी।
8.	वरिष्ठ सहायक	08	06	02	25	निदेशालय ने बताया (नवंबर 2023) कि यह पद सेवानिवृत्ति/पदोन्नति से इनकार करने के कारण रिक्त था।
9.	कनिष्ठ सहायक	125	83	42	34	सीधी भर्ती के लिए अनुरोध उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग स्तर पर लंबित था।
10.	व्यक्तिगत सहायक ग्रेड-2	01	00	01	100	पोषक संवर्ग में उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता के कारण रिक्ति पद ।
11.	आशुलिपिक	02	01	01	50	सीधी भर्ती के लिए अनुरोध उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग स्तर पर लंबित था।
12.	सहायक लेखाकार	27	13	14	52	शासन ने रिक्त पदों के सम्बन्ध में जवाब नहीं दिया। जबकि, यह कहा

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत संख्या	कार्यरत	रिक्त	रिक्ति पदों का प्रतिशत	शासन के उत्तर (जुलाई 2023) और निदेशालय के उत्तर (नवंबर 2023) के अनुसार भर्ती की स्थिति
						गया है कि सहायक लेखाकार की तैनाती आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा की गई थी।
13.	इलेक्ट्रीशियन	20	12	08	40	सीधी भर्ती के लिए अनुरोध उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग स्तर पर लंबित था।
14.	वाहन चालक ग्रेड-3	03	01	02	67	पोषक संवर्ग में उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता के कारण रिक्त पद है।
15.	ग्राउंड मैन	03	0	03	100	सीधी भर्ती के लिए अनुरोध उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग स्तर पर लंबित था।
योग				**177**		

(स्रोत: खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन)

परिशिष्ट 2.2.10

महिला खिलाड़ियों की भागीदारी

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.2.11.2)

वर्ष	बालक	बालिका	योग	बालिकाओं का प्रतिशत
2016-17	15073	4134	19207	22
2017-18	16713	4408	21121	21
2018-19	21507	5609	27116	21
2019-20	17314	4687	22001	21
2020-21	2853	630	3483	18
2021-22	8239	1878	10117	19
कुल	**81699**	**21346**	**103045**	**21**

(स्रोत: खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन)

परिशिष्ट 2.2.11

महिला खेल छात्रावासों में रिक्तियों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.2.11.2)

जनपद	खेल का नाम	स्वीकृत संख्या	छात्रावास में रहने वाले खिलाड़ियों की संख्या					
			2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
आगरा	जिमनास्टिक्स	10	10	9	10	8	0	0
	कबड्डी	15	10	12	9	15	0	0
	बास्केटबॉल	20	9	12	17	14	0	0
अयोध्या	हैंडबाल	20	19	17	17	17	17	20
	कुश्ती	20	20	13	19	18	18	20
	बैडमिंटन	15	7	7	15	11	11	12
	टेबल-टेनिस	15	5	5	9	5	5	12
लखनऊ	हॉकी	30	29	30	30	30	0	0
	तैराकी	20	3	9	17	20	0	0
	वॉलीबॉल	15	15	10	15	15	0	0
	एथलेटिक्स	20	18	19	18	20	0	0
सोनभद्र	तीरंदाज़ी	20	8	10	5	6	0	0
कुल		**220**	**153**	**153**	**181**	**179**	**51**	**64**
कमी (प्रतिशत में)			**30**	**30**	**18**	**19**	**77**	**71**

(स्रोत: खेल निदेशालय और क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन)

परिशिष्ट 2.2.12

2016-22 की अवधि में उपलब्ध महिला प्रशिक्षकों का विवरण

{संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.2.11.2(ii)}

वर्ष	स्वीकृत प्रशिक्षक		उपलब्ध प्रशिक्षक		उपलब्ध महिला प्रशिक्षक		स्वीकृति संख्या के सापेक्ष महिला प्रशिक्षकों का प्रतिशत	
	स्थायी	अंशकालिक	स्थायी	अंशकालिक	स्थायी	अंशकालिक	स्थायी	अंशकालिक
2016-17	209	450	130	322	23	72	11	16
2017-18	209	450	131	369	22	84	11	19
2018-19	209	450	141	390	24	93	11	21
2019-20	209	450	141	367	24	77	11	17
2020-21	209	450	134	0*	24	0*	11	0*
2021-22	209	450	130	179	23	35	11	8

(स्रोत: खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन)

*खेल निदेशालय के अनुसार, कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020-21 में प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।

परिशिष्ट 2.2.13

वर्ष 2016-22 की अवधि में महिला खिलाड़ियों के अधिक प्रतिभाग वाले प्रशिक्षण शिविरों का विवरण

{संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.2.11.2(ii)}

वर्ष	जनपदों की संख्या	शिविरों की संख्या	बालक	बालिका
2016-17	19	26	501	707
2017-18	12	14	291	426
2018-19	13	18	329	442
2019-20	17	24	411	553
2020-21	3	4	48	70
2021-22	16	20	263	326
		106	**1843**	**2524**

(स्रोत: खेल निदेशालय, क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी और क्रीडा अधिकारी)

वर्ष 2016-22 के की अवधि में महिला खिलाड़ियों के अधिक प्रतिभाग वाले प्रशिक्षण शिविरों का शिविर-वार विवरण:

क्रम संख्या	जनपद	खेल का नाम	बालक	बालिका	योग	बालिका का प्रतिशत
2016-17						
1	आगरा	तलवारबाजी	13	17	30	57
2	अमरोहा	वॉलीबॉल	13	27	40	68
3	अयोध्या	हॉकी	22	34	56	61
4	बाराबंकी	हैंडबाल	7	18	25	72
5	बाराबंकी	वॉलीबॉल	19	22	41	54
6	बरेली	बैडमिंटन	16	16	32	50
7	बस्ती	हैंडबाल	43	43	86	50
8	फतेहपुर	एथलेटिक्स	19	26	45	58
9	गाज़ियाबाद	हॉकी	22	34	56	61
10	गाज़ियाबाद	वॉलीबॉल	26	33	59	56
11	गोंडा	एथलेटिक्स	18	22	40	55
12	हमीरपुर	खो-खो	12	19	31	61
13	जालौन	हैंडबाल	24	32	56	57
14	झांसी	हॉकी	19	31	50	62
15	कानपुर	हॉकी	20	20	40	50
16	लखनऊ	बैडमिंटन	48	81	129	63
17	लखनऊ	हैंडबाल	15	19	34	56
18	लखनऊ	हॉकी	18	22	40	55
19	लखनऊ	वॉलीबॉल	19	21	40	53

क्रम संख्या	जनपद	खेल का नाम	बालक	बालिका	योग	बालिका का प्रतिशत
20	मयोहाल प्रयागराज	बैडमिंटन	2	45	47	96
21	मुरादाबाद	खो-खो	12	18	30	60
22	प्रयागराज	हॉकी	20	27	47	57
23	सिद्धार्थनगर	हैंडबाल	12	13	25	52
24	वाराणसी	खेल-कूद	16	18	34	53
25	वाराणसी	हॉकी	34	34	68	50
26	वाराणसी	खो-खो	12	15	27	56
योग	**19**	**26**	**501**	**707**	**1208**	**59**
2017-18						
1	आगरा	कुश्ती	5	6	11	55
2	अयोध्या	तैराकी	23	23	46	50
3	बरेली	हॉकी	21	24	45	53
4	फतेहपुर	हॉकी	13	49	62	79
5	फिरोजाबाद	तलवारबाजी	15	45	60	75
6	हमीरपुर	खो-खो	12	12	24	50
7	झांसी	बैडमिंटन	60	70	130	54
8	कानपुर	हैंडबाल	11	27	38	71
9	लखनऊ	जिमनास्टिक्स	13	22	35	63
10	लखनऊ	वॉलीबॉल	23	40	63	63
11	मुरादाबाद	खो-खो	17	19	36	53
12	प्रयागराज	हॉकी	32	40	72	56
13	वाराणसी	हॉकी	28	31	59	53
14	वाराणसी	टेबल टेनिस	18	18	36	50
योग	**12**	**14**	**291**	**426**	**717**	**59**
2018-19						
1	अलीगढ़	मुक्केबाज़ी	14	16	30	53
2	बरेली	हॉकी	21	32	53	60
3	बस्ती	हैंडबाल	11	15	26	58
4	बस्ती	कुश्ती	5	6	11	55
5	देवरिया	खो-खो	15	23	38	61
6	फिरोजाबाद	तलवारबाजी	5	29	34	85
7	फिरोजाबाद	जिमनास्टिक्स	10	12	22	55
8	गाज़ियाबाद	नेट बॉल	9	26	35	74
9	गोंडा	हैंडबाल	14	15	29	52

क्रम संख्या	जनपद	खेल का नाम	बालक	बालिका	योग	बालिका का प्रतिशत
10	कानपुर	बैडमिंटन	118	130	248	52
11	कानपुर	हैंडबाल	19	26	45	58
12	लखनऊ	साइकिलिंग	15	15	30	50
13	लखनऊ	जिमनास्टिक्स	17	23	40	58
14	लखनऊ	टेबल टेनिस	15	15	30	50
15	मुजफ्फरनगर	खो-खो	9	16	25	64
16	प्रयागराज	खो-खो	13	15	28	54
17	सहजहांपुर	जूडो	2	11	13	85
18	वाराणसी	टेबल टेनिस	17	17	34	50
योग	**13**	**18**	**329**	**442**	**771**	**57**
			2019-20			
1	बलिया	हैंडबाल	15	18	33	55
2	बलिया	खो-खो	13	15	28	54
3	बरेली	खेल-कूद	18	23	41	56
4	बस्ती	हैंडबाल	22	22	44	50
5	बस्ती	वॉलीबॉल	12	40	52	77
6	एटा	भारोत्तोलन	25	26	51	51
7	इटावा	मुक्केबाज़ी	17	28	45	62
8	इटावा	जिमनास्टिक्स	22	28	50	56
9	फिरोजाबाद	तलवारबाजी	13	17	30	57
10	गौतमबुद्धनगर	कुश्ती	15	15	30	50
11	गाजीपुर	मुक्केबाज़ी	20	40	60	67
12	गोरखपुर	जिमनास्टिक्स	13	17	30	57
13	गोरखपुर	हैंडबाल	15	20	35	57
14	जालौन	हैंडबाल	21	24	45	53
15	झांसी	हॉकी	16	24	40	60
16	झांसी	जूडो	7	9	16	56
17	लखनऊ	जिमनास्टिक्स	23	24	47	51
18	लखनऊ	टेबल टेनिस	15	15	30	50
19	मुजफ्फरनगर	खो-खो	13	24	37	65
20	प्रयागराज	खो-खो	11	15	26	58
21	प्रयागराज	नौकायन	11	14	25	56
22	सहारनपुर	जूडो	16	20	36	56
23	उन्नाव	तायक्वोंडो	42	59	101	58

क्रम संख्या	जनपद	खेल का नाम	बालक	बालिका	योग	बालिका का प्रतिशत
24	वाराणसी	बास्केटबॉल	16	16	32	50
योग	**17**	**24**	**411**	**553**	**964**	**57**
2020-21						
1	लखनऊ	एथलेटिक्स	19	24	43	56
2	लखनऊ	भारोत्तोलन	12	19	31	61
3	रायबरेली	हॉकी	9	15	24	63
4	फिरोजाबाद	जिमनास्टिक्स	8	12	20	60
योग	**3**	**4**	**48**	**70**	**118**	**59**
2021-22						
1	मिर्जापुर	फुटबॉल	10	10	20	50
2	इटावा	मुक्केबाज़ी	9	18	27	67
3	इटावा	कराटे	22	28	50	56
4	सहारनपुर	टेबल टेनिस	16	16	32	50
5	शामली	कबड्डी	13	14	27	52
6	मुजफ्फरनगर	जूडो	10	15	25	60
7	प्रयागराज	हैंडबाल	11	14	25	56
8	प्रयागराज	जूडो	19	21	40	53
9	मेरठ	हॉकी	16	24	40	60
10	मेरठ	नेट बॉल	15	15	30	50
11	गौतमबुद्धनगर	नेट बॉल	14	15	29	52
12	वाराणसी	हॉकी	19	21	40	53
13	वाराणसी	जूडो	12	13	25	52
14	गोरखपुर	हॉकी	7	10	17	59
15	श्रावस्ती	खो-खो	9	9	18	50
16	मुरादाबाद	टेबल टेनिस	6	8	14	57
17	लखनऊ	सॉफ्ट-टेनिस	11	15	26	58
18	सीतापुर	तायक्वोंडो	16	19	35	54
19	उन्नाव	तायक्वोंडो	20	29	49	59
20	फिरोजाबाद	जिमनास्टिक्स	8	12	20	60
योग	**16**	**20**	**263**	**326**	**589**	**55**
योग		**106**	**1843**	**2524**	**4367**	**58**

(स्रोत: खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन)

परिशिष्ट 2.2.14

खेल संघों/महासंघों को वित्तीय सहायता

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.2.11.3)

(₹ लाख में)

वर्ष	खेल संघ/महासंघ का नाम	आवंटन	व्यय
2016-17	1. उत्तर प्रदेश बैडमिंटन महासंघ	100.00	100.00
	2. उत्तर प्रदेश हॉकी महासंघ	1905.00	1905.00
2017-18	1. उत्तर प्रदेश जूडो महासंघ	0.75	0.75
	2. उत्तर प्रदेश जूडो महासंघ	0.50	0.50
2018-19	1. उत्तर प्रदेश हैंडबॉल महासंघ	5.00	5.00
2019-20	1. उत्तर प्रदेश जूडो महासंघ	0.75	0.75
	2. उत्तर प्रदेश जूडो महासंघ	0.15	0.15
	3. उत्तर प्रदेश हैंडबॉल महासंघ	0.50	0.50
2020-21	1. उत्तर प्रदेश हैंडबॉल महासंघ	0.50	0.50
	2. उत्तर प्रदेश हैंडबॉल महासंघ	0.50	0.50
	3. उत्तर प्रदेश वेटलिफ्टिंग महासंघ	0.15	0.15
2021-22	1. उत्तर प्रदेश हॉकी महासंघ	10.00	10.00
	2. उत्तर प्रदेश वेटलिफ्टिंग महासंघ	0.15	0.15
योग		2023.80	2023.80
		₹ 20.24 करोड़	**₹ 20.24 करोड़**

(स्रोत: खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन)

परिशिष्ट 2.2.15

उन शिविरों में पंजीकृत खिलाड़ियों का विवरण जिनके खेल संघों पर विवाद था

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.2.11.3)

खेल का नाम	पंजीकृत खिलाड़ियों की संख्या						
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	महायोग
नेट बॉल	61	66	75	35	00	59	296
पावरलिफ्टिंग	176	136	131	94	00	25	562
ताइक्वान्डो	1005	927	1287	873	119	381	4592
कुलयोग	**1242**	**1129**	**1493**	**1002**	**119**	**465**	**5450**

(स्रोत: खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन)

परिशिष्ट 2.3.1

प्रतिदर्श परियोजनाओं की सूची

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.3.3)

क्र.सं.	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम /परियोजना	वार्षिक योजना /कार्ययोजना
1	मेसर्स आर्यन्स एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड	**वार्षिक योजना**
2	मेसर्स एवन फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड.	**वार्षिक योजना**
3	मेसर्स सी.एल. एजुकेट लिमिटेड	**वार्षिक योजना**
4	मेसर्स न्यू इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड	**वार्षिक योजना**
5	मेसर्स ओरिएंट क्राफ्ट फैशन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक प्राइवेट लिमिटेड	**वार्षिक योजना**
6	मेसर्स सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट	**कार्ययोजना**
7	मेसर्स डोरिक मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड	**कार्ययोजना**
8	मेसर्स ड्रीम वीवर्स एडुट्रैक प्राइवेट लिमिटेड	**कार्ययोजना**
9	मेसर्स फोकस एडु केयर प्राइवेट लिमिटेड	**कार्ययोजना**
10	मेसर्स आई सी ए एडु स्किल्स लिमिटेड (पी2)	**कार्ययोजना**
11	मेसर्स आई डी टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	**कार्ययोजना**
12	मेसर्स आइडियल इम्प्रेशंस प्राइवेट लिमिटेड	**कार्ययोजना**
13	मैसर्स इंदिरा गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन	**कार्ययोजना**
14	मेसर्स इंदिरा गोपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्विसेज	**कार्ययोजना**
15	मेसर्स खटोर फाइबर्स एंड फैब्रिक्स लिमिटेड	**कार्ययोजना**
16	मैसर्स स्वर्गीय महाबीर प्रसाद मेमोरियल शिक्षण संस्थान	**कार्ययोजना**
17	मेसर्स मानव विकास एवं सेवा संस्थान (पी2)	**कार्ययोजना**
18	मेसर्स जे आई टी एम स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड	**कार्ययोजना**
19	मेसर्स मास इन्फोटेक सोसाइटी (पी2)	**कार्ययोजना**
20	मेसर्स निरंजन माध्यमिक शिक्षा समिति	**कार्ययोजना**
21	मेसर्स पीपल ट्री वेंचर्स लिमिटेड	**कार्ययोजना**
22	मेसर्स रूमन टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड	**कार्ययोजना**
23	मेसर्स रोजगार विकास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड	**कार्ययोजना**
24	मेसर्स सोशल एक्शन फॉर वेलफेयर एंड कल्चरल एडवांसमेंट	**कार्ययोजना**

क्र.सं.	**परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम /परियोजना**	**वार्षिक योजना /कार्ययोजना**
25	मेसर्स तारा कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड.	**कार्ययोजना**
26	मेसर्स टीमलीज सर्विसेज लिमिटेड	**कार्ययोजना**
27	मेसर्स थिंकस्किल्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	**कार्ययोजना**
28	मेसर्स ए डी एस स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड	**कार्ययोजना**

(स्रोत: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन)

परिशिष्ट 2.3.2

वार्षिक योजना की परियोजनाओं का अनियमित समय विस्तार

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.3.8.2)

क्रम सं.	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	स्वीकृति की तिथि	परियोजना प्रारंभ होने की तिथि	परियोजना समाप्ति की तिथि	लक्ष्य		उपलब्धि (मार्च 2022 तक)		परियोजना समाप्ति की तिथि (प्रथम विस्तार के बाद)	परियोजना समाप्ति की तिथि (द्वितीय विस्तार के बाद)	मार्च 2022 तक अवमुक्त धनराशि (रुपये में)
					प्रशिक्षण	नियोजन	प्रशिक्षण	नियोजन			
1.	मेसर्स ऑल सर्विसेज ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	27-12-2013	25-जनवरी-15	24-जनवरी-18	2980	2086	2276	1530	24-जनवरी-19	24-जनवरी-20	106551475
2.	मेसर्स आर्यन्स एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड	20-05-2014	18-जून-15	17-जून-18	1011	708	1051	708	17-जून-19	17-दिसंबर-19	37624532
3.	मेसर्स एवन फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड.	24-03-2014	14-दिसम्बर-14	13-दिसम्बर-17	3463	2424	4133	2396	13-दिसंबर-18	13-दिसंबर-19	111208816
4.	मेसर्स बी.वी.जी. इंडिया लिमिटेड	20-01-2014	25-जनवरी-15	24-जनवर	2810	1967	1690	1140	24-जनवरी-19	24-जनवरी-20	102850808
5.	मेसर्स सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट	24-03-2014	30 अक्टूबर 14	29-अक्टूबर-17	1296	907	1375	1193	29-अक्टूबर-18	29-अक्टूबर-19	37466730
6.	मेसर्स सी.एल. एजुकेट लिमिटेड	27-12-2013	25-जनवरी-15	24-जनवरी-18	3679	2575	3362	1085	24-जनवरी-19	24-जनवरी-20	109596981
7.	मेसर्स ईगल हंटर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	24-03-2014	12-फरवरी-15	11-फरवरी-18	2650	1855	2067	694	11-फरवरी-19	11-फरवरी-20	36461675
8.	मेसर्स फोकस एडु केयर प्राइवेट लिमिटेड	24-03-2014	13-दिसम्बर-14	12-दिसम्बर-17	956	669	859	391	12-दिसम्बर-18	12-दिसंबर-19	25675127

क्रम सं.	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	स्वीकृति की तिथि	परियोजना प्रारंभ होने की तिथि	परियोजना समाप्ति की तिथि	लक्ष्य		उपलब्धि (मार्च 2022 तक)		परियोजना समाप्ति की तिथि (प्रथम विस्तार के बाद)	परियोजना समाप्ति की तिथि (द्वितीय विस्तार के बाद)	मार्च 2022 तक अवमुक्त धनराशि (रुपये में)
					प्रशिक्षण	नियोजन	प्रशिक्षण	नियोजन			
9.	मेसर्स आई.सी.ए. एडु स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड	20-01-2014	25-जनवरी-15	24-जनवरी-18	4058	2841	4069	2735	24-जनवरी-19	24-जनवरी-20	110519977
10.	मेसर्स क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	23-05-2014	02-जुलाई-15	01-जुलाई-18	791	554	689	282	01-जुलाई-19	31-दिसंबर-19	27736267
11।	मैसर्स मानव विकास एवं सेवा संस्थान	15-01-2014	25-जनवरी-15	24-जनवरी-18	1193	835	1201	800	24-जनवरी-19	24-जनवरी-20	37284575
12.	मेसर्स मास इन्फोटेक सोसाइटी	15-01-2014	02-जून-15	01-जून-18	177	124	196	128	01-जून-19	31-मई-20	8280337
13.	मेसर्स न्यू इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड	24-03-2014	30 अक्टूबर 14	29-अक्टूबर-17	1349	944	1389	606	29-अक्टूबर-18	29-अक्टूबर-19	33950623
14.	मेसर्स ओरिएंट क्राफ्ट फैशन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	15-01-2014	02-जून-15	01-जून-18	2660	1862	2664	720	01-जून-19	31-मई-20	113044713
15.	मेसर्स ओरियन एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड	20-01-2014	25-जनवरी-15	24-जनवरी-18	3867	2707	3867	2710	24-जनवरी-19	24-जनवरी-20	112363694
16.	मेसर्स क्वेस कॉर्प लिमिटेड	24-01-2014	25-जनवरी-15	24-जनवरी-18	3337	2336	3998	2299	24-जनवरी-19	24-जनवरी-20	131497970

क्रम सं.	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	स्वीकृति की तिथि	परियोजना प्रारंभ होने की तिथि	परियोजना समाप्ति की तिथि	लक्ष्य		उपलब्धि (मार्च 2022 तक)		परियोजना समाप्ति की तिथि (प्रथम विस्तार के बाद)	परियोजना समाप्ति की तिथि (द्वितीय विस्तार के बाद)	मार्च 2022 तक अवमुक्त धनराशि (रुपये में)
					प्रशिक्षण	नियोजन	प्रशिक्षण	नियोजन			
17.	मेसर्स साइंटिफिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	24-03-2014	08-मार्च-15	07-मार्च-18	853	597	854	603	07-मार्च-19	06-मार्च-20	28617675
	योग				**37130**	**25991**	**35740**	**20020**			**1170731975**

(स्रोत: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन)

परिशिष्ट 2.3.3

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को अतिरिक्त भुगतान

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.3.8.4)

क्रम सं.	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	कुल परियोजना लागत (कु.परि.ला.) (₹ लाख में)	प्रशिक्षण लक्ष्य (प्रशिक्षुओं की संख्या)	अद्यतन समय विस्तार	प्रति प्रशिक्षु औसत प्रशिक्षण लागत (₹ लाख में)	कुल अवमुक्त की गई धनराशि (लाख रुपए में) (मार्च 2022 तक)	प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की संख्या (मार्च 2021 तक)	नियोजित प्रशिक्षुओं की संख्या (मार्च 2021 तक)	प्रशिक्षुओं के सापेक्ष नियोजन का प्रतिशत	अनुमन्य कुल आनुपातिक भुगतान (₹ लाख)	वसूल की जाने वाली धनराशि (₹ लाख)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3) ÷ (4)	(7)	(8)	(9)	(10) = (9) ÷(8)x100	(11)=(6)x(9)	(12)=(7)-(11)
1	मेसर्स ऑल सर्विसेज ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	1429.54	2980	24-01-2020	0.48	1065.51	2276	825	36.25	395.76	669.75
2	मेसर्स आरोह फाउंडेशन	1272.78	1632	24-01-2020	0.78	973.98	1514	704	46.50	549.04	424.94
3	मेसर्स बी.वी.जी. इंडिया लिमिटेड	1364.26	2810	24-01-2020	0.49	1028.51	1690	295	17.46	143.22	885.29
4	मेसर्स सी.एल. एजुकेट लिमिटेड	1498.33	3679	24-01-2020	0.41	1095.97	3362	1077	32.03	438.63	657.34
5	मेसर्स फोकस एडु केयर प्राइवेट लिमिटेड	335.37	956	12-12-2019	0.35	256.75	859	326	37.95	114.36	142.39
6	मेसर्स क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	362.43	791	31-12-2019	0.46	277.36	689	282	40.93	129.21	148.15

क्रम सं.	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	कुल परियोजना लागत (कु.परि.ला.) (₹ लाख में)	प्रशिक्षण लक्ष्य (प्रशिक्षुओं की संख्या)	अद्यतन समय विस्तार	प्रति प्रशिक्षु औसत प्रशिक्षण लागत (₹ लाख में)	कुल अवमुक्त की गई धनराशि (लाख रुपए में) (मार्च 2022 तक)	प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की संख्या (मार्च 2021 तक)	नियोजित प्रशिक्षुओं की संख्या (मार्च 2021 तक)	प्रशिक्षुओं के सापेक्ष नियोजन का प्रतिशत	अनुमन्य कुल आनुपातिक भुगतान (₹ लाख)	वसूल की जाने वाली धनराशि (₹ लाख)
7	मैसर्स मानव विकास एवं सेवा संस्थान	499.96	1193	24-01-2020	0.42	372.85	1201	405	33.72	169.73	203.12
8	मेसर्स न्यू इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड	450.36	1349	29-10-2019	0.33	339.51	1389	606	43.63	202.31	137.20
9	मेसर्स ओरिएंट क्राफ्ट फैशन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	1469.28	2660	31-05-2020	0.55	1130.45	2680	632	23.58	349.09	781.36
10	मेसर्स साइंटिफिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	375.85	853	06-03-2020	0.44	286.18	854	101	11.83	44.50	241.68
	कुल	**9058.16**				**6827.07**				**2535.86**	**4291.22**

(स्रोत: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन)

परिशिष्ट 2.3.4 अ

समझौता ज्ञापन के निष्पादन और प्रथम किस्त अवमुक्त करने मे विलंब का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.3.9.4)

क्रम संख्या	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	परियोजना अनुमोदन समिति के बैठक का कार्यवृत निर्गत किये जाने की तिथि	समझौता ज्ञापन के निष्पादन की तिथि	प्रथम किस्त अवमुक्त किये जाने की तिथि	समझौता ज्ञापन के निष्पादन में विलंब (दिनों में)	प्रथम किस्त अवमुक्त किए जाने में विलंब (दिनों में)
1	मेसर्स सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट	24-05-2017	22-06-2017	31-01-2018	27	213
2	मेसर्स डोरिक मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड	22-02-2018	12-03-2018	27-03-2018	16	5
3	मेसर्स ड्रीम वीवर्स एडुट्रैक प्राइवेट लिमिटेड	16-04-2018	20-09-2018	14-05-2019	155	226
4	मेसर्स फोकस एडु केयर प्राइवेट लिमिटेड	16-04-2018	26-06-2018	07-09-2018	69	63
5	मेसर्स आई.सी.ए. एडु स्किल्स लिमिटेड (पी2)	24-05-2017	04-07-2017	21-07-2017	39	7
6	मेसर्स आई.डी. टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	16-04-2018	22-06-2018	27-08-2018	65	56
7	मेसर्स आइडियल इम्प्रेशंस प्राइवेट लिमिटेड	16-04-2018	03-08-2018	07-08-2018	107	विलंब नहीं
8	मैसर्स इंदिरा गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन	24-05-2017	04-07-2017	16-08-2017	39	33
9	मेसर्स इंदिरा गोपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्विसेज	24-07-2018	28-09-2018	22-10-2018	64	14
10	मेसर्स खटोर फाइबर्स एंड फैब्रिक्स लिमिटेड	22-02-2018	12-03-2018	26-03-2018	16	4
11	मैसर्स स्वर्गीय महाबीर प्रसाद मेमोरियल शिक्षण संस्थान	24-05-2017	22-06-2017	04-07-2017	27	2
12	मेसर्स जे.आई.टी.एम. स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड	22-02-2018	12-03-2018	03-04-2018	16	12

क्रम संख्या	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	परियोजना अनुमोदन समिति के बैठक का कार्यवृत निर्गत किये जाने की तिथि	समझौता ज्ञापन के निष्पादन की तिथि	प्रथम किस्त अवमुक्त किये जाने की तिथि	समझौता ज्ञापन के निष्पादन में विलंब (दिनों में)	प्रथम किस्त अवमुक्त किए जाने में विलंब (दिनों में)
13	मेसर्स मानव विकास एवं सेवा संस्थान (पी2)	04-07-2017	01-09-2017	08-12-2017	57	88
14	मेसर्स निरंजन माध्यमिक शिक्षा समिति	22-02-2018	12-03-2018	11-05-2018	16	50
15	मेसर्स रोजगार विकास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड	04-07-2017	01-09-2017	08-12-2017	57	88
16	मेसर्स तारा कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड.	16-04-2018	01-08-2018	10-09-2018	105	30
17	मेसर्स टीमलीज सर्विसेज लिमिटेड	12-12-2017	27-02-2018	31-03-2018	75	22
18	मेसर्स थिंकस्किल्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	12-12-2017	27-02-2018	23-03-2018	75	14
19	मेसर्स ए.डी.एस. स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड	24-07-2018	28-09-2018	01-01-2019	64	85

(स्रोतः उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन)

परिशिष्ट 2.3.4 ब

प्रथम बैच का प्रशिक्षण प्रारंभ होने में विलंब का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.3.9.4)

क्रम सं.	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	प्रथम किस्त अवमुक्त किये जाने की तिथि	प्रथम बैच के प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि	विलंब (दिनों में)
1	मेसर्स सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट	31-01-2018	24-05-2018	83
2	मेसर्स आई.सी.ए. एडु स्किल्स लिमिटेड (पी2)	21-07-2017	29-09-2017	40
3	मेसर्स आई.डी. टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	27-08-2018	30-10-2018	34
4	मेसर्स जे.आई.टी.एम. स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड	03-04-2018	06-06-2018	34
5	मेसर्स मानव विकास एवं सेवा संस्थान (पी2)	08-12-2017	16-03-2018	68
6	मेसर्स निरंजन माध्यमिक शिक्षा समिति	11-05-2018	06-08-2018	57
7	मेसर्स रोजगार विकास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड	08-12-2017	08-02-2018	32
8	मेसर्स तारा कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड.	10-09-2018	04-01-2019	86
9	मेसर्स टीमलीज सर्विसेज लिमिटेड	31-03-2018	14-05-2018	14
10	मेसर्स रूमन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	07-08-2018	30-11-2018	85
11	मेसर्स डोरिक मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड	27-03-2018	04-07-2018	69
12	मेसर्स फोकस एडु केयर प्राइवेट लिमिटेड	07-09-2018	26-12-2018	80
13	मेसर्स आइडियल इम्प्रेशंस प्राइवेट लिमिटेड	07-08-2018	04-12-2018	89
14	मेसर्स इंदिरा गोपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्विसेज	22-10-2018	03-02-2019	74
15	मैसर्स इंदिरा गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन	16-08-2017	05-01-2018	112
16	मैसर्स स्वर्गीय महाबीर प्रसाद मेमोरियल शिक्षण संस्थान	04-07-2017	06-11-2017	95
17	मेसर्स थिंकस्किल्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	23-03-2018	16-05-2018	24
18	मेसर्स मास इन्फोटेक सोसाइटी	16-08-2017	07-11-2017	53
19	मेसर्स सोशल एक्शन फॉर वेलफेयर कल्चरल एडवांसमेंट।	05-05-2018	30-06-2018	26
20	मेसर्स पीपल ट्री वेंचर्स लिमिटेड	26-03-2018	06-06-2018	42

(स्रोत: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन)

परिशिष्ट 2.3.5

निष्पादन बैंक प्रत्याभूति का नवीनीकरण न किया जाना

(संदर्भ: पैराग्राफ क्रमांक 2.3.9.5)

क्रम संख्या	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	कुल परियोजना लागत (रूपये करोड़ में)	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत निष्पादन बैंक प्रत्याभूत की राशि (रूपये लाख में)	निष्पादन बैंक प्रत्याभूत की वैधता अवधि	समझौता ज्ञापन के निष्पादन की तिथि	परियोजना अनुमोदन/ स्वीकृत की तिथि	परियोजना अनुमोदन समिति की संख्या/बैठक की तिथि	परियोजना अवधि	परियोजना की वर्तमान स्थिति (मार्च 2022 तक)	परियोजना का विस्तार
1	मेसर्स डोरिक मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड	4.98	31.15	10.10.2021	12.03.2018	28-02-2018	6वां /06.02.2018	36 महीने	चल रहे	05-03-2023
2	मेसर्स ड्रीम वीवर्स एडुट्रैक प्राइवेट लिमिटेड	9.98	62.35	26.02.2022	20.09.2018	07-07-2018	7वां /20.03.2018	36 महीने	चल रहे	31-03-2023
3	मेसर्स फोकस एडु केयर प्राइवेट लिमिटेड	9.93	62.08	30.11.2021	26.06.2018	04-06-2018	7वां /20.03.2018	36 महीने	चल रहे	31-03-2023
4	मेसर्स आई. डी. टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	3.98	24.86	12.12.2021	22.06.2018	31-05-2018	7वां /20.03.2018	36 महीने	चल रहे	31-03-2023
5	मेसर्स आइडियल इम्प्रेशंस प्राइवेट लिमिटेड	3.67	22.92	31.12.2021	03.08.2018	28-05-2018	7वां /20.03.2018	36 महीने	चल रहे	06-03-2023

क्रम संख्या	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	कुल परियोजना लागत (रूपये करोड़ में)	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत निष्पादन बैंक प्रत्याभूत की राशि (रूपये लाख में)	निष्पादन बैंक प्रत्याभूत की वैधता अवधि	समझौता ज्ञापन के निष्पादन की तिथि	परियोजना अनुमोदन/ स्वीकृत की तिथि	परियोजना अनुमोदन समिति की संख्या/बैठक की तिथि	परियोजना अवधि	परियोजना की वर्तमान स्थिति (मार्च 2022 तक)	परियोजना का विस्तार
6	मेसर्स इंदिरा गोपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्विसेज	4.81	30.03	15.04.2022	28.09.2018	23-08-2018	8वां /09.07.2018	36 महीने	चल रहे	31-03-2023
7	मेसर्स खटोर फाइबर्स एंड फैब्रिक्स लिमिटेड	14.93	93.28	07.09.2021	12.03.2018	28-02-2018	6वां /06.02.2018	36 महीने	चल रहे	05-09-2022
8	मेसर्स जे. आई.टी.एम. स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड	11.13	69.55	11.09.2021	12.03.2018	28-02-2018	6वां /06.02.2018	36 महीने	चल रहे	05-03-2023
9	मेसर्स निरंजन माध्यमिक शिक्षा समिति	3.67	23.00	06.10.2021	12.03.2018	28-02-2018	6वां /06.02.2018	36 महीने	चल रहे	31-03-2023
10	मेसर्स तारा कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड.	3.37	21.04	05.01.2022	01.08.2018	19-06-2018	7वां /20.03.2018	36 महीने	चल रहे	31-03-2023
11	मेसर्स टीमलीज सर्विसेज लिमिटेड	19.98	124.89	31.08.2021	27.02.2018	17-02-2018	5वां /27.11.2017	36 महीने	चल रहे	31-03-2023
12	मेसर्स थिंकस्किल्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	3.99	24.96	26.08.2021	27.02.2018	17-02-2018	5वां /27.11.2017	36 महीने	चल रहे	21-10-2022

क्रम संख्या	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	कुल परियोजना लागत (रूपये करोड़ में)	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत निष्पादन बैंक प्रत्याभूत की राशि (रूपये लाख में)	निष्पादन बैंक प्रत्याभूत की वैधता अवधि	समझौता ज्ञापन के निष्पादन की तिथि	परियोजना अनुमोदन/ स्वीकृत की तिथि	परियोजना अनुमोदन समिति की संख्या/बैठक की तिथि	परियोजना अवधि	परियोजना की वर्तमान स्थिति (मार्च 2022 तक)	परियोजना का विस्तार
13	मेसर्स ए.डी. एस. स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड	8.30	51.87	24.04.2022	28.09.2018	20-09-2018	8वां /09.07.2018	36 महीने	चल रहे	31-03-2023
14	मेसर्स रूमन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	4.99	31.2	28.11.2021	22.06.2018	02-06-2018	7वां /20.03.2018	36 महीने	चल रहे	06-03-2023
15	मेसर्स सोशल एक्शन फॉर वेलफेयर एंड कल्चरल एडवांसमेंट	14.99	94.00	30.09.2021	12.03.2018	28-02-2018	6वां /06.02.2018	36 महीने	चल रहे	31-03-2023
16	मेसर्स पीपल ट्री वेंचर्स लिमिटेड	18.11	113.16	31.07.2021	22.11.2017	01-09-2017	3वां /04.07.2017[1]	36 महीने	चल रहे	31-03-2023
	योग	**140.81**	**880.34**							

(स्रोत: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन)

[1] ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना जारी होने ke बाद समझौता पत्र निष्पादित किया गया।

परिशिष्ट 2.3.6

प्रतिदर्श परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा खोले गये बैंक खातों का विवरण (वार्षिक योजना 2016-19)

(संदर्भः प्रस्तर संख्या 2.3.9.6)

क्रम संख्या	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी की प्रकृति (कंपनी/ गैर-कंपनी)	खाते की प्रकृति (बचत/चालू)	क्या यह विशेष रूप से डी. डी. यू.-के.वाई. के लिए है (हां/नहीं)	क्या धनराशि को समर्पित खाते में स्थानांतरित किया गया है।
1	मेसर्स सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट	सोसाइटी	बचत	हाँ	हाँ
2	मेसर्स डोरिक मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	चालू	हाँ	हाँ
3	मेसर्स ड्रीम वीवर्स एडुट्रैक प्राइवेट लिमिटेड	कंपनी	चालू	हाँ	हाँ
4	मेसर्स फोकस एडु केयर प्राइवेट लिमिटेड	कंपनी	चालू	हाँ	हाँ
5	मेसर्स आई.सी.ए. एडु स्किल्स लिमिटेड (पी2)	कंपनी	चालू	हाँ	हाँ
6	मेसर्स आई.डी. टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	कंपनी	चालू	हाँ	हाँ
7	मेसर्स आइडियल इम्प्रेशंस प्राइवेट लिमिटेड	कंपनी	चालू	हाँ	हाँ
8	मैसर्स इंदिरा गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन	पंजीकृत ट्रस्ट	चालू	हाँ	हाँ
9	मेसर्स इंदिरा गोपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्विसेज	कंपनी	चालू	हाँ	हाँ
10	मेसर्स खटोर फाइबर्स एंड फैब्रिक्स लिमिटेड	कंपनी	चालू	हाँ	हाँ
11	मैसर्स स्वर्गीय महाबीर प्रसाद मेमोरियल शिक्षण संस्थान	सोसाइटी	चालू	नहीं	हाँ

क्रम संख्या	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी की प्रकृति (कंपनी/ गैर-कंपनी)	खाते की प्रकृति (बचत/चालू)	क्या यह विशेष रूप से डी. डी. यू.-के.वाई. के लिए है (हां/नहीं)	क्या धनराशि को समर्पित खाते में स्थानांतरित किया गया है।
12	मेसर्स जे.आई.टी.एम. स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड	कंपनी	चालू	हाँ	हाँ
13	मेसर्स मानव विकास एवं सेवा संस्थान (पी2)	सोसाइटी	बचत	हाँ	हाँ
14	मेसर्स निरंजन माध्यमिक शिक्षा समिति	सोसाइटी	चालू	नहीं	हाँ
15	मेसर्स रोजगार विकास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड	कंपनी	चालू	हाँ	हाँ
16	मेसर्स तारा कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड.	कंपनी	चालू	हाँ	हाँ
17	मेसर्स टीमलीज सर्विसेज लिमिटेड	कंपनी	चालू	हाँ	हाँ
18	मेसर्स थिंकस्किल्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	कंपनी	चालू	हाँ	हाँ
19	मेसर्स ए.डी.एस. स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड	कंपनी	चालू	हाँ	हाँ
20	मेसर्स रूमन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	कंपनी	चालू	हाँ	हाँ
21	मेसर्स सोशल एक्शन फॉर वेलफेयर एंड कल्चरल एडवांसमेंट	सोसाइटी	चालू	हाँ	हाँ
22	मेसर्स पीपल ट्री वेंचर्स लिमिटेड	कंपनी	चालू	हाँ	हाँ
23	मेसर्स मास इन्फोटेक सोसाइटी (पी2)	सोसाइटी	चालू	हाँ	हाँ

(स्रोत: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन)

परिशिष्ट 2.3.7

शिक्षक/परामर्शदाता/प्रयोगशाला सहायक के रूप में नियोजित प्रशिक्षुओं का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.3.11.3)

क्रम सं.	प्रशिक्षु का नाम	पिता का नाम	प्रशिक्षण का ट्रैड	*नियोजन*	नियुक्ति	सत्यापन का परिणाम
1	पूजा पाल	प्रीतम सिंह	फूड एवं बेव्रिज सर्विस-स्टूअर्ड	शांति देवी इंटर कॉलेज	अध्यापक	स्कूल में कभी नियुक्त नहीं किया गया
2	सोनाक्षी	राम किशोर	डमेस्टिक आईटी हेल्पडेस्क अटेंडेंट	शांति देवी इंटर कॉलेज	अध्यापक	स्कूल में कभी नियुक्त नहीं किया गया
3	सुलेन्द्र कुमार	अतर सिंह	बिजनेस कॉरिस्पान्डन्ट	शांति देवी इंटर कॉलेज	उल्लेख नहीं है	स्कूल में कभी नियुक्त नहीं किया गया
4	मीनाक्षी	राम किशोर	फूड एवं बेव्रिज सर्विस-स्टूअर्ड	शांति देवी इंटर कॉलेज	अध्यापक	स्कूल में कभी नियुक्त नहीं किया गया
5	कुमारी मधु	वीर सिंह	फूड एवं बेव्रिज सर्विस-स्टूअर्ड	बालजीत सिंह इंटर कॉलेज	अध्यापक	सत्यापित
6	दानिश	वाजिद अली	फूड एवं बेव्रिज सर्विस-स्टूअर्ड	आर.एस इंटर कॉलेज	अध्यापक	स्कूल में कभी नियुक्त नहीं किया गया
7	अंकित शर्मा	कृष्ण कुमार शर्मा	बिजनेस कॉरिस्पान्डन्ट	आर.पी.एस. मेमोरियल इंटर कॉलेज	परामर्शदाता	स्कूल में कभी नियुक्त नहीं किया गया
8	संतोष कुमार	बंगाली बाबू	डोमेस्टिक आईटी हेल्पडेस्क अटेंडेंट	श्री महावीर आदर्श इंटर कॉलेज	अध्यापक	स्कूल में कभी नियुक्त नहीं किया गया
9	कुमारी रंगोली यादव	राम सिंह यादव	फूड एवं बेव्रिज सर्विस-स्टूअर्ड	बलजीत इंटर कॉलेज	अध्यापक	सत्यापित
10	राजू सिंह	छोटे लाल	फूड एवं बेव्रिज सर्विस-स्टूअर्ड	इन्हारुल हक इंटर कॉलेज	उल्लेख नहीं है	स्कूल में कभी नियुक्त नहीं किया गया

क्रम सं.	प्रशिक्षु का नाम	पिता का नाम	प्रशिक्षण का ट्रैड	*नियोजन*	नियुक्ति	सत्यापन का परिणाम
11	मंजू	बलवीर सिंह	फूड एवं बेव्रिज सर्विस-स्टूअर्ड	खूब चंद्र बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज	अध्यापक	स्कूल में कभी नियुक्त नहीं किया गया
12	कुमारी उषा रानी	रमेश कुमार	बिजनेस कॉरिस्पान्डन्ट	भूप सिंह इंटर कॉलेज	अध्यापक	स्कूल में कभी नियुक्त नहीं किया गया
13	निकिता	राजीव सिंह यादव	डोमेस्टिक आईटी हेल्पडेस्क अटेंडेंट	विकास शिक्षा संस्थान इंटर कॉलेज, मुरादाबाद	अध्यापक	सत्यापित
14	कुमारी नीरज रानी	राजपाल	डोमेस्टिक आईटी हेल्पडेस्क अटेंडेंट	राजेंद्र सिंह इंटर कॉलेज	अध्यापक	स्कूल में कभी नियुक्त नहीं किया गया
15	रीना पाल	प्रेम सिंह	फूड एवं बेव्रिज सर्विस-स्टूअर्ड	भूप सिंह इंटर कॉलेज	अध्यापक	स्कूल में कभी नियुक्त नहीं किया गया
16	कुमारी मीनू	राजपाल सिंह	बिजनेस कॉरिस्पान्डन्ट	राजेंद्र सिंह इंटर कॉलेज	अध्यापक	स्कूल में कभी नियुक्त नहीं किया गया
17	दानिश अली	अख्तर अली	फूड एवं बेव्रिज सर्विस-स्टूअर्ड	शिव राज सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज	अध्यापक	स्कूल में कभी नियुक्त नहीं किया गया
18	कुलदीप कुमार	विपिन बिहारी	फूड एवं बेव्रिज सर्विस-स्टूअर्ड	राजा राम इंटर कॉलेज	अध्यापक	तहसील में कॉलेज नहीं है
19	मुकेश पाठक	ओम प्रकाश पाठक	डोमेस्टिक आईटी हेल्पडेस्क अटेंडेंट	आनंद कंचन केतुकी देवी इंटर कॉलेज	उल्लेख नहीं है	कॉलेज में कभी नियुक्त नहीं किया गया
20	चाँद मिया	मोह नवी	बिजनेस कॉरिस्पान्डन्ट	मदरसा जरीफुल हसन इस्लामिया कॉलेज बनेई।	अध्यापक (सभी विषय)	सत्यापित

क्रम सं.	प्रशिक्षु का नाम	पिता का नाम	प्रशिक्षण का ट्रैड	*नियोजन*	नियुक्ति	सत्यापन का परिणाम
21	मुअज्जम उद्दीन	मुमताज उद्दीन	फूड एवं बेव्रिज सर्विस-स्टूअर्ड	आदर्श शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज	अध्यापक (सभी विषय)	फर्जी नियुक्ति पत्र
22	अनीता	प्रेमवीर	फूड एवं बेव्रिज सर्विस-स्टूअर्ड	बौद्ध विद्या मंदिर	अध्यापक	स्कूल में कभी नियुक्त नहीं किया गया
23	मोनिका	सुंदर लाल	डोमेस्टिक आईटी हेल्पडेस्क अटेंडेंट	बौद्ध विद्या मंदिर	अध्यापक	स्कूल में कभी नियुक्त नहीं किया गया
24	राधा		फूड एवं बेव्रिज सर्विस-स्टूअर्ड	बौद्ध विद्या मंदिर	अध्यापक	स्कूल में कभी नियुक्त नहीं किया गया
25	कुलदीप भारती	किशन लाल	डोमेस्टिक आईटी हेल्पडेस्क अटेंडेंट	बौद्ध विद्या मंदिर	प्रयोगशाला सहायक	स्कूल में कभी नियुक्त नहीं किया गया
26	अंकित कुमार	सुरेश चंद	डोमेस्टिक आईटी हेल्पडेस्क अटेंडेंट	बौद्ध विद्या मंदिर	प्रयोगशाला सहायक	स्कूल में कभी नियुक्त नहीं किया गया
27	भावना	ऊदल सिंह	फूड एवं बेव्रिज सर्विस-स्टूअर्ड	के.एस. पब्लिक जूनियर हाई स्कूल	अध्यापक	स्कूल में कभी नियुक्त नहीं किया गया
28	सैनकी पाल	मेवाराम	फूड एवं बेव्रिज सर्विस-स्टूअर्ड	भूप सिंह इंटर कॉलेज	अध्यापक	स्कूल में कभी नियुक्त नहीं किया गया
29	शैली सिंह	प्रेमपाल सिंह	डोमेस्टिक आईटी हेल्पडेस्क अटेंडेंट	चौधरी बसंत सिंह इंटर कॉलेज	अध्यापक	स्कूल में कभी नियुक्त नहीं किया गया

(स्रोत: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन)

परिशिष्ट 2.3.8

नियोजन के दस्तावेजों का बैंकों से सत्यापन

[संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.3.11.4 (i), (ii) और (iii)]

क्रम सं.	प्रशिक्षु का नाम	पिता का नाम	नियोक्ता का नाम	बैंक का नाम जिसमें वेतन जमा होने का उल्लेख किया गया था	वह माह जिसमें वेतन बैंक खाते में जमा किया गया	बैंक सत्यापन का परिणाम
न्यू इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड (वार्षिक योजना)						
1	आरती	भीखा लाल	निसा इंडस्ट्रियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड.	अप्रैल, मई और जून 2018	बैंक स्टेटमेंट (पीआईए द्वारा प्रस्तुत) में दिखाए गए वेतन के क्रेडिट से संबंधित लेनदेन वास्तविक बैंक के अभिलेखों से मेल नहीं खाते थे।
2	रंजीत कुमार यादव	मुन्ना लाल	निसा इंडस्ट्रियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड.	मार्च, अप्रैल और मई 2018	
3	लाल बहादुर	शिव प्रसाद	निसा इंडस्ट्रियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड.	अक्टूबर [2], नवंबर और दिसंबर 2015	
4	भोला नाथ	उमा शंकर	निसा इंडस्ट्रियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड.	फरवरी, मार्च और अप्रैल 2018	
5	विनोद कुमार	प्रेम शंकर	निसा इंडस्ट्रियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड.	फरवरी, मार्च और अप्रैल 2018	
6	धर्मेंद्र कुमार	मल्लू	निसा इंडस्ट्रियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड.	मार्च, अप्रैल और मई 2018	
7	सत्यप्रकाश सिंह	अतर सिंह	निसा इंडस्ट्रियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड.	जनवरी, फरवरी और मार्च 2018	

[2] बैंक ने अक्टूबर 2015 में जमा किए गए वेतन पर कोई टिप्पणी नहीं की है, हालांकि नवंबर 2015 और दिसंबर 2015 के महीनों के वेतन के क्रेडिट के मामले में, बैंक ने सूचित किया कि बैंक रिकॉर्ड के अनुसार ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया है।

क्रम सं.	प्रशिक्षु का नाम	पिता का नाम	नियोक्ता का नाम	बैंक का नाम जिसमें वेतन जमा होने का उल्लेख किया गया था	वह माह जिसमें वेतन बैंक खाते में जमा किया गया	बैंक सत्यापन का परिणाम
8	ज्योति कश्यप	राज कुमार	बी-4 एस सल्यूशन	आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड.	अप्रैल, मई और जून 2016	
9	मनीष कुमार	मुन्नी लाल	निसा इंडस्ट्रियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	बैंक ऑफ बड़ौदा	अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर 2016	
10	प्रवीण कुमार	राकेश	निसा इंडस्ट्रियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	कॉर्पोरेशन बैंक (अब यू. बी.आई.)	मार्च, अप्रैल और मई 2018	
11	अशर्फी देवी	श्री राम पाल	निसा इंडस्ट्रियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	कॉर्पोरेशन बैंक (अब यू. बी.आई.)	मार्च, अप्रैल और मई 2018	
12	नरेश पाल सिंह	निहाल सिंह	निसा इंडस्ट्रियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	इंडियन ओवरसीज बैंक	मार्च, अप्रैल और मई 2018	
13	राकेश कुमार	विसिराम	निसा इंडस्ट्रियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	इंडियन ओवरसीज बैंक	मार्च, अप्रैल और मई 2018	
14	अजीत कुमार	रे चंद्रा	निसा इंडस्ट्रियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड.	मार्च, अप्रैल और मई 2018	आई.सी.आई.सी.आई बैंक ने बताया कि खाता (परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अजीत कुमार के नाम से दिखाया गया) उर्मिला गुप्ता के नाम पर है। इसके अलावा, बैंक स्टेटमेंट (परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत) में दिखाए गए वेतन के क्रेडिट से संबंधित लेन-देन वास्तविक बैंक अभिलेखों से मेल नहीं खाते थे।
सेंटर ऑफ टेक्नॉलजी एण्ड एंटेरपरेनेऊरशिप डेवलपमेंट (कार्य योजना 2016-19)						

क्रम सं.	प्रशिक्षु का नाम	पिता का नाम	नियोक्ता का नाम	बैंक का नाम जिसमें वेतन जमा होने का उल्लेख किया गया था	वह माह जिसमें वेतन बैंक खाते में जमा किया गया	बैंक सत्यापन का परिणाम
15	श्री शिव पूजन साहू	प्रहलाद साहू	सी.टी.ई.डी. अमेठी	पंजाब और सिंध बैंक	नवंबर, दिसंबर 2018 और जनवरी 2019	बैंक ने बताया कि खाता विवरण के अनुसार पासबुक प्रिंटआउट में उल्लिखित लेन-देन मूल रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहे हैं। इसलिए सभी चार खातों के लिए उल्लिखित लेन-देन असत्य प्रतीत होते हैं।
16	सुश्री सीमा	राम सुख	सी.टी.ई.डी. अमेठी	पंजाब और सिंध बैंक	नवंबर, दिसंबर 2018 और जनवरी 2019	
17	सुश्री प्रिया वर्मा	राजेंद्र प्रसाद	सी.टी.ई.डी. अमेठी	पंजाब और सिंध बैंक	अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2018	
18	सुश्री जीनत	अतहर अली	अम्रत आंवला खाद्य उत्पाद, गोंडे, प्रतापगढ़	पंजाब और सिंध बैंक	अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2018	
पीपल ट्री वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (कार्य योजना 2016-19)						
19	अनिल यादव	सुग्रीव यादव	पीपल ट्री एंटरप्राइजेज	आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड.	जुलाई, अगस्त और सितंबर 2019	बैंक ने कहा कि दिए गए खाते (जिस बैंक खाते का बैंक स्टेटमेंट परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया गया था) आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड से संबंधित नहीं हैं।
20	अवधेश कुमार	भग्गन प्रसाद गोंड	पीपल ट्री एंटरप्राइजेज	आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड.	नवंबर, दिसंबर2018 और जनवरी 2019	
21	दीपक कुमार	कैलाश प्रसाद	पीपल ट्री एंटरप्राइजेज	आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड.	जुलाई, अगस्त और सितंबर 2019	
22	शुभम भारती	अजय कुमार	पीपल ट्री एंटरप्राइजेज	आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड.	जून, जुलाई और अगस्त 2019	
23	संदीप कुमार	मोहन लाल	पीपल ट्री एंटरप्राइजेज	आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड.	अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2018	
24	दीप चंद्र	निरंजन लाल	पीपल ट्री एंटरप्राइजेज	आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड.	फरवरी, मार्च और अप्रैल 2019	
25	अमित कुमार	राम प्रकाश	पीपल ट्री एंटरप्राइजेज	आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड.	नवंबर, दिसंबर 2018 और जनवरी 2019	

क्रम सं.	प्रशिक्षु का नाम	पिता का नाम	नियोक्ता का नाम	बैंक का नाम जिसमें वेतन जमा होने का उल्लेख किया गया था	वह माह जिसमें वेतन बैंक खाते में जमा किया गया	बैंक सत्यापन का परिणाम
26	आशीष कुमार	सुरेश कुमार	पीपल ट्री एंटरप्राइजेज	आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड.	नवंबर, दिसंबर 2018 और जनवरी 2019	
27	शशिकांत	दलाऊ प्रसाद	पीपल ट्री एंटरप्राइजेज	आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड.	जुलाई, अगस्त और सितंबर 2019	
28	मोनू कुमार	राम सजीवन	पीपल ट्री एंटरप्राइजेज	आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड.	मई, जून और जुलाई 2019	

(स्रोत: सूचना उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और संबंधित बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई)

परिशिष्ट 2.3.9

नमूना जाँच किए गए नियोजनों का मोबाइल फोन कॉल के माध्यम से सत्यापन

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.3.11.5 एवं 2.3.11.6)

अ- जिन प्रशिक्षुओं ने बताया कि उन्हें नियोजन प्रदान नहीं कराया गया

क्रम सं.	प्रशिक्षु का नाम	पिता का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के अनुसार नियोक्ता का नाम	लाभार्थी के उत्तर सहित विवरण
1.	विनोद कुमार	ऋषि पाल	मेसर्स आर्यन एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड	हीरा ग्राम उद्योग संस्थान, सहारनपुर	नियोजन प्रदान नहीं कराया गया.
2.	केशव कुमार	धर्मेंद्र कुमार	-तदैव -	श्री बालाजी ऑटोमोबाइल्स, बुलन्दशहर	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा दावा किए गए दस्तावेजों के अनुसार “श्री बालाजी ऑटोमोबाइल्स” कंपनी में नियोजन प्रदान नहीं कराया गया।
3.	शैलेन्द्र पुष्कर	संकल लाल	मेसर्स सी.एल. एजुकेट प्राइवेट लिमिटेड	एमिएबल टेक्नोलॉजीज, लखनऊ	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन प्रदान नहीं कराया गया।
4.	रंजीत कुमार	चन्द्र भाल	-तदैव -	एमिएबल टेक्नोलॉजीज, लखनऊ	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन प्रदान नहीं कराया गया।

क्रम सं.	प्रशिक्षु का नाम	पिता का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के अनुसार नियोक्ता का नाम	लाभार्थी के उत्तर सहित विवरण
5.	विमलेश कुमार	गोकरन	-तदैव -	देवा पेस्टिसाइड्स लिमिटेड, हरदोई	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन प्रदान नहीं कराया गया।
6.	धर्मेंद्र कुमार	तुलसी राम	-तदैव -	अमोग्स एंटरप्राइजेज, लखनऊ	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन प्रदान नहीं कराया गया।
7.	सुरेश	गंगा राम	-तदैव -	नेहा एसोसिएट्स, बावल, हरियाणा	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन प्रदान नहीं कराया गया।
8.	कासिम खान	रहुफ़ ख़ान	-तदैव -	वासुदेव अडिगा, बैंगलोर	प्रशिक्षु ने बताया कि उसने बैंगलोर में केवल 04-05 दिन काम किया था, लेकिन उसने नौकरी छोड़ दी क्योंकि उससे रसोई से संबंधित कार्य कराया जा रहा था।
9.	मोहम्मद गुफरान	फ़कीर अली	-तदैव -	अमोघ एंटरप्राइजेज, लखनऊ	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन प्रदान नहीं कराया गया।
10.	हंसराज	फूल चंद्र	-तदैव -	अमोघ एंटरप्राइजेज, लखनऊ	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन प्रदान नहीं कराया गया।
11.	सूरज	नानकाऊ	-तदैव -	प्लैटिनम फिनस्टॉक्स, लखनऊ	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन प्रदान नहीं कराया गया।

क्रम सं.	प्रशिक्षु का नाम	पिता का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के अनुसार नियोक्ता का नाम	लाभार्थी के उत्तर सहित विवरण
12.	अर्जुन कुमार	राम किशुन	-तदैव -	नेहा एसोसिएट्स, बावल, हरियाणा	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन प्रदान नहीं कराया गया।
13.	अबू तालिब	लईक अहमद	-तदैव -	अमोघ एंटरप्राइजेज, लखनऊ	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन प्रदान नहीं कराया गया।
14.	आसिफ खान	कदीर खान	-तदैव -	1-इंडिया फैमिली मार्ट, लखनऊ	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन प्रदान नहीं कराया गया।
15.	शिवम	राज कुमार	-तदैव -	नेहा एसोसिएट्स, हरियाणा	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन प्रदान नहीं कराया गया।
16.	अमृता सिंह	जगदेव सिंह	-तदैव -	कोर इंटेग्रा कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई	प्रशिक्षु ने बताया कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन प्रदान किया जा रहा था, लेकिन उसने काम नहीं किया। प्रशिक्षु ने बताया कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा दावा किए गए कंपनी "कोर इंटेग्रा कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड" में काम नहीं किया।

क्रम सं.	प्रशिक्षु का नाम	पिता का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के अनुसार नियोक्ता का नाम	लाभार्थी के उत्तर सहित विवरण
17.	नेहा देवी	रामलाल	-तदैव -	कोर इंटेग्रा कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन प्रदान नहीं कराया गया।
18.	परीक्षित कुमार	अभिमन्यु	-तदैव -	मिंडा फुरुकावा इलेक्ट्रिक प्रा. लिमिटेड, रेवारी	प्रशिक्षु ने बताया कि उसने एक सप्ताह बाद ही नौकरी छोड़ दी क्योंकि उसे 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम कराया जा रहा था।
19.	दशरथ	रामनिधि	मेसर्स न्यू इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड	निसा इंडस्ट्रियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन प्रदान नहीं कराया गया।
20.	जय किशोर	प्रीम सिंह	-तदैव -	निसा इंडस्ट्रियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन प्रदान नहीं कराया गया।
21.	सुभाष चंद्र	राम भरोसी लाल	-तदैव -	निसा इंडस्ट्रियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन प्रदान नहीं कराया गया।
22.	रंजीत कुमार यादव	मुन्ना लाल	-तदैव -	निसा इंडस्ट्रियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन प्रदान नहीं कराया गया।

क्रम सं.	प्रशिक्षु का नाम	पिता का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के अनुसार नियोक्ता का नाम	लाभार्थी के उत्तर सहित विवरण
23.	विश्ववीर बघेल	राम खिलाड़ी बघेल	-तदैव -	निसा इंडस्ट्रियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन प्रदान नहीं कराया गया।
24.	विनोद कुमार	प्रेम शंकर	-तदैव -	निसा इंडस्ट्रियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ	प्रशिक्षु ने बताया कि उसने गुजरात में एक माह तक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम किया, तथा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा दावा किए गए नियोजन के दस्तावेज के अनुसार उसने लखनऊ में कभी काम नहीं किया है।
25.	सौरव कुमार	बबलू	मेसर्स आइडियल इम्प्रेशंस प्राइवेट लिमिटेड	ग्रैजुटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन उपलब्ध नहीं कराया गया था तथा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा दावा किये गये "ग्रैजुटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड" कंपनी में प्रशिक्षु ने काम नहीं किया है।
26.	भारती	ओम वीर सिंह	मेसर्स आइडियल इम्प्रेशंस प्राइवेट लिमिटेड	आइडियल इंप्रेशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन प्रदान नहीं कराया गया था । परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा दावा किये गये

क्रम सं.	प्रशिक्षु का नाम	पिता का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के अनुसार नियोक्ता का नाम	लाभार्थी के उत्तर सहित विवरण
					“आइडियल इंप्रेशन प्राइवेट लिमिटेड” कंपनी में प्रशिक्षु ने काम नहीं किया है ।
27.	अरुण कुमार	वली राम	मेसर्स आइडियल इम्प्रेशंस प्राइवेट लिमिटेड	एंग्लेज़ इंफोमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन प्रदान नहीं किया गया था । परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा दावा किये गये “एंग्लेज़ इंफोमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड” कंपनी में प्रशिक्षु ने काम नहीं किया है ।
28.	अवधेश कुमार	भग्गन प्रसाद	मेसर्स पीपल ट्री वेंचर्स लिमिटेड	पीपल ट्री एंटरप्राइजेज, हैदराबाद	प्रशिक्षु ने बताया कि उसे पुणे में रिम निर्माण कंपनी में नौकरी दी गई थी, लेकिन वह एक सप्ताह बाद ही वापस आ गया क्योंकि उसे नौकरी पसंद नहीं आई।
29.	दीपक कुमार	कैलाश प्रसाद	मेसर्स पीपल ट्री वेंचर्स लिमिटेड	पीपल ट्री एंटरप्राइजेज, हैदराबाद	प्रशिक्षु ने बताया कि उसने 10-15 दिन बाद ही नौकरी छोड़ दी क्योंकि उसे नौकरी पसंद नहीं आई।
30.	शुभम भारती	अजय कुमार	मेसर्स पीपल ट्री वेंचर्स लिमिटेड	पीपल ट्री एंटरप्राइजेज, हैदराबाद	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन उपलब्ध नहीं कराया गया।

क्रम सं.	प्रशिक्षु का नाम	पिता का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के अनुसार नियोक्ता का नाम	लाभार्थी के उत्तर सहित विवरण
31.	शशिकांत	दलाऊ प्रसाद	मेसर्स पीपल ट्री वेंचर्स लिमिटेड	पीपल ट्री एंटरप्राइजेज, हैदराबाद	प्रशिक्षु ने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक में बैंक खाते के बारे में उसे जानकारी नहीं थी, लेकिन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा दावा किया गया कि उसकी नियुक्ति हो गई थी तथा वेतन आईसीआईसीआई बैंक खाते में जमा हो रहा था ।
32.	मोनू कुमार	राम सजीवन	मेसर्स पीपल ट्री वेंचर्स लिमिटेड	पीपल ट्री एंटरप्राइजेज, हैदराबाद	प्रशिक्षु ने कहा कि आई.सी.आई.सी.आई. बैंक में बैंक खाते के बारे में उसे जानकारी नहीं है, लेकिन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा दावा किया गया कि उसकी नियुक्ति हो गई है तथा वेतन आई.सी.आई.सी.आई. बैंक खाते में जमा हो रहा है।
33.	मोहित कुमार	गोपी चंद्र	मेसर्स ड्रीम वीवर्स एडुट्रैक प्राइवेट लिमिटेड	एग्रीकॉन एंटरप्राइजेज, लखनऊ	प्रशिक्षु के कॉल स्टेटमेंट के अनुसार, उसने मिंत्रा में केवल एक महीने तक काम किया था। हालांकि, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी ने

क्रम सं.	प्रशिक्षु का नाम	पिता का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के अनुसार नियोक्ता का नाम	लाभार्थी के उत्तर सहित विवरण
					अलग नियोक्ता (एग्रीकॉन एंटरप्राइजेज) और तीन महीने (अगस्त-अक्टूबर 2021) की वेतन पर्ची के दस्तावेज प्रस्तुत किए थे।
34.	देवेश कुमार	शोभनाथ	मेसर्स सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट	अमृत आंवला खाद्य उत्पाद, प्रतापगढ़	प्रशिक्षु ने बताया कि उसे डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर रखा गया था, लेकिन उसने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि डीईओ के स्थान पर उससे तारों को मोड़ने का कार्य लिया जा रहा था तथा उसने 03 महीने तक काम नहीं किया।
35.	कुमारी पूनम सोनकर	राम भवन सोनकर	मेसर्स सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट	अमृत आंवला खाद्य उत्पाद, सुल्तानपुर	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन प्रदान नहीं कराया गया।
36.	अजय कुमार	लालता प्रसाद	मेसर्स सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट	अमृत आंवला खाद्य उत्पाद, प्रतापगढ़	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा राजस्थान में नियोजन दिया जा रहा था, लेकिन प्रशिक्षु ने वहां ज्वाइन नहीं किया। प्रशिक्षु ने बताया

क्रम सं.	प्रशिक्षु का नाम	पिता का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के अनुसार नियोक्ता का नाम	लाभार्थी के उत्तर सहित विवरण
					कि वह अमरत आंवला फूड प्रोडक्ट में काम नहीं किया ।
37.	प्रीति	चमन	मैसर्स इंदिरा गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन	बीआर एंटरप्राइजेज, मुजफ्फरनगर	प्रशिक्षु के पिता ने बताया कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रशिक्षण के बाद नियोजन प्रदान नहीं कराया गया ।
38.	मनीष	राजवीर	मैसर्स इंदिरा गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन	ओम लक्ष्मी साड़ी टेक्सटाइल्स एवं मिल्स, मथुरा	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन प्रदान नहीं कराया गया।
39.	मोहम्मद परवेज़	इकरामुद्दीन	इंदिरा गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन	अखिल भारतीय व्यावसायिक उत्कृष्टता परिषद, मुजफ्फरनगर	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन प्रदान नहीं कराया गया।
40.	अंकित कुमार	प्रमोद कुमार	मैसर्स इंदिरा गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन	बीटीएल प्रमोशन्स एंड एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड, मेरठ	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन प्रदान नहीं कराया गया, प्रशिक्षु ने बताया कि उसने अपने प्रयास से नौकरी मिली है तथा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी ने बाद में उससे

क्रम सं.	प्रशिक्षु का नाम	पिता का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के अनुसार नियोक्ता का नाम	लाभार्थी के उत्तर सहित विवरण
					नियुक्ति प्रस्ताव पत्र, बैंक पासबुक और वेतन पर्ची की मांग की।
41.	सीमा देवी	होरी लाल	मेसर्स रोज़गार विकास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड	माइक्रोटेक एकेडमी ऑफ कंप्यूटर लर्निंग, कन्नौज	प्रशिक्षु के पिता ने बताया कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रशिक्षण के बाद नियोजन प्रदान नहीं कराया गया।
42.	अंकिता देवी	कमलेश कुमार	मेसर्स सोशल एक्शन फॉर वेलफेयर एंड कल्चरल एडवांसमेंट	आरएसएचआर कंसल्टेंसी एलएलपी	प्रशिक्षु के भाई ने बताया कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन प्रदान नहीं कराया गया।
43.	विजय कुमार	विष्णु कुमार	मेसर्स सोशल एक्शन फॉर वेलफेयर एंड कल्चरल एडवांसमेंट	पिनेकल रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड.	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन प्रदान नहीं कराया गया।
44.	पुष्पेन्द्र कुमार	जगदीश प्रसाद	मेसर्स सोशल एक्शन फॉर वेलफेयर एंड कल्चरल एडवांसमेंट	पिनेकल रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड.	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन प्रदान नहीं कराया गया।

क्रम सं.	प्रशिक्षु का नाम	पिता का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के अनुसार नियोक्ता का नाम	लाभार्थी के उत्तर सहित विवरण
45.	कमलेश कुमार	राम मनोहर	मेसर्स सोशल एक्शन फॉर वेलफेयर एंड कल्चरल एडवांसमेंट	पिनेकल रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड.	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन प्रदान नहीं कराया गया।
46.	आयशा	लियाकत	मेसर्स आई.सी.ए. एडुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड (पी2)	डॉ आई.टी.एम. लिमिटेड, मोहाली, चंडीगढ़	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन प्रदान नहीं कराया गया। प्रशिक्षु ने बताया कि मोहाली में "कम्पीटेंट" कंपनी में 03 महीने तक काम किया । उसने परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा दावा किये गये "डॉ आईटीएम लिमिटेड" कंपनी में काम नहीं किया ।
47.	कुमारी नैना सैनी	प्रदीप कुमार सैनी	मेसर्स आई.सी.ए. एडुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड (पी2)	अजमेरी क्लॉथ हाउस, सहारनपुर	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन प्रदान नहीं कराया गया।
48.	अनुज गोयल	सुभाष गोयल	मेसर्स मास इन्फोटेक सोसाइटी (पी2)	इंडियन एक्रिलिक्स लिमिटेड, संगरूर, पंजाब	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन प्रदान नहीं कराया गया।

क्रम सं.	प्रशिक्षु का नाम	पिता का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के अनुसार नियोक्ता का नाम	लाभार्थी के उत्तर सहित विवरण
49.	राजा	तीरथ पाल	मेसर्स मास इन्फोटेक सोसाइटी (पी2)	इंडियन एक्रिलिक्स लिमिटेड, संगरूर, पंजाब	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजन प्रदान नहीं कराया गया।

ब- ऐसे प्रशिक्षु जिनके नियोजन के दस्तावेज मेल नहीं खाते

क्रम सं.	नाम	पिता का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के अनुसार नियोक्ता का नाम	लाभार्थी का उत्तर
1	मोहम्मद सद्दाम हुसैन	मोहम्मद यामीन अहमद	मेसर्स आर्यन एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड	नवभारत फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मेरठ	प्रशिक्षु ने बताया कि उसने तीन महीने तक नोएडा में एक कॉल सेंटर में काम किया, लेकिन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी ने दावा किया कि प्रशिक्षु को नवभारत फर्टिलाइजर लिमिटेड में रेफरल सेल्स असिस्टेंट के पद पर नियुक्त किया गया थी।

क्रम सं.	नाम	पिता का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के अनुसार नियोक्ता का नाम	लाभार्थी का उत्तर
2	ज्योति	नन्दलाल	मेसर्स ओरिएंट क्राफ्ट फैशन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	वेंकटेश्वरा क्लोदिंग कंपनी, बैंगलोर	प्रशिक्षु ने बताया कि वह वाइपर मैन्युफैक्ट्री कंपनी में काम करती है, लेकिन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी ने दावा किया कि अभ्यर्थी को वेंकटेश्वर क्लोथिंग कंपनी में दर्जी के पद पर नियुक्त किया गया थी।
3	लव कुश कुमार	रामेश्वर	मेसर्स ड्रीम वीवर्स एडुट्रैक प्राइवेट लिमिटेड	एग्रीकॉन एंटरप्राइजेज, लखनऊ	प्रशिक्षु ने बताया कि वह फ्लिपकार्ट में काम किया, लेकिन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी ने दावा किया कि अभ्यर्थी को एग्रीकॉन एंटरप्राइजेज में नौकरी मिली थी। लेकिन अभ्यर्थी ने इस तथ्य से इनकार किया।
4	विष्णु कुमार गौतम	गया प्रसाद	मेसर्स ड्रीम वीवर्स एडुट्रैक प्राइवेट लिमिटेड	सियाराम इंटरप्राइजेज, बिनोला, गुड़गांव	प्रशिक्षु ने बताया कि वह फ्लिपकार्ट में मित्रा एंड लाटर में काम करता है, लेकिन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी ने दावा किया कि प्रशिक्षु को सियाराम एंटरप्राइजेज में नौकरी मिली थी।

क्रम सं.	नाम	पिता का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के अनुसार नियोक्ता का नाम	लाभार्थी का उत्तर
5	प्रदीप कुमार	मैकू लाल	मेसर्स ड्रीम वीवर्स एडुट्रैक प्राइवेट लिमिटेड	ओम इंटरप्राइजेज, फर्रुखनगर, हरियाणा	प्रशिक्षु ने बताया कि वह फ्लिपकार्ट में काम करता है, लेकिन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी ने दावा किया कि अभ्यर्थी को ओम एंटरप्राइजेज में नौकरी मिली थी ।
6	नीरज	राम दत्त	मेसर्स ड्रीम वीवर्स एडुट्रैक प्राइवेट लिमिटेड	कंचन कम्पू-नेट सॉल्यूशन,	प्रशिक्षु ने बताया कि उसने तीन महीने तक मित्रा में काम किया, लेकिन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी ने दावा किया कि प्रशिक्षु को कंचन कंप्यूनेट सोल्यूशन में नौकरी मिली थी ।

स- नियोजन का कौशल प्रशिक्षण क्षेत्र से मेल नहीं खाना

क्रम सं.	नाम	पिता का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	कौशल प्रशिक्षण	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के अनुसार नियोक्ता का नाम	लाभार्थी का उत्तर
1	असजद अली	मोहम्मद आसिफ	मेसर्स आर्यन एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड	टूर्स एवं ट्रेवल्स	शशांक इलेक्ट्रिकल्स, दिल्ली	प्रशिक्षु के दूरभाष विवरण के अनुसार, उसने शशांक इलेक्ट्रिकल्स में बिलिंग का काम किया था।
2.	ज्योति	नन्दलाल	मेसर्स ओरिएंट क्राफ्ट फैशन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	स्विइंग मशीन ऑपरेटर	वेंकटेश्वरा क्लोदिंग कंपनी, बैंगलोर	प्रशिशु ने बताया कि वह वाइपर निर्माण कंपनी में काम करती थी ।
3	नीतू देवी	मुन्ना लाल	मेसर्स आईडी टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	बी.पी.ओ.	श्री कृष्णा इंडस्ट्रियल रिक्रूटमेंट (पी) लिमिटेड, भिवाड़ी, राजस्थान	प्रशिक्षु ने बताया कि उसे प्रोडक्शन हेल्पर के पद पर रखा गया था तथा उसे संबंधित ट्रेड में नहीं रखा गया

क्रम सं.	नाम	पिता का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	कौशल प्रशिक्षण	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के अनुसार नियोक्ता का नाम	लाभार्थी का उत्तर
						था जिसमें उसे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था।
4	कल्पना देवी	बागवान दीन	मेसर्स आईडी टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	हॉस्पिटैलिटी	बर्गर किंग, नोएडा	प्रशिक्षु ने बताया कि उसे बर्गर किंग में टीम सदस्य के रूप में रखा गया था।
5	नेहा देवी	बाला दीन	मेसर्स आईडी टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	बीपीओ	श्री कृष्णा इंडस्ट्रियल रिक्रूटमेंट (पी) लिमिटेड, भिवाड़ी, राजस्थान	प्रशिक्षु ने बताया कि उसे प्रोडक्शन हेल्पर के पद पर रखा गया था तथा उसे संबंधित ट्रेड में नहीं रखा गया था जिसमें उसे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था।
6	मोनिका	गंगा राम	मेसर्स जे.आई.टी.एम. स्किल प्राइवेट लिमिटेड	रीटेल सैल्सपर्सन	टिंड्राम कंपनी	प्रशिक्षु ने बताया कि वह टिंड्राम कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम करती

क्रम सं.	नाम	पिता का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	कौशल प्रशिक्षण	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के अनुसार नियोक्ता का नाम	लाभार्थी का उत्तर
						थी, जो उस ट्रेड से संबंधित नहीं था जिसमें उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया था।
7	गौरव कुमार	किशन पाल	मेसर्स जे.आई.टी.एम. स्किल प्राइवेट लिमिटेड	अकाउंटस असिस्टेंट टैली	एसोकॉम	प्रशिक्षु ने बताया कि उससे मोबिलाइजर का काम लिया जा रहा है, जो उस ट्रेड से संबंधित नहीं है जिसमें उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया था।
8	अमित कुमार	राम खेलावन	मेसर्स टीमलीज सर्विसेज लिमिटेड	रीटेल सेल्स असोशीएट	टीमलीज, बैंगलोर	प्रशिक्षु ने बताया कि उससे लोडिंग अनलोडिंग का कार्य लिया जा रहा था।

क्रम सं.	नाम	पिता का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	कौशल प्रशिक्षण	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के अनुसार नियोक्ता का नाम	लाभार्थी का उत्तर
9	मोबीना	अमीर हसन	मेसर्स एवन फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	हास्पिटैलिटी	मदरसा कमाल सहाबुल उलूम, मुरादाबाद	प्रशिक्षु के कॉल स्टेटमेंट के अनुसार उसने हास्पिटैलिटी में प्रशिक्षण प्राप्त किया था, लेकिन वह मदरसे में पढ़ा रही थी।
10	देवेन्द्र कुमार	रामनिवास वर्मा	मेसर्स एवन फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	हास्पिटैलिटी	हिताची मेटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मानेसर	प्रशिक्षु के कॉल स्टेटमेंट के अनुसार, उसे तकनीशियन प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया गया, जो उस डोमेन से अलग था जिसमें उसे प्रशिक्षित किया गया था।
11	मोहम्मद इसरार	कल्लन	मेसर्स एवन फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	हास्पिटैलिटी	नौशाद इलेक्ट्रिकल्स, चांदपुर, मुरादाबाद	प्रशिक्षु के कॉल स्टेटमेंट के अनुसार, उसे एक इलेक्ट्रिकल दुकान में नौकरी मिल गई जो

क्रम सं.	नाम	पिता का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	कौशल प्रशिक्षण	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के अनुसार नियोक्ता का नाम	लाभार्थी का उत्तर
						उस ट्रेड से अलग डोमेन में थी जिसमें उसने प्रशिक्षण लिया था।
12	सबीना	नियाजुद्दीन	मेसर्स एवन फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	हास्पिटैलिटी	नियाज़ साउंड एंड डीजे सिस्टम, बदायूँ	प्रशिक्षु के कॉल स्टेटमेंट के अनुसार, उसे नियाज साउंड एंड डीजे सिस्टम में अकाउंटेंट के पद पर नियुक्त किया गया था, जो उस ट्रेड से अलग डोमेन था जिसमें उसने प्रशिक्षण लिया था।

द- ऐसे प्रशिक्षु जिन्होंने वेतन भुगतान के बारे में शिकायत की

क्रम सं.	नाम	पिता का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा यू.पी. एस.डी.एम. के समक्ष प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के अनुसार नियोक्ता का नाम	लाभार्थी के उत्तर सहित विवरण
1	कुमारी शालू कुमारी	राजवीर सिंह	मेसर्स आर्यन एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड	सियाराम इंटरप्राइजेज, फर्रुखनगर, गुड़गांव	वेतन पर्ची के अनुसार, प्रशिक्षु को मार्च से मई 2021 के दौरान प्रति माह ₹5000 प्राप्त हुए। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार, राशि जून 2021 में बैंक खाते में जमा की गई थी। मोबाइल सत्यापन (जून 2022) के दौरान, कुमारी शालू कुमारी ने बताया कि बैंक खाते में जमा वेतन राशि प्रशिक्षण केंद्र के व्यक्ति द्वारा वापस ले ली गई थी।
2	कुमारी रेणु धारीवाल	महाबीर सिंह	-तदैव -	साई आशीष ऑटोमेशन सॉल्यूशन, दिल्ली	प्रशिक्षु के कॉल स्टेटमेंट के अनुसार, धनराशि बैंक खाते में 3-4 महीने तक जमा की गई थी, लेकिन प्रशिक्षण केंद्र के व्यक्ति द्वारा उसे वापस ले लिया गया।

क्रम सं.	नाम	पिता का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा यू.पी. एस.डी.एम. के समक्ष प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के अनुसार नियोक्ता का नाम	लाभार्थी के उत्तर सहित विवरण
3	विनोद कुमार	ऋषि पाल	-तदैव -	हीरा ग्राम उद्योग संस्थान, सहारनपुर	प्रशिक्षु के कॉल स्टेटमेंट के अनुसार, उम्मीदवार ने तीन महीने तक अपने बैंक खाते में 7000 रुपये स्वयं जमा किए।
4	मोशिन खान	जमालुद्दीन	-तदैव -	जय अम्बे ट्रैक्टर्स, शामली	प्रशिक्षु के कॉल स्टेटमेंट के अनुसार, प्रशिक्षु ने प्रशिक्षण केन्द्र के निर्देश पर तीन माह तक 6000 रूपये स्वयं अपने बैंक खाते में जमा किये ।
5	चंचल	रामावतार	मैसर्स इंदिरा गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन	वी.आर.पी.एन. इन्फोबिल्ड, जीबी नगर	प्रशिक्षु के कॉल स्टेटमेंट के अनुसार, प्रशिक्षण के बाद उसे कभी कोई नियोजन नहीं मिला तथा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उसके खाते में जमा की गई राशि वापस ले ली गई।

(स्रोत: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और मोबाइल सत्यापन के दौरान लाभार्थियों के उत्तर)

परिशिष्ट 2.3.10

तकनीकी सहायता एजेंसी और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा 2016-17 से 2021-22 के दौरान किये गये निरीक्षण में कमी

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.3.12.1)

क्रम सं.	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी	परियोजना की स्वीकृति की तिथि	तकनीकी सहायता एजेंसी			उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन		
			निर्धारित निरीक्षण	किया गया निरीक्षण	कमी (*प्रतिशत में*)	निर्धारित निरीक्षण	किया गया निरीक्षण	कमी (*प्रतिशत में*)
1	मेसर्स जे.आई.टी.एम. स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड	28.02.2018	24	0	24 (100)	24	0	24 (100)
2	मैसर्स इंदिरा गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन	29.06.2017	28	14	14 (50)	28	2	26 (93)
3	मेसर्स आई.डी. टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	31.05.2018	23	4	19 (83)	23	5	18 (78)
4	मेसर्स आई.सी.ए. एडु स्किल्स लिमिटेड (पी2)	30.06.2017	28	5	23 (82)	28	0	28 (100)
5	मेसर्स निरंजन माध्यमिक शिक्षा समिति	28.02.2018	24	0	24 (100)	24	0	24 (100)
6	मेसर्स रोजगार विकास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड	22.08.2017	27	0	27 (100)	27	0	27 (100)
7	मेसर्स तारा कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड.	19.06.2018	22	10	12 (55)	22	0	22 (100)
8	मेसर्स रूमन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	02.06.2018	22	3	19 (86)	22	0	22 (100)
9	मेसर्स टीमलीज सर्विसेज लिमिटेड	17.02.2018	24	7	17 (71)	24	0	24 (100)
10	मेसर्स मानव विकास एवं सेवा संस्थान (पी2)	22.08.2017	27	0	27 (100)	27	0	27 (100)
11	मेसर्स आर्यन्स एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड	20.05.2013	36	28	8 (22)	36	0	36 (100)
12	मेसर्स ओरिएंट क्राफ्ट फैशन इंस्टिट्यूट ऑफ	15.01.2014	36	19	17 (47)	36	0	36 (100)

क्रम सं.	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी	परियोजना की स्वीकृति की तिथि	तकनीकी सहायता एजेंसी			उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन		
			निर्धारित निरीक्षण	किया गया निरीक्षण	कमी (*प्रतिशत में*)	निर्धारित निरीक्षण	किया गया निरीक्षण	कमी (*प्रतिशत में*)
	टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड							
13	मेसर्स ए.डी.एस. स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड	20.09.2018	21	0	21 (100)	21	0	21 (100)
14	मेसर्स सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट	07.06.2017	28	18	10 (36)	28	12	16 (57)
15	मेसर्स आइडियल इंप्रेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	28.05.2018	23	6	17 (74)	23	0	23 (100)
16	मेसर्स इंदिरा गोपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्विसेज	23.08.2018	21	7	14 (67)	21	0	21 (100)
17	मैसर्स स्वर्गीय महबीर प्रसाद मेमोरियल शिक्षण संस्थान	02.08.2017	27	3	24 (89)	27	0	27 (100)
18	मेसर्स न्यू इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड	24.03.2014	36	0	36 (100)	36	0	36 (100)
19	मेसर्स पीपल ट्री वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	01.09.2017	27	17	10 (37)	27	1	26 (96)

(स्रोत: तकनीकी सहायता एजेंसी और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी)

परिशिष्ट 3.1

सरकारी पॉलिटेक्निक में महिला छात्रावासों का निर्माण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.6)

(व्यय ₹ लाख में)

क्र.सं.	सरकारी पॉलिटेक्निक / चमड़ा संस्थान का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	मूल स्वीकृत लागत	संशोधित स्वीकृत लागत	संशोधित अनुमोदन की तिथि	राज्य सरकार द्वारा निर्गत धनराशि	वह तिथि जिसके मध्य सरकार द्वारा निदेशक, तकनीकी शिक्षा को निधि निर्गत की गई	कार्यदायी संस्था को निर्गत धनराशि	कार्यदायी संस्था को निर्गत निधि की तिथि	किया गया व्यय
1.	भीलीहिली, आजमगढ़	यूपीआरएनएनएस	141.41	204.75	19-03-21	204.75	16/08/16 से 19/03/21	204.75	16/09/16 से 26/03/21	204.75
2.	बांदा	यूपीआरएनएनएस	141.41	243.11	16-09-20	243.11	16/08/16 से 16/12/21	243.11	16/09/16 से 27/12/21	243.11
3.	जिगार्सिंद, बलिया	यूपीआरएनएनएस	141.41	227.68	19-03-21	227.68	16/08/16 से19/03/21	227.68	16/09/16 से 26/03/21	224.48
4.	चबिलहाखोर, बस्ती	यूपीआरएनएनएस	141.41	182.32	29-03-19	182.32	16/08/16 से 29/03/19	182.32	23/09/16 से 30/03/19	182.32
5.	टुंडला, फिरोजाबाद	यूपीपीसीएल	141.41	157.02	16-05-18	157.02	16/08/16 से 22/06/18	157.02	16/09/16 से 05/07/18	157.02
6.	ताराबगंज, गोंडा	यूपीआरएनएनएस	141.41	179.53	20-06-18	179.53	16/08/16 से 11/07/18	179.53	16/09/16 से 22/07/18	179.53

क्र.सं.	सरकारी पॉलिटेक्निक / चमड़ा संस्थान का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	मूल स्वीकृत लागत	संशोधित स्वीकृत लागत	संशोधित अनुमोदन की तिथि	राज्य सरकार द्वारा निर्गत धनराशि	वह तिथि जिसके मध्य सरकार द्वारा निदेशक, तकनीकी शिक्षा को निधि निर्गत की गई	कार्यदायी संस्था को निर्गत धनराशि	कार्यदायी संस्था को निर्गत निधि की तिथि	किया गया व्यय
7.	राठ, हमीरपुर	यूपीपीसीएल	141.41	178.46	01-10-18	178.46	16/08/16 से 01/10/18	178.46	16/09/16 से 16/10/18	178.46
8.	उरई, जालौन	यूपीपीसीएल	141.41	185.66	06-03-19	185.66	16/08/16 से 06/03/19	185.66	16/09/16 से 15/03/19	185.66
9.	सिकन्दरा, कानपुर देहात	यूपीपीसीएल	141.41	187.26	14-11-18	187.26	16/08/16 से 14/11/18	187.26	16/09/16 से 30/11/18	187.26
10.	चमड़ा संस्थान, कानपुर नगर	यूपीपीसीएल	141.41	176.87	08-03-18	176.87	16/08/16 से 16/03/22	176.87	16/09/16 से 24/03/22	176.87
11.	कुशीनगर	यूपीआरएनएनएस	141.41	246.89	18-09-18	246.89	16/08/16 से 18/09/18	246.89	16/09/16 से 27/09/18	246.89
12.	मैनपुरी	यूपीपीसीएल	141.41	185.92	04-10-18	185.92	16/08/16 से 04/10/18	185.92	16/09/16 से 26/10/18	185.92
13.	तथागत, सिद्धार्थनगर	यूपीआरएनएनएस	141.41	181.66	15-11-18	181.66	16/08/16 से 15/11/18	181.66	16/09/16 से 30/11/18	181.66
14.	सोनभद्र	यूपीपीसीएल	141.41	179.45	27-11-18	179.45	16/08/16 से 27/11/18	179.45	16/09/16 से 05/12/18	179.45

क्र.सं.	सरकारी पॉलिटेक्निक / चमड़ा संस्थान का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	मूल स्वीकृत लागत	संशोधित स्वीकृत लागत	संशोधित अनुमोदन की तिथि	राज्य सरकार द्वारा निर्गत धनराशि	वह तिथि जिसके मध्य सरकार द्वारा निदेशक, तकनीकी शिक्षा को निधि निर्गत की गई	कार्यदायी संस्था को निर्गत धनराशि	कार्यदायी संस्था को निर्गत निधि की तिथि	किया गया व्यय
15.	कुरुपिंडरा, वाराणसी	यूपीआरएनएनएस	141.41	178.36	15-11-18	178.36	16/08/16 से 15/11/18	178.36	16/09/16 से 03/12/18	178.36
योग			**2121.15**	**2894.94**		**2894.94**	**16/08/2016 से 16/03/2022**	**2894.94**		**2891.74**

परिशिष्ट - 3.2

मई और जून 2023 के दौरान संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान सरकारी पॉलिटेक्निक में महिला हॉस्टल की स्थिति

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.6)

क्र.सं.	सरकारी पॉलिटेक्निक / संस्थान का नाम	संयुक्त भौतिक निरीक्षण की तिथि	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के समय नामांकित छात्राओं की संख्या	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान महिला हॉस्टल के निर्माण की स्थिति	कार्यदायी संस्था द्वारा छात्रावास भवन को सौंपने की तिथि	संचालित/ असंचालित	वर्ष, यदि संचालित है।	छात्रावास में रहने वाली लड़कियों की संख्या, यदि नहीं तो इसका कारण।
1.	जीपी फिरोजाबाद	22.05.2023	25	पूर्ण	27.08.2018	लड़कों के छात्रावास के रूप में संचालित		संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि छात्रावास लड़कों को आवंटित किया गया था। इस संदर्भ में, सरकारी पालीटेक्निक ने कहा कि लड़कियों और उनके माता-पिता ने बाजार से दूरी और सुरक्षा कारणों से छात्रावास में रहने से इनकार कर दिया। छात्रावास में छात्राओं के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। किसी भी छात्रा ने छात्रावास के लिए आवेदन नहीं किया था। निदेशालय ने यह भी आगे कहा (मई 2024) कि छात्राओं से आवेदन न मिलने के कारण छात्रावास आवंटित नहीं किया गया था।
2.	जीपी गोंडा	17.06.2023	33	पूर्ण	14.08.2019	संचालित	2019-20	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के समय छात्रावास में 23 लड़कियां रह रही थीं।

क्र.सं.	सरकारी पॉलिटेक्निक / संस्थान का नाम	संयुक्त भौतिक निरीक्षण की तिथि	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के समय नामांकित छात्राओं की संख्या	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान महिला हॉस्टल के निर्माण की स्थिति	कार्यदायी संस्था द्वारा छात्रावास भवन को सौंपने की तिथि	संचालित/ असंचालित	वर्ष, यदि संचालित है।	छात्रावास में रहने वाली लड़कियों की संख्या, यदि नहीं तो इसका कारण।
3.	जीपी कुशीनगर	06.06.2023	69	पूर्ण	31.10.2019	संचालित	2021-22	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के समय छात्रावास में 19 लड़कियां रह रही थीं।
4.	जीपी मैनपुरी	31.05.2023	36	पूर्ण	11.06.2019	संचालित	2022-23	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के समय तीन लड़कियाँ छात्रावास में रह रही थीं।
5.	जीपी आजमगढ़	30.05.2023	36	निर्माणाधीन (जैसा की संयुक्त भौतिक सत्यापन[3] के दौरान देखा गया)				जीपी द्वारा संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह सूचित किया गया था कि छात्रावास निर्माणाधीन है। हालांकि, राज्य सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2024) कि छात्रावास का निर्माण कार्यदायी संस्था (यूपीआरएनएस) द्वारा पूरा कर लिया गया है, लेकिन किसी अन्य कार्यदायी संस्था (यूपीआरएन) द्वारा निष्पादित अन्य कार्यों की एसआईटी जांच के कारण सौंपा नहीं गया है।

[3] राज्य सरकार के उत्तर के अनुसार (फरवरी 2024), छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण था।

क्र.सं.	सरकारी पॉलिटेक्निक / संस्थान का नाम	संयुक्त भौतिक निरीक्षण की तिथि	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के समय नामांकित छात्राओं की संख्या	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान महिला हॉस्टल के निर्माण की स्थिति	कार्यदायी संस्था द्वारा छात्रावास भवन को सौंपने की तिथि	संचालित/ असंचालित	वर्ष, यदि संचालित है।	छात्रावास में रहने वाली लड़कियों की संख्या, यदि नहीं तो इसका कारण।
6.	जीपी बलिया	29.05.2023	64	पूर्ण	सौंपा नहीं गई			राज्य सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2024) कि छात्रावास का निर्माण कार्यदायी संस्था (यूपीआरएनएस) द्वारा पूरा किया गया था, लेकिन दूसरे कार्यदायी संस्था (यूपीआरएनएन) द्वारा निष्पादित अन्य कार्यों की एसआईटी जांच के कारण सौंपा नहीं गया था।
7.	जीपी वाराणसी	25.05.2023[4]	22	पूर्ण	सौंपा नहीं गया			राज्य सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2024) कि छात्रावास का निर्माण कार्यदायी संस्था (यूपीआरएनएसएस) द्वारा पूरा किया गया था, लेकिन दूसरे कार्यदायी संस्था (यूपीआरएनएन) द्वारा निष्पादित अन्य कार्यों की एसआईटी जांच के कारण सौंपा नहीं गया था।

[4] प्रधानाचार्य, सरकारी पोलीटेक्निक वाराणसी द्वारा प्रदान की गई सूचना।

क्र.सं.	सरकारी पॉलिटेक्निक / संस्थान का नाम	संयुक्त भौतिक निरीक्षण की तिथि	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के समय नामांकित छात्राओं की संख्या	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान महिला हॉस्टल के निर्माण की स्थिति	कार्यदायी संस्था द्वारा छात्रावास भवन को सौंपने की तिथि	संचालित/ असंचालित	वर्ष, यदि संचालित है।	छात्रावास में रहने वाली लड़कियों की संख्या, यदि नहीं तो इसका कारण।
8.	चमड़ा संस्थान, कानपुर नगर	18.05.2023	39	निर्माणाधीन				चयनित निर्माण स्थल पर मौजूदा जर्जर भवन के ध्वस्तीकरण में देरी के कारण, निर्माण अक्टूबर 2021 में प्रारंभ हुआ था। कार्य की भौतिक प्रगति 95 प्रतिशत (मई 2023) थी।
9.	जीपी बांदा	10.06.2023	106	पूर्ण	30.03.2022	असंचालित		जीपी द्वारा प्रदान की गई सूचना (जून 2023) के अनुसार, सत्र 2022-23 के अंत तक फर्नीचर की खरीद के कारण लड़कियां निवास नहीं कर रही थीं और अधिकांश लड़कियां स्थानीय क्षेत्र की हैं। निदेशालय ने कहा (मई 2024) कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए छात्राओं से आवेदन आमंत्रित किए गए थे, हालांकि, छात्राओं ने अपने व्यक्तिगत कारणों से छात्रावास में रहने से इनकार कर दिया।
10.	जीपी बस्ती	02.06.2023	82	पूर्ण	28.12.2019	असंचालित		संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि जीपी में चारदीवारी की कमी को देखते हुए सुरक्षा कारणों से छात्रावास को चालू नहीं किया गया था।

क्र.सं.	सरकारी पॉलिटेक्निक / संस्थान का नाम	संयुक्त भौतिक निरीक्षण की तिथि	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के समय नामांकित छात्राओं की संख्या	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान महिला हॉस्टल के निर्माण की स्थिति	कार्यदायी संस्था द्वारा छात्रावास भवन को सौंपने की तिथि	संचालित/ असंचालित	वर्ष, यदि संचालित है।	छात्रावास में रहने वाली लड़कियों की संख्या, यदि नहीं तो इसका कारण।
								फर्नीचर भी उपलब्ध नहीं था। निदेशालय ने यह भी कहा (मई 2024) कि अन्य कमियों के साथ फर्नीचर की कमी के कारण छात्रावास आवास आवंटित नहीं किया गया था।
11.	जीपी हमीरपुर	04.06.2023	32	पूर्ण	01.10.2019	असंचालित		संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि गार्ड रूम उपलब्ध नहीं था। निदेशालय ने यह भी कहा (मई 2024) कि आवेदन सितंबर 2022, अक्टूबर 2023 और फरवरी 2024 में आमंत्रित किए गए थे, लेकिन किसी भी लड़की ने छात्रावास के लिए आवेदन नहीं किया था।
12.	जीपी उरई जालौन	26.05.2023	78	पूर्ण	25.08.2020	असंचालित		संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि चारदीवारी क्षतिग्रस्त हो गई थी। सुरक्षा व्यवस्था की अनुपलब्धता के कारण लड़कियाँ छात्रावास में नहीं रह रही थीं। निदेशालय ने यह भी कहा (मई 2024) कि अगस्त 2021, अगस्त 2022, सितंबर 2023 और फरवरी 2024 में आवेदन आमंत्रित किए गए थे,

क्र.सं.	सरकारी पॉलिटेक्निक / संस्थान का नाम	संयुक्त भौतिक निरीक्षण की तिथि	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के समय नामांकित छात्राओं की संख्या	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान महिला हॉस्टल के निर्माण की स्थिति	कार्यदायी संस्था द्वारा छात्रावास भवन को सौंपने की तिथि	संचालित/ असंचालित	वर्ष, यदि संचालित है।	छात्रावास में रहने वाली लड़कियों की संख्या, यदि नहीं तो इसका कारण।
								लेकिन किसी भी लड़की ने छात्रावास के लिए आवेदन नहीं किया था।
13.	जीपी कानपुर देहात	24.05.2023	52	पूर्ण	29.06.2022	असंचालित		जीपी द्वारा संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह सूचित किया गया था कि कर्मचारी जीपी परिसर में नहीं रह रहे थे। निदेशालय ने कहा (मई 2024) कि छात्राएं सुरक्षा कारणों से छात्रावास में रहने में रुचि नहीं ले रही थीं। छात्रावास में सीसीटीवी कैमरा, केयरटेकर, जनरेटर/इनवर्टर, वाटरकूलर/आरओ एवं स्टडी टेबल की आवश्यकता थी।
14.	जीपी सिद्धार्थनगर	21.06.2023	05	पूर्ण	31.10.2019	असंचालित		जीपी द्वारा संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह सूचित किया गया था कि छात्रावास के लिए फर्नीचर उपलब्ध नहीं थे और केवल पांच लड़कियों का नामांकन किया गया था जो स्थानीय थी। हालांकि, निदेशालय ने कहा (मई 2024) कि छात्राओं को छात्रावास लेने में

क्र.सं.	सरकारी पॉलिटेक्निक / संस्थान का नाम	संयुक्त भौतिक निरीक्षण की तिथि	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के समय नामांकित छात्राओं की संख्या	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान महिला हॉस्टल के निर्माण की स्थिति	कार्यदायी संस्था द्वारा छात्रावास भवन को सौंपने की तिथि	संचालित/ असंचालित	वर्ष, यदि संचालित है।	छात्रावास में रहने वाली लड़कियों की संख्या, यदि नहीं तो इसका कारण।
								कोई रुचि नहीं थी और छात्रावास के आवंटन के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था।
15.	जीपी सोनभद्र	14.06.2023	13	पूर्ण	11.09.2019	असंचालित		संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि उचित जल आपूर्ति और गार्ड रूम उपलब्ध नहीं था। निदेशालय ने कहा (मई 2024) कि वर्ष 2020-21 और 2021-22 में छात्रावासों के आवंटन के लिए छात्राओं से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। हालांकि वर्ष 2022-23 में छह छात्राओं ने छात्रावास के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्होंने आवंटन के समय छात्रावास में रहने से मना कर दिया। 2023-24 में, आठ छात्राओं ने छात्रावास में रहने में रुचि ली, लेकिन व्यक्तिगत कारण से एक सप्ताह बाद छात्रावास छोड़ दिया।

(स्रोत: सरकारी पोलीटेक्निकों का संयुक्त भौतिक सत्यापन और सरकारी पोलीटेक्निक और प्राविधिक शिक्षा निदेशालय/राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना)

परिशिष्ट 3.3

शूटिंग रेंज की प्रगति

(संदर्भः प्रस्तर संख्या 3.11)

क्र.सं.	विवरण	कार्य की स्थिति	व्यय (₹ लाख)
1.	बाउंड्री, चेन-लिंक फेंसिंग	पूर्ण	72.03
2.	खडंजा रोड/कल्वर्ट, साइट कार्यालय से संपर्क	पूर्ण	39.79
3.	प्रशासनिक भवन	पूर्ण	66.45
4.	10 मीटर इनडोर शूटिंग रेंज	आंशिक रूप से पूर्ण	538.05
5.	30 निशानेबाजों के लिए 6वीं 25 मीटर आउटडोर शूटिंग रेंज (41 मीटर x 66 मीटर)	आंशिक रूप से पूर्ण	127.35
6.	25 मीटर प्रथम तल की चारदीवार, लक्ष्य स्थल	आंशिक रूप से पूर्ण	47.76
7.	70 निशानेबाजों के लिए 50 मीटर आउटडोर शूटिंग रेंज (110 मीटर x 85 मीटर)	आंशिक रूप से पूर्ण	277.69
8.	ट्रैप और स्कीट	आंशिक रूप से पूर्ण	157.02
9.	शस्त्र ब्लॉक	आंशिक रूप से पूर्ण	54.05
10.	शूटिंग रेंज स्ट्रीट लाइट, पैनल, ट्रांसफार्मर, सब-स्टेशन, जनरेटर और अन्य विद्युतीकरण कार्य।	आंशिक रूप से पूर्ण	244.45
11.	उपकरणों की आपूर्ति	क्रय नहीं	0.00
12.	लेसा इलेक्ट्रिक कनेक्शन चार्ज	पूर्ण	46.70
13.	आंतरिक सीसी रोड	प्रारंभ नहीं किया गया	0.00
14.	आंतरिक पैनल कार्य	आंशिक रूप से पूर्ण	79.44
15.	बाहरी सड़क निर्माण	प्रारंभ नहीं किया गया	0
16.	जल निकासी	प्रारंभ नहीं किया गया	0
17.	ट्यूबवेल, पंप हाउस, बाहरी जल आपूर्ति लाइन, सेप्टिक टैंक	पूर्ण	55.26
18.	बागवानी	पूर्ण	20.47
19.	साइट सर्वेक्षण, मृदा परीक्षण और भवन प्रबंधन प्रणाली	आंशिक रूप से पूर्ण	0.64
20.	परामर्श शुल्क, सीए शुल्क, विधिक शुल्क		33.81
योग			**1860.96**

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in